दशम माला, खंड 5, अंक 49

बुधवार, 18 सितम्बर, 1991
27 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

63
6.7.94

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोकसभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार; 18 सितम्बर, 1991/27 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i) 46	नीचे से 2, नीचे से 4	श्री बल्लभ पाणिग्रही	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
(ii)	नीचे से 6	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
1	नीचे से 1	श्री रंगाराजन कुमार मंगलम	श्री रंगराजन कुमारमंगलम
1	नीचे से 2	कम्पनी मामलों संबंधी	कम्पनी कार्य संबंधी
49	19	श्री एस·ती·चव्हाण	श्री एस·बी·चव्हाण
59		"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ" के बाद का विषय पाद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाए	
73	21	(दार्जलिंग)	(दार्जिलिंग)
105	9, 13, 23	अध्यक्ष महादल	अध्यक्ष महोदय
105	14	(श्री गुलाबनबी आजाद)	(श्री गुलाम नबी आजाद)
105	24	श्री शाहाबुद्दीन	श्री सैयद शाहबुद्दीन
125	नीचे से 10	मूलत: तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण को पाद टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाए ।	
126	12	मूलत: तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण के पाद टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाए ।	
140	नीचे से 1	कम्ल	कल
140	नीचे से 3	7·23 म०पू०	7·23 म०प०

विषय-सूची

दसवीं माला, खण्ड 5,	पहला सत्र, 1991/1913 (शक)
अंक 49, बुधवार,	18 सितम्बर, 1991/27 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प।	9—165
श्री जसवंत सिंह	9—38
श्री जार्ज फर्नान्डीज	39—44
श्री इन्द्रजीत गुप्त	45—62
श्री अय्यूब खां	63—66
श्री चन्द्रजीत यादव	67—72
श्री सैफुद्दीन चौधरी	73—86
श्री मदनलाल खुराना	87—95
श्री राम विलास पासवान	96—104
श्री नारायण सिंह चौधरी	105—106
श्री ए० अशोक राज	107—110
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	111—114
श्री पीयूष तीरकी	114—117
डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र	118—122
श्री पी० सी० थामस	122—126
श्री भोगेन्द्र झा	127—131
श्री इम्चा लम्बा	132—135
राव राम सिंह	136—139
श्री बल्लभ पाणिग्रही	140—147
श्री एस० बी० चव्हाण	147—165

विषय	पृष्ठ
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	166—430
श्री एडुआर्डो फैलीरो	166—186
	415—429
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	189—203
श्री शरद दिघे	204—222
श्री चन्द्रजीत यादव	223—252
श्री इन्द्रजीत गुप्त	253—284
श्री पी० वी० नरसिंह राव	284—314
श्री सैयद शाहबुद्दीन	315—331
श्री सुदर्शन राय चौधरी	331—349
श्री चित्त बसु	350—359
श्री ई० अहमद	360—365
श्री भोगेन्द्र झा	366—370
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	371—381
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति	381—387
प्रो० प्रेम धूमल	388—393
श्री ए० अशोक राज	394—398
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	399—401
श्री इन्द्रजीत	402—414
राज्य सभा से सन्देश	431
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	431
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	432
विदाई उल्लेख	432—437

लोकसभा

बुधवार, 18 सितम्बर, 1991/27 भाद्र, 1913 (शक)

लोकसभा 11·05 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) अध्यक्ष महोदय

हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि संसद का सत्र बढ़ा दिया गया है। मुझे आज सुबह ही संसदीय पत्र पहुंचने पर मालूम हुआ कि सदन का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

महोदय, हमें कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं कल उपस्थित नहीं था तो मुझे इस बात की जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

अध्यक्ष महोदय : हमने सदन में ही इसका निर्णय लिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने सदन में निर्णय लिया था।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : महोदय, सदस्यों से पत्र-व्यवहार अवश्य किया जाना चाहिए। बहुत से सदस्य आज चले गए हैं। उन्होंने पहले ही अपनी सीटें आरक्षित करवा ली हैं और वे आज विभिन्न स्थानों के लिए चले गए हैं। महोदय ऐसा तरीका होना चाहिए की हमें पहले ही जानकारी मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सदन में ही लिया गया था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दम दम) : सदन का सत्र बढ़ाए जाने के बावजूद कोई समिति नहीं बनाई गई है। (व्यवधान) सत्र की अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद कोई आवास समिति अथवा वित्तीय समिति नहीं बनाई गई है। यह साधारण सी बात नहीं है कि दो महीने के बाद भी सरकार के लिये समिति गठित करना सम्भव नहीं हो पाया है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी मामलों सम्बन्धी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमार मंगलम) : हम अंतिम निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

11.08 म० पू०

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प (जारी)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह अपनी बात कह सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के बारे में माननीय गृहमन्त्री के सांविधिक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं और वास्तव में हम कल शाम को अधूरी छोड़ी गई बहस पर ही आगे चर्चा कर रहें हैं, जब सदन को पहली बार सरकार के इरादों का पता चला। अतः यह मेरे लिए आवश्यक है कि आपत्तियों को संक्षेप में बताऊं।

हमने पंजाब राज्य की अनुदान मांगों, और विनियोग विधेयक पर व्यापक चर्चा की है। हमने पिछले वर्षों से, 1987 से पंजाब में चुनाव रद्द किए जाने के बारे में भी चर्चा की थी। हमने बार-बार और लगातार पंजाब पर चर्चा की है और अब मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि पंजाब राज्य में विद्यमान समस्याओं के समग्र सामाजिक और राजनैतिक पहलुओं का विश्लेषण करूं। माननीय गृहमन्त्री जी ने इस सदन में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया था हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सिद्धान्ततः मैं सरकार अथवा संकल्प के आशय से चार आधारों पर सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के सिद्धान्त के बारे में, मैं सहमत नहीं हूँ, इस पर मैं अभी विस्तार से बताऊंगा- और इसे प्रस्तुत करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। माननीय गृहमन्त्री के वक्तव्य के साथ संलग्न सांविधिक संकल्प में दिए गए सरकार के दृष्टिकोण से मैं सहमत नहीं हूँ। यह मेरी तीसरी कठिनाई है। मेरी चौथी कठिनाई इसके साथ सहमत न होने की यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में हमने जो न्यूनतम मांग रखी थी, जिस पर मैं थोड़ी देर बाद विस्तार से बोलूंगा उसके सम्बन्ध में न तो सरकार ने और न ही गृहमन्त्री जी ने कोई संकेत दिया है। मैं इन सब बातों की जांच करूंगा और इन चारों कठिनाईयों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। सीधा सा हिसाब लगाया जाए तो पंजाब में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब से यह नौवीं बार हम राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और यदि संसद समय बढ़ाती है—यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं कि यह नौवीं बार है अथवा आठवीं बार, परन्तु यह परेशानी का मुख्य कारण नहीं है। परेशानी का मुख्य कारण यह है कि यदि संसद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का समय आठ अथवा नौ बार बढ़ाना आवश्यक समझती है तो इसे इतनी अधिक विवेकहीन ढंग से अथवा आसानी से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अतः इस बात की गहराई से जांच करना अनिवार्य हो जाता है कि हम इतनी अधिक विवेकहीन ढंग से आसानी से हर छः महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि हर छः महीने के पश्चात् हमें राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी होती है क्योंकि पूर्व अवधि में कुछ भी नहीं किया जाता है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन का समय बार-बार बढ़ाए जाने

का अर्थ है उस राज्य के लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित करना। परन्तु समस्याग्रस्त पंजाब राज्य में लोगों को अपनी सरकार चुनने के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने से कहीं अधिक ज्यादतियां हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब में अधिकांश लोग अतिवादी अथवा आतंकवादी या कानून का उल्लंघन करने वाले तत्वों के दबाव में है और पंजाब के लोगों को इसीलिए सरकार की बार-बार विफलता के कारण ही सजा मिल रही है।

महोदय, मैं इस बात पर बल देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो 80 के दशक का अनुसरण कर रही है, की नीतियों के कारण जम्मू और काश्मीर राज्य की भी वही स्थिति है। पंजाब की विद्यमान स्थिति कांग्रेस पार्टी की नीतियों का सीधा परिणाम है। पंजाब में जो कुछ भी फिर से हो रहा है वह कांग्रेस पार्टी की नीतियों के परिणामस्वरूप हो रहा है।

महोदय, श्रीलंका के बारे में बोलने के लिये मुझे इससे पूर्व भी कई अवसर प्राप्त हुए थे, श्रीलंका में कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि श्रीलंका के लोगों के बीच जातीय संघर्ष के लिये भारतीय प्रायःद्वीप एक अंतः प्रदेश बन गया है। अनेकों तरह की बातें कही गयी हैं। उनके अपने दल के स्वर्गीय नेता की धोखे से की गयी हत्या से पता चलता है। यदि मैं कांग्रेस दल की बुराईयों को गिनाऊं जिनसे आज देश प्रभावित है, तो वह अनगिनत हैं। किन्तु इन सबसे हमें संतोष नहीं मिलता। परन्तु मैं इस बात पर बल देता हूँ कि अन्य राज्यों की तरह पंजाब भी कांग्रेस पार्टी की पिछले वर्षों की राजनीति से प्रभावित हो रहा है। चाहे वह पंजाब राज्य हो अथवा केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण हो कांग्रेस पार्टी ने अपने दलगत हितों के लिए ही राजनीतिक भूमिका अदा की है। वास्तव में आज सरकार की असफलता के कारण ही पंजाब के लोगों को सजा मिल रही हैं। सरकार ने आठ या नौ बार राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाया है। पंजाब में कानून और व्यवस्था की समस्या की बात कम की है, हर बार और अधिक सैन्य बल तैनात करने की बात करके इसे समाप्त कर देते हैं। हमारी समस्या यह है कि कानून और व्यवस्था बनायी रखी जाए परन्तु पंजाब में अधिक सैन्य बल भेजकर ही इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जब तक वहाँ पर शासन करने के लिये सरकार गठित न की जाये तब तक कितना ही सैन्य बल क्यों न भेज दें कानून व व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। यही कारण है कि इस संकल्प के सम्बन्ध में हमारी सबसे पहली समस्या राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाये जाने के लिये दिये गये आधार सम्बन्धी सिद्धान्तों के बारे में है।

महोदय, मेरी दूसरी समस्या प्रक्रिया संबंधी है। मैंने जो कुछ कल कहा था उसे मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, परसों, 16 तारीख को पंजाब के बजट और अनुदान मांगों तथा ही चुनावों को रद्द किये जाने आदि के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा हुई थी पंजाब से संबंधित जितने भी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी उसमें पंजाब के सभी पहलुओं पर विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। उस चर्चा के दौरान बार-बार यह पूछा गया था कि वहाँ चुनाव कब कराये जायेंगे किन्तु सरकार ने किसी भी चरण पर अपनी मंशा जाहिर नहीं की। अब हमारे दल के नेता और वरिष्ठ सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्टतः पूछा, जिसकी तीन अथवा चार लाइनें उद्दृत करने के लिये मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा: आप कितनी जल्दी चुनाव कराएंगे? इसका संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री रंगाराजन कुमारमंगलम ने उत्तर दिया:

"राष्ट्रपति की अधिसूचना 11 नवम्बर 1991 तक वैध है। हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में अभी कोई सांविधिक संकल्प नहीं लाये हैं।"

मैंने पाया कि यह रहस्यमय वक्तव्य है। मैं जानता हूँ कि वह भी विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में भी राज्य मन्त्री हैं। इसलिए श्री कुमार मंगलम मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों के बारे में कुछ कर सकते हैं। संसद के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा पूछे गए एक प्रश्न कि आप पंजाब में कब तक चुनाव कराना चाहते हैं, सरकार की तरफ से संसद में उत्तर दिया जा रहा है। जो कुछ कहा गया है वह "राष्ट्रपति शासन की वैधता 11 नवम्बर तक है। हम राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के बारे में कोई संकल्प नहीं लाये हैं।" "यह बात इस महीने की 16 तारीख को कही गई" 17 तारीख को शाम को छः बजे हमें सदन में अचानक यह मालूम हुआ कि सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में एक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करना चाहती है। इससे कई प्रश्न उत्पन्न हुए। जब पंजाब पर चर्चा हुई तो हममें से कुछ सदस्यों ने सरकार पर अक्षमता, उदासीनता और लापरवाही का आरोप लगाया तो केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने इसका कड़ा विरोध किया। मैं केन्द्रीय गृहमंत्री जी से यह अपेक्षा नहीं करता कि वह अपनी अक्षमता, अकुशलता व लापरवाही को स्वीकार कर लें। उनके लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि वे इनमें से किसी को भी स्वीकार कर लें क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं उनसे सरकार की अक्षमता स्वतः स्पष्ट है। क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने अथवा बढ़ाने का यह कोई तरीका है सरकार इस तरीके से कार्य करना चाहती है। संसद सत्र के अंतिम दिन 6 बजे शाम को आप संकल्प लाते हैं तो क्या यह आपकी अक्षमता नहीं है। मैं नहीं समझता कि अक्षमता स्पष्ट करने के लिये और कोई उदाहरण दिये जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): यह कुशलता हो सकती है परन्तु ईमानदारी नहीं।

श्री जसवंत सिंह : मैंने सरकार की मंशा के संबंध में गैर-ईमानदारी शब्द जानबूझ कर नहीं कहा है। लेकिन जहाँ तक पंजाब का मामला है मेरे वरिष्ठ मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त सुझाव देते हैं कि कुशलता तो है किन्तु इस कुशलता में, गैर ईमानदारी भी सम्मिलित है।

महोदय, हमारी इस समय परिस्थिति ऐसी है जब 6 बजे माननीय मन्त्री हमें यह बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे बढ़ाया जाना क्यों आवश्यक हो गया है ?

10 नवम्बर की तारीख कोई गोपनीय तारीख नहीं थी। जब पिछली बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को (बढ़ाया गया तब सरकार को 10 नवम्बर की तारीख या राष्ट्रपति शासन की अवधि) की समाप्ति का पता था। उस दिन से हमें मालूम था कि 10 नवम्बर 1991 की तारीख ऐसी तारीख है जिसे हमें याद रखना होगा। इस संसद का सत्र जुलाई से चल रहा है। सरकार को पता था कि पंजाब राज्य के लिये कुछ करना है क्योंकि नवम्बर को यह प्रश्न दोबारा उठेगा। जब सत्र चल रहा था तो सरकार अपने इरादे के अनुसार कुछ करने के लिये आगे क्यों नहीं आई ? जब पंजाब के अन्य पहलुओं पर विचार किया गया था तब वह आगे क्यों नहीं आई ? सरकार ने संवैधानिक संशोधनों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार तब चुनावों को रद्द करने सम्बन्धी विधेयक सामने लाई। सरकार ने स्वयं को इस भ्रम में क्यों उलझाकर रखा। मेरा अनुमान है कि इसका केवल एक कारण है। मैं महसूस करता हूँ कि पंजाब में चुनावों

का रद्द किया जाना एक कपटपूर्ण कृत्य था जो कांग्रेस दल की दिलचस्पी से पूर्ण रूप से प्रेरित था ताकि चुनावों के बहिष्कार की वास्तविक गलती करने के बाद भी वह किसी तरह पुनः चुनावी मैदान में घुस सके। आपने संपूर्ण प्रणाली का दुरुपयोग किया है क्योंकि आपने मूलतः गलती की। आपने चुनावों का बहिष्कार किया और अपने दल की इस भूल को सुधारने के लिए विधानसभा में अथवा संसद में और अधिक स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरी प्रणाली का दुरुपयोग किया। यदि आपने संपूर्ण पद्धति का दुरुपयोग आरम्भ कर दिया है तो उसकी कोई कीमत भी चुकानी होगी। मेरी सबसे अधिक चिंता राजनीतिज्ञों द्वारा मूल्य चुकाये जाने की नहीं है बल्कि वह यह है कि इसे पंजाब के लोगों को चुकानी पड़ेगी।

महोदय, इस सब को स्पष्ट करने के लिए माननीय गृह मंत्री ने चुनावों को रद्द करने की आवश्यकता और चुनावों को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बारे में कहा यह सर्वविदत है कि राज्य सभा ने लगभग 3 बजे के बाद चुनाव रद्दकरण विधेयक पारित कर दिया है। उसके बाद विधेयक को शीघ्रता से विशेष संदेश वाहकों के माध्यम से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया ताकि 6 बजे से पहले यह सूचना यहाँ पहुँच जाए और लोक सभा उस विधेयक पर विचार शुरू कर सके। क्या किसी सरकार के कार्य करने का यही तरीका है? क्या पंजाब जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का सरकार का यही तरीका है? जब ऐसी बातें होती है तो मेरे अच्छे मित्र श्री रामविलास पासवान को यह टिप्पणी करने का अधिकार मिल गया था। कल उन्होंने कहा था कि ऐसे कागजों पर इस तरह से हस्ताक्षर लेना स्वयं में सरकार की असक्षमता को स्वीकार करना है। समय बहुत कम है। मैं अन्य बातों को अनकहा छोड़ दूँगा। केन्द्रीय गृहमंत्री के इस वक्तव्य की मैं विस्तार से जाँच करूँगा क्योंकि यह नौकरशाही धुंधलेपन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह वक्तव्य, निसंदेह, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जहाँ तक पंजाब के लोगों का सम्बन्ध है, सरकार की उदासीनता का यह दूसरा उदाहरण है, मैं बताना चाहता हूँ कि यह अपने तात्पर्य में अपमानजनक है। यह अपमानजनक है क्योंकि यह कल्पना से भरा हुआ है, पूरा वक्तव्य तथ्यों का वक्तव्य नहीं है। परन्तु यह कल्पना का एक वृत्तान्त है। मैं इसे अपमानजनक कहूँगा क्योंकि या तो सरकार इस संसद और लोगों की बाहर पूर्ण रूप से अवहेलना कर रही है या वह समझ रही है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस देश में और संसद में क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए ?

श्री बसवंत सिंह : मुझे केवल 5-7 मिनट चाहिए। ठीक है। इन मुद्दों पर हमें भी कुछ समझ है, अतः सरकार सोचती है कि वह वक्तव्य के रूप में कोई भी प्रस्ताव ला सकती है। उसे उम्मीद है कि हम उसका अनुसरण करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा कल्पना से पूर्ण वक्तव्य है। मैं इसे उद्धृत करता हूँ :—

"पंजाब में विधानसभा के साथ-साथ संसदीय चुनाव 22 जून 1991 को निर्धारित किये गये थे। तथापि भारत के चुनाव आयोग ने सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया कि वहाँ 22 जून, 1991 को स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था"

मैं इसे विस्मयकारी वक्तव्य समझता हूँ जो माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री के से सरकार माध्यम द्वारा दिया गया है और जिसकीसंसद में रचना दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसका निर्णय कब लिया ? उन्होंने 21 जून की मध्यरात्रि में यह निर्णय लिया जब चुनाव दलों ने अपने चुनाव केन्द्र में जाना शुरू कर दिया था। अब हमें सूचित किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात से संतुष्ट थे कि वहाँ चुनाव कराना संभव नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कौन सी स्वतन्त्र मशीनरी है ? सम्बन्धित तथ्य प्राप्त करने के लिए उनके पास कौनसी मशीनरी है ? वे क्या-क्या सम्बन्धित तथ्य थे जिनकी पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल को जानकारी नहीं थी, परन्तु मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी जानकारी थी वे तथ्य क्या थे ? जब तक हमें इन सम्बन्धित तथ्यों की सूचना नहीं दी जाती तब तक हम माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा संसद में दिए गए, वक्तव्य का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं ? मुख्य चुनाव आयुक्त को यह तथ्य किसने दिए ? सरकार उस समय क्या कर रही थी ? तत्कालीन भारत सरकार की सिराफिश थी कि पंजाब राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। यह मुझे याद है। यदि आपको यही करना था तो 21 तारीख की मध्यरात्रि को ही यह कदम क्यों उठाया, जब एक सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थान ग्रहण कर रही थी ? मैं इस बारे में बता दूँ कि इस विषय पर हम पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। इसमें इतनी कड़वाहट भरी हुई है,पंजाब की जनता के प्रति इतनी क्रूरता भरी हुई है कि उस पर विश्वास करना असंभव प्रतीत होता है। यदि आपको यही निर्णय लेना था तो सैकड़ों उम्मीदवारों की हत्या हो जाने के बाद ही क्यों लिया ? यदि आपको यही करना था तो 21 या 22 की मध्यरात्रि को ही क्यों किया, जब एक सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थान ग्रहण कर रही थी ? एक दिन पहले ही यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया ? मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जो तथ्य उपलब्ध थे क्या वे रात को 11 बजे और 12 बजे के बीच प्राप्त हुये ? सरकार संसद की किस प्रकार से सेवा कर रही है ? क्या हम इसे राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के आधार के रूप में ले रहे हैं ? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ कि यह निर्णय कांग्रेस दल द्वारा निश्चित रूप से अपने दल के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया न कि पंजाब या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर। हम इस वक्तव्य का कैसे समर्थन कर सकते हैं।

आयोग ने यह घोषणा की कि चुनाव 25 सितम्बर को होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस आधार पर 25 सितम्बर की तारीख का निर्णय किया ? अब आपको क्या कठिनाई है ? आपको यह कठिनाई है कि आप कांग्रेस दल उसमें भाग नहीं ले सकते। इसलिये, आपने पहली बार चुनावों की लक्ष्मण रेखा को लांघा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में चुनाव प्रक्रिया की कतिपय मर्यादा रही है। एक बार यदि यह शुरू हुआ तो कभी भी रद्द नहीं हुआ, यह कभी भी रुका नहीं। यहाँ तक कि असम राज्य में जहाँ मेरे दल के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1983 के सबसे भयंकर चुनाव में मुझे नियुक्त किया था, जब सैकड़ों लोग मारे गए थे, जब कुल मतदान दो प्रतिशत से भी कम था तो तब भी उन चुनावों को रोका नहीं गया था। आपने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार किया है। गणतन्त्र भारत के रूप में हमारे देश

में पहली बार कोई चुनाव रद्द किया गया है। ऐसा केवल एक दल के हित को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात को कोई नहीं जानता कि कल इस आधार पर कौन राज्यपाल अथवा कौन सा दल, जो सत्ता में हों महाराष्ट्र राज्य में अथवा राजस्थान राज्य में चुनाव रद्द नहीं करेगा।

केन्द्रीय गृहमत्री ने हमें आगे बताया कि नम्बर 1990 में पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। फरवरी, 1991 में यह स्थिति सबसे खराब हो गयी थी। यह भारत सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है क्योंकि वह पंजाब की स्थिति को केवल मारे जाने वाले लोगों की संख्या के हिसाब-किताब से नाप रही है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने पुनः यह बताया कि क्योंकि मार्च 1991 में चुनाव की बात चल रही थी और अभी चुनाव की घोषणा की जानी थी कि आतंकवादियों ने अपने प्रयास तेज कर दिए। जब भी आप चुनाव के बारे में कहेंगे, आतंकवादी हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विफल करने के लिए अपने प्रयास तेज कर देंगे। और हर बार जब आतंकवादी अपने प्रयास तेज कर देंगे तो क्या आप इसी तरह चुनाव रद्द करते रहेंगे? यह प्रक्रिया कब रुकेगी?

केन्द्रीय गृहमंत्री ने बताया है कि आतंकवादी अपनी गतिविधियों का क्षेत्र भी बदल रहे हैं।

व्यवधान

मैं एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब वे अपनी गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान में ले जा रहे हैं बल्कि उन्होंने राजस्थान में अपनी गतिविधियाँ आरम्भ कर दी हैं, तो क्या आप राजस्थान के चुनाव भी रद्द करने जा रहे हैं?

राजस्थान राज्य में पंजाब के आतंकवादियों ने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया है। कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ की गई हैं, कुछ शस्त्रों के कुछ विशिष्ट भण्डार पकड़े गये हैं। क्या आप राजस्थान में भी चुनाव रद्द करने के लिए यह आधार मानने जा रहे हैं? हम इस प्रकार संसद में बताई गई बात का किस प्रकार समर्थन कर रहे हैं।

केन्द्रीय गृहमंत्री के वक्तव्य से मुझे जानकारी मिली है कि पंजाब की स्थिति के बारे में पंजाब प्रशासन की यह प्रतिक्रिया रही है कि वर्ष 1990 में 1321 आतंकवादी मारे गए और कई गिरफ्तार किए गए जबकि अब 1433 आतंकवादी मारे गए हैं।

हम इस निरर्थक अंकगणित को कैसे समझ सकते हैं जो आपने दिया है? क्या केवल इसी मापदंड द्वारा आप पंजाब में अपनी गतिविधियों की सफलता अथवा असफलता की माप करने जा रहे हैं? क्या पंजाब में प्रशासन की केवल यही जिम्मेदारी है? पंजाब में 1987 से ही प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अधीन था।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब के साथ इस तरह का व्यवहार हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गृहमन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में हमें यह बताया था कि प्रतिरोधी प्रचार आंदोलन चलाया गया था। यह प्रतिरोधी प्रचार कहाँ जा रहा है और कितनी सफलता के साथ? इसकी उपलब्धि क्या है? उनका कहना है कि आतंकवादियों से सहानुभूति आदि रखने वालों के क्रिया-कलापों को निरुत्साहित किया जा रहा है। यह कैसी कल्पना है? इसे कहाँ

निरुत्साहित किया गया है ? यह प्रतिरोधी प्रचार आंदोलन तब कहां चला जाता है जब हर शाम 6 बजे के बाद ग्रामीण क्षेत्रों सहित पंजाब वस्तुतः कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र बन जाता है ? और मुश्किल से ही कोई बाहर दिखाई देता है ? किस तरह का प्रतिरोधी प्रचार आंदोलन शुरु किया गया है और किसके द्वारा ?

अगला प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नये राज्यपाल ने पंजाब में अभी अपना पदभार संभाला है और स्थिति के संबंध में अपना जायजा दिया है। पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल जो कि एक ख्याति-प्राप्त सैनिक रहे हैं और जिनका पिछला कार्यक्षेत्र बेदाग था, ने पंजाब में चुनाव करवाने के लिए अपना समस्त सार्वजनिक जीवन दांव पर लगा दिया था। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया था तो भूतपूर्व राज्यपाल से कोई सलाह नहीं ली गई थी वह भूतपूर्व राज्यपाल कुछ महीने पहले ही, पंजाब में चुनाव कराने के लिए वचन बद्ध था उस राज्यपाल की सलाह आपको स्वीकार्य नहीं थी। नये राज्यपाल आ गये हैं, और आपको काफी खोज करने के बाद पंजाब के लिये राज्यपाल मिला। हम ऐसी स्थिति को कैसे स्वीकार करें-जहाँ केन्द्रीय सरकार एक राज्यपाल की सलाह को काफी कांट-छांट के बाद स्वीकार करती है, सलाह को अस्वीकार करती है और राज्यपाल को हटा देती है और नये राज्यपाल को नियुक्त करती है ?

मुझे खेद है कि हम इस संकल्प को अथवा इसके साथ दिये वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार हमें सूचित करती है कि एक विशेष और सतत् प्रयास की आवश्यकता है। क्या गृहमन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि वह विशेष और सतत् प्रयास क्या होगा ? उस विशेष और सतत् प्रयास के लिए क्या करना है ? उस विशेष और सतत् प्रयास के ब्यौरे क्या होंगे ? वह आगे कहते हैं कि ऐसा वातावरण आवश्यक होगा जो सही ढंग से बलप्रयोग से मुक्त होना चाहिए। आप इस प्रकार का वातावरण कैसे तैयार करेंगे ?

गृहमन्त्री महोदय हमें आगे बताते हैं कि गतिविधियों में तीव्रता लानी आवश्यक होगी जिससे जनता के आत्म विश्वास को पुनः लौटाया जायेगा। गतिविधियों में तीव्रता क्या होगी और आपने किस प्रकार की गतिविधियों को अपने ध्यान में रखा है और कौन तीव्रता लायेगा, जिससे जनता के आत्मविश्वास को लौटाया जा सके ? वह हमें यह भी बताते हैं कि यद्यपि कई मोर्चों पर समन्वित रूप से कार्यवाही आवश्यक होगी केन्द्रीय लक्ष्य-कृपया केन्द्रीय लक्ष्य शब्द पर ध्यान दीजिये पर्याप्त सुरक्षा बल प्राप्त करना है ताकि आतंकवादी संगठनों को प्रभावशाली ढंग से मात दी जा सके ये पर्याप्त सुरक्षा बल आयेंगे कहाँ से ? आपके पास अप्रैल, 1991 में पंजाब में महीनों पहले से ही लगाये गये सैन्य बलों सहित पर्याप्त सुरक्षा बल थे और आपने ये परिस्थितियाँ पैदा की हैं। क्या आप सैन्य-बलों को पुनः वहाँ लगाना चाहते हैं ? आपने जो कुछ असम में किया है उसके बाद आप वह सैन्य-बल कहाँ से प्राप्त करोगे ? और अतिरिक्त बल कहाँ से आयेगा ? हम ये सब बातें कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? मैं अपनी कम से कम अपरिवर्तनीय माँगों को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, जिन्हें अगर सरकार मान लेती है तो वे इस संकल्प पर विचार करने में हमारी सहायक होंगी। अन्यथा में समझता हूँ कि इस अमर्यादावादी विषय पर हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। आपकी नीति क्या है ? कृपया उन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो मैंने पंजाब

के सम्बन्ध में उठाये हैं । दूसरी बात आप पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे प्रयास का, जिनका आप बार-बार जिक्र करते हैं कि वे पंजाब में दखलंदाजी कर रहे हैं सामना कैसे कर रहें हैं ? आन्तरिक और बाह्य दोनों ओर द्विपक्षी रूप से इसका सामना करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

तीसरे, हमने बताया है कि हम इस संकल्प के सम्बन्ध में अपना समर्थन तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि चुनावों की निश्चित तिथियाँ क्या हैं ? निश्चित तिथियाँ क्या हैं ? राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाने जैसे संकल्पों का समर्थनों हम आँख मींचकर नहीं कर सकते हैं । हम सरकार से चाहेंगे कि वह निश्चित तारीखों की घोषणा करे। हमारा यह विचार है कि फरवरी काफी दूर है और किसी भी स्थिति में, इसमें भी काफी देरी हुई है । चुनाव तो अप्रैल में हो जाने चाहिए थे जिसके लिये हमारा दल भी सुस्पष्ट रूप से वचनबद्ध था । आप उन्हें दिसम्बर में क्यों नहीं करा सकते हैं ? 15 फरवरी की इस मनगढ़न्त-कथा को समाचारपत्रों में क्यों प्रचारित किया गया है ? हम निश्चित तारीखें जानना चाहेंगे और सरकार को हमें चुनावों की निश्चित तारीखें देनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार की विश्वसनीयता इतनी गिर गई है और राष्ट्रपति-शासन को इतनी बार आगे बढ़ाया गया है कि अब तक ये निश्चित तारीखें नहीं दी जाती, कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि भारत सरकार वह सब करने का इरादा रखती है जिसकी कि वह घोषणा करती है ।

इसलिए, जब तक इनका उत्तर नहीं मिल जाता है मैं समझता हूं कि हम इस संकल्प का समर्थन नहीं दे सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस विषय पर जितना बोलन था, उससे अधिक बोला जा चुका है । मैं शुरूआत करना चाहता हूं सरकार की विश्व के प्रश्न को लेकर । इसी सदन में चन्द दिन पहले, जब एक विधेयक को लेकर बहस हु जिसमें कुछ विशेष सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न आया था, तब मैंने पंजाब के एक भूतपूर्व सांसद, जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे, जो चुनाव आपने स्थगित किया, उसमें उम्मीदवार थे, श्री राजदेव सिंह की सुरक्षा का प्रश्न यहाँ पर छेड़ा था । गृह मंत्री जी ने तत्काल यहाँ पर खड़े होकर मुझे आश्वासन दिया था कि उनकी सुरक्षा, जो वापस ले ली गयी है, उस सुरक्षा का इंतजाम फिर से कर दिया जायेगा । इसके साथ ही उन्होंने मुझे बोला कि आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिये । मैंने सदन में उसी वक्त खड़े होकर बोला था कि कल मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगा । राजदेव सिंह ने दूसरे दिन गृह मंत्री जी से उनके घर पर मिलने का प्रयास किया लेकिन वह मुलाकात हो नहीं पाई । उससे अगले दिन आपकी मुलाकात उनसे हो गयी । गृह मंत्री ने तत्काल अपना फोन उठाकर, अपने निजी सचिव से कहा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और पंजाब के जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन्हें बताया जाये कि वे राजदेव की सुरक्षा का तत्काल इंतजाम करें ।

अध्यक्ष जी, इस सवाल को मैंने फिर इसी सदन में, जब पंजाब के बजट का प्रश्न आया, तब उठाया और बताया कि गृह मंत्री जी का जो आदेश था, उसका पालन अभी तक नहीं हुआ है । उस वक्त मुझे बताया गया कि राजदेव सिंह की सुरक्षा का इंतजाम, निश्चित ही कुछ, अब

हो जायेगा परन्तु मैं दुख के साथ सदन में कहना चाहता हूँ कि इस क्षण तक उनकी सुरक्षा का इंतजाम न तो दिल्ली पुलिस ने किया है और न पंजाब की पुलिस ने किया है।

अध्यक्ष जी, मुझे उनकी सुरक्षा की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी चिन्ता इस बात को लेकर है कि इस सरकार की विश्वसनीयता क्या है। गृह मंत्री द्वारा इस सदन में क्या हुआ वायदा, अगर दिल्ली का कोई पुलिस कमिश्नर या पंजाब के पुलिस अधिकारी नहीं मानते हैं, गृह मंत्री की ओर से या उनके कार्यालय से टेलीफोन द्वारा दिये गये आदेश का पालन अगर कोई पुलिस कमिश्नर या पंजाब का कोई अधिकारी नहीं करता हो तो फिर इस सरकार की विश्वसनीयता क्या रही।

श्री रवि राय (केन्द्र पाड़ा) : अध्यक्ष जी, हमको भी राजदेव सिंह आज सुबह मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि गृह मंत्री से मिलने से पहले, वे प्रधानमन्त्री से भी मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री ने अगस्त महीने में उनसे वायदा किया था कि उन्हें सुरक्षा दे दी जायेगी।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मेरे साथ, अध्यक्ष जी, आपसे भी मिल चुके हैं और हमने भी कहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिये अध्यक्ष जी विश्वसनीयता को लेकर यह एक अहम सवाल यहाँ उठता है क्योंकि अगर एक मामूली चीज, सरकार की तरफ से गया हुआ आदेश, अभी जिसकी जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली थी, यदि उस आदेश का पालन नहीं होता हो तो मैं नहीं जानता सरकार के किसी शब्द पर कोई विश्वास कर सकता है।

जो विधेयक सदन के सामने आया है, हम तो समझते हैं कि यह पंजाब के लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक है और यह मजाक पिछले एक अर्से से चल रहा है। कल जब यहाँ वह प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव के आने के बाद, मैंने इसी सदन में, इसी साल के मार्च महीने में, इससे पहले प्रस्ताव को लेकर जो बहस हुई थी, उस बहस को देखा। उसमें 15–16 सदस्य बोले थे और उनमें से अधिकांश सदस्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध यह कहकर किया था कि पंजाब में आपको चुनाव कराने चाहिये। जितने पंजाब के संसद् सदस्य इस सदन में थे और उस प्रस्ताव पर बोले थे, उनमें से अधिकांश ने यहाँ बड़े आग्रह से कहा था कि आपको पंजाब में चुनाव कराने चाहिये और चुनावों को स्थगित करने वाले ख्याल को छोड़ देना चाहिये। अब पंजाब के रहने वाले लोग, पंजाब से 1989 में चुनाव जीत कर आये लोग, और जिनको अपनी जान का सबसे ज्यादा खतरा है, खतरे को वे महसूस करते हैं, उनमें से कई लोगों की क्या हालत बनी, वह आप सब लोग जानते हैं। अगर वे आज आग्रह करते हों, तो आप चुनाव कराइए, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को पंजाब में खत्म करने की बात को छोड़ दीजिए, तो फिर हम यहाँ पर कौन सी बुद्धि को लेकर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि पंजाब में एक ऐसी आतंकवादी परिस्थिति है कि वहाँ पर चुनाव कराना सम्भव नहीं है। नोटिफिकेशन हुआ था, चुनाव का सारा काम हुआ था और मैंने परसों पंजाब के विधेयक पर बोलते वक्त गवर्नर मलहोत्रा के पत्र को पढ़कर सुनाया था, उसके दो वाक्य अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर फिर दोहराना चाहता हूँ ताकि गृह मंत्री जी इसका जो

भी जवाब चाहेंगे वह देंगे कि जो व्यक्ति पंजाब के सारे काम की देख-रेख करने के काम में आपकी नुमाइंदगी के तौर पर वहाँ पर था, जो हिन्दुस्तान की सेना का सिपहसालार था, जिसको वहाँ भेजने के बाद पंजाब की स्थिति में सुधार हुआ करके, अनेक लोगों की तरफ से कहना हो गया और इसके साथ आपके द्वारा चुनाव के स्थान का फैसला करने की बात के साथ ही वे लिखते हैं कि,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रकार पत्रों से उद्धरित नहीं करते हैं। आप इसे संक्षेप में कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : वे लिख रहे हैं मुझे बहुत अफसोस है कि यहाँ पर चुनाव को स्थगित किया गया और मेरे सामने दूसरा कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इस्तीफा देने के क्योंकि जो फैसला है, यह फैसला ठीक नहीं था। उसमें वे यह कहते हैं कि हम लोग पंजाब के प्रश्न को अगर हल करना चाहते हों, तो एक रास्ता, अनेक रास्तों में से सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि हम लोग वहाँ चुनाव कराएं। यह राय आपके सामने थी, सरकार के सामने थी, सबके सामने थी और इसके बावजूद वहाँ पर ऐसे स्थगन का फैसला होता है और अभी जो मेरे साथी जसवंत जी ने यहाँ पर जो बातें कहीं अध्यक्ष जी 22 तारीख को चुनाव होना है, 19 तारीख को आपके मुख्य चुनाव अधिकारी ने रेडियो, टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से कहते हैं।

[अनुवाद]

किन्हीं भी परिस्थितियों में चुनावों को स्थगित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

यह 19 तारीख को दोपहर को उनकी प्रैस कान्फरेंस की बात है और 19 तारीख के इस बयान के बाद, 20 तारीख को गवर्नर की तरफ से रेडियो और टेलीविजन पर लोगों के नाम संदेश प्रसारित हो गया कि "हिम्मत के साथ चुनाव में वोट डालने आओ" ऐसा कहने के बाद 20 तारीख की रात्रि को ऐसी कौन सी विशेष जानकारी चुनाव आयोग के सामने आ जाती है सिवाय इसके कि कांग्रेस पार्टी कल सरकार बनाने जा रही है। अब केवल एक बात को लेकर कांग्रेस की सरकार बन रही है और हम तो यह आरोप के तौर पर नहीं कहते हैं लेकिन जो जानकारी हमें उस वक्त मिली थी, उसके आधार पर कहते हैं अध्यक्ष जी कि मुख्य चुनाव आयोग का फैसला था, वह फैसला इसी आधार पर था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि 12 सीटों का चुनाव होना है, उनमें से 4 सीटें निकालने की बात हो सकती है, तो उसका इंतजाम होना चाहिए। यही एक विचार का ख्याल रखकर वहां पर चुनाव का स्थगन किया गया।

अध्यक्ष जी, पंजाब की जो आज की हालत है, उसके पीछे अनेक सालों का वह इतिहास है कि अकाली दल को येन-केन-प्रकारेण रोकने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी हरकतें पंजाब में

की, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने का काम किया। आज हम तो बहुत स्पष्टतौर पर कहना चाहते हैं, हम सरकार के इस बयान पर विश्वास किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, जसवंत जी ने इस बयान पर, कई मुद्दों पर आपत्ति उठाई। मैं एक बात गृह मंत्री को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आप यह बता रहे हैं कि पिछले साल इतने लोग मारे गए और इस साल उससे अधिक लोग मारे गए, आप उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि गृह मंत्री जी? पिछले साल एक हजार लोग मारे और इस साल अगर दो हजार लोगों को मारने की जरूरत हो गई, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोग तगड़े हो गए, हमारी बंदूकों में और ज्यादा बारूद आ गया, यदि ऐसा है, तो मैं कहूंगा कि वह निष्कर्ष गलत होगा। हम तो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आप जितने लोगों को मार रहे हैं, प्रति वर्ष उससे दुगने लोग खड़े हो जाते हैं आपका मुकाबला करने के लिए। इसको आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दुनियां में जहां कहीं भी आतंकवाद का सिलसिला चलता रहा है, वहां बंदूक से इलाज नहीं हुआ है यदि बंदूक से इलाज हुआ होता, तो नार्दर्न आयरलैंड की इमरजेंसी आज अनेकों साल पहले खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे आन्दोलन, ऐसे संघर्षों का इलाज बन्दूक से नहीं हुआ है इस प्रकार से आप गलत निष्कर्ष पर आ जाते हैं। अधिक लोगों की मौत से आपका निष्कर्ष पर आना यह कोई रास्ता नहीं है। हम लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं "इन्क्रीजिंग टि टैम्पों", ये सब शब्द हैं। ये तो शब्द मात्र हैं।

अगर आपको पंजाब में कुछ करना है तो अपने विधेयक को वापिस लीजिए। 11 तारीख से पहले चुनाव कराइए, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में वहां की बागडोर दीजिए तब पंजाब का मसला हल हो जाएगा और पंजाब के लोग जो आज इनसरैक्शनिस्टस हैं उनके आतंक के साथ-साथ आपकी पुलिस के आतंक में फंसे हुए जो लोग हैं वे वहां पर अपनी सरकार बनाकर इसे चलाएं। इस देश के साथ उनके जो घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, इस देश की आजादी के संघर्ष में, देश के निर्माण में, देश की खेती की उपज को बढ़ाने में, चाहे जिस क्षेत्र में देखें पंजाब के लोगों का सबसे अधिक योगदान है। उसको मद्देनजर रखकर में प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस विधेयक को वापिस लेगी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): अध्यक्ष महोदय अपने दल की ओर से, मैं स्पष्ट रूप से इस संकल्प का विरोध करता हूँ जिसे गृह मन्त्री महोदय ने, सरकार ने कल यहां प्रस्तुत किया था। यह चुनावों के लिए कुछ और तारीखें अथवा नियत समय की घोषणा करने का प्रश्न नहीं है। जो कुछ आस-पास संदेहास्पद स्थिति है और जो कुछ प्रेस में आ रहा है सरकार उससे संभवतः निर्णय लेगी। हो सकता है इस बहस की समाप्ति पर अथवा समाप्ति की ओर बढ़ने पर, माननीय गृह मंत्री जी किसी तरह की घोषणा करें कि अगर इस संकल्प को स्वीकार किया जाता है, तो सरकार यह कहेगी कि हम अमुक समय तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं।

मेरा विचार है कि जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है। इस सरकार ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है और अब क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, मैं अपनी विश्वसनीयता भी खोने को तैयार नहीं हूँ। पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा कष्ट पाया है।

इस संकल्प के द्वारा उन्हें और रक्तपात, हत्याओं, यातनाओं और कष्ट भुगतने के लिए पुनः दोषी ठहराया जा रहा है जिसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उन्हें बचाया जा सके।

पंजाब में दिन-ब दिन जो हत्याएँ हो रही हैं, शवों के जो ढेर लग रहे हैं उसके सम्बन्ध में संकल्प में जो ये आंकड़े दिए गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अन्य सहयोगी उस पर पहले ही बात कर चुके हैं। मैं नहीं जानता कि वर्षों से चले आ रहे हमारे देश के एक भाग में इस तरह के कार्यों को हमें किस प्रकार लेना चाहिए। आप ध्यान रखिये, मैं केवल आतंक-वादियों द्वारा की गई हत्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो उन भोले लोगों के लिए काफी भयावह हैं जिन्हें वे कसाइयों की तरह मार-काट रहे हैं। उन्होंने अब चलती रेलगाड़ियों में गोलियाँ चलाना, चलती रेलगाड़ियों में यात्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया है। वे इस तरह के सभी काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम यह जानते हैं। पंजाब में पुलिस जो कुछ भी कर रही है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए सभी पुलिस कर्मियों अथवा पुलिस अफसरों को दोषी ठहराया जाये। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है और सरकार को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यातना देने में, हत्याएं करने में पुलिस की ज्यादती होती है और बिना किसी रोक-टोक के लूट-खसोट चल रही है। पंजाब के लोगों को और अनिश्चित काल के लिए पुनः दोषी क्यों ठहराया जाये, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने यकायक यह निर्णय ले लिया कि उन्हें राष्ट्रपति शासन की अब और आगे बढ़ाना होगा ? 25 सितंबर की तारीख को क्या हो गया ? यह कहाँ से आई ? इसकी क्या गणना है, मैं यह जानना चाहता हूँ। जब इस चुनाव को अन्तिम समय में रद्द किया गया और जब आयोग ने घोषणा की कि पंजाब में 22 जून को चुनाव नहीं होने चाहिए तो उन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव 25 सितम्बर को होंगे। यह तारीख कहाँ से आई ? इसके पीछे क्या हिसाब था ? मैं नहीं समझता कि मुख्य-चुनाव आयुक्त सरकार से सलाह किए बिना अथवा सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना यह सब कर सकता था ? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आप कृपया हमें बतायें। हम उनके कार्यों के बारे में भी कुछ और अधिक जानना चाहते हैं। यदि वह यह सब काम करता आ रहा है चुनावों को रद्द करना, सरकार से सलाह किए बगैर अथवा सरकार से स्वीकृति लिए बिना पुनः चुनावों का आदेश देना, तो हमें यह भी जानना चाहिए।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि सरकार कहती है कि पंजाब में कुछ समय के पश्चात् चुनाव कराये जायेंगे, क्या ये चुनाव उसी मुख्य चुनाव आयुक्त की देख-रेख में कराये जायेंगे जो एक विवादास्पद व्यक्ति बन चुका है। आप इसे उस समय तक पद पर बनाये रखने पर आमादा हैं जब तक कि पंजाब में पुनः चुनाव का समय नहीं आ जाता। मैं इसके पीछे के परिकलन को नहीं जानता। महोदय, आप यह पूछ सकते हैं कि यदि हम इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं तो हमने चुनाव को रद्द करने के लिये दूसरे दिन पेश किये गये विधेयक के विरोध में मतदान क्यों नहीं किया ? इसका स्पष्ट कारण यह है कि हमारे पास जो तिथि लम्बित पड़ी थी, वह केवल 25 सितम्बर थी जो पहले ही घोषित कर दी गई थी और यदि आप अचानक सितम्बर के महीने में ही विधेयक लायेंगे तो कोई भी यह समझ सकता है कि 25 सितम्बर तक चुनाव

नहीं कराये जा सकते ! अतः उस चुनाव को रद्द करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि इन अच्छी परिस्थितियों में आप नवम्बर से पहले यानि राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने से पहले चुनाव करवाने का निर्णय क्यों नही ले सके ! इसके लिये पर्याप्त समय था ! अन्तिम क्षण में, आप यह नहीं कह सकते कि स्थिति खतरनाक है तथा कुछ नहीं किया जा सकता है और राज्यपाल का कहना है कि वहाँ सभी तरह की रुकावटे हैं इत्यादि।

महोदय, इसलिये मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह ने दोगलेपन की व्यापक रूप से और पर्याप्त रूप से पोल खोली है। मुझे खेद है कि मुझे इसे दोगलापन कहना पड़ रहा है जिस पर परसों भी सरकार द्वारा विचार किया गया था। यहाँ तक कि परसों की कार्यवाही में ही यह कहा गया है कि सरकार की ओर से यहाँ यह बताया गया था कि वे संकल्प नही ला रहे हैं। वे यह कह सकते थे कि वे उस दिन संकल्प नही ला रहे हैं अर्थात 16 सितम्बर को, लेकिन उनका इरादा 17 सितम्बर को संकल्प लाने का है। क्या उन्होंने इस तरह कि कोई बात कही थी ? क्या उन्होंने इस सभा को या इस देश के लोगों को कोई चेतावनी दी थी ? कोई चेतावनी नहीं दी गयी थी !

मैं नहीं जानता कि अन्ततः यदि इस चर्चा के अन्त में जब गृह मन्त्री महोदय एक अन्य निश्चित तिथि लेकर आयेंगे तो मेरे अन्य मित्रों की प्रतिक्रिया क्या होगी ? मेरे लिये अनिश्चित सरकार द्वारा तय की गई किसी भी निश्चित तिथि की कोई अहमियत नहीं है। इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है और राष्ट्रपति शासन को इस तरह अनन्त और अनिश्चित काल तक बढ़ाये जाने का वह कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता जिसका कि पंजाब के लोगों के प्रजातान्त्रिक अधिकारों और प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध है। अब कम से कम पुराने तर्कों का इस तरह से उल्लेख तो नहीं किया जा रहा है कि यदि चुनाव कराये जाते हैं तो उग्रवादियों की जीत होगी और वे बहुमत प्राप्त कर लेंगे तथा सत्ता में आने वाली सरकार अगले दिन ही खालिस्तान की घोषणा कर देगी। मुझे खुशी है कि आप वह नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ, चुनाव अवश्य होने चाहिये। प्रश्न केवल समय का है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हम आपके साथ है जिसके बारे में मेरा व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन मेरा विचार गलत भी हो सकता हैं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और यदि पंजाब के लोगों द्वारा सत्ता में लाई गई कोई सरकार अगले दिन ही स्वतन्त्रता की घोषणा करती है, तो हम आपके साथ है और हम जानते हैं कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाता है। यह एक बड़ा देश है कोई छोटा देश तो है नहीं। हम यह जानते हैं कि इस तरह की स्थिति का सामना कैसे किया जाता हैं। इसका सामना किया जायेगा। लेकिन उस तरह की स्थिति नहीं भी हो सकती है। मेरे विचार से पंजाब के लोग ऐसे नहीं है। पंजाब में हमारे कुछ लोग हैं। उन सभी कामरेडों के पश्चात् भी जिनकी हत्या कर दी गई है, वहाँ अभी भी हमारे कुछ लोग हैं। वहाँ अभी भी कुछ लोग बचे हैं। मैंने उनसे परामर्श किया हैं। सी. पी. आई. (एम.) के हमारे मित्र अपने लोगों से परामर्श करते आ रहे हैं। महोदय, क्या आप यह सोचते हैं कि पंजाब में आज अधिकांश लोग उग्रवादियों का समर्थन कर रहे हैं ?

मैं आपको बतलाता हूँ कि अब अधिकांश लोग उग्रवादियों के विरूद्ध हैं। हो सकता है कि उनमें हमेशा बोलने का साहस नहीं हो, क्योंकि उग्रवादियों के पास हथियार होते हैं और वे व्यक्तियों को निर्दयता से मार देते हैं। लोग, विशेषकर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश किसान तंग आ गये हैं। वे पूर्ण रूप से तंग आ गये हैं ! और आपको यह नहीं कहना चाहिये कि यदि वहां इस तरह की हीन भावना है और यह सोचना कि यदि वहां चुनाव कराये जाते हैं तो उग्रवादियों को तुरन्त ही बहुमत प्राप्त हो जायेगा, आप तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार, हमें इस बात का अनुभव हुआ था कि जब चुनावों के लिये तिथि की घोषणा की गई थी तो उग्रवादियों ने स्वयं आपस में लड़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। मैं उस कार्य में उनकी सफलता की कामना करता हूँ। लेकिन जब आप चुनाव करवाते ही नहीं है, और आप चुनाव को रद्द कर देते हैं तो वे पुनः इकट्ठे हो जाते हैं ! और वे आन्दोलन करने तथा संघीय राज्य की सम्पूर्ण संकल्पना अथवा उस भारत सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विरुद्ध लोगों को उकसाने में सक्षम हो जाते हैं। जो पंजाब से इस ढंग से निपट रही है। मैं किसी पत्र या किसी चीज से उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप मुझे अनुमति देंगें, तो मैं केवल दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। केवल पिछले आठ या दस दिनों में ही व्यक्तिगत रूप से मेरे नोटिस में दो उदाहरणों को लाया गया है। मैं आपको जो कुछ वहां हो रहा है उसके बारे में केवल संक्षेप में बता रहा हूँ। एक तो 'स्टेट्समैन' के पिछले पृष्ठ में प्रकाशित हुआ है। इसे आप स्वयं देख सकते हैं। रिपोर्ट में दिया गया है कि 26 जुलाई को अवतार सिंह, गांव शतराना, जिला पटियाला, को पुलिस द्वारा इतना तंग किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। वह विगत विधान सभा चुनावों में एक स्वतन्त्र उम्मीदवार था। वहां एक मानव अधिकार संस्था है, जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हों। ठीक है इतना मैं नहीं जानता। पंजाब मानव अधिकार संस्था ने उस गांव में एक दल भेजा जिसमें मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) नरेन्द्र सिंह, डा० सुखजीत कौर गिल और मालबिन्द्र सिंह माली शामिल थे। इस दल ने रिपोर्ट दी है कि यह एक योजनाबद्ध हत्या का स्पष्ट मामला है। उन्होंने वहां सभी तरह के लोगों से, ग्रामीणों से और अन्य से बात की और सभी ने यही कहा है कि दोषी अधिकारियों का पता लगाया जाना चाहिये। वे राज्यपाल के पास गये हैं। जो व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, उनको दण्ड दिया जाना चाहिये।

एक अन्य मामला है। प्रीतम नामक एक बूढ़ा व्यक्ति मुझ से मिलने आया। वह मालोट पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव भोड़ीवाला, जिला फरीदकोट का है। उसके दो लड़कों की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आधी रात को पुलिस ने उनके गांव पर छापा मारा, उनको नींद से जगाया, उन दो लड़कों को कुछ दूरी पर ले गये और बड़ी निर्दयता से उनको गोली मार दी। इस प्रकार का आरोप उसने लगाया है ! और मूल रूप से यह एक भूमि सम्बन्धी विवाद का मामला था। कुछ जमींदार लोग इन लोगों को उस भूमि से बेदखल करना चाहते थे जिसके वे भूस्वामी थे। मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि पंजाब में भी भूमि सम्बन्धी झगड़ों की घटनाएँ प्रायः होती रहती है तो उन्होंने 26 अगस्त को इस भूमि के बारे में

यथा स्थिति बनाये रखने के लिये अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्थगन आदेश ले लिया था। लेकिन पुलिस बल मध्य-रात्रि में आया और उन लड़कों को मार दिया। उनके अनुसार, फिरोजपुर रेंज का उप-महानिरीक्षक, जिसका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, एक भारी पुलिस बल और फाजिल्का के उप-पुलिस अधीक्षक के साथ आया था। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि यह फरीदकोट, फिरोजपुर रेंज के अन्तर्गत आता है, लेकिन पुलिस अपने उच्चाधिकारियों के साथ उनके पड़ौसी जिले से आई। ये बल आये और गांव को घेर लिया तथा हवा में फायर किये और लोगों को उनकी नींद से जगाया। इन दो लड़कों को एक ओर ले जाकर गोली मार दी गई। यह आरोप लगाया गया था कि उनके उग्रवादियों के साथ सम्बन्ध थे। प्रायः यही एक बहाना बनाया जाता है। स्थानीय लोग और मालोट पुलिस स्टेशन फरीदकोट की स्थानीय पुलिस भी यह कहती है कि उनके पास उग्रवादियों के साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध होने का कोई रिकार्ड नहीं है। अतः, इस तरह के कार्य वहां हो रहे हैं। आप इन चीजों का बिल्कुल उल्लेख नहीं करते हैं।

लोगों को उग्रवादियों और पुलिस दोनों द्वारा क्यों तंग किया जाये ? उनसे जीवित रहने और मानवीय जीवन बिताने के लिये आशा कैसे की जाये ? राष्ट्रपति शासन का यही अर्थ है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है—पुलिस का राज ! वहां कोई प्राधिकरण नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास लोग जा सकें और अपनी शिकायतों का निवारण कर सकें। एक राज्यपाल, जिसने ऐसा करने का प्रयास किया था, को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसमें त्याग-पत्र देने के सिवाय उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उसको त्याग-पत्र देना पड़ा था क्योंकि वह चुनावों के हक में था। मैं नये राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उ बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपने संकल्प पेश करते हुये अपने टि में कहा है कि राज्यपाल—मेरा मतलब है नये राज्यपाल ने कहा है कि अभी चुनाव करान म कुछ जटिल कठिनाइयां हैं। यही सब कुछ राज्यपाल से कहने की आशा की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे जटिल कठिनाइयां क्या है ? यदि वे जटिल हैं, तो आप उनको अगले दो या तीन महीनों में कैसे सुलझा देगें ? वे जटिल कठिनाइयां क्या हैं ? यदि वहां पुलिस बलों को ही एकत्र करने का प्रश्न है जो कि आपका केवल एकमात्र उपचार लगता है, तो आपने यहां पैरा 10 में उल्लेख कर ही दिया है कि केन्द्र सरकार का उद्देश्य यहां पर्याप्त बल रखना है। आपकी रणनीति का केन्द्रीय भाग पर्याप्त सुरक्षा-बल रखना है। निःसन्देह आपको बलों की आवश्यकता है लेकिन यदि यही एकमात्र बिल्कुल गैर-राजनैतिक रणनीति है जिससे आप पंजाब की स्थिति से निपटना चाहते हैं, तो मुझे उत्तर दें कि आप असफल होंगे। क्योंकि तमाम वर्षों के दौरान आप खून बहाने और लोगों को एक दूसरे का खून बहाने के लिये मजबूर करने के सिवाय और करते ही क्या रहे हैं। उस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, जैसा कि मेरे मित्र ने उन अन्य प्रयासों के बारे में कहा है, जो आप लोगों का विश्वास जीतने के लिये करने जा रहे हैं। आज न ही तो राजीव गांधी—लोंगोवाल समझौते के बारे में कोई शब्द कहा जा रहा है और न ही कोई राजनैतिक कदम ही उठाया जा रहा है। न ही कोई पहल की

जा रही है। कृपया हमें बतायें कि क्या आपने हमेशा के लिये इसे दबाने का निर्णय ले लिया है। इसे अत्यधिक गहराई में दबा दो। आप यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते कि उस समझौते का कोई भाग कार्यान्वित हो जाये ताकि लोगों में कुछ आवश्वासन और विश्वास की भावना पैदा हो सके।

आपको पंजाब को चण्डीगढ़ सौंप देने से कौम रोकता है? आप हरियाणा की राजधानी के लिये विभिन्न विकल्प दे सकते हैं। उस पर कोई भी आपत्ति नही करता। वह समझौते का हिस्सा था। लेकिन पंजाब को चण्डीगढ़ इसकी राजधानी के रूप में ही दिया जाना चाहिये। आप को नहर के जल सम्बन्धी झगड़े को किसी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी न्यायाधिकरण को सौंपने से कौन रोक रहा है। यह मामला उनको सौंप दो और उन्हें इसकी जाँच करने दो। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है।

अब आप कहते हैं कि ठोस प्रयास किये जाने चाहियें। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि क्या करने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ।

यह सरकार तनिक भी विश्वसनीय नहीं है, जहाँ तक पंजाब मसले का सम्बन्ध है इसके पास विश्वसनीयता की छाया मात्र भी नहीं बची है। हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन और बढ़ाये जाने का सामना करने के लिये तैयार नहीं हैं। यदि सरकार द्वारा किसी समय-सूची को इंगित भी किया जाता है तो मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। दिये गये आश्वासन विश्वास करने लायक नहीं है क्योंकि उन्हें केवल कागजों पर ही मिटा दिया जाता है। और, इसीलिये आज भारत में कौन जानता है कि अगले वर्ष फरवरी तक यह सरकार रहेगी भी अथवा नहीं। कोई कुछ भी नहीं कह सकता है।

यह एक अस्थिर सरकार है जो दृढ़ आश्वासन देना चाहती है जिन पर मैं विश्वास करने के लिये तैयार नही हूँ और नही पंजाब जाकर मैं यह पैकेज वहाँ के लोगों को बेचने के लिये तैयार हूँ। मेरी पार्टी वहाँ जाकर उन्हें यह बताने के लिये तैयार नहीं है कि हम सरकार से इस बात पर सहमत हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना चाहिये। दिये गये इस आश्वासन के आधार कि फरवरी में चुनाव कराये जायेंगे, मैं पंजाब जाकर वहाँ के लोगों को यह बताने के लिये तैयार नहीं हूँ। अतः, खेद जनक रूप से, खेद पूर्वक अथवा इसे आप जो भी कहें, हम इस सांविधिक प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हैं और हम इसका विरोध करने जा रहे हैं।

हमें आशा है कि सरकार के पास अभी भी इतनी समझ बची है कि वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढ़ने पर विचार करे। मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव 11 नवम्बर के पूर्व ही क्यों नहीं सम्पन्न कराये जा सके। यदि उन्होंने यह प्रक्रिया एक या दो माह पूर्व शुरू कर दी होती तो इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। बात यह है कि कानून या सेना-बल की अनुपस्थिति उन्हें वहाँ चुनाव कराने से नहीं रोक रही है बल्कि उनमें इच्छा की अनुपस्थिति ही उन्हें चुनाव कराने से रोक रही है। पंजाब में चुनाव कराने के लिये उनके पास कोई इच्छा ही नहीं है।

चुनावों का बहिष्कार करने के अपनी ही पार्टी के निर्णय के कारण वे स्थिति को और बिगाड़ते रहते हैं। अब, शायद उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया है। अतः, अधिसूचना रद्द करनी होगी; एक अधिसूचना जारी करनी होगी और कांग्रेस जनों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये अवसर देना होगा। इस सब के लिये हमें पुनः उसी पीड़ादायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम इसका समर्थन किसी भी आधार पर नहीं कर सकते हैं और इसलिये, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुनझुनू)—जनाबे सदरे मोहतरिम, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिये हमारे होम मिनिस्टर साहब जो रिजोल्यूशन लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं अपनी अन्तर-आत्मा में इस अवधि के बढ़ाने के लिये दुःखी भी हूँ कि आखिर पंजाब में यह अवधि कब तक बढ़ाते रहेंगे।

मैं अभी अपने पहले के वक्ताओं को सुनता रहा था, खास तौर से हमारे राजस्थान के श्री जसवंत सिंह जी के भाषण को सुनकर मुझे बहुत ही हैरानगी पैदा हुई। मैंने उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे भी कोई डिस्टरबेंस न आये। वे अपने भाषण में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोले हैं, यानि उन्होंने ज्यादा समय इसी बात पर लिया कि कांग्रेस की ही नीतियों की बदौलत काश्मीर, पंजाब, श्रीलंका और असम में यह हालत पैदा हुई है।

मुझे ताज्जुब हुआ और उनकी स्पीच सुनकर, अभी जब मैं आठवीं लोक सभा में था, उस समय यह दूसरे हाउस में थे और मुझे पहला मौका मिला और हमारे राजस्थान से हम एक ही जगह से हैं तो उनकी भाषा सुनकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसे बुजुर्ग, एक काबिल आदमी की जुबान पर एक पार्टी के लिए इस तरह के अल्फाज आएं जिससे उसकी सच्चाई को छिपाया जाए और उसकी खामियों को सिर्फ उजागर किया जाए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा देश, एक ऐसा देश है जिनमें सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों को मान्यता है और सब धर्मों को आजादी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब एक शांति मार्च भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उनके एक महान नेता ने उस शांति मार्च में, जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर से चलकर एक खास जगह पर जाने के लिए मार्च किया तो पंजाब को क्यों छोड़ा? तो आपने पंजाब को शामिल नहीं किया, अगर पंजाब को आप शामिल करते तो वहां भी लोग उस मार्च में शामिल होते और कुछ ऐसी हमारी सब की नीति होती कि पंजाब में शांति के लिए, जो किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि देश के हर कौम का यह सवाल है कि पंजाब हमारे मुल्क का दिल है, एक इन्सान का दिल है और उसके दिल की हिफाजत करना हर भारतवासी का फर्ज बनता है। हमें इस बात का गर्व है कि पंजाब जैसा मुल्क हमारा सूबा है इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उसकी हम किसी तरह से भी हिफाजत कर सकें और उसकी हिफाजत के लिए हमें आगे आकर, सभी पार्टियों का मिला-

जुला हमारा एक पीस मिशन मूव पंजाब की तरफ होना चाहिए था, कई हमारी रैलियां जानी चाहिए थीं, पंजाब की तरफ, हमारे नौजवान जाते, हमारे बच्चे, बुद्धिजीवी और टीचर जाते और एक-दूसरे की समस्याओं को सुनते और जानते और यहां आकर हम बात कर सकते थे। खाली एक पार्टी को क्रिटिसाइज करना, कि उसने यह नहीं किया, वह नहीं किया, इसके लिए कोई सुझाव होना चाहिए था, अगर अब आप इस अवधि को बढ़ाएंगे, तो हमें बहुत दुख होगा क्योंकि पंजाब के लोग अपना हक चाहते हैं और उनको अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन जो सरकार उस समय थी, जब पंजाब का इलेक्शन होने वाला था, क्या वह सरकार पंजाब के लोगों को, यहां तक कि वह कैंडीडेट को भी बचा नहीं सकी, तो पंजाब में इलैक्शन कैसे हो सकता था। अब यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि अब पंजाब में इलैक्शन हों और यह देखे कि वहां पर खूनखराबा न हो और आपको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहियें, जिससे कि वहां पर और खूनखराबा न हो, उस पर कंट्रोल हो सके। इस तरह से वहां पर लोगों का कितना खून बह चुका है, इस पर आप रोक लगा सकें। लोगों ने बहुत कोशिश की है लेकिन हमारी तहजीब, हमारा रहन-सहन, हमारा तमदद्दुम क्या है, उसके बावजूद हममें आपस में फर्क नहीं पड़ सकता। पंजाब के अन्दर हमारे सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन लोग वे हमारे भाई-चारे में कोई कमी नहीं ला सके।

मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी भी समय है कि हम चुनाव से पहले पंजाब के लोगों की समस्याओं को गहराई से जानें और वे क्या चाहते हैं, यह देखें, ताकि उसका कोई हल ढूंढ सकें और आराम के चुनाव हो सकें और चुनी हुई सरकार में सत्ता जा सके। मुझे भी मौका मिला था, वहां मास कांटेक्ट में जाने का, जब मैं फौज में था, तो ज्यादातर हिस्सा मेरा पंजाब में रहा। हमने दो लड़ाईयां पंजाब में देखी हैं और पंजाब के लोगों में और वहां के किसानों में कितनी बहादुरी है और वह कितने काबिल हैं। हमने अंडमान निकोबार में देखा, जो काले पानी की जेल कहलाती है, उसके पत्थरों में जो मैंने सबसे ज्यादा नाम देखे, वह पंजाब के लोगों के ही थे, दूसरे सूबों के लोगों के भी नाम थे, लेकिन पंजाब के नाम आगे थे।

इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अब पंजाब के जो हालात है उनको मद्दे नजर रखते हुए एक खास नीति सरकार की तरफ से आये कि हम इस तारीख को हर हालत में चुनाव करायेंगे। अगर हमें तारीख मिलती है तो पंजाब के लोगों का हौंसला बुलन्द होगा और वह सोचेंगे कि हमारा हक हमें मिलने जा रहा है। मैं फिर से आपसे अपील करूंगा कि अभी भी इससे पहले जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स भेज रखी है उसको आप तबदील कीजिये।

ऐसी फोर्सेस वहां पर भेजिये जो इस तरह के केसेस में मुलब्बस न हों। हर आदमी आतंकवादी नहीं हो सकता, हर आदमी गद्दारी नहीं कर सकता। तो जो आतंकवादी तत्व हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत का व्यवहार रखा जाये। हर आदमी को शक की निगाह से मत देखिये, अगर हर आदमी को शक की निगाह से देखेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। मेरे चन्द सुझाव हैं, आशा है सरकार इन पर ध्यान देगी।

सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि जो ज्यादा फोर्स वहां पर है, उसको तब्दील करें और ऐसी फोर्स भेजें जो वहां के लोगों को उनका हक दिलाये, वहां के लोगों को इन्साफ दे सके और ऐसा बंदोबस्त करें कि वहां के लोगों को इन्साफ मिल सके। इस चीज का पता लगायें कि वहां के लोगों की असली भावना क्या है। असल में वे चाहते क्या हैं। कुछ उनकी धार्मिक मांगें भी हैं, उसमें आप क्या-क्या स्वीकार कर सकते हैं, उन मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिये। इस तरह के कार्य किये जायें, ताकि हम उनका दिल जीत सकें। हम कोई ऐसी बात न करें, जिससे उनके दिल को चोट पहुँचे। आज हमारा यह फर्ज है कि हम उनके जख्मों पर मरहम का काम करें, नमक का काम न करें। अध्यक्ष महोदय, यह वही पंजाब है जहां से एक ओंकार सतनाम की आवाज उठी थी। यह वह स्थान है जहां सबको अपनाया गया था और सत्य की हिफाजत का बीड़ा उठाया गया था, सारी सभ्यताओं की हिफाजत का बीड़ा उठाया गया था और आज वहां पर इस तरह के हालात पैदा हो गये हैं। इसलिये हमको उस स्थिति में सुधार करना होगा और चुनावों की एक निश्चित तिथि की घोषणा करनी होगी, अपनी नीति को उजागर करना होगा। इस समय पंजाब के लिये हम ये काम कर सकें तो ठीक रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पंजाब की जो समस्या है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर इसे सिर्फ पंजाब की समस्या हम समझेंगे तो यह हम एक बहुत बड़ी भूल करेंगे। पंजाब समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की समस्या और हमारे देश की सार्वभौमिकता से जुड़ी हुई है। अभी हमने गृह मन्त्री जी का बयान देखा और जिस तरह से सरकार ने पिछले 2 महीने में काम किया है, उसने इस परिस्थिति को और ज्यादा गम्भीर बना दिया है। जिस तरीके से चुनाव से चन्द घंटे पहले पंजाब के पिछले चुनाव रद्द किये गये, जिसमें पंजाब के लोग, वे ताकतें, वे पार्टियां भी हिस्सा ले रही थीं जो आज आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, जो आतंकवाद के खतरे का राजनीतिक रूप से मुकाबला कर रही हैं, अपनी जान पर खेल कर मुकाबला कर रहे हैं, वे सब उसके अन्दर हिस्सा ले रहे थे। दुर्भाग्य केवल यह था कि इस देश की कांग्रेस पार्टी, जो आज भी राष्ट्रीय पार्टी है, उसने इस चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया और अंततोगत्वा इस चुनाव के बाद जब लोकसभा में उसको सरकार बनाने का अवसर मिला तो शायद उन्होंने समझा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें इस चुनाव को टालना जरूरी है। उससे पूरे का पूरा विश्वास खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से सरकार ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया है, जो प्रस्ताव गृह मन्त्री जी आज ला रहे हैं, अगर यह शुरू में ही ले आते और लोगों से बात-चीत करते कि नहीं हम चुनाव चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे गलती से या गलत रणनीति अपनाने से, चाहे परिस्थितियों की गम्भीरता से, अगर हमको उस चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ा तो हम आगे इसको मिल कर करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि सदन विभाजित है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ है और सारा सदन दूसरी तरफ है, इसका विरोध कर रहा है। क्या इसका अच्छा संदेश देश के अन्दर जाएगा। कौन इसके लिये जिम्मेदार है?

जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार। किस तरह से इस राष्ट्रीय समस्या हो हल करना चाहिये, उसके अदमाग में वह बात पैदा नहीं हुई है और उसके दिमाग में केवल राजनीति है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो भी सरकारें आईं, यह समस्या आज की नहीं है, 10 साल पुरानी है, लेकिन हम एक दूसरे पर सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं।

हम यह कहते रहे कि फ्लां सरकार ने ही केवल बिगाड़ा है, उससे इस समस्या का हल नहीं होगा। अब समय आ गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत राय इस सदन में दे रहा हूँ, पार्टी के अन्दर हमने इस पर विचार नहीं किया है, मं एक सुझाव दे रहा हूँ, इसलिये कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, महज दलगत समस्या नहीं रह गयी है। क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि जिस तरह से शुरू में ट्राईपार्टाइल मिटिंग बुलायी गयी थी, कांफ्रेस बुलायी थी, त्रिपक्षीय बैठक इस चुनाव की घोषणा करने से पहले, क्या सरकार यह बुलायेगी ? इसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों, विरोधी दलों के प्रतिनिधि शामिल हों और पंजाब की पार्टियां, अकाली दल और दूसरी पार्टियां या अकाली दल के दूसरे टुकड़े जो हो गये हैं, जो लोग भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, उस बैठक में, उस बातचीत मं उनको सम्मिलित करें। मैं गृह मन्त्री जी, आपसे कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मगर अकाली दल के एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और पंजाब के एक जनप्रिय नेता, वरिष्ठ नेता ने चार दिन पहले एक प्रमुख व्यक्ति को इस दिल्ली में कहा कि हम पिछली बार चुनाव में भाग ले रहे थे, हम अपनी जान पर खेल कर देश की एकता और अखण्डता के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, मगर अब चुनाव होगा तो हम उसमें भाग नहीं लेंगे। क्योंकि हम अपनी जान पर खेल कर चुनाव में जायें, हमारे उम्मीदवार मारे जायें, हम लोगों के प्राण के लिए खतरा पैदा हो और सरकार खिलवाड़ करे, जब चाहे उस चुनाव को स्थगित कर दे। यह हास्यास्पद स्थिति जो केन्द्र की सरकार पैदा कर रही है, मैं समझता हूँ कि यह एक खतरनाक बात इस देश में पैदा हो रही है।

श्रीमान्, चुनाव में मुझे ऐसा लगता है और देश को इस बात का इल्म है कि कांग्रेस सरकार पंजाब में चुनावों का सामना करने से कतरा रही है जो कि न केवल पंजाब के लिये बल्कि प्रजातन्त्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए भी एक खतरा है।

[अनुवाद]

[हिन्दी]

जब तक यह विश्वास नहीं पैदा होता है लोगों के अन्दर, आखिर पंजाब के लोग सभी मानते हैं, मैं पंजाब की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बावजूद इतनी कठिन परिस्थितियों में पंजाब की जनता ने अपनी राय भारत विरोधी राय नहीं बनायी है। पंजाब के लोगों ने बार-बार इस बात को कहा है। पंजाब के लोग अनाज पैदा कर रहे हैं, गेहूं पैदा कर रहे हैं, पंजाब में उद्योग-धन्धे काम कर रहे हैं, पंजाब के लोग और लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय धारा में आगे चल रहे हैं। पंजाब के लोगों ने आतंकवादियों का या खालिस्तानी तत्वों का कोई साथ नहीं दिया है।

लेकिन आप यह कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, पैरा 7 में गृह मन्त्री जी के वक्तव्य में आंकड़े दिये गये हैं कि कितने आतंकवादी वर्ष 1990 में मारे गये और कितने इस आठ महीने में मारे गये। उन्होंने दिखाया कि 1321 आतंकवादी पूरे 1990 के वर्ष में मारे गये, मगर 1433 केवल आठ महीने में मारे गये। इसलिये हमारी बड़ी प्रगति है। श्रीमान्, जनता का क्या हो रहा है? 12 मार्च से 3 अप्रैल 1991 तक, 23 दिनों के अन्दर जनता के 278 लोग जान से मारे गये, 17 बार बम विस्फोट हुआ पंजाब के अन्दर, 26 आदमियों का अपहरण किया गया, पंजाब में औसतन 300 लोग प्रतिमाह मारे जा रहे हैं। इसका क्या होगा? अगर आप 1300 आतंकवादियों को मार रहे हैं और 4000 जनता के लोग हर साल मारे जा रहे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। इस अनिश्चितता का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होने वाला है कि पंजाब से लोगों के भागने की प्रक्रिया और तेज हो जायेगी। पंजाब के उद्योगपति दिल्ली में तथा देश के दूसरे भागों में जाकर जमीन खरीद रहे हैं।

अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, कारखाने लगाने के लिये, मकान बनाने के लिये क्योंकि सरकार की इस पूरी नीति से ऐसी अनिश्चितता पैदा हो गई है। वहाँ भागने की स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब के लोगों का विश्वास जरूरी है। अगर हम अपनी जनवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं तो पंजाब के आम लोगों का विश्वास लेना हमारे लिये बहुत जरूरी है। वह कैसे विश्वास पैदा होगा। सवाल इसका पैदा हो रहा है। आठ-नौ बार आप राष्ट्रपति शासन बढ़ाते चले गये और 18 महीने में चार गवर्नर बदल दिये गये। पहले सर्वश्री एन० के० मुखर्जी, वीरेन्द्र वर्मा, ओ० पी० मल्होत्रा और अब चौथे गवर्नर हैं। एक तो इस सरकार को चाहिये कि किसी एक आदमी पर भरोसा कीजिये, किसी एक आदमी को शक्ति और अधिकार दीजिये कि वह आपसे मिलकर और आपका विश्वास लेकर के वहाँ जाकर काम करें। लेकिन इसको लेकर सरकार पूरी तरह से असफल रही है। कम से कम यह बहस जो सदन में हो रही है, इससे एक संदेश यह जरूर जायेगा कि सारी संसद देश को तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ पूरी तरह से इस बात के ऊपर नहीं है कि जहाँ सरकार का विश्वास जनता में नहीं हो रहा है और चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है और चुनाव तारीखें घोषित करने के बाद समाप्त कर दी जाती है, कम से कम यह अच्छा संदेश जायेगा कि पूरा सदन सरकार की इस गलत नीति के साथ नहीं है। देश का बड़ा भाग आम जनता के ऊपर और प्रजातांत्रिक पद्धति के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा संदेश और अच्छा नतीजा होने वाला है, जो जायेगा।

सरकार को यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, जैसा हमको सुनने में आ रहा है और जैसा सरकार ने अपने इरादे को जाहिर किया है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें पंजाब में चुनाव हो और आतंकवादी, हम समझते हैं चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर दिया जाये। मैं समझता हूँ, यह दूसरी बहुत बड़ी हिमालयन पोलिटिकल बलन्डर है अगर गवर्नमेंट इस बात पर विचार करेगी कि कुछ लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से

अलग कर दिया जाये तो बड़ी भारी भूल होगी। मैं इसको आगाह कर रहा हूँ कि चुनाव में जो भी हिस्सा लेता है, भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है। भारत के संविधान में विश्वास प्रकट करता है और फिर चुनाव में जाता है। एक बहुत बड़ी भूल प्रधान मन्त्री कर चुके हैं। प्रधान मन्त्री को इस बात को कहना जरूरी नहीं था, वे यह कहते कि अगर पंजाब में चुनाव हो गया होता तो वह खालिस्तान के समर्थन में एक प्रकार का जनमत संग्रह होता।

[अनुवाद]

[हिन्दी]

मैं समझता हूँ, यह बहुत बड़ी भूल थी। प्रधानमन्त्री को इस देश का कोई भी चुनाव किसी भी राज्य का चुनाव या देश का चुनाव, कभी इस बात का जनमत नहीं माना जा सकता कि वह चुनाव अलग देश से जाने का चुनाव हो जायेगा या समर्थन हो जायेगा। ऐसी गलती जब सी० पी० एम० पहली बार केरल में चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी तो वे ही लोग जिनको अपनी संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं था, उन्होंने इस बात पर भी बड़ा तोबा मचाया था। एक कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव के माध्यम से आ गई है............(व्यवधान) जब वह सत्ता में आई तो यह प्रवृत्ति थी कि इसको काम नहीं करने देना चाहिये। यह बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसी पार्टियाँ जिनको शायद संसदीय व्यवस्था और तथाकथित मूल्यों में, आदर्श नीतियों में विश्वास नहीं है। वह सत्ता में आ गये यह देश के लिये खतरा पैदा हो गया है और उस सरकार को बाद में बर्खास्त कर दिया गया। बाद में क्या साबित हुआ, साबित हुआ कि संसदीय प्रक्रिया में और व्यवस्था में जिन लोगों ने विश्वास किया है आज उसके माध्यम से चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वह सत्ता में आती है इस देश में हमने पिछले 40 सालों में क्या देखा है कि विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की पार्टीज सत्ता में आई हैं, यह हमारे जनतन्त्र की एक शक्ति भी है और जनतन्त्र के भविष्य के लिये एक शुभ संदेश भी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ पंजाब में इस प्रकार का कोई कदम मत उठाइये, लोगों पर विश्वास रखिये।

आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा होता गृह मन्त्री ने कल जो यह वक्तव्य स्वत: दिया उसके साथ ही पंजाब में अगले चुनाव की कोई तारीख भी निश्चित कर देते, उसकी भी उसी के साथ-साथ घोषणा हो जाती तो कम से कम कुछ हद तक लोगों का विश्वास कायम रहता। यह संदेश सारे देश में चला गया और खासकर पंजाब में चला गया कि सरकार हम को प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी सरकार यहाँ नहीं बनाने देगी। सबसे खतरनाक बात यही है। इसको मेहरबानी करके, मैं आशा करता हूँ कि गृह मन्त्री आज जब अपना उत्तर दें तो चुनाव की प्रक्रिया घोषित करें, अगर वह नहीं करते हैं तो कम से कम यह कह सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में, जैसा मैंने कहा लोगों से बात करके, विचार करके एक राष्ट्रीय सहमति जिसको कहते हैं पंजाब के ऊपर वह सहमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और समझता हूँ कि हमारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे कदम उठायेंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं उन सभी माननीय वक्ताओं से सहमत हूँ जो मेरे से पहले बोल चुके हैं कि जिस तरह से सरकार ने पंजाब के चुनाव कराने के इस काफी महत्वपूर्ण एवं नाजुक मसले का संचालन किया है वह न केवल शर्मनाक है बल्कि देश की एकता एवं अखण्डता के लिए भी हानिकारक है। मैं उन सभी उल्लेखों से भी सहमत हूँ जिनका हवाला सरकार द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी एवं असंगत वक्तव्य में दिया गया है तथा······ द्वारा अब तक की गई कार्यवाहियों में निहित विरोधाभासों के बारे में दिया गया है।

आज हम सदन में एक संकल्प लाने तथा इसे स्वीकृति प्रदान करने की मांग की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि इस सरकार ने सत्ता संभालने के फौरन बाद से ही चुनाव आयुक्त द्वारा पूर्व की चुनाव तिथि को टालते हुए घोषित नई तिथि पर पंजाब में चुनाव करवाने के लिए उपाय अपनाने शुरू कर दिए होते तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। लेकिन वे इस बीच तीन महीनों के दौरान बिल्कुल निष्क्रिय रहे। पंजाब में चुनाव को लेकर विरोधी दलों एवं अन्य सम्बद्ध पार्टियों से बातचीत करने के लिए कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किया किया गया। न ही उन्होंने हमें उन कतिपय उपायों को अपनाने के लिए विश्वास में लाया जो लम्बे समय से विलम्बित पड़े हैं और जो पंजाब में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने तथा पंजाब के देशभक्त लोगों को, चुनाव की प्रक्रिया के जरिए वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु, संगठित करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये वे भयंकर गल्तियां है जो इस सरकार ने की हैं तथा मैं उसके द्वारा की गई इन सारी गल्तियों के लिए उसकी तीव्र आलोचना करता हूँ।

उस दिन जब हम उस निरसन विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि श्री चन्द्रशेखर की सरकार द्वारा इस तरीके से बिना राजनीतिक दलों के बीच किसी आम सहमति पर पहुंचने के प्रयास के, पंजाब में चुनाव की घोषणा करना बहुत हीं गलत था। मैंने कहा था कि पंजाब इस पार्टी या उस पार्टी का मसला नहीं है। पंजाब एक राष्ट्रीय मसला है। मैं जानना चाहता हूँ कि तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर की सरकार को जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था तथा बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो उन बहुत ही नाजुक प्रश्नों को हल करने का क्या नैतिक अधिकार था, जिन पर देश की एकता निर्भर है। यह कैसे हुआ कि उस सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ठ पार्टी (मार्क्स) अन्य वामपंथी दलों तथा यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के विचारों को भी विश्वास में लेने की परवाह नहीं की यह कैसे सम्भव है ? वास्तविकता यह है कि इस आधार पर हमारी पार्टी के लोग तथा अन्य दलों के लोग भी आतंकवादियों के कोप का भाजन बन रहे हैं। उस सरकार के लिए बिना उन लोगों के विचार जाने जो पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा निर्णय लेना घोर अनैतिक तथा बेइमानी-पूर्ण था।

अब वहाँ यह सब कुछ हो रहा है। हम उन नाजुक स्थिति से निपटने के लिए किसी मतैक्य पर पहुँचने में असफल हो रहे हैं, जो हमारे दृष्टिकोण की सर्वसम्मतता एवं सहमतिजन्य पहुँच की मांग करती है। श्री चन्द्रशेखर की सरकार इस प्रकार के दृष्टिकोण पर पहुँचने में

नाकामयाब रही थी और अब आप भी उस पर पहुँचने में नाकामयाब रहे हैं। सरकार गठित करने के पश्चात् आपको बातचीत शुरू करनी चाहिए थी। आपको बातचीत करनी चाहिए थी। हम इस तरह की आकस्मिक कार्यवाही का समर्थन नहीं कर सकते हैं। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है आप उसकी अवहेलना करके वहां चुनाव नहीं करा सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि पंजाब में चुनाव नहीं कराया गया और वहां सभी उपेक्षित हैं वहां कुछ अन्य आधारभूत समस्यायें हैं और जो इस मसले की जड़ हैं। आप उनके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ?

हम सरकार से हमेशा कहते रहे हैं कि वह कतिपय उपायों को अपनाए। आप चुनाव करवाइए। लेकिन जिससे पहले आपको चण्डीगढ़ के बारे में फैसला अवश्य कर लेना चाहिए। आप चण्डीगढ़ के बारे में निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं। यह पंजाब को क्यों नहीं दे दिया जाना चाहिए ? हरियाणा को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा सकता है ? हरियाणा को नई राजधानी का निर्माण करने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जा सकता ? समस्या को शुरू हुए पांच वर्ष से अधिक गुजर चुके हैं। चण्डीगढ़ पंजाब को देना ही होगा। हरियाणा को एक पृथक् राजधानी बनानी होगी। हरियाणा के लिए एक राजधानी का निर्माण क्यों नहीं शुरू किया गया था। क्या कोई हमें इस बारे में बता सकता है ? मैं कह सकता हूँ कि यह अनुत्तरदायित्व की सीमा है। चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। हरियाणा के लिए नई राजधानी का निर्माण किया जाना चाहिए। इसका पंजाब के लोगों पर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कि यद्यपि आज उन्हें चण्डीगढ़ नहीं मिल रहा है फिर भी कल को उन्हें यह मिलेगा क्योंकि हरियाणा के लिए नई राजधानी बनाई जा रही है। मैं तो कहूँगा कि हम गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं।

हमें हरियाणा के मसले पर विचार करना चाहिए। मुझे मालूम है कि चण्डीगढ़ के बदले में उसे उतनी ही जमीन देनी होगी उसके बाद दूसरा खण्ड है कि सीमा सम्बन्धी विवाद को भाषाई तथा सामीप्यता के आधार पर हल करना होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक आयोग गठित करना होगा। इससे जहाँ तक हरियाणा के लोगों तथा हरियाणा सरकार के मस्तिष्क में जो आशंकाएं होंगी, वे भी दूर हो जायेंगी। भाषा तथा सामिप्यता के आधार पर सीमा पर स्थित प्रत्येक क्षेत्रों में से जो हरियाणा को मिलना है, वह उन्हें देना होगा और इसी प्रकार पंजाबी भाषी क्षेत्र जो पंजाब को मिलना है–जो इस समय हरियाणा में है—वह पंजाब को देना होगा। आप इस प्रकार का कोई आयोग क्यों नहीं गठित करते हैं ? क्या कोई व्यक्ति हमें ऐसा न किए जाने के कारणों के बारे में बता सकता है। जल-विवाद के मसले को आप उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं सौंप देते हैं। मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। हम इससे दूर भाग रहे हैं, मामले को हाथ से निकल कर कहीं भी जाने का मौका दे रहे हैं.........। मुझे नहीं मालूम है कि हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं।

एक और भी मुद्दा है। उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में कतिपय महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं। यदि वे अपनी आवाज भारत से अलग होने, भारत को विखंडित करने अथवा भारत से अलग होने के लिए उठा रहे हैं तो उन्हें कोई भी समर्थन नहीं देगा। मैंने आज के समाचार-

पत्र में पढ़ा है कि श्रीमान् ने कहा है कि उन्हें एक पृथक राष्ट्र प्राप्त करना है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी स्वतन्त्रता एवं मान्यता प्रदान करने की मांग करेंगे, आदि, आदि। लेकिन उसके बाद कतिपय अन्य मामले भी हैं जिन पर हम लोगों के मस्तिष्क में विश्वास पैदा कर सकते हैं और इन साम्राज्यवादी समर्थन प्राप्त आतंकवादियों को अलग-थलग कर सकते हैं। हम यह कदम क्यों नहीं उठाते हैं ? हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने के लिए अन्तर-राज्यीय परिषद् समिति का गठन क्यों नहीं करते हैं जिससे राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकें ? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ? आप पंजाबी भाषा सहित अन्य सभी भाषाओं को समुचित सम्मान देने के लिए भाषा के मसले को क्यों नहीं ले सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : सरकारिया आयोग का क्या हुआ ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यही बात सरकारिया आयोग के बारे में भी है। अंतर्राज्यीय-परिषद् समिति में और अधिक बातों पर चर्चा की जा सकती है। सीमा स्थित राज्य में, यदि पंजाबी भाषी लोग कतिपय दर्जा देने की मांग करते हैं, जो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से दिया जाना चाहिए, तो आप उन्हें क्यों नहीं देते हैं। आप दिल्ली में हुए दंगों के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्य-वाही क्यों नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमें एक ही बात को कितनी बार कहना पड़ेगा ? वर्षों से हम एक ही बात कहते आ रहे हैं। दो व्यक्तियों के कृत्यों के लिए क्या आप पूरे समुदाय की निन्दा करते हैं ? तीन हजार लोगों को मारा गया था, किसी ने इसकी शुरूआत की थी। क्या आप ने उनके चेहरे बेनकाब किये हैं ? क्या आपने उन्हें सजा दी है ? महज चुनाव कराने या न कराने का प्रश्न नहीं है ? इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोग चुनाव चाहते हैं, वह तो उनकी मांग है। परन्तु चुनाव तो उस प्रक्रिया का केन्द्र-बिन्दु होगा जो देश की एकता एवम् अखण्डता के पक्ष में होगा। आप काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं—दो माह या तीन माह। आप चुनावी प्रक्रिया तभी शुरू कर सकते थे जब आपने सत्ता संभाली थी।

अब 11 नवम्बर से पहले हम चुनाव करा सकते हैं। हमने चुनाव रद्द करने सम्बन्धी एक पूर्व तिथि की अधिसूचना का समर्थन किया था। यह एक दलगत प्रश्न नहीं है, मैं इसे दूसरे ढंग से लेता हूँ। मेरे विचार से जो चन्द्रशेखर को चुनाव में भाग लेने वाले सभी दलों को पहले सुरक्षा की गारन्टी दिए बिना चुनावों की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई गलत निर्णय ले सकता हूँ लेकिन मुझे इस बात में निष्पक्ष होना चाहिए कि लोगों को यह लगे कि मैंने यह सही नियत से किया है। अब, श्रीमान्, यदि कोई राष्ट्रीय दल चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहता है तो यह देश के लिए और पंजाब में शान्तिपूर्ण चुनाव कराने के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चुनाव में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। यह चुनाव बंगाल अथवा अन्य राज्यों के चुनावों की तरह नहीं है। पंजाब में बहुत सी चीजें दाव पर लगी हैं। हम इसका समर्थन करते हैं और यह युक्ति संगत बात है कि चूंकि हमने चुनाव रद्द करने की एक पूर्व अधिसूचना का समर्थन किया, इसलिए हम इस नीति का विरोध कर ही नहीं सकते, बल्कि यह बात इस ढंग से समझी जानी चाहिए कि बाहर वाले लोग भी यह न समझें कि यह एक तमाशा चल रहा है। संसद बार-बार वहाँ राष्ट्रपति शासन बढ़ाती जाएगी। हमें एक निश्चित तारीख रखनी

होगी जिस तक आप वहाँ चुनाव करा सकें। मुझे मालूम है कि इस दौरान कुछ समय की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उन 1, 2, 3, 4 और 5 बातों, जो मैंने कही हैं पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके बिना, इन सभी बातों से हटकर चुनाव कराके हम वास्तव में गैर जिम्मेदार होंगे। हमें पंजाब को समग्र रूप में देखना होगा और हमें सभी लोगों को विश्वास में लेना होगा।

12.37 मध्याह्न (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारी गलती यह थी कि हमने पहले चुनाव कराने के लिये सहमति नहीं बनाई। आज भी हमें अलग-अलग नहीं बंटना चाहिए पंजाब की खातिर हमें मिल-जुलकर बात करनी चाहिए और एक निश्चित तारीख निर्धारित करनी चाहिए। आप आज इनकी घोषणा कर दीजिए। हम अन्य नेताओं के साथ मिलकर यह निर्णय करेंगे कि इन चुनावों को उक्त तिथि को कैसे सफलतापूर्वक कराया जाए। इसी बात की जरूरत है। हमें अलग-अलग नहीं होना चाहिए, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है, देश की एकता और अखण्डता दाव पर है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि वहाँ लाशों के ढेर लगे हैं, प्रतिदिन लोगों की हत्या की जा रही है, वे लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ छेड़खानी करते हैं। और प्रशासन तथा पुलिस में भी दोहरे चरित्र के लोग हैं और इन्होंने बदनामी अर्जित की है। आपको इन्हें बाहर निकालना होगा, प्रशासन में सुधार लाना होगा। लेकिन यदि यह हालात जारी रहते हैं और लाशों के ढेर लगते रहेंगे तो इन चुनावों में कौन भाग लेगा? क्या पंजाब में लाशें चुनाव में भाग लेंगी? क्या यह आवश्यक नहीं कि हम उम्मीदवारों को पूर्ण सुरक्षा दें? पिछली प्रक्रिया शुरु हो जाने के बाद से सत्रह उम्मीदवार मारे गए थे। हम उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए। इसलिए सुरक्षा प्रदान करनी होगी सुरक्षा का वातावरण बनाना होगा और मनोवैज्ञानिक रूप से इनको भरोसा दिलाना होगा और लोगों के मन में विश्वास पैदा करना होगा। ये सभी बातें चुनाव कराने के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और चुनाव को हम इन बातों से अलग करके नहीं देख सकते। इसीलिए, एक बैठक बुलाइए, एक निश्चित तारीख दे दीजिए और इन 1,2,3,4 और 5 बातों, जो मैंने बताई है, पर कार्यवाही कीजिए। मुझे विश्वास है कि पंजाब के लोग धर्म निरपेक्ष और राष्ट्रभक्त हैं। वे आतंकवादियों से उकताए हुए हैं लेकिन वे सरकार और राजनैतिक दलों से भी उकता गए हैं क्योंकि हमारा कोई स्पष्ट पक्ष नहीं है। मैं विपक्षी दलों के अपने मित्रों से अलग दिख सकता हूँ। लेकिन सरकार को अपनी बात पर स्थिर होना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले कहा है, मैं इस संकल्प का विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूँ समय मिलना चाहिए और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहियें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, पंजाब की समस्या को मिसहैंडल करने में और वहाँ की स्थिति को बद से बदतर बनाने में यह प्रस्ताव एक और कड़ी है। अभी मेरे नेता, श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा कि यह सरकार इनकम्पीटैंट है क्योंकि सत्र के अन्त में वह इस प्रस्ताव को यहाँ लाई है। मेरा आरोप यह है और मैं ऐसा समझता हूं कि जानबूझ

कर, चालाकी से, इस प्रस्ताव को अन्तिम दिन लाया गया है। मैं समझ नहीं पाया कि 16 तारीख की रात को 8 बजे सरकार की ओर से जब यह कहा गया—

[अनुवाद]

"राष्ट्रपति की अधिसूचना 11 नवम्बर, 1991 तक वैध है। हमने आज आपके समक्ष कोई सर्वाधिक संकल्प के रूप में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है।"

[हिन्दी]

इसमें टाइम लिखा हुआ है, जो सरकार 16 तारीख की रात को 8 बजे ऐसा बयान देती है इस सदन के अन्दर कि हम इस तरह का कोई रिजोल्यूशन नहीं ला रहे हैं, वह कुछ ही घण्टों के बाद, अपनी बात से मुकर जाये। आखिर, इसके पीछे भावना क्या है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि यह सरकार अल्पमत की सरकार है, माइनौरिटी गवर्नमेंट है। सरकार अच्छी तरह जानती थी कि अगर यह रिजोल्यूशन 4–5 दिन पहले सदन में लाया जाता, उस समय सभी मैम्बर्स यहां उपस्थित होते तो सम्भव था कि यह प्रस्ताव गिर जाता। इसलिये जब सभी मैम्बर्स चले जायें, एनाउंस हो जाये कि आज पार्लियामेंट का लास्ट डे है, मैं यह आरोप लगा रहा हूं क्योंकि जब सरकार की ओर से 16 तारीख की रात को 8 बजे कहा जाता है···

[व्यवधान]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आप सोच-समझ कर लगा रहे हैं न, आपकी पुरानी आदत है।

[व्यवधान]

श्री मदन लाल खुराना : जो सरकार 16 तारीख की रात को 8 बजे यह कहती है और अगले दिन उसका विचार बदल जाता है तो इससे लगता है कि या तो सरकार की नियत ठीक नहीं है या फिर यह उसका निकम्मापन है। इन दोनों में से एक तो है।

[व्यवधान]

श्री जगदीश टाईटलर : हमने तो कहा है कि आपकी पुरानी आदत है आरोप लगाने की, आरोप लगाईये वरना आपको नींद नहीं आयेगी।

[व्यवधान]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना इतना ही है कि या तो यह सरकार निकम्मी है, इसे तो आप मानते हो···

[व्यवधान]

श्री जगदीश टाईटलर : असली बात आप ये ही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं।

श्री मदन लाल खुराना : चलो, आपने कुछ तो माना। मेरा कहना यही है कि या तो

सरकार की नियत ठीक नहीं है इसलिये वह लास्ट डे इस रिजोल्यूशन को सदन में लाई है, जब परसों रात को बार-बार इनसे पूछा गया कि क्या आप चुनाव टाल रहे हो, 6 महीने बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, उस समय सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। इसका साफ मतलब है कि वह सरकार इनऐफिशियेंट है और इसमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है।

इसके साथ मेरा कहना यह है कि यह सरकार पंजाब की समस्या के बारे में और दूसरी समस्याओं के बारे में एडहाकिज्म की नीति अपना रही है। टुकड़ों के अन्दर, यह पंजाब की समस्या को देखती है और इसलिये फैसला भी टुकड़ों में करती है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से सरकार हर समस्या का टुकड़ों में फैसला करती है, उससे पंजाब की स्थिति और ज्यादा उलझती जा रही है। इसलिये सरकार को चाहिये कि पंजाब के बारे में, जैसा अभी कहा गया कि इसे केवल पंजाब की समस्या न मानकर, राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिये और तब समग्र दृष्टि से, इसकी पूर्ण तस्वीर को सामने रखकर, उस दृष्टि से इस समस्या पर यदि सोचा जाये तो मैं समझता हूँ कि आप किसी हल पर पहुंच सकते हैं, किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं।

क्योंकि आपकी एडहॉकिज्म की नीतियाँ हैं, इसलिए परिस्थितियों का भी अनुमान लगाने में आप असमर्थ हैं। अगर आप गम्भीरता के साथ पहले ही सोचते, अनुमान लगाते, अपोजीशन को, सबको बुलाते, 3 महीने आपके पास पड़े थे, तो आप कोई रास्ता निकाल सकते थे। आप एडहॉकिज्म में निर्णय करते हैं, इसलिए सारी समस्याएं हैं, पंजाब की समस्या को एडहॉकिज्म पर न छोड़ें। उपाध्यक्ष जी इनका परपज पूरा हो गया। आपने वह चालाकी से कर लिया। एक ही सीधा सा मकसद था, एक गलती आपके नेता से हो गई थी और आपने चुनाव का बायकाट कर दिया और जिस दिन लगा कि आप लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के रूप में आ रहे हैं, उस दिन से आपके दिमाग ने घूमना शुरू कर दिया कि किस तरह से हम इस चुनाव के दौर में शामिल हों। उसके बाद से आपने ये सारे कदम उठाने शुरू किए। पहले तो आप जो गलती बायकाट करके कर चुके थे, मैं तो कहूँगा कि आप भूल गए, उसके सामने दो ही रास्ते थे, एक तो यह था कि सीधे-सीधे जनता के सामने आकर कहते कि हमसे गलती हो गई थी और हम इस चुनाव के अन्दर शामिल होना चाहते हैं, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। वह ज्यादा एक्सैप्टेबल होता देश के लिए, लेकिन आप अंधकार में रखकर, चालाकियाँ दिखा करके, डिस-आनेस्टियां करके, देश में इस प्रकार के काम रहे हैं ये ठीक नहीं हैं। आपकी इन नीतियों का खमियाजा देश को चुकाना पड़ रहा है। अभी तक आपके नेताओं के मुंह से यह सुना था कि हमारे लिए आदर्श यह है कि देश पहले है और पार्टी उसके बाद और व्यक्ति लास्ट में है, लेकिन आपने अपने एक्शन से यह सिद्ध कर दिया है कि कैंडीडेट, आपके एम०पी० जीतकर आएं, यह आपका पहला उद्देश्य है, पार्टी उसके साथ जुड़े, यह दूसरा उद्देश्य है और तीसरा उद्देश्य कंट्री है। उस आधार पर आज आप निर्णय ले रहे हैं। आपने दलगत राजनीति को प्रमुख माना है, देश को आपने पीछे रखा है। उसका यह नतीजा हो रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से गृहमन्त्री जी से कि 21 जून

तक जितने उम्मीदवार मरने थे, आतंकवादियों की गोलियों से, वे मर गए, चुनाव पोस्टपोंड होना था, तो 4–5–या 10 दिन पहले हो जाता, तो क्या बिगड़ता ? जितना रुपया कैंडीडेट का खर्च होना था, वह उन्होंने कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और उन सारी फोर्सेस के ऊपर जो वहां भेजी गईं, सिक्योरिटी फोर्सेस, उन पर 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ या जितना भी उसके बाद चुनाव को पोस्टपोंड करना, स्पष्ट रूप से यह कहता है कि कांग्रेस किसी तरह से बैक डोर से आना चाहती थी। मैं इसमें एक बात और एड करना चाहता हूँ, और पार्टियों ने भी आशंका व्यक्त की जिसका कि अभी यादव जी ने जिक्र किया था कि मेरी भी लोगों से बात हुई है, इस चुनाव में अकाली पार्टियां टैररिस्ट्स के प्रैसर में हो सकता है चुनाव का बहिष्कार करें। पिछले जून में जो चुनाव होने थे, उनमें अकाली शामिल थे। यदि इस बार अकाली बायकाट कर जाते हैं, तो पंजाब का चुनाव मीनिंग लैस हो जाएगा और फिर इनको मौका मिल जाएगा कि अकाली इस समय हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम पोस्टपोंड कर रहे हैं। क्या आपने इस प्रस्ताव को लाने से पहले अकालियों से कोई बात की है, यदि की है तो मैं चाहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब अपने जवाब में बताएं और एश्योर करें कि जो चुनाव आप करा रहे हैं, उसमें अधिकतर अकाली पार्टियां हिस्सा लेंगी ? अकालियों के बिना यह चुनाव मीनिंग लैस है, यह मेरा कहना है।

मेरा यह कहना है कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो अकालियों सहित पंजाब की जितनी भी मेन पोलीटिकल पार्टीज़ हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। यदि नहीं लिया है तो अब उनको विश्वास में लेकर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हम जानते हैं कि पंजाब में चुनाव कराना संकट है। संकट दोनों तरफ है–चुनाव कराएं तब भी संकट है और न कराएं तब भी संकट है। पंजाब में लोकतन्त्र को बहाल करने के लिए पोजीटिव साइड को देखते हुए प्राथमिकता देनी होगी।

एक बात पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, बाहरी मुल्कों का भी जिक्र किया है। सरकार बार-बार कहती रही है कि शिमला समझौता को मानना चाहिए जबकि हम बार-बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब की समस्याओं में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बारे में सरकार की क्या नीति है। क्या सरकार केवल घोषणा करेगी या टिट फार टैट की नीति अख्तियार करेगी ? एक तरफ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो हो रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाक ऑकूपाइड कश्मीर में आकर हमको धमकी दे रहे हैं। उसके बारे में सरकार अपनी पोजीशन स्पष्ट करें।

आप पंजाब के बारे में वाइट पेपर लाइए, किसकी क्या गलती है और उसके बारे में क्या करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि यदि आपने डेट फिक्स भी कर दी तो भी जब तक चुनाव नहीं होंगे देश के लोग और पंजाब के लोग विश्वास करने वाले नहीं हैं क्योंकि आपकी क्रैडीबिलिटी कम हो गई है। गृहमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पंजाब में चुनाव कराने के मुद्दे पर अप्रैल 1991 में विचार किया गया था। 21 अप्रैल की मीटिंग में आपकी पार्टी

शामिल थी। राष्ट्रपति से मिलने गए, चुनाव आयुक्त से मिलने गए, आपकी पार्टी शामिल थी। उसने कहा था कि 20 जून के बाद चुनाव कराइए, मेन चुनाव से डीलिंक कराइए। मेन चुनाव से डीलिंक हो गया। जब सारी बातें मान ली गईं तब चुनाव का बहिष्कार क्यों किया। आपने कहा कि पंजाब की हालत खराब है। आप स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या यह सच नहीं है कि श्री चन्द्रशेखर सरकार ने पंजाब में आर्मी को इनडक्ट किया था? जनरल मल्होत्रा के आने के बाद उन महीनों में स्थिति बैटर हुई थी। लेकिन आपने आते ही न केवल आर्मी को विदड्रा कर लिया अपितु अर्ध-सैनिक बल को भी वहाँ से काफी विदड्रा कर लिया। यदि पोजीशन खराब है, जैसा कि आप कह रहे हैं, संसद के प्रांगण में आपका बयान है कि स्थिति बैटर हो रही है और हाउस में कह रहे हैं कि स्थिति खराब है। इसलिए चुनाव पोस्टपोन करवा रहे हैं। यदि वहाँ स्थिति चुनाव कराने लायक नहीं है तो श्री चन्द्रशेखर की सरकार के समय जो मिलिट्री इनडक्ट की गई थी उसको विदड्रा क्यों किया।

राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की है कि पंजाब में चुनाव कराने के लिए उचित माहौल होना आवश्यक है। क्या 22 जून के चुनाव कराने में राष्ट्रपति ने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी? तब भी व्यक्त की थी। आप केवल चुनाव की घोषणा ही नहीं बल्कि फर्म डेट दीजिए।

लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ चुनाव सम्पन्न नहीं हो जायेंगे।

आपने जो प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में एक छोटी सी बात कह कर समाप्त करूंगा। जो लोग पिछले चुनाव में कैंडिडेट थे और अब भी बनने वाले थे, उनकी सुरक्षा आपने क्यों विदड्रा की। अभी जार्ज फर्नान्डीज जी ने एक नाम लेकर उदाहरण दिया। मैं भी उनका नाम ले रहा हूँ। श्री राजवीर सिंह जो कि नौवीं लोक सभा के मैम्बर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर और आपने विश्वास दिलाया था कि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जायेगी लेकिन आपने नहीं दी। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके साथ-साथ अन्य दलों के जो कैंडिडेट हैं जिनको आतंकवादियों ने यह धमकी दी कि अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारा सफाया कर देंगे, उनको आप प्रोटेक्शन दीजिए। इतना मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिये यहाँ खड़ा हुआ हूँ और इसलिये इसका विरोध कर रहा हूँ कि यह सरकार की नीयत को दोबारा स्पष्ट करता है कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है।

जब हमारे साथी यह कह रहे थे, इस समस्या की जननी कांग्रेस पार्टी है तो उस समय उस पक्ष के लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा था लेकिन गृहमन्त्री जी, यह जो प्रस्ताव आया है यह इस बात को साबित करेगा कि आपकी नीयत सचमुच में साफ नहीं है।

जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और जब वहाँ प्रेजीडेंट रूल को बढ़ाने की बात

चली थी तो उस समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह जी ने इस सदन में 5-10-90 को यह कहा था कि—

> "मैं इस सदन में स्वीकार करना चाहता हूँ कि इसे मैं अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल मानता हूँ कि पहले 6 महीने में वहाँ चुनाव नहीं करा सका। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ।"

फिर उन्होंने कहा कि—

"उस गलती की जो सजा है, मैं इस सदन के सामने हूँ, मैं यहाँ जबानी बात नहीं कहता बल्कि अहसास भी करता हूँ कि उसका नतीजा हुआ कि जो लोग हमारे नजदीक थे, वे धीरे-धीरे दूर होने लगे और आज स्थिति यह है कि मैं समझता हूँ कि अकाली पार्टी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होती है, बल्कि उसको दूर रखना चाहती है।"

मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि वी०पी० सिंह जी की सरकार ने यह रिलाइस किया कि पहले चुनाव नहीं हुए, स्थिति में सुधार आयेगा लेकिन नतीजा यह हुआ कि स्थिति में सुधार आने की बजाय स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर उसके बाद चन्द्रशेखर जी की सरकार ने चुनाव की घोषणा की तारीख 22 जून को निश्चित कर दी।

आपने बहुत विस्तार से अपने प्रस्ताव में बताया है कि राष्ट्रपति शासन 11 मई, 1987 को लागू हुआ। 6 मार्च, 1988 को विधान सभा भंग कर दी गई। 10 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने वाली है और 22 जून को चुनाव होने वाला था। 21 जून की रात में चुनाव आयोग ने एकाएक उसको रद्द करने का काम किया। उस समय यह कहा गया कि चन्द्रशेखर जी की सरकार ने इस मामले में पहल किया था। चन्द्रशेखर जी ने प्रधान मन्त्री की हैसियत से कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है आपने भी कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है लेकिन कल-परसों जो कुमारमंगलम जी का बयान आया है उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है कि चुनाव आयोग ने जो किया वह सही किया। इससे आपकी नीयत पर शंका जाहिर हो जाती है कि आपके ही इशारे से वहाँ चुनाव को स्थगित करवाने का काम किया गया। फिर आपने कहा कि 25 सितम्बर को चुनाव होंगे और उसके लिये चुनाव आयोग ने तिथि की भी घोषणा कर दी कि 25 सितम्बर को चुनाव होगा। नये राज्यपाल आये और उन्होंने कह दिया कि अभी चुनाव का माहौल नहीं है और स्थिति बिगड़ी हुई है। फिर आपने उस चुनाव को स्थगित कर दिया। उसके बाद कल तक किसी को मालूम नहीं था लेकिन कल शाम एक नई चीज लेकर सामने आ गये कि 6 महीने के लिये और राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाये। विजय भास्कर रेड्डी जी यहाँ बैठे हुए हैं।

1·00 म० प०

विजय भास्कर रेड्डी साहब ने सदन में परसों जो जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, 16 तारीख को इन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"यह एक महत्वपूर्ण मामला है और एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जैसाकि इस राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रधानमन्त्री जी ने एक बात बड़ी स्पष्टता पूर्वक कही थी कि सभी दलों से सलाहमश्विरा करके सर्वसम्मति बनाई जाएगी। हम आपको आमंत्रित करेंगे और जल्दी ही पंजाब की स्थिति पर चर्चा करेंगे तथा वहां चुनावों की तारीख में संक्षेप में निर्णय करेंगे। हम यह काम शीघ्राति-शीघ्र करेंगे।"

[हिन्दी]

फिर दोबारा जब इनसे कहा गया तो फिर इन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"मैं इस बात को फिर से बता दूं कि हम सभी दलों को विश्वास में लेंगे और हम पंजाब के मुद्दे और वहां चुनाव कराने के सम्बन्ध में सभी दलों को आमन्त्रित करके उनसे विचार विमर्श करेंगे। यह काम यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।"

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सदन है कि कोई दुकान है या हम किसी क्लब में बैठे हैं कि यहां आप एक दिन पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ? आपने विपक्ष को कान्फीडेंस में लिया? आपने कहा प्राइममिनिस्टर बहुत चिन्तित हैं, आप बहुत चिन्तित हैं। जब विजय भास्कर रेड्डी साहब बोलते है या चव्हाण साहब बोलते हैं तो आप चव्हाण साहब की हैसियत से नहीं बोलते हैं और विजय भास्कर रेड्डी साहब की हैसियत से नहीं बोलते हैं बल्कि आप भारत सरकार के गृह मन्त्री और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से बोलते हैं। एक दिन पहले आपने कहा कि हम तमाम राजनैतिक दलों के नेताओं को बुलायेंगे, उनसे हम कंसल्ट करेंगे, प्रधानमन्त्री कंसल्ट करेंगे और उसके बाद चुनाव की तिथि हम तय करेंगे और हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। इसलिये मैंने कहा कि पहली सरकार ने वी० पी० सिंह की सरकार ने यह कहा कि मैंने ऐतिहासिक भूल की, चन्द्रशेखर की सरकार ने चुनाव करवाने की तिथि निश्चित की और आपने इस चुनाव को रद्द करने का काम किया है तो यह माना जायेगा कि चूंकि आपका जो पिछला इतिहास रहा है, उस इतिहास को आपने यहां दोहराने का काम किया है। हमारे जैसे आदमी इसको कोई कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं बल्कि हम सीधे-सीधे देखते हैं कि आपकी नीयत ही साफ नहीं है।

चूंकि अभी पार्लियामेन्ट में आपके बहुमत में 15 का अन्तर है, आप जानते है कि पंजाब के चुनाव में आप आयेंगे तो एक सीट आपको मिलने वाली नहीं है तो आपका गैप बढ़कर 25 हो जायेगा······(व्यवधान)······मैं सीरियसली कह रहा हूं। तो आपके दिमाग में पोलिटिकल लाइन है। आप सीधे हिसाब, गणित लगाते हैं कि कल किसी तरीके से 15 को हेरफेर करके ले आयेंगे लेकिन 25 को कहां से लायेंगे। यह गैप जो बढ़ेगा, इसके लिये आप

सबसे ज्यादा चिन्तित हैं। क्या आपको मालूम पहले से नहीं था कि 10 नवम्बर को राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म होगी, यहाँ आप सरकार चला रहे हैं, आपको पहले से नहीं मालूम था कि 10 नवम्बर को अवधि समाप्त होने वाली है, पहले आपको क्यों नहीं बोला गया ? तीन महीने से आप क्या कर रहे थे, तीन महीने तक आप इस तरह क्यों बैठे हुये थे ? अभी आपको एकाएक याद आया है कि चुनाव की प्रॉब्लम उत्पन्न हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब गया हूँ, पंजाब के हिस्सों में मैं भी घूमा हूँ। अभी मैं सन्त लोंगोवाल जी के शहादत दिवस पर संगरूर गया हुआ था। संगरूर को अभी सबसे ज्यादा आतंकवादी प्रभावित जिला कहा जाता है कि यह उनका अड्डा बना हुआ है। जहाँ के राजदेव सिंह जी के सम्बन्ध में खुराना जी और जार्ज साहब ने कहा है, उसी जिले से वह आते हैं। यह बात सत्य है कि वहाँ 10 में से 8 उम्मीदवारों में किसी न किसी निर्दलीय की या अन्य की हत्या हो चुकी है, यह बात भी सही है कि काउन्टर मापदण्ड हो रहा है, लेकिन यह बात भी सही है कि आतंकवादी वही नहीं हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं बल्कि उसका दूसरा पक्ष भी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी आज आतंकवाद का रोल अदा कर रहा है। उसको भी खून का चस्का लग गया है, शासन को जो चस्का लग गया है उससे वह नहीं चाहता है कि वहाँ चुनाव हो और जब भी चुनाव की गतिविधि तेज होने लगती है तो शासन की भी यही नीयत रहती है कि किसी तरह से वहाँ चुनाव को टालने का काम किया जाय।

हम वहाँ सन्त लोंगोवाल की बरसी में वहाँ गये हुये थे तो लोगों ने बताया वह एक भयावह चीज थी। आपने कभी सोचा कि सन्त लोंगोवाल की हत्या क्यों हुई ? सन्त लोंगोवाल की हत्या इसलिये हुई थी, क्योंकि, उन्होंने राजीव गांधी के साथ बैठकर समझौता किया था। अभी हमारे एक साथी बतला रहे थे, सैफुद्दीन चौधरी जी और हमारे साथी बतला रहे थे, क्या हुआ सन्त लोंगोवाल राजीव समझौते का ? आप पंजाब की समस्या के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं लेकिन जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे श्रीलंका की समस्या हो, यह आपकी देन हैं। हमको वह दिन याद है, यदि यहाँ प्रधान मन्त्री रहते तो मैं उनके सामने उनसे पूछता, इस मसले पर हम जब बैठे हुये थे इसी पक्ष में 1980 से 1985 के बीच में, हमारे राही जी भी थे हम लोगों के साथ में, उस समय हम लोगों को मालूम है कि जब नरसिंह राव जी गये हुये थे, विदेश मन्त्री की हैसियत से श्रीलंका में चले गये। उस समय हमने कहा था—आप क्यों इस समय हनुमान बनकर श्रीलंका में दहन करने चले गये ? तो उन्होंने कहा था—ये तमिल लोग हैं, वे हमारे भाई हैं, हमारा खून है और उनको हर तरह की सहायता देना हमारा फर्ज बनता है। हम उसको सहायता देंगे। आपने पैसा दिया, आपने हथियार दिया, सब कुछ दिया और उसके बाद जो नतीजा हुआ वह हम सब लोगों के सामने हैं। भिंडरावाला के बारे में किसको मालूम नहीं है। हम लोग बार-बार बोला करते थे कि भिंडरावाला को किसने प्रोत्साहन दिया। हम लोग गोल्डन टैम्पल गये हुये थे, वहाँ लोंगोवाल जी थे। लोंगोवाल जी उस समय बोले थे—देखिये, हम यहाँ बैठे हुये हैं और हमारे सामने कम्फन्टेशन चल रहा है और भारत सरकार खुले आम सहायता दे रही है।

अभी मर्ज बढ़ाने का काम कीजिये, कैंसर पैदा करने का काम कीजिये और जब कैंसर पूरे शरीर में फैल जाये तो उसको इलाज कीजिये और फिर दोष दूसरों पर डालने का काम कीजिये। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि हिन्दू-सिक्ख दोनों भाई थे। हमारे देश की आर्मी जब कहीं जाती थी तो हमारी बहनें उनके हाथों पर राखी बांधती थीं, लेकिन आज क्यों पूरे का पूरा समुदाय नफरत भरी निगाह से देखने का काम कर रहा है। हिन्दू मारे जा रहे हैं निर्दोष, सिक्ख मारे जा रहे हैं निर्दोष। इसके लिये कौन दोषी है? सन् 1984 की घटना घटी। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में पागल आदमी होते हैं, सिर-फिरे होते हैं। लेकिन उसके लिये एक कौम की आड़ को लेकर उसकी हत्या करवाई जाये, यह कहां का न्याय है। उन्हीं दिनों हम एम० पी० की हैसियत से 12, राजेन्द्र प्रसाद रोड पर रहते थे। हमारे सामने एक नौजवान टैक्सी ड्राइवर था, उसको बचाने की कोशिश की। कर्पूरी ठाकुर जी यहां नहीं हैं, कर्पूरी ठाकुर जी और बहुत सारे एम० एल० ए० थे। हम उसको बचा नहीं पाये। हमारे घर को आग लगा दी गई। घर जला दिया गया, किसी तरीके से हम लोग बच पाये। लेकिन जलती हुई आग में उस नौजवान को डाल दिया गया। इसलिये पंजाब की समस्या सिर्फ जमीन की समस्या नहीं है। जमीन महत्वपूर्ण है, राजधानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन पंजाब की समस्या का एक दूसरा पहलू भी पंजाब के लोग हमेशा से शासन के साथ जीए हैं, हमेशा से इज्जत के साथ जीए हैं। एक ऐसा मौका आया, जब एक स्थिति पैदा हुई और खास कर सिक्ख समुदाय का एक व्यक्ति चलता था, उसको संसार के सामने, देश के सामने पगड़ी झुकाकर के चलना पड़ता था। उसके मन में यह कचोट थी, उसके मन में गुस्सा था, इसलिके जब तक उसके घाव पर मरहम लगाने का काम नहीं करेंगे। जब तक उसके जजबात को समझने का काम नहीं करेंगे और पंजाब की समस्या पर आंसू बहा देने से समस्या का निदान होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। बरनाला की सरकार को किसने बनाया था और बरनाला की सरकार को बरखास्त किसने किया था? बनाया था तब व बरनाला की सरकार अल्पमत में थी और बरखास्त किया था तब, वह बहुमत में आ गई थी। अल्पमत की सरकार को बनाया और जब वह आपके कथनानुसार नहीं चली तो बहुमत की सरकार को डिसमिस करने का काम किया। इसलिये जैसा हमारे साथी ने कहा, आपके सामने जो राजनीति है। वह राजनीति आपके सामने वोट की राजनीति है। जब तक आप वोट की राजनीति नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि पंजाब की समस्या का निदान होने वाला नहीं है। चुनाव का मामला है। अभी हमारे साथी ने ठीक ही कहा, यह तर्क दिया जाता है कि लोग खालिस्तान की मांग करेंगे। मैं कहता हूँ, आखिर यह भारत की सरकार किस लिये बैठी हुई है। राष्ट्रपति जी किस लिये बैठे हुये हैं और धारा 356 संविधान में किस लिये रखी गई है। यह एक बहाना मात्र है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में घटनायें तो होती हैं। लोग मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेंगे। जब लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो जो आतंकवादी लोग हैं, वे अलग होंगे। आपको सीधे जनता के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिये मैं आप से मांग करने

क लिये खड़ा हुआ हूँ, इतिहास कभी भी माफ करने वाला नहीं है। इतिहास की दृष्टि बहुत पैनी दृष्टि है। वह अपने ढंग से देखती रहती है। आप चाहें जितना भी बोलें, लेकिन चुनाव होने वाला नहीं है और न चुनाव कराने की आप की मंशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सिक्योरिटी का मामला है। आपको मालूम है। सिक्योरिटी चुनाव के पहले दे दी गई है। मैं आपको बताऊँ। मैं संगरूर गया हुआ था, वहाँ एक कैंडीडेट से मुलाकात हुई। हमने पूछा—आप कहाँ रहते हो? कहने लगा—हम थाने में रहते हैं। हमने पूछा—थाने में क्या करते हो? कहने लगा—उसको सिक्योरिटी दी गई है। हम सिक्योरिटी को कहाँ रखेंगे।...कैसे हम गाड़ी चलायेंगे, हमको सिक्योरिटी दे दी गई है।

लेकिन हम उसका मेनटेनस कैसे करेंगे ? इसीलिये हम लोग जा करके थाना में रहते हैं। 22 तारीख को चुनाव होने वाला है, 21 तारीख की रात में चुनाव को पोस्टपोंड किया जाता है, ऐसा कभी कोई संसार में, हिन्दुस्तान में सोच सकता है या कोई प्रजातांत्रिक देश में ऐसा विचार कर सकता है। एक दिन पहले जहाँ लोगों की हत्या हो गई और जिनको मरना था, वे मर गये, हमारे साथी ने कहा और उसके बाद चुनाव को रोकने की कार्यवाही की जाती है, इलैक्शन कमिशन के माध्यम से। इसलिये यह सरकार सिर्फ बहाना योजना चाहती है और यह चुनाव कराने के मूड में नहीं है और न ही चुनाव कराने के पक्ष में है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जसवंत सिंह जी ने कहा है कि आप चुनाव की तारीख की घोषणा कर दीजिये तो हम विचार करेंगे, जसवंत बाबू, मैं आज आपको कह देता हूँ कि 4–5 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। यदि सरकार घोषणा भी कर दे तो उसके ऊपर आप विश्वास मत कीजिएगा। यह सरकार विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर यह चव्हाण साहब आपको ताम्रपत्र पर भी लिखकर दे देंगे, तो भी चुनाव होने वाला नहीं है। मैंने जो मोटा-मोटा आपको गणित बताया है, वही गणित इनके दिमाग में चल रहा है और वही गणित इनके दिमाग में घूम रहा है। इनके सामने न तो राष्ट्र का नक्शा है और न पंजाब का नक्शा है। न राष्ट्र में शान्ति हो और न पंजाब में शान्ति हो, यह सब मामला कुछ नहीं है। चव्हाण साहब केवल अपना गणित यहाँ पर बैठा रहे हैं और उसमें पंजाब और देश का सत्यानाश होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और जम करके विरोध करता हूँ। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि 10 नवम्बर के पहले आपको चुनाव करवाना चाहिये था, आपने चुनाव नहीं करवाया है तो यह आपने गलत किया है और आपने यदि गलत काम किया है तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है।

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के दो वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त और सैफुद्दीन चौधरी ने माननीय सदस्यों ने दो मुद्दे अपने भाषण में उठाए, जिनका सीधा सम्बन्ध हरियाणा के साथ है। एक चण्डीगढ़ का इशु है और दूसरा शेयरिंग आफ रावी वाटर, रावी ब्यास वाटर का है। उपाध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ का सीधा

ताल्लुक हरियाणा के साथ है, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की सरकार ने और हम भी अपने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें कोई विरोध नहीं है कि चण्डीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाये, लेकिन समस्या इससे हल होने वाली नहीं है।

[अनुवाद]

कितना भी तुष्टिकरण किया जाए, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

[हिन्दी]

लेकिन उसके साथ-साथ हमारी स्थिति यह है कि हरियाणा को एक हिन्दी स्पीकिंग क्षेत्र अबोहर और फाजिलका, यह निश्चित रूप से साथ-साथ में हरियाणा को दिया जाये और दूसरी बात जिसको राजीव लोंगोवाल के समझौते के समय भी स्वीकार किया गया कि नयी राजधानी हरियाणा जो बनाये, उस पर आने वाले सारे खर्च को केन्द्रीय सरकार वहन करे। जब तक ये दो बातें स्वीकार नहीं की जायेंगी, तो हरियाणा को चण्डीगढ़ के मामले पर कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं होगा। उसके अतिरिक्त यहाँ के पानी के बंटवारे का सम्बन्ध है, इस सिलसिले में ऐराडी कमिशन की नियुक्ति हुई थी, सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की स्वीकृति से, सहमति से और उसने अपना निर्णय दिया है जो कि बाइंडिग है। इन राज्यों पर, जब कि हरियाणा को, हरियाणा के हिस्से से कम पानी मिला है, 3·8 मिलियन एकड़ फीट पानी, लेकिन फिर भी हम पंजाब की समस्या के समाधान के लिये उत्सुक हैं और अब अगर इस पानी के मसले को किसी जुडिशियल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि को रेफर किया जाता है, तो एस० वाई० एल० कैनाल, जिसका थोड़ा हिस्सा अभी बनना बाकी है, जिसके माध्यम से हरियाणा को पानी आना है, वह खटाई में पड़ेगा और जो पहले ही बहुत लेट हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पानी के मसले को जिस पर पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है, इसकी सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल अथोरिटी को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इन्हीं दोनों बातों के बारे में अपने हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार और हमारी जो स्थिति है, वह स्पष्ट करनी थी।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : महोदय, मैं आल इंडिया अन्ना डी. एम. के. की तरफ से इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। समाचार-पत्रों के माध्यम से हम यह जान पा रहे हैं कि लोगों को किस तरह से मारा काटा जा रहा है। मौजूदा वर्ष में अगस्त, 1991 तक हिंसा के कारण 1799 लोग मारे गए। इनमें से 333 पुलिस कर्मी भी मारे गए। इस तरह से अनुपात 11:2 है। मारे गए 11 लोगों में से 2 पुलिस कर्मी थे। इस तरह से, मुझे आशंका है कि यदि यही स्थिति चलती रही तो लोग निश्चित रूप से इस देश की सरकार से आशा छोड़ बैठेंगे। वे आतंकवादियों का रास्ता अपना लेंगे। चुनाव 22 जून, 1991 को कराए जाने की घोषणा की गई थी। इन्हें फिर से तीन माह के लिए स्थगित

कर दिया गया। अब इन्हें पूर्व रूप से रद्द कर दिया गया है। हमें यह भी जानना चाहिए कि गृहमन्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा है। मैं उसे उद्धृत करता हूँ।

"सीमा में घुसपैठ रोकने और सीमावर्ती जिलों में आतंकवादी-विरोधी गतिविधियाँ तेज करने हेतु उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप आतंकवादी अपना कार्य क्षेत्र बदल रहे हैं।"

आतंकवादी अपना कार्यक्षेत्र बदल रहे हैं तो हम उनकी गतिविधियों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ। सरकार को ये सब चीजें रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहियें। सरकार ने इन आतंकवादियों से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदमों का विवरण दिया है। पिछले वर्ष सुरक्षा बलों द्वारा 1321 आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन पिछले पाँच से छह माह के दौरान 1433 आतंकवादी मारे गए। इससे पता चलता है कि सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

पंजाब के हालतों के कारण लोग आतंकवादियों के विरुद्ध डटने और बोलने से कतराते हैं। वहां लोग हतोत्साहित है। मैं गृह मन्त्री जी से इस ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने और वह कुछ करने का अनुरोध करता हूँ जो कि सम्भव है।

इस ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि लोगों में विश्वास की भावना पैदा की जाए। अनेक मोर्चों पर समन्वित कार्यवाही करना भी सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार का जो भी कदम उठाने का प्रस्ताव है, उन्हें कार्यान्वित भी किया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पंजाब में चुनाव कराना उपयुक्त है लेकिन यह किसी दबाव से नहीं कराए जाने चाहिए। हम लोगों को दबाव और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जैसा कि कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि हम राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए हर छह माह बाद बार-बार संकल्प पारित करने की कोशिश करते हैं। लोगों को यह सन्देह है कि क्या यह सरकार इन सभी चीजों को नियन्त्रित कर पाएगी अथवा नहीं। उनका भरोसा खत्म हो रहा है। अतः माननीय मन्त्री जी से चुनाव कराने का अनुरोध करता हूँ ताकि लोग अपनी जिंदगी जी सकें। मैं एक बार फिर से गृह मन्त्री जी से यथा शीघ्र चुनाव कराने का अनुरोध करता हूँ ताकि लोगों का सरकार में भी भरोसा हो सके।

[अनुवाद]

श्री कोडी कुन्नील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। वर्तमान स्थिति में, पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, पंजाब समस्या काफी लम्बे समय से चली आ रही है और अभी भी हम इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। समस्त अकाली नेताओं ने उग्रवादियों के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है। अतः इस राज्य में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया को बहाल करने का दायित्व कांग्रेस, वामपंथी दलों जैसे धर्म निरपेक्ष दलों पर है। लेकिन यह एक लम्बी और दुखभरी प्रक्रिया है। कुछ शुरुआत की गई थी।

लेकिन एक कारण अथवा किसी अन्य कारण से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब धर्म निरपेक्ष राजनैतिक दलों को पंजाब के लोगों के मन में आदेश मानकर आवश्यक आत्म विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। सम्भव है कि हमें इसके शीघ्र परिणाम प्राप्त न हों। लेकिन हमें प्रयास जारी रखने चाहिएं। जब प्रजातांत्रिक ताकतों की विश्व भर में विजय हो रही है, तो यह विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है कि वे पंजाब में सफल नहीं होंगे।

महोदय, पंजाब समस्या बेरोजगारी अथवा गरीबी के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा बताया गया है। यह अलगाववाद से उत्पन्न हुई है जिसे सीमा पार से प्रोत्साहन मिला है। यह प्रोत्साहन अब भी जारी है। आज के समाचार पत्र में एक विचलित कर देने वाला समाचार है। इसमें कहा गया है कि सेना के कुछ जवानों और अधिकारियों ने कुछ उग्रवादियों को सीमा पार करके पाकिस्तान जाने और फिर हथियारों के साथ वापस आने में सहायता की है। यह वास्तव में एक चिन्ताजनक स्थिति है। सरकार को इसे अत्यधिक गम्भीरता से लेना चाहिए और तुरन्त सुधारात्मक उपाय करने चाहिएं। यह घटना और हिंसा, अपहरण, हत्या आदि की अनेक अन्य घटनाएँ केवल इस बात पर बल देती हैं कि इस समय पंजाब में चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए चुनाव स्थगित करना ही एकमात्र रास्ता रह गया है। लेकिन मैं सरकार से राजनैतिक प्रक्रिया को पूर्णत: गम्भीरता से बहाल करने का अनुरोध करता हूँ। मेरे विचार से केवल उसी उपाय से पंजाब में सामान्य स्थिति आ सकती है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस रेज़ोलूशन का विरोध करने लिए खड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने देखा है कि जैसे-जैसे सरकार अपनी शक्ति दिखाने के लिए, पुलिस बल मिलिटरी बल दिखाने की चेष्टा करती है, हर जगह पर स्थिति बिगड़ती गयी है। हम लोगों ने कहा है, पंजाब क्या चाहता है। पंजाब में जिस समय गोल्डन टैम्पल में आपरेशन ब्लू-स्टार किया, उस समय कौन सी जल्दी थी। वहां के पवित्र स्थान जो थे, उन पर गोली—बारूद चला कर उन्हें खराब कर दिया। क्या सरकार के पास दूसरी बुद्धि नहीं थी? क्या एक-दो महीने घेराव करके नहीं रख सकती थी ताकि टैरोरिस्टस को पकड़ा जा सके? इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह सरकार, शक्तिमान सरकार इस देश के आदमियों को गोली-बारूद से डरा कर अपनी नीति चलाना चाहती है।

जब तक इस नीति का निराकरण नहीं होगा तो और भी खराब होगा। इसी लाईन में असम, काश्मीर और तमिलनाडू भी जा रहे हैं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए पुलिस होती है, जो असहाय है उनको बचाने के लिए न कि पुलिस का दमन लेने के लिए। राष्ट्रपति शासन का मतलब यह होता है कि प्रांत के आदमियों का निरादर करना और इसलिए प्रजातन्त्र में प्रजातन्त्र का शासन होना चाहिए।

आज 18 सितम्बर है इसलिए इलैक्शन की तारीख फिक्स हो जाए। ग्यारह नवम्बर से पहले चुनाव होने चाहियें जिससे पंजाब के लोगों को अपनी सरकार बनाने का मौका मिले। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। राजीव-लोंगोवाल समझौता आपकी सरकार ने किया है। उस एकोर्ड में सारी चीज लिखी हुई हैं। एकोर्ड सिर्फ कागजों में रखने के लिए नहीं है बल्कि यह जरूरी था कि जो काम करना है, उसको करना चाहिए। हमारे साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आयेगी या नहीं और हो सकता है देश कहीं भी चला जाए। सभी को यह समझ में आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आयेगी। आपको यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार आये या नहीं या कोई भी सरकार आए लेकिन सरकार रहनी चाहिए। हमारे राज्यों को कांग्रेस पार्टी ने इतना शासन किया है लेकिन और भी नेशनलिस्ट पार्टी हैं। यह मत सोचें कि बराबर कांग्रेस ही राज्य करेगी। कांग्रेस में इस विषय में दो भाग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतें और कुछ कहते हैं कि वहां पर करप्शन है इसलिए सरकार बने और फिर डांवाडोल हो जाए, इसको छिपाने की कोशिश मत कीजिए। इसको स्वीकार किया जाए कि गोल्डन टैम्पल में जो मिलिट्री भेजी थी, वह भूल थी। 1984 में आपने एक जाति को दोष दिया। एक व्यक्ति को न देकर आपने जाति को दोष दिया। इस भूल को स्वीकार करें। पंजाब के नेशनेलिस्ट हमसे कम नहीं है और वे भारत के लिए काम करेंगे। ग्यारह नवम्बर के लिए अभी भी समय है इसलिए इसको विदड्रा कीजिए और आज नोटिफिकेशन इश्यू कीजिए कि इलैक्शन होगा।

[अनुवाद]

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र (बाला सोर)—महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा पंजाब में 11 नम्बर से और छः माह के लिये राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैंने पंजाब पर वाद-विवाद कल भी सुना था और आज भी माननीय सदस्यों के भाषण सुनें हैं। कुछ सदस्यों ने पंजाब में चुनाव रद्द किये जाने को प्रमाणित करने के लिये चुनाव आयुक्त की आलोचना की है। उसे चुनावों के रद्द किये जाने को प्रमाणित करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग पंजाब में चुनाव करवाने में असमर्थ है। कुछ सदस्यों ने इसलिये भी आलोचना की है कि पुलिस और आतंकवादियों दोनों की ओर से ही अत्याचार हो रहे हैं।

महोदय, सदस्यों ने इस बात की आलोचना की है कि सरकार पंजाब में चुनाव कराने के लिये इच्छुक नहीं है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन ठीक नहीं रहेगा और इसमें स्थिति और बदतर होगी। अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि पंजाब में आर्थिक विकास होता है तो स्थिति सामान्य हो जायेगी।

मेरे विचार से, जहाँ तक चुनावों के रद्द किये जाने का प्रश्न है, कांग्रेस दल का इसमें कोई हाथ नहीं है। कल, माननीय विधि और संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्टतया बताया था कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव रद्द कराने में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी सदन में विपक्ष

के सदस्य कांग्रेस दल पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्हें श्रीमती इन्दिरा गांधी के बलिदान और श्री राजीव गांधी द्वारा उठायें गये कदमों की प्रशंसा करनी चाहिये। उन्हें इस बात की भी प्रशंसा करनी चाहिये कि हमारी सरकार ने 25 जून को कार्य भार संभाला था। लेकिन चुनाव आयुक्त ने चुनावों को रद्द करने की घोषणा 20 जून को कर दी थी। यह उस कहानी की तरह है जिसमें एक बूढ़ी लोमड़ी एक छोटे मेमने को मारती है क्योंकि उसकी मां पानी को गन्दा करती थी।

इसीलिये मैं सदस्यों से कुछ ठोस सुझाव देने का अनुरोध करता हूँ। हम सभी पंजाब द्वारा स्वतन्त्रता में पहले तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् देश की रक्षा में पंजाब की भूमिका की प्रशंसा करते हैं। पंजाब ने हरित क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन आज पंजाब में स्थिति अत्यधिक दुखदायी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस समय उक्त मसले को केवल दूर से ही नहीं देखते रहना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय मसला है और हमें इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस स्थिति में सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध करता हूँ। यदि हम पंजाब, जम्मू कश्मीर और असम जैसे मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते, तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते और भारत में प्रजातन्त्र बना नहीं रह सकता।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि विपक्षी दल जो एक तरह का हुल्लड़ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे उनके हित पूरे नहीं होंगे और न ही इससे पंजाब के लोगों को ही कोई फायदा होगा। मैं विभिन्न दलों के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे पंजाब समस्या का एक साथ बैठकर कोई समाधान ढूंढे। मैं यहीं कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय—दो और माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। वे हैं श्री पी० सी० थामस और श्री योगेन्द्र झा। कृपया दोनों अढ़ाई-अढ़ाई मिनट का समय लें ताकि वाद-विवाद को 2 बजे तक समाप्त किया जा सके। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तु पुझा)—उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हमारे राष्ट्र का सम्बन्ध है पंजाब एक समस्या बन गया है। लेकिन राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि पंजाब समस्या के समाधान और भारत की एकता की रक्षा के लिये अधिकतम किया जाये।

इसलिये अनेक कदम उठायें गये हैं। मुझे याद है कि जब पिछले वर्ष श्री वी० पी० सिंह की सरकार आई थी तो लोक सभा का प्रथम सत्र प्रारम्भ होने से पहले दिनांक 18-12-89 को सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ था। काफी कुछ कहा गया था। काफी विचार रखे गये थे। लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी करने में असक्षम थी। मुझे यह भी याद है कि माननीय श्री वी० पी० सिंह ने यह भी घोषणा की थी कि वह समस्त पंजाब से एक पद यात्रा भी करेंगे। वह घोषणा पूरी नहीं की गई। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि विभिन्न अवसरों पर सत्ता में रहने वाले नेताओं द्वारा अनेक घोषणायें की जाती हैं, लेकिन वे घोषणाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं और इस सम्बन्ध में किसी भी सरकार द्वारा जो सत्ता में रही

कुछ भी अधिक नहीं किया गया। अब हमें चाहिये कि हम एक साथ मिलकर बैठें और यह देखें कि क्या किया जा सकता है।

वे समस्यायें जिन पर यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है, मुख्यतया चण्डीगढ़, नदी जल विवाद, 1984 के दंगे और राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने से सम्बन्धित थीं।

मैं इन मुद्दों पर नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ये मुद्दे पंजाब राज्य के सम्बन्ध में आधारभूत हैं। इन मुद्दों में से, अनेक मुद्दे अन्य राज्यों के लिये भी आधारभूत हैं। उदाहरण के लिये, राज्यों के लिये अधिक शक्तियाँ। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न केवल राज्य बल्कि हम सभी विभिन्न अवसरों पर बोलते रहे हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिये अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, आज भी हम राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं।

मैं यह कहना चाहूँगा कि अब उचित समय है जब कि हमें ऐसे आधारभूत पहलुओं पर विचार करना होगा जो न केवल पंजाब से ही सम्बन्धित हैं बल्कि सभी राज्यों से सम्बन्धित हैं।

पंजाब के सम्बन्ध में, मैं केवल यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह ऐसा समय है जब हम सभी को एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिये। पिछली सरकार ने भी कदम उठाये थे, लेकिन वे इस सम्बन्ध में कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे। क्योंकि स्वयं उनके समर्थक दलों के द्वारा ही आतंक उत्पन्न किया जा रहा था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे वास्तव में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थे। लेकिन सरकार के पास ऐसी आधारभूत समस्याओं पर विचार करने के लिये कोई समय ही नहीं था।

अतः, हमें पंजाब के बारे में सोचने के लिये समय निकालना चाहिये। हमें पंजाब की समस्याओं पर कुछ करने हेतु भी समय निकलना चाहिये। इसलिये, मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकल्प कोई नुकसानदायक नहीं है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि भारत सरकार इस बाबत पूरी गम्भीरता से अब कोई गम्भीर कदम उठाने के लिये सामने आई है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री जी उत्तर देते समय पंजाब के सम्बन्ध में जो निश्चित कदम वे उठाना चाहते हैं उनके बारे में बतायेंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी)—उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान की धारा 356 एक अपवाद स्वरूप रखी गयी है। वह हमारे संविधान की मुख्य धारा नहीं है। उस धारा की खास हालत में और असाधारण परिस्थिति पैदा होने पर ही उपयोग की गुंजाइश रखी गयी हैं। अभी हम से कहा जा रहा है कि 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति शासन के लिये जो उद्घोषणा हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिये फिर सम्पुष्टि करें।

कब से ? आज से नहीं, अभी से नहीं, 11 नवम्बर से दो महीने पहले ही हम अपने

दिमाग में सोचें और यह संसद यह निर्णय दे दे कि अगले आठ महीने तक यहाँ की हालत असाधारण बनी रहेगी। यह हमसे कहा जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, अपवाद को नियम बना देना—एक, दो, तीन, चार बार से लेकर आठवीं बार तक राष्ट्रपति शासन को वहाँ बढ़ाया गया है और अब नवीं बार के लिये कहा जा रहा है। एक तरह से बहुत गहरी चोट यह हमारे संविधान पर की जा रही है और संसद से इसकी स्वीकृति तब माँगी जा रही है जबकि चुनाव कराना अभी भी सम्भव है। क्या अभी भी सरकार यह हिम्मत करेगी कि अभी तुरन्त चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो और 5 अक्टूबर तक चुनाव आयोग अगर चाहे तो अधिसूचना जारी कर सकता है और 11 नवम्बर से पहले चुनाव भी सम्पन्न हो सकते हैं। हम चाहेंगे कि संसद के माथे पर इतना बड़ा बोझा लगातार संविधान के हनन करने का न लगने दिया जाये और दुर्भाग्य से वह बोझा कहाँ दिया जा रहा है—पंजाब के ऊपर कि जिसने रोलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले बिगुल फूंका था और अपनी शहादत से अपना शोणित देकर जलियांवाला बाग से फूंका था और आज जनतान्त्रिक अधिकार का हनन करके नवीं बार हमसे उसकी संपुष्टि करने को कहा जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, इस संसद के माथे पर इतने बड़े कलंक का बोझ न लगाया जाए और मैं इस संसद से भी आग्रह करूंगा कि इसकी स्वीकृति न दी जाये और सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यह सरकार आगे के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जैसा हमारे मित्रों ने कहा है और मैं भी पिछली बार कह चुका हूँ।

पहली बात यह कि अभी भी चुनाव की तिथि की घोषणा की जाये, वह तो चुनाव आयोग करेगा, मगर यह सरकार अपनी मंशा का, अपने निर्णय का ऐलान कर दे। दूसरा, जो पंजाब की स्थिति है, राष्ट्रपति शासन में मूल जो कदम हैं उनको उठाने में सरकार विफल रही है। अभी भी भूमि सुधार के काम बंगाल में हो सकते हैं, केरल में हो सकते हैं लेकिन पंजाब में क्यों नही हो सकते हैं? अभी भी आप राष्ट्रपति शासन में इस काम को नहीं करेंगे, वहाँ भी गरीब हैं, जिनकी जमीन छीनी जा रही है। वहाँ भी विभिन्न तबके के गरीब हैं। पंजाब ही एक राज्य है सारे भारत में जहाँ गरीब की जमीन अमीर जोतते हैं, बाकी देश में अमीर की जमीन गरीब जोतते हैं। वे ठेके पर जमीन लेकर हजारों एकड़ के मालिक बने बैठे हुये हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा आलू का राजा, कोई आलू का राजा है और कोई दूसरी चीज का राजा है। यह इसलिये कि आप गरीबों को राहत दें, अनुदान दें, ट्रैक्टर दें ताकि वे फायदे की खेती कर सकें और हमारे जनतन्त्र का आधार भो वही लोग बनेंगे। अभी भी मैं चाहता हूँ कि गृह मन्त्री इस सदन को कहें कि जहाँ भूमि सुधार कानून का उल्लंघन हो रहा है, उसको भी लागू करने का प्रयास करेंगे, वैसे ही मैं जो बार-बार कहता रहा हूँ कि सभी उपद्रव करने वाले खालिस्तानी नहीं हैं, एक बड़ा हिस्सा उनमें तस्करों का है, क्रिमिनल्स का है। यह फर्क करने की क्षमता आप में नहीं है, गुप्तचर को ठीक करने की क्षमता आप में नहीं है। यह फौजी युद्ध नहीं है। इस फौज से शान्ति न असम में हो सकती है। न कश्मीर में हो सकती है और न ही पंजाब में हो सकती है। यह काम गुप्तचर का है और राजनीतिक तौर पर राजनीति का है। राजनीति के लिये हमारे मित्रों ने कहा है, हमारे साथी इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि चण्डीगढ़ के

मामले में हरियाणा का ऐतराज स्वाभाविक है। हरियाणा को दूसरा चण्डीगढ़ निर्माण करने के लिये दें, वह आप कर सकते हैं। दूसरे समझौते में पानी के लिये तो ठीक है कि आप उसके लिये कोई संयन्त्र बना दें ताकि वहां पानी ठीक पहुंच सके। इसी तरह फाजिल्का और अबोहर का मामला भी उलझा हुआ है, उसको भी आप देखें। लेकिन चण्डीगढ़ में वैसी कोई उलझन नहीं है। क्या आप उसका निर्णय करने की हालत में है। इससे अधिक, उपाध्यक्ष जी, कुछ आपके हाथ में है, पंजाब में जो लोग राष्ट्रीय एकता के लिये अड़े हुये हैं, उन्हें हथियार बन्द करने के लिये, उन्हें संगठित करने के लिये और राजनैतिक तौर पर पंजाब की समस्या के हल के लिये परामर्शदात्री समितियों का गठन, जिला स्तर पर और अंचलों के स्तर पर, सर्वदलीय परामर्शदात्री समितियों के गठन, ताकि उनमें वहां की जनता का, जनता के प्रतिनिधियों का शामिल होना सुनिश्चित हो, यह कदम तुरन्त उठाया जाये।

हमारे गृह मन्त्री जी ने जो भाषण यहां दिया, उसमें ऐसा कोई नक्शा नहीं है कि कैसे अगले महीनों में पंजाब में साधारण स्थिति लाने में आप सफल हो सकेंगे, इस तरह हमारे संविधान का हनन होता जा रहा है और सचमुच इसके पक्ष में वोट देने में शर्म आने की बात हम लोगों को लगती है क्योंकि लगातार संविधान में दिये अधिकारों का हनन हम करते जा रहे हैं और उस पर वोट देने के लिये तैयार होते हैं। इसलिये मेरा आग्रह होगा कि सरकार आगे के कदमों का कुछ ऐलान करे और जिस स्थिति में यह विधेयक यहां रखा गया है, सिवाय विरोध करने के, दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। हमें इसका विरोध करना है, अपने संविधान की आत्मा की रक्षा के लिये, जनतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा के लिये। यही कह कर मैं बैठता हूं।

[अनुवाद]

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने तथा पंजाब में चुनाव कराने के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूँ।

पंजाब में चुनाव संसदीय चुनावों के साथ कराये जाने थे परन्तु वे अनौपचारिक ढंग से स्थगित कर दिए गये। मेरे विचार से हम लोगों ने पंजाब के सम्बन्ध में यह सबसे भारी भूल की थी।

महोदय, वास्तव में यह बड़े ही दुःख की बात है कि जब कभी हम पंजाब या कश्मीर के बारे में विचार-विमर्श करते हैं तो हमें उनकें प्रतिनिधि यहां नहीं मिलते हैं। वास्तव में पंजाब के बारे में तथा वहाँ के लोगों के बारे में कहने के लिए पंजाब के लोग ही सही प्रतिनिधि हो सकते हैं। परन्तु कुछ बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आज हम लोग किसी कारणों से इन दोनों राज्यों में वह स्थिति नहीं ला सके है।

हम लोग आज भी देख रहे हैं कि इनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। हम वहाँ पर लोक-प्रिय सरकार स्थापित नहीं कर सके हैं।

जैसे-जैसे हम लोग मामले में देरी कर रहे हैं। वैसे-वैसे इन सम्बन्धित राज्यों में धीरे-धीरे स्थिति बदलती जा रही है। उदाहरण के तौर पर पिछले चुनावों में अकाली चुनावों में भाग लेना चाहते थे परन्तु अब वे किसी न किसी प्रकार से चुनावों में भाग लेना नहीं चाहते है। हमें पता है कि यदि वे लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो फिर वहां चुनाव कराने वास्तव में निरर्थक रहेंगे।

दूसरी ओर हम लोग सरकार पर जल्दी चुनाव कराने के लिए जोर डाल रहे हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि यदि हम लोगों ने वहां चुनाव रद्द कराने का निर्णय कर लिया है तथा यदि हम लोग यह महसूस करते हैं कि वहां पर अनुकूल माहौल लाने के लिए सरकार को समय दिया जाना चाहिए तो फिर हमें ऐसा करने के लिए सरकार को यथोचित समय देना होगा। ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि मात्र चुनाव कराने से ही पंजाब की समस्या हल हो जायेगी।

मैं, कई माननीय सदस्यों के भाषणों से यह समझ सकता हूँ कि चुनाव कराने से वहाँ कुछ नया परिवर्तन आयेगा, परन्तु ऐसी बात नहीं है। कई सम्बन्धित मामले हैं और इन मुद्दों पर कई वक्ताओं ने बोला भी है। मेरे विचार से इन सम्बन्धित मामलों पर पहले विचार किया जाना चाहिए। सरकार को समुचित समय दिया जाना चाहिए ताकि वह न केवल राष्ट्रीय पार्टी से बातचीत कर सकें, बल्कि मेरे विचार से राज्य के लोग और राज्य के राजनैतिक दलों के वे प्रतिनिधि ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो इन परिस्थितियों से निकट से सम्बन्धित हैं। यदि हम उनसे सही तरीके से पेश आएं तथा उन्हें राज्य में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया लाने के लिए प्रेरित करें, तो वे लोग चुनाव में स्वाभाविक रूप से भाग लेंगे। परन्तु ऐसा करने के लिए कुछ समय लगेगा जिसका यह मतलब नहीं है कि वहां प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया लाने में अनावश्यक विलम्ब करना चाहिए। इसका यह भी मतलब नहीं है कि सरकार असीमित समय ले ले। परन्तु मैं पूर्णतया यह अनुभव करता हूँ कि सरकार को समुचित समय दिया जाना चाहिए।

मैं कई और मुद्दों पर बोलना चाहता था परन्तु समय कि कमी के कारण मैं इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि सारे मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए तथा चुनाव उचित समय पर करवाये जाने चाहियें।

राव रामसिंह (महेन्द्रगढ़) : मैं उपसभापति महोदय का मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। विपक्ष के माननीय सदस्य एक ही बात का राग अलापते रहे हैं कि पंजाब में प्रजातन्त्रात्मक प्रक्रिया लाने के लिए चुनाव कराए जाने चाहियें। परन्तु किन लोगों के लाभ के लिए प्रजातन्त्र लाया जाए? मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्रीय प्रक्रिया वहां के लोगों के फायदे के लिए है परन्तु यदि वहां के लोग मक्खियों की तरह मारे जा रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि यह समय अभी इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए उचित नहीं है। जिसके पेट में दर्द उठता है उसे ही दर्द का अनुमान होता है। पंजाब के निर्दोष लोगों को पता है कि यदि पंजाब में चुनाव कराए गए

तो किस प्रकार की स्थिति वहां पर पैदा होगी। साधारणतया आजकल यदि एक शान्तिपूर्ण राज्य में भी चुनाव कराए जाते हैं तो वहां का वातावरण भी गर्म हो जाता है और फिर जिस स्थान पर पहले से ही वातावरण गर्म हो तो वहां पर यदि चुनाव कराए जाते हैं तो फिर वहां पर तो उपद्रव उठ खड़ा होगा।

और फिर विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि उन लोगों ने वार्ता शुरू की है, परन्तु अब बात यह है कि कौन सी सरकार वार्ता शुरू करे। किसी को भी पता नहीं है कि कौन वहां के सही प्रतिनिधि हैं। शायद यही मुद्दा विपक्ष के पक्ष में हो जोकि वे कहते आ रहे हैं कि आप वहां चुनाव कराइए ताकि हमें पता चल सके कि वे कौन लोग हैं जिनसे हमें वार्ता करनी है।

रिकार्ड सही रखने के लिए मैं एक और मुद्दे पर कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री भोगेन्द्र झा ने कहा है कि चण्डीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए। अब यदि वहां चुनाव कराने के लिए तथा किन्हीं लोगों की भावनाओं को शान्त कराने के लिए यदि चण्डीगढ़ को पंजाब को सौंप कर हरियाणा को नुकसान पहुँचाया जाता है तो मेरे विचार में यह उचित काम नहीं है। कई आयोगों तथा इन्द्रा गांधी पंचाट ने यह स्वीकार किया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जायेगा परन्तु उसके बदले में अबोहर हरियाणा को मिल जायेगा। ऐसा निर्णय कई बार लिया गया है। परन्तु एक पक्षीय निर्णय हरियाणा के विरुद्ध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दूसरी बात जो इन्द्रजीत गुप्त जी ने कही है वह यह है कि सतलुज ब्यास जल-विवाद को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाना चाहिए। फिर, इस विषय पर कई निर्णय मौजूद हैं। नहर को खोदा जाना है परन्तु उसे जबरदस्ती रोक दिया गया है। यदि हम लोग यहां सभा में विचार करके सतलज ब्यास जल-विवाद को एक बार फिर सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय को सौंप देते हैं, तो फिर और दो साल लग जायेंगे।

हरियाणा ने पानी वितरण के लिए नहर के निर्माण के आधारभूत ढांचे पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। उस छोटी सी दस किलोमीटर की सम्पर्क नहर की खुदाई न होने के कारण हमें लाखों टन खाद्यान्नों के उत्पादन का नुकसान हो रहा है। अत:, मैं सुझाव देता हूँ कि इस विषय पर रिकार्ड सीधे ही रखे जाएं।

सतलुज-ब्यास जल-विवाद को इस समय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं है जबकि सभी निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं।

श्री बल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़)—उप-सभापति महोदय, मुझे इस संकल्प पर कुछ कहने के लिये जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस सांविधिक संकल्प का जो कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाने के लिये लाया गया है का समर्थन करता हूँ। स्वीकार्य रूप से पंजाब एक राष्ट्रीय समस्या

है, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट है। पंजाब के साथ-साथ जम्मू और काश्मीर भी एक राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु मुझे खुशी है कि इसके राष्ट्रीय समस्या होने के नाते यह सरकार कार्य भार संभालाने के बाद से ही राष्ट्रीय पार्टियों से मिलकर कोई ऐसा फार्मूला तैयार करने का प्रयास कर रही है ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके। इससे पहले भी, जब राजीव गांधी जी प्रधानमन्त्री थे, तो उन्होंने भी कुछ ईमानदारीपूर्ण प्रयत्न किये थे। उन्होंने राजीव लोंगोवाल के नाम से जाना जाने वाला समझौता किया था। परन्तु वह भी इस समस्या का पूर्णरूपेण समाधान नहीं निकाल सके। दूसरी तरफ, जब वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री बने तो वे भी सद्-भावना स्वरूप स्वर्ण मन्दिर गये थे। शुरू में तो थोड़ा बहुत जोश था परन्तु बाद में वहाँ की स्थिति बिगड़ गई। वी० पी० सिंह सरकार को वामपंथी तथा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसको राजनैतिक रूप नहीं दिया जाये। वहाँ की बिगड़ती हुई स्थिति के लिये इस सरकार को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे लोग इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं और अब यह सरकार भी कोशिश कर रही है। यह एक राष्ट्रीय समस्या हैं और इस पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिये। इस सरकार तथा कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं है।

महोदय, ऐसे संकल्प का समर्थन करने में कोई खुशी नहीं है। हम पंजाब में अनिश्चित काल के लिये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ चुनाव यथा शीघ्र करवायें जायें। परन्तु, इसके साथ-साथ जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि चुनाव कराने का मकसद पूरा होना चाहिये। चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष होने चाहिये। क्या कोई कह सकता है कि यदि चुनाव जून में या अब सितम्बर के महीने में कराये जाते हैं तो वे स्वतन्त्र और निष्पक्ष होते ? वहाँ बिना रोक-टोक के केवल लोगों की हत्याएँ ही होती हैं। परन्तु एक तारीख तय करनी चाहिये। जैसा कि लगता है सरकार चुनाव कराने के लिये कृत संकल्प है और जल्दी ही चुनाव कराने के लिये तारीख निश्चित करने वाली है। परन्तु इसके साथ-साथ सही माहौल भी बनाना है। वह बहुत ही आवश्यक है। आम लोगों तथा राष्ट्रवादी ताकतों से मुसीबत पैदा करने वालों को, आतंकवादियों तथा अपराधी लोगों को अलग करने के लिये माहौल कैसे बनाया जा सकता है ? मैं जानता हूँ कि आज जनता इस पृथकतावादी आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रही है। वे उनके साथ नहीं है, परन्तु वहाँ पर आतंक का राज्य छाया हुआ है। सभी राजनैतिक दल एक जुट होकर चलें। वहाँ सम्मेलन तथा आम सभायें आयोजित करें, जिसके यह दूरगामी परिणाम निकलेंगे कि जनता भी निर्भीक बनेगी तथा इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिये घरों से बाहर निकल आएगी। राजीव लोंगोवाल समझौते को उसी भावना के साथ क्रियान्वित किया जाये तथा साथ ही साथ इसका भी ध्यान रहे कि सभी राजनैतिक दलों का व्यवहार, गतिविधियाँ तथा आचरण ऐसा रहे कि पंजाब की स्थिति और अधिक न बिगड़े।

2·00 म० प०

राज्यों के लिये अधिक शक्ति प्रदान किये जाने के नाम पर और अधिक स्वायत्तता दिये जाने के बहाने क्या उन्हें सभा के अन्दर यह कहने और चर्चा करने की अनुमति दी जाएगी कि केन्द्र के पास केवल रक्षा और धन सम्बन्धी मामले रखे जायें और बाकी के सब राज्यों के पास होने चाहियें ? क्या इससे संकेत नहीं मिलेगा ? क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्साहित नहीं करेगा ।**

मैं सभी नेताओं, विशेष रूप से विपक्षी नेताओं से यह अपील करना चाहूँगा कि उस नेता को, मुख्यमन्त्री को, इस संकटकालीन घड़ी में इस प्रकार का वक्तव्य देने से दूर रखने का उत्तरदायित्व उनका है विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब वह अपने आप को जनता दल के प्रमुख संकट प्रबन्धक की उपाधि से विभूषित कर रहे हों ? वह इस प्रकार की बातें किस लिये कह रहे हैं ? वह सब जो रूस में घटित हो रहा है । क्या यह संकेत नहीं भेज रहा और क्या यह भारत और अन्य स्थानों पर भी पार्थक्यवादी आन्दोलन को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है ?

(व्यवधान)

इसलिये, हम सब संगठित हों और हम सब एकत्रित और संगठित होकर निष्कपटता से विचार-विमर्श करके एक फार्मूला ढूंढ निकालें और इसे क्रियान्वियत भी करें । अन्यथा, चुनाव कराने का कोई लाभ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक)—महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही—हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—श्री पाणिग्राही जी, इस सभा में सामान्यतः जो प्रक्रिया लागू होती है, वह यह कि जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो इसे स्वीकार करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है और व्यवस्था के प्रश्न के बारे में जो भी माननीय सदस्य कहना चाहते हैं उसे सुनना सदन का कर्त्तव्य है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना—महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि एक राज्य का मुख्यमन्त्री प्रोत्साहन दे रहा है ।* क्या यह रिकार्ड में जायेगा ?

**अध्यक्ष पीठ के आदेश पर कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय—वह भाग हम हटा देंगे। हम उस भाग को निकाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही—मैंने कुछ अशिष्ट नहीं कहा है। यहां बहुत सी बातें बोली जाती हैं। मैं कोई भी अशिष्ट अथवा आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा हूँ। यह एक वास्तविकता है। क्या यह वास्तविकता नहीं है? क्या जो कुछ घटित हो रहा है उसका आपको पता नहीं है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—कृपया मुझे क्षमा करें। श्री पाणिग्राही जी, बात यह थी कि मैंने कभी भी आपको निराश करने की चेष्टा नहीं की। अन्तिम वक्ता श्री भोगेन्द्र झा थे। सिर्फ इसी कारण से कि आप एक माननीय सदस्य हैं और आपने अपना हाथ उठाया था, मैंने आपकी अनदेखी करने की कभी भी चेष्टा नहीं की और मैं समझता था कि आप केवल ढाई मिनट तक ही बोलेंगे। आपको साढ़े पांच मिनट से भी ऊपर समय हो गया है। यह अच्छी बात नहीं है। विषयान्तर न करें। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही—महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। यह एक अत्यधिक गम्भीर समस्या है, और इसीलिये इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिये और कांग्रेस पार्टी एवम् सरकार को दोष नहीं देना चाहिये। हम सभी को संगठित होकर प्रयास करने चाहियें और इस समस्या को हल करने हेतु फार्मूले का पता लगाने हेतु प्रयत्न करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय—आपने एक मूल्यवान योगदान दिया है। धन्यवाद! अब माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण)—महोदय, मुझे सभी माननीय सदस्यों विशेष रूप से हमारे गहन मित्रों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिये। उन्होंने पंजाब में प्रजातान्त्रिक ढांचे की बहाली में बड़ी रूचि दिखाई है। उन्होंने पंजाब में सामान्य स्थिति देखने में रूचि दिखाई है और इसके पश्चात् वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिये सरकार कोई बहाना न बनाये इसके लिये उन्होंने जो आलोचना की है उससे मैं अवगत हूँ। यह बात सभी को ठीक प्रकार से ज्ञात है। वास्तव में सरकार भी प्रजातान्त्रिक ढांचे की बहाली हेतु उतनी ही गम्भीर है ताकि हम लोगों के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत कर सकें। हम जो नीति अपनाने जा रहे हैं वह यह है। परकीयता की एक ऐसी भावना है जो हमें पंजाबियों में अथवा पंजाब क्षेत्र के विशिष्ट वर्गों में पाई जाती है जो यह सोचते हैं कि हमें अभी तक देश का भाग और अंश नहीं माना जा रहा है, हमाये साथ थोड़ा अलग ढंग का व्यवहार किया जाता है, ऐसा लगता है कि सरकार की लोगों के कुछ वर्गों के लिये, कुछ अलग प्रकार की भावनाएँ हैं। मैं उन सभी को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि उनकी देश भक्ति के बारे में, देश की अखण्डता के समर्थन में उनकी रूचि के बारे में, कुछ लोगों को छोड़कर जो अन्य तत्वों और इच्छित वर्गों द्वारा धर्म प्रचार के कारण पथ-भ्रष्ट हो गये हैं, हमारे मन में कोई संशय नहीं है। उन लोगों को छोड़कर, मैं नहीं

समझता कि पंजाब में अधिकतर लोगों के मन में कोई अलगाववादी बात है, और यही कारण है कि इस तथ्य के बावजूद जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है जो मुझे राज्यपाल ने बताया है, वह तथ्य सही है, वहाँ आतंकवाद के बावजूद, जो कि मेरा विश्वास है कि आजकल बढ़ता जा रहा है, हम चुनाव अवश्य करवायेंगे। कम से कम मेरे मन में तो कोई संशय नहीं है कि कुछ अलगाववादी ताकतें दोबारा चुनाव स्थगित कराने के लिये दबाव डाल रही हैं, किन्तु मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि वे जो भी करें, हमने जो वचन यहाँ दिया था उस पर दृढ़ हैं और किसी भी माननीय सदस्य के मन में यह संशय नहीं होना चाहिये कि हम इस प्रकार के दबाव से झुक जायेंगे। हम भी समान रूप से चाहते हैं कि पंजाब में कुछ लोगों के दिल में जो अविश्वास पैदा हो गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिये और ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव के सुझाव को स्वीकार करता हूँ कि हमें स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु उचित वातावरण तैयार करने के लिये लोगों से बातचीत करनी चाहिये। अकालियों के चुनाव में भाग लिये बिना मैं नहीं समझता कि पंजाब में चुनाव हो सकेंगे। लेकिन अन्ततः मुझे इसका पता नहीं है। मेरा विचार है कि पंजाब में चुनावों में भाग लेने में अकालियों समेत सभी दलों की रूचि है, और इसलिये यह देखना हमारा उत्तरदायित्व होगा कि हम वहाँ शान्तिपूर्वक वातावरण तैयार करें एवम् यह देखें कि वहाँ हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया जाये और सही वातावरण में चुनाव करवाने के लिये वातावरण तैयार किया जाना चाहिये।

महोदय, प्रायः सभी वक्ताओं द्वारा विशेषकर विपक्षी बेंचों से एक प्रश्न उठाया गया था जिसमें एक बात पर विशेष बल दिया गया था एवम् माननीय सदस्यों में से एक ने सरकार की नेक नीति पर यह कह कर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि कल 6 बजे एक प्रस्ताव लाया गया था कि यह सरकार अल्पमत सरकार होने के कारण विश्वस्त नहीं थी कि उन्हें समर्थन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। मेरा विचार है कि यह आरोप जो वे सरकार के विरुद्ध सम्भवतः लगा सकते हैं वह सर्वाधिक आरोपकारी है। मैं तो कम से कम यही कह सकता हूँ। मेरे विचार से इस प्रकार की कोई भी बात हमारे मन में नहीं थी, अन्यथा इस मुद्दे पर लगभग तीन बजे अथवा 2·30 बजे अपराह्न में सभी विपक्षी नेताओं से विचार-विमर्श नहीं करते। यदि ऐसा हमारा विचार होता तो हम इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं से कदापि विचार-विमर्श नहीं करते। हमारी परेशानी यह है कि निरस्तीकरण विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी शेष थी, इसी में कुछ समय लग गया और वास्तव में यही कारण है कि मैं इस सदन में 5-15 अपराह्न तक इन्तजार कर रहा था किन्तु सूचना वास्तव में देर से दी गयी और इसी कारण से इसमें विलम्ब हुआ। सरकार के मन में ऐसा विचार कदापि नहीं था कि कुछ सदस्य बाहर चले जायें और इसके बाद हम इसे पारित करवा लें। सरकार की ऐसी मनोवृत्ति कतई नहीं थी।

महोदय, एक प्रश्न जो अधिकतर सदस्यों द्वारा उठाया गया था, वह मुख्य चुनाव

आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के बारे में था। मैं नहीं समझता कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त का पक्ष लूं। अन्त में, मुझे यह प्रश्न स्पष्ट तो करना ही होगा, किन्तु एक अथवा दो सदस्यों ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर दबाव डाला था। मुझे यह बात रिकार्ड में लानी ही चाहिये कि हमने इस मामले में कुछ भी नहीं किया यह विशुद्ध रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय था और तत्कालीन सरकार को इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)—आप यह बात कैसे कह सकते हैं ?

श्री एस० बी० चह्वाण—आपने यह जो कहा है उसका आधार क्या है ?

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान—आप दूसरे दिन आने वाले थे, इसलिये उस दिन रात को हो गया।

श्री एस० बी० चह्वाण—दूसरे दिन सरकार बन रही थी, इसीलिये पहले दिन निर्णय लिया।

[अनुवाद]

मानव संसाधन मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)—महोदय, माननीय गृहमन्त्री जी की अनुमति से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, लोग आम भ्रान्ति फैलाते हैं जिसका मतलब है, इसके बाद, इसलिये इसी कारण से है। इस भ्रान्ति को प्रायः न दोहरायें।

श्री एस० बी चह्वाण—मैं यह बात अपने पूरे निश्चय के साथ कहना चाहूँगा कि इस वक्तव्य में कुछ भी सच्चाई नहीं है। कृपया उसी प्रकार का दोषारोपण बार-बार करने का प्रयत्न न करें। जब सभा में सभी बातें स्पष्ट कर दी तो भी अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने प्रश्न के इस पहलू पर अधिक जोर दिया कि पंजाब के बारे में नीति में सरकार के मन में कांग्रेस पार्टी के हित सर्वोपरि दिखाई दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी राजनीतिक पार्टियां हैं और मैं नहीं सोचता कि आप भी राजनीतिक विचार की अपेक्षा किसी अन्य विचार से प्रेरित हैं। इसलिये कृपया हमें यह पढ़ाने का प्रयास न करें कि हम ही राजनीति से प्रेरित हैं जबकि आप अन्य किसी बात से न होकर केवल राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि राष्ट्रीय हितों को तो महत्व और प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिये। यदि आप यह कहते हैं कि कोई आप लोग ही राष्ट्रीय हित के परिपेक्ष्य में सोचते हैं और कांग्रेस पार्टी केवल अपने हितों के बारे में सोच रही है, तो मेरे विचार से, आप इस बारे में पूर्णतः गलती पर हैं क्योंकि इस राष्ट्र का इतिहास यह बात स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे मन में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे हैं और हमने संकीर्ण हितों अथवा पार्टी हितों की बात अभी भी नहीं सोची है। इस हालत में भी, मुझे यह कहना ही होगा कि पंजाब में जो भी दल सत्ता में आए, वास्तव में, हमें इस बात से कोई

परेशानी ही नहीं है। जिस बात की हमें चिन्ता है वह यह है कि हम पंजाब में एक प्रजातान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार चाहते हैं जो लोगों के साथ सम्पर्क बना पाने में सक्षम हो।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति शासन में, लोगों के साथ हमारा संपर्क अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसी कारण यह एक अप्रत्यक्ष नियन्त्रण है। मैं शक्तियों के दुरुपयोग की बात से इन्कार नहीं कर सकता। जो कुछ उदाहरण यहां दिए गए उन पर हमने ध्यान दिया है। मैं उन सभी पक्षों की जांच अवश्य करूंगा परन्तु मैं राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ लोगों द्वारा उन्हें मिली शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं करता। इसलिए मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें ऐसी स्थितियां पैदा करनी होंगी जिससे लोगों की शिकायतों की ओर समुचित ध्यान दिया जा सके। हमारे पास समितियां है किन्तु दुर्भाग्यवश ये समितियां सक्रिय नहीं रही हैं। जिला और राज्य स्तर पर हमारे पास ऐसी शिकायत निवारण समितियां है। हम देखेंगे कि कम से कम चुनावों से पहले इन समितियों को सक्रिय बनाया जायेगा और लोगों की जो शिकायतें हैं। ये उन्हें समझने में समर्थ होनी चाहिए।

महोदय, उन उम्मीदवारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में बात उठी थी, जिन्होंने नामजदगी पत्र भरे हैं। उन्हें हम अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगे और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : आपका आर्डर मानता कौन है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : नहीं इशु करेंगे, अगर आपकी यह इच्छा होगी। आर्डर नहीं माने जाते हैं, इसलिए न इशु करो, अगर आपका कहना है, तो हम नहीं इशु करेंगे। आर्डर इशु करने के बाद हम देखेंगे कि इम्पलीमेंट किया जाएगा या नहीं। यह भी चीज हम जरूर देखेंगे। अगर आपकी इच्छा न हो तो हम उसके लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

यहां पर मैं दो सवालों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। उनमें से एक सवाल राजीव-लोंगोवाल समझौते का है। माननीय सदस्यों में से कुछ ने आशंका व्यक्त की थी। हम राजीव-लोंगोवाल समझौते के प्रति वचनबद्ध हैं और हम इस पर आगे कार्यवाही करेंगे, और केवल घोषणा करने से ही यह सब नहीं होगा, इसके लिए हम पंजाब तथा हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि हम कोई ऐसा सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ निकालने में सक्षम हैं जिससे दोनों दलों को संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो विवादास्पद बन गये हैं।

श्री बूटासिंह (जालौर) : राजस्थान भी है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं भूल गया था कि आप अब पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं

करते। राजस्थान के पानी का हिस्सा भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना है। किन्तु ये मसले ऐसे हैं जो काफी विवादास्पद हैं। हमें इन सभी संबद्ध दलों को बातचीत करने के लिए बुलाना होगा, उनके साथ इन मसलों पर विचार करना होगा और इनका हल ढूंढने की कोशिश करनी होगी। यदि हम वहां सफल नहीं होते और अगर यह आवश्यक हो तो आप इसे सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में भेजें लेकिन तभी अगर यह पूर्णतया आवश्यक हो। इस अवस्था में तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि वहां प्रतिनिधि सरकार नहीं बन जाती और हम उससे बातचीत नहीं कर लेते और उसके पश्चात् यदि हम समझेंगे कि समस्या का निराकरण लगभग असम्भव हो गया है, तो तब उसके बाद जो कुछ भी आवश्यक होगा उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

सरकारिया आयोग के सम्बन्ध में पंजाब में कुछ दलों द्वारा की गई मांग और सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही किए जाने के बारे में माननीय श्री सैफुद्दीन चौधरी ने एक प्रश्न किया था। मैं उनसे सहमत हूं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कुछ समय पहले प्राप्त हुई थी और उस पर विचार करने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद उपसमिति नियुक्त कर दी गई थी। इस उपसमिति की पहली बैठक इस माह की 26 तारीख को होने वाली है जिसमें 6 अथवा 7 मुख्य-मन्त्री भाग लेने वाले हैं। संभवत: 3 या 4 बैठकों में हम अपना कार्य पूरा करने में सफल हो जायेंगे और सरकारिया आयोग की सिफारिशों को अंतिम कार्यवाही हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

पंजाब में हम किस तरह का वातावरण लाना चाहेंगे, यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा था। उस सवाल को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इस बात पर मैं पुन: जोर देना चाहूंगा कि आतंकवादी तथा उग्रवादी चाहे जो करें, हम पंजाब में चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध है और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा विचार 15 फरवरी, 1992 के पूर्व पंजाब में चुनाव कराने का है। इस तारीख तक चुनाव अवश्य कराए जायेंगे। मुझे दुख है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सरकार की इस तारीख पर दृढ़ रहने की समर्थता पर आशंका व्यक्त की है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस पर हम काफी दृढ़ हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यदि पंजाब में स्थिति अनुकूल हुई और सम्भव हुआ तो 15 फरवरी, 1992 से पहले भी वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से अटल रहेंगे।

मैं सभा से यह संकल्प स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1991 से और छ: महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे 'हां' में जवाब देंगे।

कई माननीय सदस्य : 'हां'

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे नहीं में जवाब देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभी इसके पक्ष में है।

कुछ माननीय सदस्य : सभी विपक्ष में है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या मतदान कराना चाहते हैं ?

दीर्घाएं खाली कर दी जायें—

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1991 से और छ: महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 5 **समय 2·28 म० प०**

पक्ष में

अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज श्री ए०
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्बे, श्री लाईता
एन्थनी, श्री फ्रेंक
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो० एम०

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खां, श्री अयूब
खां, श्री असलम शेर
गजपति, श्री गोपीनाथ
गहलोत, श्री अशोक
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गिरि, श्री सुधीर
गोगोई, श्री तरुण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवनसिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चालिहा, श्री किरिप
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्री रामप्रकाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जांगड़े, श्री खेलनराम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
तंगकाबालू, श्री के० वी०

तारासिंह, श्री
तेजनारायण सिंह, श्री
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपान भगवान
दत्त, श्री सुनील
दिग्विजय सिंह
दिघे, श्री शरद
देव, श्री संतोष मोहन
नायक, श्री मृत्युन्जय
नायडू, श्री पी० वी० रंगय्या
नेताम, श्री अरविन्द
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पाटील, श्री अनवरी बासवराज
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रुपचन्द
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज श्री ओस्कर
फारूक, श्री एम० ओ० एच०
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बूटासिंह, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर
भार्गव गोवर्धन, श्री
भूरिया, श्री दिलीपसिंह
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपालसिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा० आर०
माथुर, श्री शिवचरण
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरूलाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
राजू, श्री एम० विजयराम
राजेश्वरन, डा० वी०
रामसिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री कल्पनाथ
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री रामलाल
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिलवेरा, डा० सी०
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेकिया, श्री मुहीराम
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हान्डिक, श्री बिजय कृष्ण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

खनोरिया, श्री डी० डी०
खुराना, श्री मदनलाल
गंगवार, श्री संतोष कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गौतम, श्रीमती शीला

जटिया, श्री सत्यनारायण

जसवन्त सिंह, श्री

झा, श्री भोगेन्द्र

तीरकी, श्री पीयूष

दास, श्री अनादि चरण

धूमल, प्रो० प्रेम

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पासवान, श्री रामविलास

प्रभु, श्री आर०

प्रसाद, श्री हरि केवल

फर्नान्डीज श्री जार्ज

भार्गव, श्री गिरधारीलाल

यादव, श्री चन्द्रजीत

राजू, श्री भू० विजयकुमार

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

सिंह, श्री राम

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि ठीक होने तक, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में—148

विपक्ष में—023

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया

पक्ष में—श्री मोहन भाई एस० डेलकर, श्री टी० आर० एल० भोंसले, श्री पी० बल्लल पेरूमन, श्री पी० सी० चाक्को, श्री अवतार सिंह भडाना, श्री कार्तिकेश्वर पात्र, श्री शरद् चन्द्र पटनायक, श्री पी० पी० कटिया पेरुमल, श्री के० एच० मुनियप्पा, श्री आर० जी० विलम्स ।

विपक्ष में—श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति, श्री रवि राय, श्री श्रीकान्त सेन, श्री सैयद शाहाबुद्दीन, श्री चेतन चौहान, श्री जी० बी० सिंह द्रोण, श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल, श्री भुवन चन्द्र खंडूरी, श्री श्याम बिहारी मिश्र ।

2·29 म० प०

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब अगले विषय पर विचार किया जाएगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो प्रस्ताव रखेंगे।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ। "कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में प्रत्येक सदस्य इस बात से अवगत है कि इस समय और हाल ही में ऐतिहासिक स्वरूप के और उग्रवादी स्वभाव के विश्वव्यापी परिवर्तन हुए हैं और होने जा रहे हैं—ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो राजनैतिक तो हैं किन्तु साथ ही सामरिक भी हैं। ये परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक भी हैं। यदि मैं इन मान्य परिवर्तनों के संदर्भ में बात करूँ, तो मैं स्वीकार करूँगा कि संदर्भ की बात शीतयुद्ध की समाप्ति तक महाशक्तियों और सहयोग के नये युग की शुरुआत के बीच मुकाबले के अन्त तक चलेगी, केवल महाशक्तियों के बीच ही नहीं अपितु विश्व की सभी बड़ी शक्तियों के बीच भी। और वस्तुत: यह सहयोग केवल संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़कर कहीं भी अच्छी तरह दिखाई नहीं देता जोकि पहली बार अपनी उस भूमिका को निभा रहा है जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी–उसकी भूमिका है—महान शक्तियों का शांति की ओर प्रवृत होते हुए मिल-जुलकर कार्य करना और मानव जाति की प्रगति के लिए अग्रसर होकर कार्य करना।

जब हम स्पष्ट रूप से बिना किसी शर्त के, पूरी तरह से सहयोग की इस भावना का और शीत युद्ध की समाप्ति का स्वागत करते हैं, तो वास्तव में हम विदेश नीति की प्रामाणिकता देखते हैं जिसकी नींव पंडित नेहरु ने रखी थी और जिसका बाद की सरकारों—कांग्रेस सरकार और गैर कांग्रेस सरकारों ने अनुकरण किया था। जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्पूर्ण सिद्धान्तों के समर्थन के रूप में मुकाबले की घड़ी का अन्त देखते हैं तो हम यह विश्वास करते हैं कि सहयोग की इस भावना को, एक साथ काम करने की प्रवृत्ति को विकसित विश्व, औद्योगिक विश्व और विश्व के सभी देशों की बड़ी शक्तियों तक फैलाना चाहिए। अत: हमें विश्वास है कि यदि हमें शुरुआत करनी है और मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लेख किया है—उन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो घटी हैं–नई शक्तियाँ, नई बड़ी शक्तियाँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद उभर कर आई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण अवश्य किया जाना चाहिए।

अब से दो वर्ष बाद 1994 में, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना की पचासवीं वर्ष गांठ मनाएगा। इन 48 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 45, जो इसकी स्थापना के समय थी, से बढ़कर 160 से ऊपर हो गई है। तात्पर्य यह है कि, हमारे पास इस समय 161 सदस्य

हैं जो इसकी स्थापना के समय बने सदस्यों की संख्या से चार गु·ा है। यदि हमें इसका जायजा लेना हो तो हमें सदस्यता की इस अत्यधिक वृद्धि पर विचार करना होगा। बड़ी जनसंख्या व ले देशों के रूप में जो नई शक्तियां उभरी हैं उनके सम्बन्ध में सोचना होगा, और यह आह्वान भारत की ओर से है और होगा।

मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में एकरा में हुई गुट निरपेक्ष देशों के मंत्रियों की बैठक में भारत की इस मांग का समर्थन किया गया। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 50वीं वर्ष गांठ की दहलीज पर खड़ा है इसलिए इन सब वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए यह मांग संयुक्त राष्ट्र को और अधिक लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए और वस्तुतः सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों तथा अन्य सदस्यों के विस्तार के सम्बन्ध में है।

हम यह मानते हैं कि शांति के इस युग में, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी कार्यसूची के आर्थिक पहलु पर और अधिक गहराई से विचार करना होगा। यह सच है कि जहां एक ओर विकसित देश अपनी समृद्धता और विकास को कायम रखे हुए दिखाई देते हैं, वहां दूसरी ओर विकासशील देश अथवा उनमें से ज्यादातर देश स्वयं को दरिद्रता, कर्ज में और विकास की कम दर में घिरे पाते हैं। यह आवश्यक है कि नये और ज्यादा उचित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक रूप से निर्भर देशों को इन विकासशील देशों के वास्तविक समस्याओं के सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए। निर्धन लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में गिरावट क्यों आ रही है और औद्योगिक देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और माल के मूल्यों में हर समय वृद्धि क्यों होती रहती है? यह मांग भारत और अन्य कई विकासशील देशों की है।

यह आह्वान उत्तर-दक्षिण वार्ता में अधिक विषय और उद्देश्य शामिल करने के लिये है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के लिये भी है।

मैंने मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य का खाका रखा है और हमारा इ·के प्रति क्या दृष्टिकोण है। कृपया मुझे पिछले कुछ महीनों अथवा विगत समय में हमारी विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में उल्लेख करने के लिये कुछ समय दें।

महोदय, अपने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध बनाये रखना हमारी कूटनीति की प्राथमिकता है। इससे पहले कि मैं द्विपक्षीय सम्बन्धों और प्रमुख घटनाओं पर बोलू, मैं भारत सरकार और इस सरकार के विचार अपनी सामर्थ्य अनुसार व्यक्त करना चाहूँगा। दक्षिणी एशियाई देशों के मूल समूह, जिसे दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, को मजबूत किया जाना चाहिये। हम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस को इस क्षेत्र के देशों की सामूहिक आत्म-निर्भरता के सबसे उपयुक्त साधन के रूप में देखते हैं। हम अन्य देशों, दक्षस के सदस्य देशों के साथ उन परियोजनाओं, जोकि पारस्परिक हित के लिये इस क्षेत्र की पूण शान्ति को बढ़ावा देंगी और उससे लाभान्वित होंगी, का पता लगा रहे हैं।

जब मैं पड़ोसी देशों की घटनाओं और पड़ौसियों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में

कहता हूँ तो मैं पाकिस्तान के बारे में पहले कहता हूँ। मैं पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री के विशेष दूत, जो कि उस देश के विदेश सचिव भी हैं और जिन्होंने पिछले माह ही भारत का दौरा किया हैं, के सम्बन्ध में उल्लेख करता हूँ। वह इस सन्देश के साथ आये कि हमें एक नया अध्याय, एक नये युग की शुरुआत करनी चाहिये जिसमें मन-मुटाव के स्थान पर शान्तिपूर्ण बातचीत होनी चाहियें। इस तरह, जब विशेष दूत ने यह बात प्रधानमन्त्री और अन्य नेताओं को बताई, तो हमारी प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट थी कि हमारी भी तो यही भावना रही है। हमारी सभी समस्याएँ हिंसा से नहीं निपटाई जा सकती; उन्हें बल या लड़ झगड़ कर हल नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान दो निर्धन राष्ट्र ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और मान्य श्रेणीकरण के अनुसार हम बहुत निर्धन देशों में आते हैं और जो पैसा हम सुरक्षा के लिये व्यय करते हैं, वह न केवल हमारे उन सिद्धान्तों, जिनके लिये हम प्रतिबद्ध है, शान्ति और अहिंसा के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, बल्कि वह तो विकास प्रक्रिया के लिये विपरीत भी है और हमारे विचार से भारत और पाकिस्तान दोनों ही उसका हमारे अपने लोगों के विकास और कल्याण के लिये बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसलिये हमें पारस्परिक सम्बन्ध तो बनाने ही होंगे और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री की तरफ से विशेष दूत द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक था। हमने उन्हें बता दिया कि हम भावनाओं के अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन मात्र भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने से ही काम नहीं चलेगा। हम तो ठोस कार्यवाही चाहते हैं और हमने उन्हें बता दिया कि उन्होंने जो भावनाएँ व्यक्त की हैं हम उसी के अनुरूप ठोस कार्यवाही की आशा करते हैं। ठोस कार्यवाही से हमारा अभिप्राय है कि पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों को अपनी सहायता देना बन्द करे। ठोस कार्यवाही से हमारा अभिप्राय यह है कि पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे विरुद्ध किये जा रहे गलत जानकारी के शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को बन्द करें। ठोस कार्यवाही से हमारा अभिप्राय है शिमला समझौते का उल्लंघन रोकना और कश्मीर के मसले तथा अन्य उन मामलों, जो द्विपक्षीय हैं और जिन्हें आपस में सुलझाना होगा, को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश को रोकना।

यह सभा इस बात से अवगत है कि अकरा में गुट-निरपेक्ष देशों के मन्त्रियों की बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल ने उस अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पुन: कश्मीर का प्रश्न उठाया। मैं इस सभा को यह जानकारी देना चाहूँगा कि सम्मेलन ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया था।

सम्मेलल के सभापति, जो कि संयोग से धाना के विदेश मन्त्री थे, ने इस प्रश्न को यह कहते हुये रद्द कर दिया। इस तरह के द्विपक्षीय मामले गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में नहीं उठाये जायें और ऐसे द्विपक्षीय मामलों को भविष्य में उठाने की अनुमति भी नहीं दी जायेगी।

यह सभा जानना चाहती है कि विदेश सचिव स्तरीय वार्ता को क्यों स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली में विदेश सचिवों की पिछली बैठक में, इस पर सहमति हुई थी कि विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के अगले दौर से पहले कतिपय प्रारम्भिक बैठकें होंगी। ये बैठकें तुलबल नौवहन परियोजना जैसे मामलों सर क्रीक जैसे—प्रश्नों, कतिपय सैनिक, प्रतिनिधिमण्डल और

नशीली दवाओं की तस्करी आदि से सम्बन्धित थी। इन सब बैठकों में से केवल एक बैठक ही हो सकी और वह नशीली दवाओं की तस्करी के सम्बन्ध में थी। अन्य सभी बैठकों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें आयोजित करने में अपनी असमंथता व्यक्त कर दी और उन्हें स्थगित करने के लिये कहा।

जब उन्होंने रक्षा सम्बन्धी बैठक को स्थगित करने के लिये कहा था, तो उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि हम विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के विषय और उद्देश्य भी जानना चाहते हैं। हम स्वयं यह बातचीत नहीं करना चाहते थे जब तक कि यह प्रारम्भिक बैठकें न की जायें। इसलिये, अन्य बैठकों को आयोजित किये जाने के लिये अवसर प्रदान करने हेतु हमने ये विदेश सचिव स्तरीय बैठकें स्थगित कर दी ताकि अन्य बैठकें हो सकें और विदेश सचिव स्तरीय बैठक के लिये विषय सूची बन सके। हमें आगामी अक्टूबर में इन बैठकों के होने की आशा है।

हाल ही में भूटान के महाराजाधिराज ने यहाँ का दौरा किया था। वह काफी समय से उस देश के शासक है और वे भारत के मित्र है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने दौरे जो कि नई सरकार के सत्ता सम्भालने के बाद पहला दौरा था—के समय उन्होंने जो बातें की, वे अत्याधिक लाभदायक थी और इसके परिणामों से दोनों पक्ष बेहद प्रसन्न थे। बांगला देश के विदेश मन्त्री भी अगस्त के माह में यहाँ आए थे। हमने अनसुलझे मामलों में कुछ प्रगति की है। जहाँ तक नेपाल का सम्बन्ध है, एक उच्च स्तरीय कृतिक बल का गठन किया गया है। इसे बनाने का निर्णय उस समय किया गया था जब हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर ने वहाँ का दौरा किया था। उच्च स्तरीय कृतिक बल भारत और नेपाल में इस तरह का पहला प्रयोग है और इसका उद्देश्य नेपाल और भारत के अनूठे और परम्परागत सम्बन्धों को नये आयाम और नई दिशा प्रदान करना है। अभी तक उच्च स्तरीय कृतिक बल की दो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 4 अगस्त, 1991 को काठमाण्डू में हुई थी और दूसरी बैठक 2 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुई थी। अगली बैठक 6 अक्टूबर, 1991 को होगी।

जहाँ तक श्रीलंका का सम्बन्ध है, सभा हमारी उस स्थिति से भली-भांति अवगत है जिसका सभी सरकारों ने अपना समर्थन दिया है। वह स्थिति यह है कि हम श्रीलंका की अखण्डता और एकता के पक्षधर हैं लेकिन साथ ही हम इस बात से चिन्तित है और यह विश्वास करते हैं कि तमिल लोगों के कानून सम्मत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिये। हम यह विश्वास करते हैं कि भारत श्रीलंका समझौता, राजीव जयवर्धने समझौता इस समधान के लिये सर्वोत्तम और प्रभावकारी ढांचा तैयार करेगा जिसकी हम श्रीलंका में परिकल्पना करते हैं।

श्रीलंका के विदेश मन्त्री यहाँ आये थे। उस समय एक संयुक्त आयोग बनाने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। संयुक्त आयोग की अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मन्त्री बारी-बारी से करेंगे और इसमें पहले दो उप-आयोग होंगे—एक व्यापार, निवेश और वित्त कार्यों को देखेगा और दूसरा उप-आयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी मामलों को

देखेगा। उप-आयोगों की बैठकें 7–9 अक्टूबर को होनी है और संयुक्त आयोग की बैठक वर्ष की समाप्ति से पहले होने की आशा है।

अफगानिस्तान भी वास्तव में हमारा एक पड़ोसी है।

अफगान मामलें के राजनैतिक समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव की योजना का हम स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि यह योजना अफगान प्रश्न के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण से मेल रखती है कि एक मजबूत अफगानिस्तान होना चाहिये, एक स्वतन्त्र और गुट-निरपेक्ष अफगानिस्तान होना चाहिये।

हमारे प्रधानमन्त्री जी ने जर्मनी का दौरा किया है और जर्मनी का दौरा वहाँ पर भारत महोत्सव का उद्‌घाटन करने के सम्बन्ध में था। इस तरह से सिद्धान्ततः यह वस्तुतः एक सांस्कृतिक दौरा था। दूसरे सह-अध्यक्ष चान्सलर कोल हैं। इस अवसर पर उन्होंने राजनैतिक स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और द्विपक्षीय मामलों पर भी बातचीत की। जहाँ तक अनेकों समस्याओं से ग्रस्त जर्मनी और पूर्वी यूरोप में बहुत सी वचनबद्धताओं का सम्बन्ध हैं। यह दौरा अत्यधिक सफल रहा। इसमें यह बात दोहराई गई और स्पष्ट रूप से बताई गई कि मासा के साथ सहयोग आर्थिक सहयोग का स्तर जारी रहेगा और उसे कम नहीं किया जायेगा। प्रधान-मन्त्री जी की वास्तव में यह एक बहुत शानदार उपलब्धि थी, इन परिस्थितियों में जिनमें जर्मनी आज अपने को पाता है।

जापान के साथ सम्बन्ध अच्छे रहे हैं और हमें इनके बेहतर होने की आशा है तथा नई आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखते हुये ये और गहरे होंगे।

सोवियत संघ से हमारे पुराने सम्बन्ध हैं और ये सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं। मैं संक्षेप में बात करते हुये आपसे इस समय केवल इतना बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ संक्रमण काल से गुजर रहा है। सोवियत सर्वोच्च संस्था और पीपल्स् डिप्टी कांग्रेस निलम्बित अवस्था में है। इस समय जो सर्वोच्च सोवियत अस्तित्व में हैं वह संक्रमण अवस्था में है। सर्वोच्च कार्यकारिणी संस्था, जिसमें राष्ट्रपति गोर्बाचोव और सभी गणतन्त्रों के राष्ट्रपति शामिल है, इस अस्थायी व्यवस्था की देखभाल कर रही है। यह स्थिति नई संघीय सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। अब इस अस्थायी स्थिति से कुछ तरह की समस्याएँ, अव्यवस्थाएँ पैदा हुई हैं। हम देखते हैं कि यह अस्थाई है। हम नई संघीय सन्धि के बाद उनके साथ सम्बन्ध बनाने के प्रति आशान्वित हैं। हमने सदैव ही गणतन्त्रों के साथ किसी न किसी तरह के सम्बन्ध स्थापित किये हैं, जैसा कि सत्ता पलट से कुछ समय पूर्व ही उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री करीमोव के दिल्ली दौरे से प्रतीत होता है। हमने उनके साथ कुछ करार किये हैं। अतः नई संघीय सन्धि के बाद सोवियत संघ जिस रूप में भी सामने आये, हम उनके साथ सतत व और भी मजबूत सम्बन्ध बनाने के प्रति आशान्वित हैं।

हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों के साथ हमारी बातचीत में अमरीका द्वारा अपनाये गये

सकारात्मक रूख की मैं प्रशंसा करता हूँ। मैं कश्मीर के मामले में अमरीकी प्रशासन द्वारा अपनाये गये। इस रवैये की प्रशंसा करता हूँ कि यह एक द्विपक्षीय मामला है और इसे शिमला समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिये।

महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री राजीव गांधी के चीन के दौरे के बाद, भारत-चीन सम्बन्धों में सफलता प्राप्त हो गई है। हम इस वर्ष के अन्त से पहले चीन के प्रमुख प्रीमियर श्री ली पेंग की भारत दौरे की आशा करते हैं।

कुछ समय से यह प्रश्न उठाये जा रहे हैं कि इस्रायल के सम्बन्ध में हमारा रवैया क्या है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें पश्चिमी एशिया में तब तक स्थायी शान्ति की सम्भावना नहीं दिखनी जब तक फिलीस्तीनी मामले का हल नहीं हो जाता। फिलीस्तीन के सम्बन्ध में हमारा रवैया वही है जो पहले था। यह बात तर्क संगत ओर स्पष्ट है कि फिलीस्तीनी लोगों का अपनी मातृभूमि का अधिकार है, यह कि इस्रायल को समूचे अरब अधिकृत क्षेत्रों को खाली करना चाहिये, यह कि फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन फिलोस्तीनी लोगों का वैध प्रतिनिधि है।

सामान्य रूप से सभी सदस्यों और विशेषकर मेरी तरह से तटीय क्षेत्र से आने वाले सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे नागरिक जो कि कुवैत पर आक्रमण होने के कारण वहाँ से वापिस आये थे अथवा जिन्हें यहाँ भेज दिया गया था। अब वहाँ वापिस जा रहे हैं।

[अनुवाद]

30 हजार से अधिक लोग पहले ही कुवैत वापस जा चुके हैं और उड़ानें पूरी भरकर जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने एक क्षतिपूर्ति निधि की स्थापना की है। जिसका भारत भी सदस्य है। इस क्षतिपूर्ति निधि में इराक द्वारा बेचे गये तेल से प्राप्त आय का 30 प्रतिशत भाग शामिल है। क्षतिपूर्ति निधि बनाने का एक मुख्य उद्देश्य कुवैत से वापस आये लोगों को हुई हानि का मुआवजा देना है। हमें 65 हजार से अधिक मुआवजे सम्बन्धी दावे प्राप्त हुये हैं। कुवैत से वापस आये हुये 65 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों ने मुआवजा देने के लिये दावे किये हैं। हमने छोटे दावों को शीघ्र ही निपटाने के लिये क्षतिपूर्ति निधि से अनुरोध किया है। मुझे सभा को सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि यह बात मान ली गई है। मैं सभा को इस बात के लिये आश्वस्त करने के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता कि जैसा कि हमने पहले किया था हम अपनी विदेश नीति को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। पुन: स्फूर्ति प्राप्त करके प्रधानमन्त्री महोदय के नेतृत्व में, जो कि बहुत ही अनुभवी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विदेश मन्त्री रहे हैं हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उनको और अग्रसर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम विश्व के देशों के मध्य मित्रता, शान्ति और सहयोग स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अपने इस प्रयास के लिये मैं इस सभा का समर्थन चाहता हूँ और उनके बहुमूल्य सुझावों के लिये अत्यधिक उत्सुक हूँ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

1. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थपित किया जाये, अर्थात्—
"इस सभा ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की, विदेश नीति के संचालन को विशेषकर निम्नलिखित के सम्बन्ध में, असंतोषजनक पाया है—

(क) तेजी से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चुनौतियों का सामना करना;

(ख) खाड़ी युद्ध से पूर्व और पश्चात् की घटनाओं पर अप्रभावी प्रतिक्रिया;

(ग) सोवियत संघ में आकस्मिक सत्ता परिवर्तन और वहाँ बाद में लोकतांत्रिक शक्तियों द्वारा इसे विफल कर देने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया; और

(घ) पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने में असमर्थता।"

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

2. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—
"इस सभा ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की विदेश नीति के संचालन को विशेषकर निम्नलिखित के सम्बन्ध में असंतोषजनक पाया है—

(क) गुट निरपेक्ष आन्दोलन में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में भारत की कम होती हुई भूमिका;

(ख) विश्व के विभिन्न भागों में तेजी से हो रही घटनाओं पर भारत की सामयिक प्रतिक्रियाएं; और

(ग) पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने में असफलता।"

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

3. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—
"यह सभा वर्तमान अन्तरीष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने के पश्चात् सरकार से सिफारिश करती है कि वह उन भारतीय नागरिकों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जिन्हें खाड़ी युद्ध के कारण कुवैत और इराक से भागकर भारत आना पड़ा था।"

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में सदन को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मिल ही गया। यह चर्चा पहले होनी चाहिए थी। विदेश मन्त्रालय की मांगों पर सदन गहराई से विचार करता,

यह आवश्यक था। लेकिन ऐसा लगता है कि बजट अधिवेशन में कार्य का विभाजन किस तरह से हो, चर्चा की प्राथमिकताएँ क्या हों और सदन के समय का सर्वोत्तम सदुपयोग किस तरह से किया जाए, इसके बारे में हमने मिल कर, बैठकर, सोच-समझ कर कोई फैसला नहीं किया हैं। इस सम्बन्ध में अगला बजट आने से पहले कोई ठोस निर्णय होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है। जैसा राज्य मन्त्री महोदय ने कहा—ऐसा लगता है जैसे एक युग का अन्त हो गया है, मैं सहमत हूँ उपनिवेशवाद समाप्त प्रायः है, रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में अपना दम तोड़ रहा है, शीत युद्ध खत्म हो गया है। किसने कल्पना की थी कि दो गुटों में बंटा हुआ ये विश्व और ऐसे दो गुटों में जो ऐटमी हथियारों के ढेर पर खड़े हैं, एक दूसरे को समाप्त करने या कम से कम सीमित करने के उद्घोषित लक्ष्य से बंधे थे—वे गुट आज अतीत का विषय हो गए। सैनिक गठबन्धन, फिर चाहे वह नाटो हो या वॉर्सा पैक्ट हो, अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। बर्लिन की दीवार ढह गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, नामीबिया में आजादी का झंडा फहराया जा चुका है। सोवियत संघ ने अनेक क्षेत्रों से अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। निस्संदेह युग-परिवर्तन की इन घटनाओं के लिए यदि किसी एक व्यक्ति को सबसे अधिक श्रेय दिया जा सकता है तो वह सोवियत संघ के श्री गोर्बाचोव हैं। वे इतिहास पुरुष हैं। बड़े साहस के साथ उन्होंने फैसले किए।

अमेरिका ने भी उसमें अपना योगदान दिया है। दोनों महा-शक्तियों की यह समझ में आ गया है कि ऐटमी हथियारों की लड़ाई लड़ी नहीं जानी चाहिये क्योंकि वह लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इस अनुभूति के कारण जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे मैं युग परिवर्तन की घटना कह रहा हूँ। लेकिन मैं विदेश राज्य मन्त्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सहयोग का दूसरा युग शुरू हो गया है। अभी सहयोग का युग शुरू होना बाकी है एक युग मर गया मगर दूसरा युग अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। हम दोनों युगों के संधि-काल में खड़े हैं। यह संक्रमण का काल है।

जहाँ विश्व की इन घटनाओं से हमें आनन्द हो रहा है, हां इन परिवर्तनों के कारण मन में चिन्ता भी पैदा हो रही है। हमारे सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। अमेरिका न्यू वर्ल्ड आर्डर की बात कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि संसार की पुनर्रचना हो, नई अर्थव्यवस्था आये लेकिन वाशिंगटन से जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि क्योंकि अमेरिका एक अकेला सुपर-पावर रह गया है, वह अपनी इच्छा से विश्व की रचना करना चाहेगा। मैं देख रहा हूँ कि एक सुपर-एलायंस हमारे सामने उभर रहा है, केवल सुपर पावर नहीं बल्कि एक सुपर एलायंस और दुर्भाग्य से, आन्तरिक स्थितियों के कारण, वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप सोवियत संघ भी इसमें एक छोटा भागीदार, जूनियर पार्टनर बन रहा है।

यह सुपर एलायंस है—यूरो अमेरिकन एलायंस, जिसके साथ वर्ल्ड बैंक है, आई० एम० एफ० है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं।

जहाँ दुनिया को एक सांचे में ढालने की कोशिश की जाए, वहाँ दुनिया के छोटे-छोटे देशों को, दुर्बल देशों को, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपना विकास करने का अधिकार नहीं होगा, अवसर नहीं होगा। मेरी चिन्ता तो तब और बढ़ जाती है जब मैं वाशिंगटन से सुनता हूँ कि वह मोरल फोर्स के रूप में सारे संसार को अपने हिसाब से चलाने की बात कर रहा है। छोटे-छोटे देश, विशेषकर तृतीय विश्व के देश, इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक लोकतंत्रवादी देश है। हमने 1975–76 के थोड़े से कालखण्ड को छोड़कर, अपने देश में लोकतंत्र की पताका सफलता के साथ फहराई है। पश्चिम के देश भी लोकतंत्रवादी होने का दावा करते हैं लेकिन भारत के साथ उनका कैसा व्यवहार रहा है, जब भारत के लोकतन्त्र में और पड़ौसी देश में पनपने वाली तानाशाही में, उन्हें चुनाव करने का अवसर आया तो उनका झुकाव हमारे पड़ौसी देश की ओर रहा है, भारत की ओर नहीं। उन्होंने हमें आर्थिक सहायता दी है, लेकिन पड़ौसियों को हथियार दिए हैं। पाकिस्तान एटमी शक्ति बन गया है, जब कि हमारे ऊपर नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हम मिसाइल विज्ञान का विस्तार करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं। अमरीका की नीति में परिवर्तन हो, प्रसन्नता की बात होगी, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन उनके वर्तमान रवैये से मुझे कभी-कभी चिन्ता होती है।

स्वतन्त्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला किया। वह फैसला एक सही फैसला था। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देते हुए, प्रधानमन्त्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई मिलन-भूमि नहीं है, मीटिंग-ग्राउण्ड नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुट-निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता पर, रैलेवेंस पर, प्रश्नचिह्न लगा रही है। मैं स्वयं विदेश मन्त्री रह चुका हूँ। 77 में जब जनता की सरकार बनी, तो हमने कहा था कि नॉन-अलाइनमेंट होना चाहिए, मगर जेन्यूइन होना चाहिए और उस नीति का ईमानदारी से अवलम्बन किया गया। गुट-निरपेक्षता, हमारी स्वतन्त्रता का, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार था। स्वतन्त्रता के शुभ-प्रभात में भारत किसी महाशक्ति का पिछलग्गू होने का पाप नहीं कर सकता था। मुझे याद है, पं० जवाहर लाल नेहरु, जो हमारी विदेश नीति के शिल्पी थे, वे सदन में मौजूद थे, जब मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी होती और पंडित जी की जगह अगर और कोई विदेश मन्त्री होता, तो स्वतन्त्रता के बाद इसी नीति का अवलम्बन करता कि हम किसी सैनिक गुट से मिलेंगे नहीं। हम गुण-दोष के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का फैसला करेंगे। लेकिन आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इतनी बदल गई है कि गुट-निरपेक्ष देशों को भी नये क्षितिज खोजने पड़ेंगे।

अब परस्पर विरोधी गुट कहाँ हैं ? अभी मैंने जैसा संकेत दिया—एक महा-गुट उभर रहा है। वह राजनीति पर छाना चाहता है, अर्थनीति पर छाना चाहता है, वह संस्कृति पर भी

छाना चाहता है। इस स्थिति में तृतीय विश्व के देशों के हितों की रक्षा हो: इसमें अगर गुट-निरपेक्ष देश और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन उपयोगी हो सकता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से अलग हो जाए मैं यह मांग नहीं कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आकरा में जो सम्मेलन हुआ, उसमें इस तथ्य को अनुभूत किया गया है कि हमें अब युनाइटेड नेशन्स को जैसा कि राज्य मन्त्री महोदय ने कहा कि बलशाली बनाने पर जोर देना चाहिए। मैं आकरा की भी घोषणा का एक अंश पढ़कर सुना रहा हूँ—

[अनुवाद]

"संयुक्त राष्ट्र ने मानव जाति को प्रभावित करने वाली गम्भीर समस्याओं का समाधान करने के लिए एक केन्द्रीय मंच का गठन किया है।"

लेकिन युनाइटेड नेशन्स में किस तरह से बहुमत किया जा सकता है और किस तरह से परमानेंट मैम्बरों को भी साथ लेकर फैसले कराए जा सकते हैं, यह हमने खाड़ी के युद्ध में देखा। यह ठीक है कि ईराक को कुवैत पर हमला नहीं करना चाहिए था। सद्दाम हमारे मित्र हैं। कश्मीर के सवाल पर ईराक ने हमें समय-समय पर समर्थन किया है, लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति का निचोड़ यह है कि मित्र भी अगर गलती करे, तो उसे दोस्ताना तरीके से कहना चाहिए कि यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं।

3·00 म० प०

हमने नहीं कहा। अमरीका ने उसके विरुद्ध एक गठबन्धन बना लिया। रूस और चीन ने उसमें अपनी कूटनीति खेलने की जरूर कोशिश की मगर उन्हें बहुत दूर तक सफलता नहीं मिली। इसलिये यूनाइटेड नेशन्स का लोकतन्त्रीकरण, जिसकी बात राज्य मन्त्री ने की है, बहुत आवश्यक है। भारतीय जनसंघ के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सिक्यूरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिये। भारत जैसे देश को, ब्राजील जैसे देश को, अफ्रीका के किसी और देश को भी सुरक्षा परिषद् में शामिल किया जाना चाहिये। अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति सन्तुलन की राजनीति नहीं है। अब फियर ऑफ इनफ्लुएन्स की राजनीति नहीं है। अब मैदान में सोवियत संघ नहीं है। एक ही महाप्रभु है, एक ही महाशक्ति है और वह शक्ति संयम से काम करे इसके लिये विश्व संगठन को, संयुक्त राष्ट्र संगठन को मजबूत करना जरूरी है।

मुझे याद है यूनाइटेड नेशन्स में एक सुधार की चर्चा हो रही है। यह कहा जा रहा है कि अगर युद्ध और शान्ति के बारे में कोई फैसला करना है तो आज सुरक्षा परिषद् के परमानेंट मैम्बरों के हाथों में वीटो है, वे फैसला कर सकते हैं। किसी फैसले को रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी देश के खिलाफ यूनाइटेड नेशन्स के नाम पर कोई सैनिक कार्यवाही की जानी है तो केवल सुरक्षा परिषद् का फैसला काफी नहीं होना चाहिये। उसे जनरल असेम्बली का आज से जो अधिवेशन प्रारम्भ हो रहा है, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल, भारत देखे कि क्या इस सम्बन्ध में विश्व जनमत को तैयार किया जा सकता है? कोई कहेगा कि अगर

जनरल असेम्बली में ले जायेंगे तो बहुत देर लगेगी। कार्यवाही करना तत्काल जरूरी होगा। लेकिन जनरल असेम्बली की बैठक 24 घण्टे में बुलाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सुझाव हो तो हम उस पर भी विचार करें। लेकिन अब बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में सारे निर्णय मुट्ठी भर देश के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जनरल असेम्बली की बैठक हो रही है जिसमें भाग लेने के लिये हमारे विदेश मन्त्री गये हैं। मुझे लगता है कि उसमें कश्मीर के सवाल को उठाने की कोशिश की जायेगी। कल न्यूयार्क से मुझे फोन से पता लगा कि अमरीका के डैलीगेशन में एक ऐसे सदस्य शामिल किये गये हैं जो भारत के विरोध के लिये प्रसिद्ध हैं।

3·03 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

वे इण्डियाना के हैं। वे खुले आम खालिस्तानी और पाकिस्तानी लौबियों के साथ जुड़े हुये हैं। अगर अमरीका के प्रतिनिधि मण्डल के नाते वे अमरीका की उद्घोषित नीति पर चलते हैं और मैं देख रहा हूँ कि वाशिंगटन की नीति में कुछ स्पष्टता आई है, तो बात अलग है। लेकिन अमरीका में पाकिस्तान की लाबी सक्रिय है। यूनाइटेड किंगडम में बसे हुये पाकिस्तानी अपने-अपने क्षेत्र के हाउस ऑफ कॉमन्स के मैम्बरों को प्रभावित कर रहे हैं।

अभी लेबर पार्टी के एक शैडो फौरन मिनिस्टर आये थे। उन्होंने किस तरह की बातें कीं। इस मामले में हम इस कूटनीतिक दौड़ में पिछड़ रहे हैं। हमारे राजदूतावासों को और सक्रिय होना पड़ेगा। विदेशों में बसे हुये भारतीयों को और भी तत्पर होकर इन मामलों में रूचि लेने के लिये प्रेरित करना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे राजदूतावास लोगों से कट जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदल रही है, क्या भारत की सरकार का विदेश मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय में निर्धारित होने वाली कूटनीति और उस कूटनीति को क्रियान्वित करने वाले हमारे राजदूतावास इस बदलती हुई परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चल पाने में समर्थ हो रहे हैं? अगर खाड़ी की घटनाएँ कोई संकेत देती हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं।

हमारी पुरानी पकड़ नहीं है। आप कह सकते हैं खाड़ी युद्ध के उस समय दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता थी, चुनाव का माहौल था। ठीक है, चुनाव का माहौल था, तो क्या यह जरूरी था कि खाड़ी के युद्ध को हम अपने देश की घरेलू राजनीति का हिस्सा बना दें, यह आवश्यक नहीं था, यह कभी भी आवश्यक नहीं होना चाहिये, लेकिन हम स्थिति का सही आकलन नहीं कर सके।

अभी सोवियत संघ में जो परिवर्तन हुये, गोर्बाचोव को अपदस्थ होना और 72 घण्टे के भीतर गोर्बाचेव का नाटकीय ढंग से वापस होना, हम इसके बारे में भी सही अनुमान नहीं

लगा सके। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जो सीमित जानकारी मेरे पास थी, उसके आधार पर मुझे यह लगता था कि गोर्बाचोव को भी ख्रुश्चेव के रास्ते पर भेजा जा रहा है। ऐसा लगता था कि अगर पार्टी, सेना और के० जी० बी० मिल गये तो फिर ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका का अध्याय खत्म हो जायेगा, लेकिन बाद में तो पता लगा कि गोर्बाचोव ने परिवर्तन के लिये अपने लोगों को साथ लिया, पार्टी को विश्वास में लिया, यहाँ तक कि के० जी० बी० और सेना में भी उस परिवर्तन के समर्थक तत्व तैयार हुये और वे सड़कों पर निकल आये। क्या हम इसका सही अनुमान लगा सके? हम उस परिवर्तन के बारे में कुछ कहें न कहें, वह एक अलग सवाल है। राज्य मन्त्री ने जो कह दिया कि वह उनका घरेलू मामला है, वह जाने। अगर वह यह न कहते तो भी चल सकता था, लेकिन हमारा आकलन गलत क्यों हुआ? क्या यह दूतावास की विफलता है? मास्को में अनेक भारतीय रहते हैं, अनेक संगठन हैं, बुद्धिजीवी हैं, विश्व के अनेक संगठन हैं। गोर्बाचोव परिवर्तन की प्रक्रिया में कितने गहरे जा चुके हैं, हम इसका सही आकलन क्यों नहीं कर सके?

खाड़ी के बारे में भी ऐसा ही हुआ अमरीका आयेगा कि नहीं आयेगा और मुझे याद है हमारी जानकारी कितनी कम थी कि जब राष्ट्रपति सद्दाम ने मोर्चा लिया तो लोग कहते थे कि इराक तो अमरीका के लिये नया वियतनाम होने वाला है। न हमने वियतनाम को समझा, न हमने इराक को पहचाना और अमरीका की शक्ति को भी हमने कम करके आंका जिसने पहली बार महायुद्ध के पश्चात् एक गठबन्धन तैयार कर दिया, 27 देशों का गठबन्धन, उसमें गुट-निरपेक्ष देश भी थे। इसीलिये गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बारे में चिन्ता पैदा होती है। भारत एक संस्थापक सदस्य है। यूगोस्लाविया का क्या हाल है? यूगोस्लाविया बिखर रहा है। वह कोई सार्थक भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। इजिप्ट चाहता है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और 77 इकट्ठे हो जायें। अब कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाने का तय हुआ है। इंडोनेशिया रुचि नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि गुट-निरपेक्ष देश और तृतीय विश्व के अन्य देश इन सब को साथ लाकर चलना जरूरी है कोई तीसरा ब्लाक बनाने की दृष्टि से नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि नेहरू जी ने जब गुट-निरपेक्ष की बात की तो उन्होंने यह भी कहा कि भारत को कोई तीसरा ब्लाक नहीं बनाना है। यहाँ तक सेक्रेटेरियट के लिये भी भारत तैयार नहीं हुआ। नेहरू जी ने कहा कि मैं इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना चाहता हूँ, हमें विचार में और कार्य में स्वतन्त्रता चाहिये। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से गुट-निरपेक्ष देश एक आन्दोलन में बँध गये, उससे कठिनाइयाँ आई।

आज एक नई पहल की जरूरत है। हम चाहते हैं कि संसार सहयोग के आधार पर कायम हो, लेकिन इस दुनिया में विविधता भी है। हर देश अपने भाग्य का आप फैसला करे। एक ही ढाँचा, ग्लोबल मार्किट, भारत को होना है, उसके साथ इण्टरग्रेट। क्या सारे संसार में एक सी दुकानें होंगी? क्या उन दुकानों पर मिलने वाला सामान भी एक सा होगा और क्या बेचने वाली लड़कियाँ भी एक सी होंगी? यह विश्व-बन्धुत्व की कल्पना नहीं है। क्षमा करिये।

अलग-अलग रास्ते पर चलते हुए हम परिवार की भावना से काम करें। हम जो चाहते हैं कि विश्व की विविधता रहे, प्लूरलिज्म रहे, साम्यवाद की पराजय हो गई, क्योंकि, वह विचार के जगत में उतरकर एक वाद के बन्धन में बँध गया और उस बन्धन ने जीवन के हर क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश की, स्वतन्त्रता तिरोहित होती गई। अगर लोकतन्त्र रहता और लोकतन्त्रवादी देशों की यह विशेषता है और यह लोकतन्त्र की अपनी शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, वह अपने को बदलता रहता है। अगर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेतरियत के नाम पर रूस में तानाशाही नहीं आती तो जिस जीवन-दर्शन के बल पर रूस एक महाशक्ति में बदला, वह तो सारी दुनिया को चमत्कृत करने को काफी था लेकिन जिस तरह से उभरा, उसी तरह से बिखर रहा है......

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) जीवन दर्शन रहेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी—जीवन दर्शन तो रहेगा लेकिन दर्शन जहाँ वाद में बदला वहाँ काम बिगड़ा सब इज्म वाजिज्म हो गये, वाद नहीं चाहिये। वाद में जीवन को जकड़ा नहीं जा सकता और दो बातें ध्यान में रखनी चाहिये कि व्यक्ति अपनी स्वाधीनता के साथ हमेशा के लिये समझौता कभी नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मानव को केन्द्र बिन्दु बनाकर मानवता की, विश्व की प्रगति हो सकती है, मानव की उपेक्षा करके नहीं, उसे विशाल मशीन का एक पुरजा बनाकर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो खतरा आ रहा है, मैं उसकी ओर से जो संकेत कर रहा हूँ, क्योंकि, साम्यवाद और पूँजीवाद, यद्यपि ये हैं तो एक दूसरे के विरोधी, मगर एक ही तरह से आचरण करते हैं। दोनों छाना चाहते हैं, दोनों निगलना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं। यह ठीक है कि साम्यवाद में एक सामाजिक न्याय का पक्ष है लेकिन पूँजीवाद में लोकतन्त्र का पक्ष है। भारत इन दोनों का समन्वय करके आगे बढ़ना चाहता है..........

श्री सैफुद्दीन चौधरी—नेशनल गवर्नमेण्ट होनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी—कामरेड को चिन्ता पैदा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मन्त्री से सहमत हूँ कि हमें पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने चाहियें, सार्क को मजबूत करना चाहिये। चीन के प्रधानमन्त्री आ रहे हैं, चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। सीमा की समस्या है, उसका भी कोई उचित हल निकले, यह हमें ध्यान में रखना है लेकिन सम्बन्ध हमारे आगे बढ़ें, इसके बारे में मैं समझता हूँ सारे सदन में और सारे देश में एक राय है।

जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, प्रयत्नों के बावजूद पाकिस्तान मित्रता के रास्ते पर नहीं आ रहा है। हम अपनी तैयारी ठीक रखें, मजबूत रखें और पाकिस्तान को लगातार यह समझाने का प्रयत्न करते रहें कि भारत को और तोड़ने का उनका प्रयत्न सफल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कश्मीर पर इसलिये दावा करते हैं कि वह अनफिनिश्ड एजेण्डा ऑफ पार्टिजन है के अन्तर्गत आता है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने देश के बँटवारे

को माना नहीं है । वह अपनी सीमाओं का विस्तार चाहते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सियाचिन के बारे में कोई समझौता हो सके, इतनी ऊंचाई पर दोनों देशो की सेनाएँ पड़ी हैं, कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहीं हैं, पाकिस्तान को समझाना चाहिए । लेकिन पाकिस्तान के मित्रों को भी पाकिस्तान पर और दबाव डालना चाहिए । मैंने प्रारम्भ में उल्लेख किया है कि वह दबाव नहीं डाल रहे हैं । अब शायद वाशिंगटन की नीति में कुछ परिवर्तन हो । आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है सीनेट ने और कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पाकिस्तान में लागू होने चाहिए थे और जो लागू किये गये हैं, अणु शक्ति के बारे में, उनमें भारत को भी घसीट लिया था। यह तो ठीक नहीं किया ।

एक माननीय सदस्य : रिजैक्ट हो गई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अस्वीकार कर दिया । यही मैं कह रहा हूं कि अच्छा किया गया । मगर वह ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे तत्व हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पैरिटी बनाए रखना चाहते हैं । हम तो मित्रता चाहते हैं और पड़ौसी देशों के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हम पर्यावरण को लेकर कुछ योजनायें बना सकें तो लाभ होगा । उदाहरण के लिये अगर नेपाल तैयार हो, हम अपने पाँच सौ नौजवानों, लड़के-लड़कियों को साल भर के लिये या दो साल के लिये नेपाल के क्षेत्र में पेड़ लगाने के लिये, वन लगाने के लिए अपनी तरफ से भेजने को तैयार हों, उनका खर्चा उठायें । वहाँ पेड़ कट रहे हैं, नदियों में रेत आ रहा है, मिट्टी आ रही है । उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आ रही है । अब हमारे सम्बन्ध सुधर गए हैं । नेपाल में लोकतंत्र है । क्या इस तरह का कोई ठोस कदम, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उठाया जा सकता है ? क्या सहयोग को साकार रूप दिया जा सकता है ? केवल निराकार नहीं, निर्गुण नहीं, सगुण और साकार रूप ।

श्री इन्द्रजीत (दार्जलिंग) : जैसे करनली ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : करनली है, पंचेश्वर है । हम बिजली बना सकते हैं। उनका भी लाभ होगा और हम अपना भी लाभ करना चाहते हैं । लेकिन इसके लिये परस्पर मैत्री का और विश्वास का जो वातावरण होना चाहिए वह अभी तक नहीं था, अब हो गया है । हम इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठायें, यह बहुत आवश्यक है ।

मंत्री महोदय ने पश्चिमी एशिया का उल्लेख किया है । मैं मानता हूं इजराइल ने अरबों के जिस इलाके पर कब्जा किया है, वह इलाका इजराइल को खाली कर देना चाहिए । एक पृथक और स्वतन्त्र फिलिस्तिन राज्य की स्थापना होनी चाहिए । फिलीस्तिनी मारे-मारे फिर रहे हैं। शरणार्थी बन गए हैं । पी एल ओ के दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है । अब पश्चिमी एशिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की बात हो रही है । यह सम्मेलन शीघ्र से शीघ्र बुला जाये । रास्ता निकाला जाए, यह बहुत आवश्यक है । क्योंकि अगर पश्चिमी एशिया की समस्यायें हल नहीं हुईं तो फिर दुनिया खाड़ी के युद्ध जैसे किसी और युग में फंस सकती है ।

जहाँ तक इजराइल का सवाल है, भारत ने इजराइल को मान्यता दी है । उनसे केवल

कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं है। उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। फिलहाल यह हो सकता है, हम उन्हें दिल्ली में एक कोसुलेट जनरल खोलने की इजाजत दे दें। ऐसा करने के कारण अरब मित्र हमारे नाराज होंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। दुनिया में अनेक देश हैं, जो दोनों तरफ मैत्री सम्बन्ध रख रहे हैं, और घरेलू मामलों के इनका साथ इस प्रश्न को जुड़ने नहीं देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, देश में विदेश नीति पर हमेशा एक आम सहमति रही है और रहना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के हितों का संरक्षण और संवर्धन, यह विदेश नीति का लक्ष्य होता है। सरकार बदलने से परसैप्शन बदल सकता है, थोड़ा सा एम्फैसिस बदल सकता है, मगर राष्ट्रीय हितों के बारे में कोई बुनियादी आंकलन नहीं बदल सकता है, इसलिए आवश्यक है कि सरकार लगातार विचार-विनिमय करती रहे। सरकार अपने यहाँ भी नीतियों के निर्धारण के लिए, नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया में कोई ठोस कदम उठाए। मैं नहीं जानता, एक प्लानिंग कमेटी थी; उसका क्या हुआ? कौन सलाह दे रहा है? हमारे विदेश मंत्रालय में अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन विशेषज्ञों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, शोध संस्थाओं के साथ; विश्वविद्यालयों के साथ और विरोधी दलों के साथ भी निरन्तर विचार विनिमय होना चाहिए, जो कन्सलटेटिव कमेटी बनी है, माफ कीजिए, वह यह काम नहीं कर सकती है। इसलिए तो आपको एक अलग मंच बनाना पड़ेगा। यह काम चलते रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दुनिया की बदलती हुई स्थिति में भारत अपनी भूमिका का सार्थकता से निर्वाह कर सके, यह बहुत आवश्यक है। यह ठीक है कि हम आंतरिक संकट में फंसे हैं। यह ठीक है कि हम कर्जा मांग रहे हैं और वित्त मन्त्री जी ने एक सच्चाई का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा—कर्जा मांगने वाले देश भी विदेश नीति में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा यहाँ उनसे मतभेद है, जब हम स्वतन्त्र हुए, तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति नहीं थी, हमारे पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। हमारे पास एक नैतिक बल था, एक विदेश नीति की कल्पना थी, न्याय पर आधारित, समता पर आधारित, स्वतन्त्रता पर आधारित और विश्व की कल्पना और उसे बनाने की नीति के बल पर भारत आगे बढ़ा और भारत का सम्मान बढ़ा "नैम" ने हमें काफी नाम दिया। "नैम" में काम कितना हुआ यह बात आज देश को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है और उसमें हमारा विदेश मन्त्रालय हमारे कूटनीतिक अपनी जिम्मेदारी को निभायें—यह मैं चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये काफी समय दिया। धन्यवाद.

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई-उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि अन्ततः सत्र के अन्तिम चरण में हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने का समय प्राप्त हुआ है। विदेश राज्य मंत्री ने विश्वव्यापी-परिवर्तनों, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और विभिन्न मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रियाओं की समुचित रूप से समीक्षा की है। मैंने भूतपूर्व मन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की बात भी ध्यानपूर्वक सुनी है। उन्होंने अनेक विचार व्यक्त किये जिनसे मैं भी प्रभावित हुआ। निःसन्देह, उनकी कई टिप्पणियों से मैं सहमत नहीं हूँ जिन पर मैं बाद में बात करूंगा।

यही सर्वविदित तथ्य है कि अभी हाल ही में विश्वव्यापी परिवर्तन हुए हैं। श्री गोर्बाचोव

ने अपने ग्लासनोल और पेरिस्ट्रोरका के माध्यम से सबसे पहले सोवियत साम्राज्य को बिखेर दिया और पूर्वी और मध्य यूरोप के छः देशों को मुक्त किया। अब उसके बाद समय-समय पर उन्होंने जो भी कदम उठाए उसके परिणामस्वरूप महान क्रान्ति हुई और जो भी सुधार किए उसके परिणामस्वरूप कुछ सीमा तक सोवियतसंघ का भी विघटन हुआ। कम से कम कुछ मामलों में इन राज्यों को एक साथ रखने के प्रयास किए गये हैं। अतः इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस नई घटना से कई स्वतन्त्र राज्य अस्तित्व में आते जा रहे हैं अभी तक तो हम सोवियत संघ से ही सम्बन्ध बनाये हुए थे। परन्तु अब हमें इन विभिन्न राज्यों विशेषकर, बाल्टिक राज्यों के साथ भी सम्बन्ध बनाने होंगे। मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस दिशा में हमारी सरकार ने समुचित कदम उठाए हैं और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 17 अगस्त 1991 को आर्थिक और वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी पर भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे हमने भी बाल्टिक राज्यों को मान्यता दी है क्योंकि कई अन्य देशों ने भी इन राज्यों को मान्यता दी है।

सोवियत संघ और अन्य राज्य जो कि धीरे-धीरे स्वतंत्र और प्रभुता सम्पन्न होते जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में आगे की घटनाओं पर भी हमें निगरानी रखनी होगी।

इस वैकल्पिक संकल्प के रूप में इसकी आलोचना की गई है और अटलजी के भाषणों में भी कुछ संकेत दिया गया था कि हमने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि 19 अगस्त को हुआ विद्रोह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और श्री गोर्बाचोव फिर से सत्ता में आ जायेंगे इस दृष्टि से यह भी कहा गया है कि उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया थी वह कामरेड गोर्बाचोव से हमारी पुरानी मित्रता के अनुरूप नहीं थी और न ही प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप भी थी। मेरा नम्र निवेदन है कि इन घटनाओं के बाद ये उक्तियां और भी बुद्धिमतापूर्ण होती जा रही हैं। किसी ने भी 19 अगस्त अथवा 20 अगस्त के बारे में नहीं सोचा होगा कि जिस विद्रोह ने गोर्बाचोव को अपदस्थ कर दिया था वह निश्चय ही विफल हो जायेगा और वह विद्रोह 72 घंटे से भी अधिक समय तक चलेगा। स्थिति ऐसी उलझन पूर्ण थी कि कोई भी आगे की घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सका। अतः इस दृष्टि से हमारी सरकार को सचेत प्रतिक्रिया समुचित थी। मंत्री महोदय ने स्वयं इस सभा में बताया था कि सरकार ने श्री आई० जी० यानायेव, कार्यकारी सोवियत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पावलोव और सोवियत सुरक्षा परिषद के प्रथम डिप्टी चेयरमेन बाकलानोव को सोवियत संविधान के अनुच्छेद 127.7 के अनुसार हस्ताक्षरित विवरण को देख लिया है और श्री गोर्बाचोव के राष्ट्रपति के अधिकार उप-राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दिए गए। इसलिये हमने यहां बताया था के हम स्थिति पर सावधानीपूर्वक और लगातार निगरानी रख रहे थे। सोवियत संघ की घटनाएं हमारे और वस्तुतः सम्पूर्ण विश्व के लिए अत्यधिक हित में थी। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति विशेष के लिए यह प्रतिक्रिया उचित ही थी।

किसी देश को एक नेता विशेष के साथ बांधकर नहीं रखा जा सकता है, उसे केवल उस देश की सार्वभौम शक्ति के साथ जोड़ा जा सकता है। जनता उस देश में जो कुछ भी करती है,

अन्ततः उसका हमें सम्मान ही करना है। देश में वास्तविक विदेश नीति को उस देश में विधिवत गठित सरकार को किसी सरकार की मान्यता प्रदान करना होगा फिर सरकार चाहे किसी भी प्रणाली सरकार की हो हमने इस आधार पर अपनी विदेश नीति कभी भी नहीं बनाई कि यदि उस देश में लोकतंत्र है तो हमारे अच्छे या निकट के सम्बन्ध होने चाहिये। चाहे वह प्रजातंत्र हो अथवा तानाशाही हो अथवा किसी भी तरह की सरकार हो, आपकी विदेश नीति सदैव तभी व्यावाहारिक हो सकती है जब कि आप उस देश में जनता द्वारा अपनी इच्छानुसार कानूनी रूप से बनाई गई किसी भी प्रणाली की सरकार को मान्यता दें। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार की उस दिन जो प्रतिक्रिया थी वह पूर्णतः उचित सचेतन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार थी।

[अनुवाद]

अब हम यह कह रहे हैं कि हमें इसका अनुमान लगाना चाहिए कि अंततः श्री गोर्बाचोव जी वापस आयेंगे और वह हमारा मित्र था, और इसलिए, हमें उसका समर्थन करना चाहिए था, आदि। मेरे विचार से जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है उसकी आलोचना करना उचित नहीं है। स्वयं श्री गोर्बाचोव ने हमारे प्रधानमन्त्री जी को पत्र लिखकर सरकार द्वारा दिए गये समर्थन का धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा है :

"मैं विद्रोह के प्रयास के सम्बन्ध में भारत के नेताओं और व्यक्तिगत रूप से आप ने जो दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया उसके लिये आपका आभारी हूं।" यह श्री गोर्बाचोव द्वारा भारत में प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र से उद्धरण है। अतः जहां तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। हमने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है हम उसके अधिकारी थे और इसलिए हम वर्तमान सरकार को भी, जो श्री गोर्बाचोव और श्री बोरिस येलत्सिन के नेतृत्व के अस्तित्व में आई है। समर्थन करने के अधिकारी हैं।

हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी, गोर्बाचोव सोवियत संघ का नेतृत्व करें, यद्यपि जैसा कि कुछ महसूस करते हैं कि जहाँ तक उस देश के सम्बन्ध है बोरिस येल्तसिन अधिक शक्तिशाली होंगे। निःसन्देह हम उस देश में नेतृत्व के लिये उनके आन्तरिक संघर्ष से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन, मैं यह महसूस करता हूँ कि अन्त में, जैसा कि इस समय स्थिति है, श्री गोर्बाचोव वरिष्ठ राजनैतिक नेता होने जा रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव के बाद, शायद, वह एक ढीलें नाम मात्र संघ का नेतृत्व करेंगे। लेकिन वह सोवियत संघ के एक पथ प्रदर्शन के रूप में उभरेंगे। इस दृष्टिकोण से हमें वहाँ नई उभरती स्थिति से निपटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों, जो इस परिस्थिति से उभर रहें हैं, से हमें उसी ढंग से, जैसा कि हम सोवियत संघ से व्यवहार कर रहे थे, व्यवहार करना चाहिए। इसलिये हमें इन नये राष्ट्रों के साथ राजनैतिक और वाणिज्यिक सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका अनुसरण करना चाहिए और हमारे दीर्घावधि हितों की रक्षा करनी चाहिए।

यह सत्य है कि इन सभी घटनाओं के कारण, एक ध्रुवीय विश्व अस्तित्व में आया है। हमें उस एक ध्रुवीय विश्व को भी दृष्टिगत रखना है। लेकिन उसका यह तात्पर्य नहीं है कि

वर्तमान परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। मैं यह महसूस करता हूँ कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नकारात्मक नारा बिलकुल भी नहीं था। यह दो महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का प्रत्युत्तर ही नहीं था। लेकिन यह सभी विकासशील देशों, नयें उभरते राष्ट्रों के लिये अन्य किसी महाशक्ति की विदेश अथवा आर्थिक नीति का गुलाम हुए बिना, राजनैतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये एक सकारात्मक नारा था।

अत: उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि यदि शीत युद्ध समाप्त भी हो गया है, तो भी शायद निरस्त्रीकरण भी उचित दिशा में है। हमें इस गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अब भी जहां तक सम्भव हो पोषण करना है और नेतृत्व करना है क्योंकि इसकी अब भी प्रासंगिकता है और इस आन्दोलन को अलीली नेतृत्व करने और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आज संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण का जिक्र किया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भी मैं यह महसूस करता हूं कि इस गुट निरपेक्ष आन्दोलन को और अधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा और उस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना होगा। यह अच्छी बात है कि इस गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नाम बदलने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है, इसे हाल ही में उस बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया है, और मेरे विचार से, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को किन्हीं अन्य निकायों के साथ मिलाने का भी सुझाव दिया गया था और उस प्रस्ताव को भी अधिकांश लोगों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अत: इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के साथ उसी सक्रियता के साथ जुड़े रहेंगे जैसाकि हम अब तक जुड़े रहे हैं।

अब, महोदय, वर्तमान विश्व परिवर्तन में जो मुख्य मुद्दा उभर रहा है, वह यह है कि सैनिक गुटों का स्थान व्यापार और वाणिज्यिक गुट ले रहें हैं। हमें उस नई स्थिति का ध्यान रखना होगा। पहले बड़ी शक्तियों की दूसरे देशों पर अधिकार प्राप्त करने में रुचि होती थी, लेकिन अब सैनिक दृष्टिकोण से किसी भी देश पर अपना अधिपतय रखने में उनकी रुचि नहीं है। उनकी बाजार पर जमाने में अधिप्तय करने अधिक रुचि है और इसलिये विभिन्न वाणिज्यिक ब्लाक बनायें जा रहें हैं। एक और हम देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी नजदीक आ रहे हैं। अनेक अन्य वाणिज्यिक ब्लाक बनाये जा रहे हैं और उस दृष्टिकोण से अब हमारी विदेश नीति भी देश के वाणिज्यिक और व्यापारिक हितों की ओर अभियुद्ध होनी चाहिये। इसलिये मेरे विचार से उस दृष्टिकोण से इस देश में व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगीकी के हित के उद्देश्य से 'दक्षेस' एक अत्यधिक आवश्यक संगठन होगा। 'दक्षेस' एक ऐसा संगठन हैं जिसमें हम एक अच्छी भूमिका निभा रहें हैं और अभी मंत्री जी ने कहा है कि भूटान नरेश ने हाल ही में हमारे देश की यात्रा की है। अब 'दक्षेस' के अध्यक्ष राष्ट्रपति गयूम, ने भी यात्रा की है और श्री लंका में अगला 'दक्षेस' सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और वे भी भारत के साथ अच्छे सम्पर्क बनाये हुये हैं।

पाकिस्तान का मुद्दा सबसे अधिक क्षोभक है। भारत और पाकिस्तान 'दक्षेस' संगठन के

सबसे बड़े देश हैं और जब तक भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार नहीं होता, तब तक मेरे विचार से 'दक्षेस' के उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन होगा।

मुख्य अड़चनें ये हैं कि पाकिस्तान सदैव अपना दृष्टिकोण बदलता रहा है उनकी सद्-घोषणाएं सदैव यह रहती है कि हम भारतीय राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहें हैं। वे सदैव इस बात से इन्कार करते हैं कि हम पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं लेकिन वास्तव में, सदैव प्रमाण यह पाया गया है कि वे इन आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं। जहाँ तक इन दोनों देशों के सम्बन्धों का प्रश्न है, यह बात सबसे अधिक क्षोभक है। पाकिस्तान में प्रधानमन्त्री के विशेष छूट, विदेश सचिव, श्री शहरयार खाँ ने एक नये अध्याय की शुरूआत करने के बारे में कहा था। लेकिन उसके तुरन्त बाद जब अंकारा में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की बैठक हुई तो उन्होंने तुरन्त वहाँ पर कश्मीर का मसला उठाया। अतः भारत के लिये उचित दृष्टिकोण अपनाना अत्यधिक कठिन हो गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह अत्यधिक अप्रत्याशित है और वह दो प्रकार की बातें करता है। अतः इस देश के साथ निपटना बहुत कठिन हो गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिये, अत्यधिक बात 'दक्षेस' सम्मेलन की सफलता पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से, इस स्थिति से, निपटने के लिये एक सम्पूर्ण और उचित नीति तैयार करनी पड़ेगी जहाँ तक कश्मीर मुद्दे पर गलत सूचना देने का सम्बन्ध है, हमें अधिक ध्यान रखना है। हाउस आफ कामन्स के वाद-विवाद से भी यह स्पष्ट है कि कई सदस्यों ने पाकिस्तान के पक्ष में विचार प्रकट किये थे। केवल सरकार ने ही हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया था और यह कहा था कि इस मुद्दे का शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय समाधान किया जाना चाहिये। जब मैं समस्त वाद-विवाद को पढ़ता हूं, तो पता चलता है कि न केवल अनुसार हल, बल्कि श्रमिक दल के नेताओं ने भी कश्मीर पर भारत के रुख के बारे में प्रतिकूल विचार प्रकट किये गये थे। हमें इस बात का तुरन्त आभास उस समय हो गया था जबकि ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मन्त्री श्री कोफमैन ने हमारे देश का और पाकिस्तान का दौरा किया था और कतिपय टिप्पणियाँ की थीं। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भ्रमित जानकारी देने के इस अभियान का सम्बन्ध है, सरकार को अधिक सावधानी बरतनी चाहिये। अन्यथा यह एक अच्छा उद्देश्य है, और विश्वभर में इसका गलत अर्थ लगाये जाने की सम्भावना है। हमें इस सम्बन्ध में और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहाँ तक चीन का सम्बन्ध है, हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने दिसम्बर, 1988 में उस देश की यात्रा करके शुरूआत की थी और अब चीन के प्रधान मन्त्री भी यात्रा पर आयेंगे। मेरे विचार से इन दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में भी सुधार आयेगा और एक लम्बे अर्से से चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो सकता है।

जहाँ तक खाड़ी संकट का सम्बन्ध है, भारत ने निरन्तर और स्पष्टतया आक्रमण का विरोध किया गया है और कुवैत से ईराक के पूर्ण और बिना किसी शर्त वापसी की माँग की थी। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्पों का समर्थन और

अनुपालन भी किया था, जिसमें संकल्प सं० 661 भी शामिल है जिसमें ईराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। अब यह भी बताया गया है कि लगभग 30,000 हमारे प्रवासी वापस चले गये हैं और सरकार वापस गये भारतीय प्रवासियों के लिये शीघ्र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास भी कर रही हैं। सरकार को इसके बाद भी इसका अनुसरण करना चाहिये। अतः कतिपय क्षेत्रों में कुछ और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। परन्तु जहाँ तक सामान्य संरचना का सम्बन्ध है, मेरे विचार से सरकार सतर्क है और उचित नीति का अनुसरण कर रही है और समय-समय पर हो रही विश्व घटनाओं पर अपनी उचित प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर उस समय चर्चा कर रहा है जब विश्व ऐतिहासिक महत्व तथा अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। शीतयुद्ध का युग समाप्त हो चुका है और अब दो महाशक्तियाँ एक दूसरे से राजनीतिक, आर्थिक तथा वैचारिक क्षेत्र में उलझने के बजाए एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कर रही हैं। उनका यह प्रयास है कि वे कम से कम कोई ऐसा सामान्य आधार तैयार कर सकें जिस पर वे एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। अब मानवता के विनाश का काफी खतरा कम हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब यह दोनों महाशक्तियाँ हथियारों की दौड़ में शामिल थी तो निश्चय ही अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियाँ, उपनिवेशवादी शक्तियाँ उस समय उभर रहे नए विश्व के स्वरूप को समझने में सफल नहीं रही थीं, वे इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकी थीं कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद विश्व में एक नई चेतना का संचार हो चुका है और जब अधिकांश राष्ट्र स्वतन्त्र हो रहे थे तो अमेरिकी गुट पूरे विश्व पर हावी होने के दृष्टिकोण से काम कर रहा था। वे उस नई मानवता को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न कर रहे थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मी थीं। सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों को भी धमकी दी जा रही थी वे इस तरह का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सके कि आपसी सूझबूझ तथा सहयोग का भी कोई आधार हो सकता है। मेरे विचार से वास्तविक समस्या यह थी कि उनमें विश्वास का अभाव था। यह अविश्वास ही उनमें मुकाबले का मुख्य कारण था जिससे हथियारों की होड़ को पूरे विश्व में सहायता मिली। यह एक ऐसा युग था जब हुए स्वतन्त्र नए राष्ट्र अपनी अर्थ व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी गरीबी, बेरोजगारी, की मूल समस्याओं को हल करने व सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। वे दिन प्रति दिन की चुनौतियों से निपटने हेतु अपने अपने संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए एक नए शांत युग की तलाश कर रहे थे।

जब वे उस पृष्ठभूमि में आपस में उलझ रहे थे, उसी समय निर्गुट आंदोलन का जन्म हुआ जिसने ऐतिहासिक भूमिका निभायी। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस विचार से सहमत हूं कि यह केवल आर्थिक मजबूती नहीं है जो किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने की शक्ति प्रदान करती है बल्कि इसके लिए उस देश की अपनी संकल्पना तथा उसके अपने आदर्श भी होने चाहिये। भारत स्वयं एक निर्धन देश था। हम अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन हमें उस समय उभर रही नई विश्व व्यवस्था का ज्ञान हो चुका था; हमने यह

कल्पना की थी कि किस प्रकार के विश्व का निर्माण किया जाना चाहिये। हमने यह ठीक ही सोचा था कि साम्राज्यवाद को पराजित करना होगा तथा उपनिवेशवाद को दूसरे देश के अन्दरूनी मामलों हस्तक्षेप करने तथा उस पर हावी होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अतः हमने नव स्वतन्त्र देशों को निर्गुट-आन्दोलन के एकता सूत्र में पिरोकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई और कुछ मुद्दों को उठाया। हालांकि प्रारम्भ में हमें गलत समझा गया लेकिन अंततः निर्गुट आन्दोलन के साथ ही इसकी प्रासंगिकता, इसकी भूमिका इसके विचारों एवं इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की सभी शक्तियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और सराहा गया।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हथियारों की होड़ कम हो रही है। हमें यह खुशी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार सामरिक महत्व के कुछ हथियारों में कटौती करने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दोनों महाशक्तियों ने इस बात को समझा है कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है और आणविक युद्ध की परिणति विश्व के विनाश के रूप में होगी। यहां तक कि अमेरिका, जिसके नेता सीमित आणविक युद्ध की बात किया करते थे, को भी आणविक युद्ध के खतरे को समझना पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दिशा में यह प्रमुख सफलता है। श्री गोर्बाचौव ने निःसन्देह ही एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इतिहास में उन्हें हमेशा याद किया जायगा। वह अपने देश की अन्दरूनी आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याओं को हल को हल करने में असफल अथवा सफल हुए हों, इस बारे में इतिहास अपना निर्णय देगा, लेकिन उस भूमिका के सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती है जिसे उन्होंने दो महाशक्तियों के बीच मौजूद अविश्वास को दूर करने, एक-दूसरे में परस्पर विश्वास पैदा करने तथा आमने सामने बैठकर बातचीत करने और विश्व की पुरानी समस्याओं पर चर्चा करने के सम्बन्ध में निभाई है। उन्हें एक महान शांति-दूत के रूप में याद किया जायेगा। उन्हें उस महान व्यक्ति के रूप में याद किया जायगा जिसने विश्व के पूरे मानचित्र को बदलने में महान योगदान दिया है। लेकिन अन्य बातें भी सामने आ रही है। मैं नहीं कहूंगा कि अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बन गया है। हो सकता है, आज हमें ऐसा लगता हो। लेकिन हम विश्व में उभर रहे अन्य देशों तथा अन्य शक्तियों को भी दुर्बल नहीं समझ सकते हैं। मैं आज भी यह महसूस करता हूँ कि नये स्वतन्त्र देशों की सामूहिक बुद्धिमत्ता से निर्गुट देशों की अभी भी बहुत बड़ी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसकी कुछ आंतरिक समस्यायें हैं। लेकिन निर्गुट देशों को उन समस्याओं को हल करना है और उन्हें इन समस्याओं से नए ढंग से निपटना है। उन्हे यह सोचना है कि वे किस प्रकार के विश्व का निर्माण करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं समझता हूँ कि जर्मनी एक संयुक्त जर्मनी के रूप में उभरा है। आज यह एक बड़ी शक्ति है। यह कम से कम एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है। एशिया में जापान की गणना इसके साथ की जा सकती है फ्रांस यूरोपीय समुदाय में अपनी स्वयं की भूमिका निभाने के साथ-साथ विश्व राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा रहा है हमारी आन्तरिक समस्याओं के बावजूद, भारत और चीन विश्व की प्रमुख शक्ति बने रहेंगे। हमने यह कभी नहीं सोचा कि सैन्य शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। भारत के पास समूचे विश्व को देने के लिए अपना एक संदेश है। हमने

महज इसलिए सोवियत संघ तथा अमेरिका की ओर नहीं देखा कि वे प्रमुख सैन्य शक्ति हैं। यद्यपि हम कोई आर्थिक शक्ति नहीं हैं, फिर भी हमारे पास शांति तथा सहयोग का संदेश है। हमारे नेताओं ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है तथा तीसरी दुनिया के सभी देशों की स्वतन्त्रता में अपना ऐतिहासिक योगदान दिया है स्वयं गांधी जी ने, केवल अपने दर्शन से, केवल अपनी वचन बद्धता से, मानवता की सेवा के प्रति केवल भारतीय जनता की मदद से इस धरती पर सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती दी थी। हमारे पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। हमने हिंसा में भी विश्वास नहीं किया और हमने किसी छापामार युद्ध अथवा किसी सशस्त्र बल की सहायता से भी आजादी नहीं प्राप्त की। बल्कि यह हमारे विचार, हमारे दर्शन तथा हमारे आदर्श थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मैं सोचता हूँ कि भारत को इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसे विश्व को एक नया बोध, एक नई दिशा देने के लिए उस भूमिका को निभाना है। मैं सोचता हूँ कि यह एक वास्तविक चुनौती है जिस पर विदेश मंत्रालय को बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसे यह सोचना चाहिए कि इस समय उभर रहे नए विश्व में हम किस तरह की भूमिका निभाने जा रहे हैं।

मैं देखता हूँ कि सोवियत संघ की आंतरिक स्थिति खराब होने के बाद तीसरी दुनिया के कई देशों में एक डर की भावना फैल रही है। क्यूबा का क्या होगा? मध्य-पूर्व देशों का क्या होगा जहां, खाड़ी युद्ध के बाद, अमेरिका ने काफी अच्छी धाक जमाई है?

श्री चित्त बसु (बारसात)—भारत का क्या होगा?

श्री चन्द्रजीत यादव—मुझे भारत के बारे में इतना अधिक भय नहीं है। भारत स्वयं शक्तिशाली है और भारतीय लोगों ने इस तरह की कई गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। अतः भारत को कोई खतरा नहीं है। हमारे जैसे देश में, समस्यायें हमेशा रहेंगी। अतः तीसरी दुनिया के देशों में एक प्रकार के भय तथा शंका का वातावरण पैदा किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि भारत को यहां अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपने आकरा में यह प्रस्ताव करके कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक लोक-तन्त्रात्मक बनाया जाना चाहिए और कुछ और देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है। अगर उसके लिए आप बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त कर रहे हैं तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नई दिल्ली में हुए निर्गुट शिखर सम्मेलन के बाद समूचे विश्व को यह संदेश जा चुका है कि निर्गुट आन्दोलन की भूमिका दिन-प्रतिदिन कम होती जा रहा है। वास्तविक चुनौती यह है। निर्गुट देश किस प्रकार कोई सामूहिक निर्णय लेने जा रहे हैं? वे अपनी भूमिका किस प्रकार निभाने जा रहे हैं? हम दक्षिण-दक्षिण सहयोग में क्या भूमिका अदा करने जा रहे हैं? हम उस स्थिति में क्या करने जा रहे हैं जहाँ उत्तर-दक्षिण सहयोग होना चाहिए? कतिपय निर्णय लिए गए थे। लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। बल्कि वे व्ययगत हो गए। मैं विदेश मन्त्रालय से अनुरोध करूंगा

कि भारत को अगले निर्गुट सम्मेलन में अपने विस्तृत कार्यक्रम के साथ जाना चाहिए। उसके पूर्व, आवश्यक कार्य कर लिए जाने चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एशियाई व्यक्तित्व के प्रादुर्भाव के बारे में बात किया करते थे। आज एशियाई व्यक्तित्व कहाँ है? मैं कहूँगा कि हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या—यदि जर्मनी है निर्गुट आन्दोलन में एक प्रेक्षक के रूप में शामिल होता है—चीन के भी निर्गुट-आन्दोलन में एक प्रेक्षक के रूप में शामिल होने की कोई संभावना है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम केवल इस बात की प्रशंसा ही करते रहें कि चीन और भारत ने अब आपस की कुछ गलत फहमियों को दूर कर लिया है। हमें इस दिशा में सोच समझकर प्रयास करना चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए जिससे कि भारत और चीन संयुक्त रूप से एशियाई देशों को एक साथ लाने के लिए कतिपय पहल करने में सक्षम हो सकें। बल्कि मेरी सलाह यह है कि न केवल दक्षेश बल्कि 'एशियई' देशों को भी एक साथ आना चाहिए। दक्षेश देशों तथा एशियाई देशों के बीच किसी प्रकार का सहयोग एवं समन्वय क्यों नहीं स्थापित हो सकता है। हमें इस की सम्भावनाओं का पता भी लगाना चाहिए जिससे कि यह कार्य किया जा सके।

मुझे अवश्य ही यह कहना चाहिए कि एक भारतीय के रूप में मेरा गर्व आहत हुआ है। एक समय था जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने में अपनी भूमिका निभाता था—चाहे वह बानडन्ग रहा हो, चाहे निर्गुट—आन्दोलन रहा हो, चाहे 'एशियन' सम्मेलन अथवा दुनिया की तमाम कठिन समस्याओं को हल करने में भारत द्वारा सुझाए गए रास्ते को अपनाये जाने की बात हो, उसने अपनी भूमिका अदा की लेकिन आज भारत कम्बोडिया में कहा है, अफगानिस्तान में कहाँ है। उस वक्त भारत कहाँ था जब दक्षिण अफ्रीका के वास्तविक मुद्दे उभर कर सामने आए थे। उस समय भारत कहाँ था जब नामीबिया आजाद हुआ। इस समय भारत कहाँ है जब वह इस्रायली आक्रमण के विरुद्ध अरब देशों को अपना समर्थन दे रहा है। और अब मध्य पूर्व सम्मेलन में इस समस्या को हल करने के लिए कोई पहल की जा रही है तो इस स्थिति में भारत कहाँ है। इससे एक भारतीय के रूप में मेरा गर्व आहत होता है और आज विश्व में भारत की भूमिका कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है। यह बहुत बड़ी चुनौती है और भारत को अपने अन्दर झांककर यह देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तथा उसे इस दिशा में कुछ और करना होगा।

मैं समझता हूँ कि भारत ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समय रहते कार्यवाही नहीं की। इससे भी हमें काफी क्षति हुई है।

इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। इराक और कुवैत दोनों निर्गुट आन्दोलन के सदस्य हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि एक निर्गुट देश ने दूसरे देश पर आक्रमण किया। उस समय भारत ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की और बाद में बड़े मनौनी भरे एवं मन्द स्वर में कहा कि हम आशा करते हैं कि इराक अपनी सेनाएँ वापस बुला लेगा तथा समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा।

4 00 म० प०

इस तथ्य के बावजूद कि इराक हमारा मित्र है, भारत को इराक की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए थी। भारत को कभी भी अपनी मूल स्थिति तथा अपने आदर्शों से विमुख नहीं होना चाहिए। इराक ने कुवैत को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और हमने सब कुछ अमेरिका पर छोड़ दिया। अमेरिका ने जनमत तैयार किया और 27 देशों को अपने पक्ष में कर लिया तथा मध्यस्थ बनकर कुवैत जैसे छोटे राष्ट्र का रक्षक बन गया। भारत इस प्रक्रिया में बिल्कुल अदृश्य रहा। यए एक ऐसी बात थी जिसे एक बहुत गम्भीर भूल कहा जा सकता है। हमें यह बात बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचनी चाहिए कि इस प्रकार की गम्भीर भूल हमसे क्यों हुई।

4 01 म० प०

(श्री शरद दिघे—पीठासीन हुए)

हमारे मित्र देश सोवियत संघ में क्या हुआ? सोवियत संघ में जब श्री गौर्बाचेव, जो भारत के बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, नजरबंद थे, तो श्री बुश श्री गौर्बाचेव का पता लगाने, उनकी कुशलता के बारे में जानने तथा उनका स्वास्थ्य जानने के लिए बहुत तत्परता से प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारत ने चुप्पी साध रखी थी। यहां तक कि हमने मास्को फोन करके श्री गौर्बाचेव की खबर लेने का भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। हमारे प्रधानमन्त्री की पहली प्रतिक्रिया काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी।

[अनुवाद]

जब श्री गोर्बाचेव को सत्ता से हटाया गया और जब उनके जीवन को खतरा था तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक देश के नेताओं को बिना गम्भीरतापूर्वक सोचे विचारे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इससे क्या सन्देश मिलता है? इससे यह सन्देश मिला था कि श्री गौर्बाचेव गलत थे और उनसे उस समय गलती हुई जब उन्होंने सोवियत संघ में परिवर्तन किये जो इस स्थिति के लिये तथा क्रीमिया में उनकी नजरबन्दी एवं तख्ता पलटने के लिये जिम्मेदार थे।

मैं विदेश मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, यद्यपि मुझे पता है कि वह इसका उत्तर इस सभा में नहीं दे सकते हैं—कि उस समय विशेष पर भारतीय राजदूत की रिपोर्ट क्या थी? मुझे बताया गया है कि उन्होंने पूरी तरह से एक गलत रिपोर्ट भेजी थी जो पूर्णतया गलत मूल्यांकन पर आधारित थी। मैं पहले ही इस सभा में कह चुका हूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्री से यह कहते हुए अनुरोध किया था कि वह तख्ता पलटने वाले नये नेताओं के रक्षा मंत्री को अपना मुबारकबाद दें और अपने बधाई संदेश भेजें। ऐसा उन्होंने इसलिये कहा क्योंकि सोवियत संघ में सेना काफी शक्तिशाली है और वह यहां टिकने के लिये आई है। अत: हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिये जो तख्तापलट नेताओं को विरोधी बना दे। क्या यह भारत जैसे देश के लिये सही ढंग की प्रतिक्रिया है जो स्वयं कुछ निश्चित आदर्शों एवं उद्देश्यों के

प्रति वचन बद्ध है ? मैं समझता हूं कि इस तरह की भयंकर भूल से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा गिरती है।

मैं कहूँगा कि अब हम एक नये युग में पदार्पण कर चुके हैं। हो सकता है कि यह एक पूर्ण सहयोग का युग न हो क्योंकि अभी विश्व उस अवस्था में नहीं पहुँचा है। लेकिन, यह युग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पुनर्सामंजस्य स्थापित करने का है। हम अपनी आँखे बन्द करके यह नहीं कह सकते हैं कि यह हमारे दुश्मन का शिविर है और वह हमारे मित्रों का है। सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की पुनर्संरचना हो रही है। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व एक नये प्रकार के युग में प्रवेश कर चुका है। अतः, भारत को अभी से पहल करनी चाहिये और कुछ एशियाई देशों, कुछ यूरोपीय देशों, जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, से बातचीत करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। हमने फ्रांस, जर्मनी और जापान तथा जैसा कि मैंने पहले कहा है, विशेष रूप से चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

मैं विचार से यह बड़े सन्तोष की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रशसनीय भूमिका निभा रहा है। भारत के लिये यह अच्छी बात है कि उसने हमेशा ही इसका समर्थन किया है, यहाँ तक कि उस समय भी जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका, इंग्लैण्ड और अन्य देशों द्वारा तीव्र आक्रमण किया जा रहा था। उस समय भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ रहा। उससे यह सही सिद्ध हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र को समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

मैं समझता हूं कि अक्रा में व्यक्त किये गये इन विचारों पर हमें ध्यान देना चाहिये कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होना चाहिये, इसका विस्तार किया जाना चाहिये और यह कि इसकी सम्पूर्ण भूमिका की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका होनी चाहिये ? इसका पुनर्गठन किस प्रकार किया जाना चाहिये ? केवल एक या दो देशों का नहीं बल्कि उसमें किस तरह का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और इस प्रक्रिया में निरगुट देशों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा ? मैं समझता हूं कि यह एक पहल है जो ठीक समय पर की गई है। इस पर समुचित ढंग से कार्यवाही की जानी चाहिये। भारत को कुछ निरगुट देशों तथा कुछ यूरोपीय देशों से भी गम्भीरतापूर्वक बातचीत शुरू करनी चाहिये। मुझे पक्का यकीन है कि इस मुद्दे पर हम कई देशों का समर्थन प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

जहां तक दक्षेश का सम्बन्ध हैं, मेरा कहना है कि यह अभी भी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा हैं। इसमें गतिशीलता समुचित समन्वयन का अभाव है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण यहां तक कि दक्षेश में भी, भारत की अपनी समस्यायें हैं। दक्षेश जैसे छोटे संगठन में भी भारत अलग-अलग पड़ जाता है। हमें इन बातों के प्रति काफी सावधान होना चाहिये। भारत को प्रत्येक कदम समुचित विवेक और समुचित सम्बन्धों के साथ उठाना चाहिये। कोई भी कदम बिना अनुकूल माहौल पैदा किये नहीं उठाया जाना चाहिये।

आप पड़ोसी देशों के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तो ठीक है। आपने कहा है कि हमें

अपने पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों को सुधारने को प्राथमिकता देनी चाहिये। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दी गई एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी को आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। इस तरह की टिप्पणी हमें विश्व परिप्रेक्षय में देनी चाहिये। पण्डित जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि विश्व के सभी देश अब हमारे पड़ोसी हैं। क्योंकि संचार माध्यमों के अन्तरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा हर ऐसी चीज के विकास की वजह से विश्व काफी सिकुड़ता जा रहा है। इसलिये उन्होंने कहा था कि अब विश्व के सभी देश हमारे पड़ोसी देश हैं। अत:, हम अपनी विदेशी नीति को मात्र अपने आस पास के कुछ के देशों तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं बल्कि विश्व के सभी देशों के बारे हमें व्यावहारिक रूप से सोचना होगा और संघर्ष, व्यापार, आर्थिक हित, आदि के सम्भावित क्षेत्रों पर विचार करना होगा। यह बात अब मानी जा चुकी है कि विश्व में कहीं भी यदि बड़े पैमाने पर कोई संघर्ष होता है तो वह पूरे विश्व में फैलने के लिये बाध्य है और चूंकि युद्ध अविभाज्य हो चुका है इसलिये शान्ति भी अविभाज्य हैं। मैं केवल इस बात पर ओर देना चाहता हूँ। कभी-कभी मुझे इस देश में ऐसी आवाज भी सुनाई देती है जैसे कि हमें विश्व से कुछ लेना देना ही नहीं है और हमें केवल अपने पड़ौसी देशों के प्रति ही सोचना चाहिए तथा उनके साथ सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास करना चाहिये। ऐसा भी हो सकता है कि आप विश्व की किसी स्थिति के प्रति अपना कोई रुख अपनाते हैं और इस पर पड़ौसी देश आपको अपना समर्थन नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपको विश्व स्तर पर कोई पहल बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिये।

अतः, अपने पड़ौसियों के साथ सम्बन्धों को सुधारते समय हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि विश्व का एक नया स्वरूप उभर रहा है तथा हमें अपने सम्बन्धों को अन्य देशों के साथ भी सुधारना है।

मैं कहूँगा कि हमें इस बात पर भी काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या हमारे पास एशियन हस्तियों, जिन्हें हम एशियन हस्ती कहते हैं; अथवा एशियन समन्वयन मंच की तरह ही किसी अन्य प्रकार के मंच के साथ भी सम्बन्धों को सुधारने की कोई सम्भावना है—मैं 'दक्षेश' और 'एशियन' के बीच किसी प्रकार के समन्वयन की बात कह चुका हूँ। यूरोप के देश 'कामन यूरोपियन होम' की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कई तरह के कदम उठाए हैं। अब उनके पास एक संसद है, एक आर्थिक संगठन है और वे सब कुछ एक होने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी एक ही यूरोपीय सरकार का प्रस्ताव किया है। जहाँ एक तरफ विकसित देश एक होने तथा अपने मत भेदों को स्वयं अपने संगठन के ही भीतर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं; साथ-साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं; संयुक्त राष्ट्रों के रूप में उभर रहे हैं; संयुक्त राष्ट्रों के रूप में उभर रहे हैं वहीं दूसरी ओर नए स्वतन्त्र देशों—तीसरी दुनिया के देशों—मैं जहाँ महान एकता की आवश्यकता है, हम एक दूसरे के साथ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तथा बड़े मुद्दों पर एक दूसरे के साथ लड़ने की छवि स्थापित कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि भारत को अवश्य ही कुछ अन्य देशों के साथ आगे बढ़ना चाहिये। कुछ अन्य देशों के साथ आगे बढ़ने में मुझे चीन तथा हो सकता है कि कुछ सीमित स्तर तक जापान

के साथ भी संयुक्त पहल की सम्भावना नजर आती है। किन्तु चीन के बारे में तो निश्चित ही सम्भावना है। गत दो, तीन वर्षों में मैंने चीन का दो या तीन बार दौरा किया है। एक बार उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बताया था कि वे कम से कम यह देखने के लिये कि हम क्या-क्या एक साथ कर सकते हैं, हम आर्थिक सहयोग के मामलों में संयुक्त रूप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, भारत के साथ संयुक्त से मना करना चाहेंगे। इन सभी मामलों में भारत सरकार को बहुत गम्भीरता पूर्वक सम्भावनाओं की खोज करनी चाहिये। हमें प्रतीक्षा करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि "शुरूआत चीन से होनी चाहिये।" यह शुरूआत चीन से ही क्यों होनी चाहिये ? हमें अपनी ओर से पहल क्यों नहीं करनी चाहिये ? अतः मैं अपने विदेश मन्त्रालय से चाहूँगा कि वह इस पहलू की ओर अधिकाधिक ध्यान दे।

अमेरिका द्वारा सम्पूर्ण विश्व पर रोब झाड़ने का खतरा है। आज हम जो देखते हैं वह यह है कि अमेरिका ने अपने लिए पूर्णरूपेण एक नई भूमिका चुन ली है और सोवियत संघ को पाँच मुद्दे बताते हुए कहा कि आप उन्हें अवश्य ही स्वीकार करें तभी हम आपकी सहायता करेंगे। बाल्टिक देशों के तीन नव नियुक्त मंत्री व्हाइट हाउस गये तो श्री बुश ने उनसे कहा, "आप इस बात पर ध्यान दें कि जब तक आप ये राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधार नहीं करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण में तथा नए यूरोप में अपनी भूमिका में परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक हम आपकी सहायता करने में समर्थ नहीं होंगे।" इस प्रकार की भूमिका में गम्भीर खतरा निहित है। इसे कैसे रोका जाए ? हमारा देश भी अमेरिका के साथ सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। कोई भी इस कार्य का विरोध नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही भारत यह कभी स्वीकार नहीं करेगा और न ही उसे करना चाहिये कि कोई अकेला देश इस प्रकार से हुक्म जारी करे मानो कि वह अन्य देशों के हितों को जानने वाली केवल एक मात्र विश्व शक्ति बन गया हो। यह अन्य देशों के आन्तरिक एवं घरेलू मामलों स्पष्ट रूप से एक हस्तक्षेप है। इस प्रकार की प्रवृत्ति अवश्य ही रोकना चाहिये और इसके लिए भारत इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर सकता है कि इसका सामना कैसे किया जाये।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहूँगा वह है कि हमें विश्व जन मत का ध्यान रखना होगा। विश्व जन मत भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमें अवश्य ही यह जानना चाहिये कि अमेरिकी जनमत ने उस समय एक बड़ी भूमिका निभाई जब अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण किया था और वहाँ के लोगों को निष्ठुरता से मार रहा था। उस समय वहाँ अमेरिका के अन्दर विश्व जन मत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम जानते हैं कि वहाँ पर जन मत किस प्रकार उभर कर सामने आया। हम शीत युद्ध के युग की समाप्ति तथा एक नये युग के उदय की बात कर रहे हैं। विश्व के कोने-कोने से अनेकों लोग आपस में मिलते रहे हैं और विश्व-शान्ति की स्थापना हेतु सामूहिक पहल और प्रयास करते रहे हैं। अतएव, एक नवीन प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने में जनमत भी एक महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाता है। मुझे खुशी है कि हमारा विदेश मन्त्रालय इस बात का ध्यान रखा रहा है। और हम देश के निवासियों को कम से कम हम मुख्य मुद्दों पर तो सफलता प्राप्त हुई है कि हमारी विदेश नीति और उसके अनेक

सिद्धान्तों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में प्रयास करना समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। हमें जारी रखना चाहिये। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि परमाणु स्रोतों की दौड़ के समाप्त हो जाने के कारण हम एक नये युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसलिये इस बारे में जनमत की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमें शान्ति की स्थापना हेतु और न्याया, समानता, बंधुत्व और मानव-गरिमा पर आधारित एक नये विश्व की स्थापना हेतु जनमत का निर्माण करने पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं देख रहा हूँ कि आज चारों तरफ एक विश्व व्यवस्था की बात हो रही है। शायद हमने एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के अपने उद्देश्य को चुपचाप त्याग दिया है। मैं समझता हूँ कि आज पहले से भी कहीं अधिक इस बात की आवश्यकता है कि भारत को इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखने चाहिये, भारत को यह नया संघर्ष करना चाहिये कि हम न्याय, समानता और मानव-गरिमा पर आधारित एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ शोषक तथा समर्थ देश छोटे राष्ट्रों पर किसी प्रकार का दबाव न डाल सकें।

आगे, मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से हम हिन्द महासागर के एक शांति क्षेत्र होने के बारे में नहीं सुन रहे हैं। उस पहल का क्या हुआ? अमेरिका तो सदैव से ही समस्याएं खड़ी करता आ रहा था। वे हम उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। पिछले दस वर्षों से वे ऐसा करने में सफल भी रहे हैं और उन्होंने कोलम्बो में हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु सम्मेलन का आयोजन नहीं होने दिया। मैं समझता हूँ कि हमें इस दिशा में पुनः प्रयास करना चाहिये और इस सम्मेलन को आयोजित करने का प्रयास करना चाहिये।

मुझे आशा है कि हमारी विदेश मंत्रालय हमारे विदेशी प्रचार की ओर अधिक ध्यान देगा। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जनमत को गुमराह करने हेतु विदेशों में प्रचार करने में हमारे देश की तुलना में कहीं अधिक सफल रहा है और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने कदाचित उग्र स्वर में कश्मीर का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है। अतः पाकिस्तान की ओर से किये जाने वाले इस उग्र और आक्रामक प्रचार का हमें सही जवाब देना चाहिये। हमें इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिये। मुझे पूरा यकीन है कि नवीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर हम दिशा में सामूहिक प्रयास करना जारी रहेगा और भारत अपने महान ऐतिहासिक मूल्यों और परम्परा को कायम रखते हुए इस विश्व को एक बेहतर, शान्तिपूर्ण निर्धनता रहित और किसी एक देश शक्तिशाली राष्ट्र से अन्य राष्ट्र को भयमुक्त बनाने में अपना योगदान देता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)—सभापति महोदय, चर्चा का क्षेत्र निस्संदेह अत्यन्त व्यापक और विशाल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं पर विचार

करना इतने सीमित समय में सम्भव नहीं है अतएव, मैं अपने आपको केवल एक अथवा दो मुद्दों तक सीमित रखने का प्रयास करूंगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अनेक वक्ताओं द्वारा पहले से ही उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर कहने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है। परन्तु हमारे पास समय का अभाव है। मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूँ कि मुख्य बात यह है कि हम व्याव-हारिक रूप में एक नये विश्व में जा रहे हैं। आज विश्व बदलने की प्रक्रिया में नहीं, अपितु पहले ही बदल चुका है और भारत जैसे देश के लिये इस नये विश्व में अपना स्थान बनाना और अपने लिये रास्ता खोजना कोई आसान काम नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। इस विषय में विभिन्न मतों और दृष्टिकोणों के मध्य और अधिक चर्चा और परस्पर विचार-विमर्श कराने की आव-श्यकता है। यही कारण है कि विपक्षी दलों के सदस्य इस सत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर दोयम महत्व के विषय के रूप में और सत्र के अन्तिम दिन चर्चा कराने हेतु नियत किये जाने के कारण अप्रसन्न थे और एक चरण में तो यह भी शंकास्पद था। और अब, आप स्वयं यहां की स्थिति देख सकते है। यह सभा व्यावहारिक रूप से तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। यदि आप वास्तव में इस मुद्दे पर गम्भीर हैं तो इस प्रश्न पर चर्चा करने का यह कोई तरीका नहीं है। हम विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर भी चर्चा नहीं कर सके थे। मैं नहीं समझता कि पहले भी कभी बजट सत्र में ऐसा हुआ हो। परन्तु मेरे विचार से हम एक गलत परम्परा का सूत्रपात कर रहे हैं।

अब, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की भूमिका के प्रश्न पर की गई अपनी टिप्पणियों तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहता हूँ। आज तक भारत की क्या भूमिका रही और अब क्या होनी चाहिए ? हम मात्र एक गुट निरपेक्ष देश अथवा तीसरी दुनिया के एक राष्ट्र भर नहीं थे। हम उससे कहीं बढ़कर थे। मैं ऐसा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ। आखिरकार, भारत का तीसरे विश्व के देशों के समग्र समुदाय में और गुटनिरपेक्ष देशों में एक विशेष स्थान था और प्रारम्भ से ही हम एक धर्म योद्धा रहे थे। स्वतन्त्रता के प्रारम्भ से ही, हमारा देश कतिपय निश्चित सिद्धांतों के लिये संघर्षरत रहा है जिनका मेरे अनेक मित्र यहाँ पर पहले ही उल्लेख कर चुके हैं और जिनके लिये हमने अविरत संघर्ष किया और संपूर्ण विश्व में इसके समर्थन में जनमत का अनवरत निर्माण करते रहें हैं—वे हैं शांति, निःशस्त्रीकरण, अहिंसा, सहयोग, तथा गैर—उपनिवेशवाद और जातिभेद का उन्मूलन करना इन सभी मुद्दों पर, भारत ने एक ऐसे विश्व में रहकर धर्म युद्ध किया जिसमें आर्थिक दृष्टि से वह एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि आज की तुलना में कहीं अधिक कमजोर देश था। मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही, हमें द्वितीय विश्व का पूर्ण समर्थन, सद्भावना और भ्रातृत्व प्राप्त होता रहा है। आज भी सभी समाजवादी देशों को भूतपूर्व समाजवादी राष्ट्र के नाप से नहीं पुकारा जा सकता। कुछ राष्ट्र अभी भी समाजवादी ढाँचे के हैं। तथापि, कोई भी इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि भारत जैसा एक देश और तीसरे विश्व के अन्य राष्ट्र उस समय एक संकट के दौर से गुजर रहे थे जब अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें विकासात्मक गतिविधियों के लिये सहायता प्रदान करने का प्रश्न

उठाया जा रहा था तो शक्तिशाली देशों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा था, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। प्रायः हम कठिनाइयों में होते थे और निःसन्देह अपने ही बल पर हम उनसे उभर गये थे। परन्तु हमें इस सम्बन्ध में सोवियत संघ और अन्य समाजवादी गुटों का निरन्तर समर्थन प्राप्त होता रहा। सुरक्षा परिषद् में भी, जब-जब हमें अमेरिका ब्रिटेन और अन्य अनेक देशों द्वारा गोवा, कश्मीर अथवा अन्य किसी मुद्दे को लेकर अलग-अलग किया जा रहा था तो वे सदा हमारे पक्ष का समर्थन करते रहें। परन्तु मेरे विचार से वह, विश्व अब निःशेष हो चुका है। कम से कम वह कमजोर पड़ चुका है और उसे हाशिये पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब, कारण कोई भी हो, परन्तु वे पहले की भाँति हमारे पक्ष का समर्थन करते रहने की स्थिति में नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग निस्संदेह कुछ समूह इस बात को लेकर प्रसन्न हैं। वे इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं कि उनके अनुसार समाजवादी विश्व समाप्त हो गया है, समाजवाद की मृत्यु हो गयी है और समाजवाद को अस्वीकृत किया जा चुका है और अब किसी को समाजवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अमरीका अथवा अन्य कोई शक्तिशाली पश्चिमी पूंजीवादी देश ऐसा कहे तो मैं समझ सकता हूँ परन्तु अपने ही देशवासियों के मुँह से यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि वे यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि समाजवादी राष्ट्रों और विशेष का सोवियत संघ पर यह जो संकट आया है, वह हमारे लिये भी नुकसानदायक है। इस सबसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमसे हमारी शक्ति का भी ह्रास होगा। अतः इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? मैं सचमुच यह नहीं समझ पा रहा हूँ। तथापि, कुछ इस कारण, अंशतः इस कारण और अंशतः स्वदेशी आर्थिक संकट के कारण, मैं यह कहूँगा कि हमें अधिक सावधान हो जाना चाहिए। मैंने आर्थिक संकट की बात की क्योंकि पिछले तीन अथवा चार महीनों से सरकार बार-बार यही बात कह रही है। सरकार का कहना है कि हम संकट के कगार पर खड़े हैं, हमारी तिजोरी खाली है और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं लें उनके द्वारा लगायी गयी शर्तों को पूरा नहीं करें और उनसे पैसा नहीं लें, तो हम अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पायेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाकीदार ठहराये जायेंगे, आदि, आदि। इसलिये रुपये का अवमूल्यन किया गया और देश के सोने को विदेशी बैंकों में गिरवी रखा गया। ये सभी बातें हुई। यह सब कुछ सीधे-सीधे श्री फलेरियों का काम नहीं है। अतः, मैं उनसे इसका जवाब देने को भी नहीं कहूँगा। परन्तु सच तो सच ही है।

अतः महोदय, यद्यपि मैं श्री चनुजीत यादव और श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत हूँ कि जब हमें स्वतन्त्रता मिली थी तो हम आर्थिक दृष्टि से कोई बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं थे, परन्तु अपने सिद्धान्तों, वचनबद्धताओं और समर्थित मूल्यों के बल पर हम भारत की इस अन्तर्राष्ट्रीय छवि का निर्माण कर सके जिस पर हमें गर्व है। परन्तु आज, मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारे आर्थिक आधार का हमारी विदेश नीति से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है। आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि आप की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने पर भी आपकी विदेशी नीति की सुदृढ़ता वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि वह सदैव रही है।

4·28 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब समस्या यह है। मुझे इसी की आशंका है—कि हम एक ऐसी आर्थिक अथवा वित्तीय नीति अपनाने जा रहे हैं जो कि यदि हमने अतिरिक्त सावधानी नहीं बरती तो हमें विदेशी सहायता पर अधिकाधिक आश्रित बना छोड़ेगी। हम हमेशा विदेशों से सहायता लेते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। परन्तु यदि यह विदेशों में—समाजवादी देशों में नहीं—आर्थिक सहायता पर अधिकाधिक आश्रित होते रहें तो, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इससे हमारी विदेश नीति पर भी कोई न कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात से सावधान रहे।

मैं प्रमुख रूप से जिस बात की आलोचना करना चाहता हूँ वह यह है कि पहल का अभाव लगता है। मैं मानता हूँ कि सभी घटनाओं को घटित होने के बाद थोड़ा ही समय हुआ है और हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूँ। परन्तु मुझे हल्का-सा यह आभास हो रहा है कि पहल करने के उत्साह में कुछ कमी है।

अब कहना पर्याप्त नहीं है जैसा कि माननीय मन्त्री ने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में कहा है कि अधिक देशों के साथ हमारे औपचारिक सम्बन्ध बने हुए हैं और सब कुछ ठीक-ठाक है। मैं मन्त्रालय, की उस बात के लिये प्रशंसा करता हूँ कि उसने पिछले वर्ष हमारे देश के लोगों को खाड़ी क्षेत्र से निकालने का कार्य किया था, प्रशंसा करता हूँ। एक अति उत्तम कार्य किया गया था जिसके लिये वे अत्यधिक प्रशंसा के पात्र है। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। लेकिन भारत को इससे भी अधिक कुछ करना चाहिये। मेरा विचार है कि तृतीय विश्व के देश समर्थन, सहायता और एकता जो कि हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, के लिये भारत की तरफ देखते थे। किसी भी कीमत पर जान-बूझकर या अनजाने में, चाहे या अनचाहे में या कतिपय आर्थिक मजबूरियों के अन्तर्गत हमें इस सिद्धान्त को हर हालत में फीका नहीं पड़ने देना चाहिये। इससे हमें बचना चाहिये। हमें पहल करने के लिये आगे आना चाहिये जैसा कि हम पहले किया करते थे। लेकिन मुझे संदेह है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है। मैं केवल दो या तीन उदाहरण देना चाहता हूँ।

कम्यूचिया का मामला लीजिए। वहां कुछ घटनायें हो रही हैं। हम सभी वहाँ विभिन्न गुटों के बीच किसी समझौते की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे वहां चुनाव हो सकें। मुझे आशा है कि वह समय अधिक दूर नहीं है जब वहाँ प्रजातन्त्रात्मक ढंग से चुनी हुई सरकार होगी जो कम से कम उस लम्बे समय से संकटग्रस्त देश में शान्ति और व्यवस्था लायेगी।

विदेश मन्त्रालय की इस रिपोर्ट में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि कम्यूचिया के साथ हमारे सम्बन्ध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। फिर इसमें प्रधानमन्त्री ह्यूनसेन की 7 अक्तूबर से

11 अक्तूबर, 1990 तक की यात्रा का उल्लेख किया गया है, आदि। प्रधानमन्त्री श्री ह्यूनसेन ने कम्बोडिया समझौते में भूमिका निभाने को जारी रखने और कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र के ट्रांजिसनल अथारिटी में भाग लेने के लिये भारत के महत्व पर बल दिया है। यहाँ इसका उल्लेख किया गया है और मुझे खुशी है कि यहाँ इस बात का भी उल्लेख कि । गया है कि कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री हमसे कुछ आशा कर रहे थे।

जहाँ तक कम्बोडिया के समझौते का सम्बन्ध है, मुझे यह पता है कि भारत ने विगत में सकारात्मक भूमिका निभाई है। हमने पेरिस सम्मेलन जो पहले हुआ था, मैं भी भाग लिया था। लेकिन अब कम्बोडिया का संकट जो कि समाप्ति की अवस्था में है तथा समझौता होने वाला है, मेरे विचार से हमें अपने आप से यह पूछना चाहिये कि अब भारत क्या कर रहा है, क्या हम इसका समझौता करवाने में मदद करने के लिये कोई पहल नहीं कर सकते। वे हमारे मित्र हैं। प्रधानमन्त्री श्री ह्यूनसेन हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। वह हमारी सहायता और सहयोग मांगने यहां आये। मुझे बताया गया है कि यदि कम्बोडिया में चुनाव होते हैं तो वहाँ चुनावों के दौरान देख-भाल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र की शान्ति सेना भेजी जायेगी। लेकिन मुझे इस बात की भी जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तिम रूप से बताये गये उन देशों में भारत का नाम नहीं है जो शान्ति सेना में अपने सैन्य दल भेज रहे हैं या भागते रहे हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

भारत की परम्परा यह है कि जहाँ कहीं भी शान्ति सेनाएं गई हैं दूसरी चाहे वह साइप्रस, नामिबीया, वियतनाम या कोरिया हो, भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। भारत शान्ति का प्रतीक है। इसने हमेशा इन शान्ति सेनाओं को अपना सैन्यदल दिया है। हमेशा हमारा नाम दूसरे देशों द्वारा सुझाया जाता था। अब ऐसा क्यों है कि कम्यूचिया के लिये प्रस्तावित शान्ति सैन्य में भारत का छोड़ा जा रहा है? मेरा विचार है कि इन सभी बातों की जाँच किये जाने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को दूसरे दर्जे की श्रेणी में नहीं रखना चाहिये क्योंकि विगत में केवल हमने ही इन लोगों के लिये इतना कुछ किया है। हमने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। हमें यह देखना चाहिये कि हमारी पहल अधूरी न हो। हम सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम फिर सुरक्षा परिषद में आ गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हमारे ऊपर कतिपय बन्धन लगाती है परन्तु इससे हमें कुछ लाभ अथवा प्रतिष्ठा भी मिलती है। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं उस भूमिका का पूर्ण रूप से अनुमोदन नहीं करता जो हम इराक के मामले में सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में निभा रहे हैं। इराक ने बहुत बड़ी गलती की थी। कुवैत के विरुद्ध आक्रमण करके सद्दाम हुसैन ने एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध किया था लेकिन इसके पश्चात् क्या हो रहा है? सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में हमने यहाँ कहा है कि "इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने वाले सुरक्षा परिषद से संकल्प 661 का पालन करने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई अपनी अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा

परिषद के सभी संकल्पों का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और निष्ठापूर्वक उनका पालन करता है।"

युद्ध में इराक की हार हुई। हार का अर्थ है कि अपनी सैनिक शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी गई है, चकनाचूर कर दी गई है। हम उन दिनों को याद करते हैं जब सुरक्षा परिषद के संकल्प के अनुसार संयुक्त राज्य अमरिका इराकी शहरों के न केवल सैनिक ठिकानों पर बल्कि नागरिकों के क्षेत्रों पर भी थी, बमबारी करके अभूतपूर्व आक्रमण किया। आप इसे इराक द्वारा अपनी गलती की कीमत कह सकते हैं। अमरीका का एक लक्ष्य जो अभी राष्ट्रपति बुश द्वारा घोषित किया जाना है वह यह है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सद्दाम हुसैन को सत्ता से नहीं हटाया जाता। यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। आशा है कि यह केवल हमारा लक्ष्य नहीं है। किसी भी कीमत पर सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटना चाहिये, केवल तभी हम इराक से दूसरे तरीके से निपट सकते हैं। यही राष्ट्रपति बुश का दृष्टिकोण है। लेकिन वे सद्दाम हुसैन को नहीं हटा पाये हैं। वह एक अच्छा आदमी हो सकता है। वह एक बुरा आदमी हो सकता है। वह दुष्ट हो सकता है और घृणित हो सकता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वह यह है कि हमारे पास इराक की सिविल जनसंख्या, महिलाओं और बच्चों पर इन आर्थिक प्रतिबन्धों के प्रभाव के बारे में जानकारी है। हमें वहाँ यह जानकारी दी गई है कि वहाँ भुखमरी और कुपोषण के कारण 5 हजार से भी अधिक बच्चों की मृत्यु हुई है और लगभग 15 हजार मरणासन्न हैं। आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण वे आवश्यक खाद्य पदार्थ, दवाईयाँ और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबन्ध समिति में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य होते हैं। वहाँ हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर कम से कम इस बात की कि हम अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते कि आर्थिक प्रतिबन्धों का उद्देश्य इराक की सिविल जनसंख्या को दण्ड देना नहीं है? यदि आप चाहें तो इराकी सेना को नष्ट कर सकते हैं। अमरिका तीन या चार दिन पहले यह पता चला कि संयुक्त राज्य अमरीका के टैंकों ने नई तकनीक प्रयोग करके कैसे हजारों जीवित इराकी सैनिकों को रेत में दफना दिया। यह बहुत भयानक बात है। लेकिन कुछ भी हो वह एक सैनिक कार्यवाही है। मैं नागरिकों की पीड़ा की बात कर रहा हूँ। मेरा यह विचार नहीं है कि भारत को इस मामले पर खामोश रहना चाहिये। यह किसी भी तरह हमारी परम्परा में नहीं है। यदि आप मुझे अनुमति दें, मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनको मैं उद्‌धृत करना चाहता हूँ। यह संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव के निजी प्रतिनिधि श्री मार्टी इन्टीसरी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट की तारीख 30 मार्च, 1991 है।

उनकी रिपोर्ट के अनुसार, हामदी में हारवर्ड विश्वविद्यालय के चिकित्सा दल ने इराक का दौरा किया और यह पाया कि इराक के विरुद्ध बमबारी करने और आर्थिक प्रतिबन्ध जारी रखने के संयुक्त प्रभावों के परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में लाखों बच्चों को मौत का सामना करना पड़ेगा। डॉ० रोब नूबले—वे सभी अमेरिकन हैं—ने हारवर्ड दल की ओर से बताया है कि इराक के ग्यारह प्रमुख शहरों के निरीक्षण क्षेत्रीय दौरों के आधार पर दल के सर्वेक्षण के परिणाम-

स्वरूप हमने मोटे रूप से यह अनुमान लगाया है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से इस आयु के 1,70,000 अतिरिक्त बच्चों की मृत्यु होगी। डॉ० नूडले ने इराक की स्थिति को "जन स्वास्थ्य की विपत्ति" बताया।

युद्ध के दौरान बमबारी के कारण मूल निवासी व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति का कार्य, दवाईयों के प्रशीतन का कार्य और हस्पतालों का कार्य व्यवस्थित करना पूर्ण रूप से कठिन हो गया है या असम्भव-सा हो गया है। हैजा और टाइफाईड महामारी के रूप में फैल रहा है। हारवर्ड दल के अनुमान को 'यूनिसेफ' के डा० एजिन मुरजिल ने भी पुष्टि की है जिन्होंने कहा है कि एक वर्ष से कम आयु के 80% बच्चे पहले ही कुपोषण का शिकार हो रहे हैं।" मैं इस तरह बताता रहूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत से तथ्य और आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि इन सब की एक सीमा होती है।

कुवैत पर ईराक के आक्रमण की निन्दा करने में अन्य शक्तियों के साथ शामिल होना और यदि आप चाहें, अमरीका के सैन्य साहस का समर्थन करना एक बात है। परन्तु, युद्ध के समाप्त होने के काफी समय बाद ऐसे बर्बर आर्थिक प्रतिबन्धों, जिससे आम जनता और यहां तक कि बच्चे भी जीवन की आवश्यकताओं से वंछित हो रहे हैं, का समर्थन करना बिल्कुल दूसरी बात है।

अतः यदि उन्होंने यह रिपोर्ट नहीं देखी और देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। क्या आपको मिल गई ? मुझे उम्मीद है कि उन्होंने यह देख ली है क्योंकि यहाँ कई तथ्य हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। आप उन्हें सत्यापित भी कर सकते हैं।

परन्तु मेरा मुद्दा यह है कि मानवता और मानव की भलाई को ध्यान में रखने की भारत के पुराने रिकार्ड और परम्परा को जीवित रखने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया कि सुरक्षा परिषद् में प्रतिबंध के प्रश्न पर ईराकी सरकार ने केवल उस सीमा तक प्रतिबंधों में छूट की अनुमति मांगी थी जहाँ वह सीमित तेल की बिक्री से विदेशों से कुछ खाद्य और दवाईयां मंगा सके। यदि वह तेल की कुछ मात्रा बेच कर उस धनराशि से खाद्य पदार्थ, दवाईयां दूध आदि खरीद सकें तो तब उनकी जनता जीवित रह पाएगी। परन्तु उनका यह अनुरोध ठुकरा दिया गया, तो भारत क्या कर रहा था ? मैं यह जनना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि केवल दो देशों, यमन और क्यूबा ने ईराक के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया है। अन्य किसी ने नहीं इसलिए मैं चिन्तित हूं। मुझे चिन्ता है कि हम कहां जा रहे हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता परन्तु हमें इस मामले में, एक बात के लिए, आर्थिक विवशताओं के कारण अपने रिकार्ड और सिद्धान्तों की गरिमा को कम नहीं होने देना चाहिए।

इसके बाद दूसरा मामला जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में भी संक्षेप में है, हमारे पड़ोसी देशों में एक है मयनमार अर्थात् बर्मा, मुझे प्रसन्नता है कि कम से इस रिपोर्ट ने यह उल्लेख किया है कि लोकप्रिय शक्तिओं, लोकतांत्रिक ताकतों की निर्वाचित सरकार जिसने वहां चुनाव

में बड़ी सफलता प्राप्त की उसे सत्ता में नहीं आने दिया गया है। बर्मा में सैन्य दल ने उन्हें सत्ता में आने से रोका। वस्तुतः उनके कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया और वह सैन्य दल ही यह कार्य कर रहा है। जनता द्वारा चुने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। अतः यहां इसका उल्लेख किया गया है। परन्तु यह दूसरा प्रश्न है, जिसे मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या हम कोई पहल करने की स्थिति में नहीं हैं। यह वह मुद्दा है जिसको हमें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में उठाना चाहिए। भारत की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है ? शायद वह हमारी बात नहीं सुने, हमारी बात पर ध्यान न दे, परन्तु भारत की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। मैं अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के बारे में चिन्तित हूं। दूसरे देश क्या करते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं है। परन्तु यह बात हमें चोट पहुंचाती है कि भारत ने जो भूमिका पहले निभाई और जिसके लिए भारत कुछ मूल्यों और सिद्धान्तों के लिए जाना जाता था, अब हमें उससे मौन नहीं रहना चाहिए। हम मौन क्यों रहें ?

मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमन्त्री जर्मनी को गए और वहां उनका हार्दिक स्वागत हुआ। विभिन्न वर्गों में भारत के प्रतिक्रिया से वह बहुत संतुष्ट है। यह अच्छा है। परन्तु मैं चाहूंगा कि इनमें से कुछ प्रश्नों पर भारत की आवाज़ अधिक तीक्ष्णता से सुनी जानी चाहिए।

महोदय, जिस तरह से आप मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप घंटी बजाने वाले हैं। इसलिए, मैं कुछ ही बातों का उल्लेख कर रहा हूं और मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

इसके बाद यह फिलिस्तीनी प्रश्न पर प्रस्तावित पश्चिमी एशियाई सम्मेलन के बारे में कहूँगा। यह अच्छी बात है। हमने इसका स्वागत भी किया है। परन्तु क्या यह सच है या सच नहीं है कि इस सम्मेलन में मुख्य बाधा इज़राइल द्वारा उत्पन्न की जा रही है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका इससे नाराज़ हुआ और कहा कि उन्हें इस तरह का प्रतिरोधवादी रवैया नहीं अपनाना चाहिए जब कि पहली बार पश्चिम एशियाई शांति सम्मेलन की संभावनाएं बनी हैं। हमें कुछ और भी कहना चाहिए। कौन बाधा डाल रहा है ? आप दिल्ली में इज़राइल का कन्सूलेट जनरल खोल सकते हैं, जैसा कि श्री वाजपेयी ने सुझाव दिया है। मुझे आपत्ति नहीं है। परन्तु जहां तक इजराइल का सम्बन्ध है, दक्षिण एशिया मुख्य प्रश्न है। क्योंकि इन सभी वर्षों में इजराइल, मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है और अब यदि उन पर शांति सम्मेलन में आने के लिए बल डाला जाता है जैसाकि प्रस्ताव है तो यह अच्छी बात होगी और वास्तव में मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह इसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं।

परन्तु इन मुद्दों पर भारत की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हमें स्पष्ट बात कहने में डरना नहीं चाहिए। अफगान समझौता के प्रश्न पर, अब उज्ज्वल भविष्य के द्वार खुल रहे हैं चूंकि सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमरीका दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि वे किसी को भी आगे से हथियार भेजना बंद कर रहे हैं और अफगान को बाहर से मिलने वाले

शस्त्रों या हथियारों के बिना ही अपने मुद्दे से स्वयं निपटने दिया जाए यह एक अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ बात बन जाएगी। राष्ट्रपति, श्री नजीब भारत के एक अच्छे दोस्त रहे हैं। हमारे उनके साथ हमेशा निकट सम्बन्ध रहे हैं। पहले उन्होंने इस देश का दौरा एक माननीय अतिथि के रूप में किया था। और मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार को बाधक के रूप में नहीं, जैसाकि वह हर बात में अपनी टांग अड़ाना चाहती है, बल्कि उसे राष्ट्रपति नजीब के साथ निकट सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे भारत सूझबूझ से, राजनयिक तरीके से समझौते की इस संभावना को बढ़ाने में सहायता कर सकता है।

यहां पर जो पुनः कहा गया है मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अपने ही हित में हम ऐसा अफगान चाहते हैं जो कि शांतिपूर्ण और गुट-निरपेक्ष है। मुझे इस तथ्य की भी जानकारी है कि सोवियत संघ के मुस्लिम गणराज्यों में कुछ हो रहा है जो अफगानिस्तान की सीमा पर है। हमें नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या होगा, मैं नहीं कह सकता; आप नहीं कह सकते। वहां रूढ़िवादी शक्तियाँ हैं जो लम्बे समय से उजबेकिस्तान में ताजकिस्तान, अजरबेजान, कजाकिस्तान तथा अन्य स्थानों पर कार्यशील हैं। आप देखिए, जब तक वह सोवियत परिवार के अन्दर थे तब वह अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम नहीं थे। एक बार जो उन्होंने टूटने की कोशिश की, वहाँ कई शक्तियाँ हैं जो अपना सर उठाने की कोशिश करेगी और हम वहाँ पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं चाहते जो हमारे देश की परिधि को प्रभावित करे, जो हमारा मुख्य सुरक्षा बोध है। इसलिए हमें अफगानिस्तान, नजीब के साथ निकटतम दो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिए और अपनी हर कोशिश करनी चाहिए कि उचित समझौता हो सके।

पाकिस्तान के बारे में मैं अपने साथियों की बात से सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार वह कर रही है जो इसके लिए कर सकती है कि पाकिस्तान की चाल नाकाम हो। विश्व के विभिन्न मंचों में अपनी छवि दिखाने में वह हमसे अधिक निपुण और दक्ष प्रतीत होते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। कश्मीर के प्रश्न पर अन्य देशों के कई लोग हमारे विरोध में उनका समर्थन क्यों करना चाहते हैं? इस मुद्दे को उचित ढंग से उठाने में कुछ गलती है। इस बात की जांच होनी चाहिए।

महोदय; उसके बाद मैं कहूँगा कि पड़ोसी देशों से सहयोग बढ़ाने और मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का भी प्रश्न है, जैसा कि मंत्री जी ने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर बल दिया है। निसंदेह यह प्राथमिक कार्य है—चाहे वह नेपाल हैं या श्रीलंका या अन्य देश। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि नेपाल के साथ हर प्रकार के सहयोग, आर्थिक तथा अन्य सहयोग, परियोजनाओं के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की गुंजाइश है, जो नेपाल और भारत दोनों का फायदा करेगी। और मुझे निश्चय है कि सरकार इन सभी संभावनाओं को ढूढ़ने की पूरी कोशिश करेगी और इस मामले में पूर्ण सहयोग तथा समर्थन देगी।

अंत में, मुझे भी खेद हो रहा है कि इस एक देश के लिए हम कुछ नहीं कर सके—जो हमारे साथ था, जो गुट-निरपेक्ष देशों में अग्रणी था, यूगोस्लाविया, टीटो का यूगोस्लाविया। एक समय नेहरू, नासर और टीटो गुट निरपेक्ष आन्दोलन के तीन महान नेता थे जिन्होंने अपने गुट निरपेक्ष की अवधारणा से समूचे विश्व को प्रेरित किया तथा इस मंच पर लाने के लिए तैयार किया। किन्तु अब वह भयंकर आंतरिक संकटों का सामना कर रहा है और टूट रहा है। यह बहुत दुखद सत्य है कि वहां पर एक प्रकार का गृहयुद्ध उभर रहा है। क्रोशिया और सर्बिया उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा दूरदर्शन हर रोज कई चीजे नहीं दिखाता है जो दिखानी चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब हमारा दूरदर्शन यूगोस्लाविया में हो रही लड़ाई को कम से कम आठ से दस मिनट तक न दिखाता हो।

मुझे नहीं मालूम कि मुद्दा क्या है। इससे किस प्रकार हमारी सहायता होती है ? कोई कह रहा था कि इससे हमारे देश में अलगाववादियों को विचार सूझ सकते हैं और इसी प्रकार की अन्य बातें। मुझे मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता कि हमारे दूरदर्शन की क्या नीति है। वे भारतीय लोगों को प्रतिदिन यह दिखाने पर क्यों तुले हुए हैं कि यूगोस्लाविया में विभिन्न समूहों में सशस्त्र संघर्ष होने के कारण वह कैसे विघटित हो रहा है ? मेरे विचार से प्रधानमन्त्री की इस ओर ध्यान देंगे। इसके थोड़ा अंकुश रखना चाहिए। प्रसंगवश, वे यूगोस्लाविया के कुछ समाचार दे सकते हैं। लेकिन इन्हें प्रतिदिन के समाचार प्रसारण में मुख्य समाचार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है ? हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी पीड़ा और अप्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। हम कामना करते हैं कि यूगोस्लाविया एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामान्य स्थिति में लौट आयगा। मुझे मालूम है कि वहां पर विभिन्न जातीय संघटक है। लेकिन अन्ततः हम उनके प्रति सहानुभूति तो रख ही सकते हैं क्योंकि हम अपने देश में सभी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमें पता है कि इन समस्याओं को हल करना मुश्किल है और निश्चित रूप से ह चाहते हैं कि यूगोस्लाविया कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले जिससे वह इस संघर्ष को रोक सके और शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके और वह देश समृद्ध हो सके और प्रगति कर सके।

प्रधानमन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव)—मैं इस वाद-विवाद में सार्थक योगदान देने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। मैं इस बात से थोड़ा निराश हूं कि इस वर्ष विदेश मंत्रालय की मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकीं जैसाकि उन्हें वर्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है और मेरे विचार से ऐसी बात पिछले वर्ष ही हुई है। अगले वर्ष से, हम देखेंगे कि विदेश मंत्रालय, भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डाला जाए जैसाकि हमेशा किया जाता रहा है। निसंदेह इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इस समय हमें किसी का दोष नहीं निकालना है। लेकिन मैं इस, बात से सहमत हूँ कि हमें इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को कायम रखना है जैसी कि पहले थी।

हम वास्तव में ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जिससे समूचा विश्व स्तम्भित है। पिछले

कुछ वर्षों और सम्भवता पिछले कुछ माहों में विश्व में इस द्रुत गति से परिवर्तन हुए हैं कि इनकी समय, उत्प्रेरणा तत्काल अथवा दूरगामी कारण का सन्दर्भ में व्याख्या नहीं की जा सकती। इस तरह से इन सभी घटनाओं में एक अनजानी, अनदेखी और अप्रत्याशित सी व्यग्रता है। और इस प्रकार जब आप इस तरह के व्यग्रकारी त्वरित परिवर्तनों के मध्य हों तो आप अपने समक्ष नए-नए अनिश्चय देखते हैं। हमें मालूम नहीं कि यह कैसे घटित हुआ है और हम यह भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। अधिक से अधिक हम स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और उस मूल्यांकन के आधार पर सामान्यतः अस्पष्ट रूप से अपनी सरकार की नीति निर्धारित कर सकते हैं अथवा विश्व में अन्य सरकारों अन्य शक्तियों की नीतियों का आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार पारस्परिक व्यवहार भी अनिश्चयपूर्ण हो जाता है और इस प्रकार जब हम विदेश नीति की और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करते हैं, तब कोई भी विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकता कि वह जो कह रहा है वह अवश्य ही कतित होगा और जो कुछ कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है वह कभी नहीं होगा। इस तरह नए-नए अनिश्चय उत्पन्न हो रहे हैं जिनमें हम आज अपने को पाते हैं। इस बात को मानने अथवा स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है। और यह अनिश्चय की स्थिति सभी दलों के लिए एक जैसी दी है। चूंकि प्रारम्भ से ही हम लोग विदेश नीति के सम्बन्ध में एकमत रहे हैं, अतः यह एक अच्छी बात है कि जिन-जिन भाषणों को मुझे सुनने का अवसर मिला है उनकी मुख्य बातें अर्थ और अभिप्राय एक जैसी दी है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण देश दोनों के रूप में और इस आन्दोलन के एक संस्थापक सदस्य तीनों के रूप में और स्वयं भारत के लिए भी एक नया नीतिगत ढांचा तैयार करना है। यह अनिश्चय की स्थिति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए खोज को एक जुट तरीके से जारी रखना होगा और हमें भविष्य में भारत की नई भूमिका के सम्बन्ध में एक नई सवसम्मति बनानी होगी।

कांग्रेस के घोषणा-पत्र में कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पूर्वानुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है, मैं उद्धृत करता हूं; "हम नेहरू जी के उस सपने को साकार करने में समूचे विश्व को राजी करने में सफल हुए हैं जिसमें एक गुटविहीन, तनावरहित विश्व की परिकल्पना की गई है और जो निःशस्त्र होने की दिशा में बढ़ेगा।"

अब हम इसे कुछ हद तक करने का श्रेय लेने, गुट-निरपेक्षता, निरस्त्रीकरण और तनाव-शैथिल्य की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का उचित दावा कर सकते हैं। इस सभा के सदस्यों को स्मरण होगा कि पंडित जी, इन्दिराजी, राजीवजी और लाल बहादुर शास्त्रीजी की अगुवाई में हमने सदैव तनावशैथिल्य लाने का अवश्य प्रयास किया है, हमने सदैव तनावशैथिल्य की वकालत की है, हमने सदैव निरस्त्रीकरण की बात की है और वास्तव में हमने निरस्त्रीकरण की स्वयं ही व्याख्या की है, निरस्त्रीकरण और पूर्ण निरस्त्रीकरण के बारे में हमारी जो परिकल्पना है हमने उसकी अपनी ही अवधारणा प्रस्तुत की है और इस ओर हमने अपना योगदान दिया है। अतः यह खोज, भारत की यह भूमिका जारी रखनी होगी तथा मैं कहूँगा यह जारी ही रहेगी।

हमने यह भी कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ किसी एक शक्ति केन्द्र का प्रभुत्वशाली होना नहीं है। स्पष्टतः मुद्दे पर हमने कतिपय भाषण दिए हैं। भारत का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि शीत युद्ध की समाप्ति अथवा किसी एक शक्तिशाली गुट अथवा महाशक्ति के उभरने का यह अर्थ नहीं होगा कि "वे सभी देश जो एक अथवा किसी अन्य मुद्दे पर महाशक्ति से सहमत नहीं है" उसकी अधीनता मानेंगे। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि भारत को उस भूमिका का निवेदन करना होगा। इसके लिए विरोध करने अथवा मुकाबले की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, लोकतान्त्रिक संयुक्त राष्ट्र, जिसके लिए हम सभी प्रयास कर रहें हैं, ये मतभेद होने की सम्भावना होती है, और यदि लोकतन्त्रीकरण की यह प्रक्रिया सही रास्ते पर चलती है तो भारत को भी एक भूमिका का निर्वहन करना होगा। भारत और समान देशों की भूमिका के समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार हम विश्व समुदाय को लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य करते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें निर्णय शस्त्रासतों के आधार पर न हो, धन की शक्ति अथवा अन्य बातों को ध्यान में रखने के आधार पर न हो, बल्कि यह न्याय और निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए और यही हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। इस प्रकार यह संघर्ष अलग-अलग सन्दर्भों में अलग-अलग हथियारों और अलग-अलग मंचों पर लड़े जाने वाला वही संघर्ष है। अतः मेरा यह विचार नहीं है कि भारत की यह भूमिका, जिसका हमने अभी तक संपोषण किया है, कभी समाप्त होगी और मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि यह जारी रहेगी। यदि हम पिछले एक अथवा दो वर्षों से सक्रिय नहीं रहे हैं तो हमें पिछले समय को भूल जाना चाहिए और आगे की ओर देखना चाहिए। वास्तव में हमने कुछ भी नहीं खोया है। हो सकता है भारत का खुलापन कुछ कम रहा हो। लेकिन हम सदैव अपनी छवि पुनः बना सकते हैं और मुझे इस बारे में भरोसा है।

5·00 म० प०

हमने यह बात कही भी है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जर्मनी और जापान जैसी नयी आर्थिक शक्तियों के उभरने से गरीब देशों का विकास होना चाहिए न कि केवल अमीर देश समृद्धशाली हों। जर्मनी की मेरी यात्रा इसी बारे में है। हमने देखा है कि यह विश्व सभी पहलुओं से एक ध्रुवीय नहीं है। जी हाँ, सैन्य दृष्टि से यह एक ध्रुवीय हैं, लेकिन आर्थिक पहलु से यह बहुध्रुवीय है यह बहु केन्द्रीय है। अतः एक ध्रुवीय स्वरूप के विश्व हेतु जोर देने के लिए वास्तव में कोई तर्क नहीं है। विश्व में आर्थिक शक्तियों के बहुत से केन्द्र हैं। भारत इस प्रकार का कोई आर्थिक शक्ति केन्द्र नहीं है, लेकिन भारत का एक महत्व है जिसकी कोई भी आर्थिक शक्ति केन्द्र उपेक्षा नहीं कर सकता, और जर्मनी के दौरे के समय यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। मुझे इस बारे में खुशी है, क्योंकि हमने जिस बारे में बातचीत की है हमें जर्मनी से कल को मात्र वही प्राप्त नहीं होगा। बल्कि यह इससे काफी अधिक होगा, उदाहरणार्थ भारत की जो स्थिति है, कल के ढांचे में, नए ढांचे और यूरोप के नए ढांचे में वह बहुत महत्त्वपूर्ण भी होगी। मुझे भरोसा है,

मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1992 में यूरोप का जो परिकाल्पित स्वरूप होगा, भारत उससे बाहर नहीं होगा। मुझे आश्वासन दिलाया गया है कि भारत का उस ढांचे में एक स्थान होगा। यूरोप के उस ढांचे अथवा भव्य स्वरूप को मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा क्योंकि यह बात यूरोपीय बाजार, ऐसी एकल अर्थव्यवस्था, जो बनने जा रही है, के आलोचकों ने कही थी। लेकिन जब हमें यह बात बताई जाती है कि यूरोप में हमारे मित्र देश हैं जो हमें उस ढांचे से इसलिए बाहर नहीं रहने देंगे क्योंकि भारत इस बात के लिए स्वयं कह रहा है, बल्कि इसलिए कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता और इसीलिए हम उस ढांचे में भारत के स्थान और प्रवेश के बारे में आश्वस्त हैं। निःसंदेह प्रत्येक चीज हमारे अपने कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें प्रत्येक चीज प्रदान कर देगा और हमें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहीं पर हमारी सामयिक नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, हमारी आर्थिक नीतियों को नई दिशाएँ मिल रही हैं। और इन सभी परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए हम पाते हैं कि भारत को महत्वपूर्ण स्थान मिलना निश्चित है जैसाकि उसको सदव मिला है।

अतः यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि यह परिवर्तन गरीबों की बेहतरी के लिए होना चाहिए न कि केवल समृद्ध व्यक्तियों की समृद्धि के लिए हो। हमने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में जी-1५ की अवधारणा शुरू की है।

भारत ने यही कुछ बेलग्रेड सम्मेलन में किया है और उसने यह अकेले ही किया है। उस सम्मेलन में जी-15 देश हैं, जो तीसरे विश्व के विकासशील देश हैं, वे एकजुट होकर विकासशील विश्व की समस्याओं पर पहल कर सकते हैं और भविष्य में विश्व के आर्थिक घटनाक्रम का महत्व-पूर्ण कारक हो सकते हैं। ऐसा विचार व्यक्त किया गया था और इस विचार को गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने स्वीकार किया। युगोस्लाविया में क्या हुआ था और इस समय क्या हो रहा है, यह आन्दोलन प्रायः समाप्त हो गया है अर्थात् यह आन्दोलन चल नहीं रहा है। परन्तु इस समय युगोस्लाविया का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। हमारी युगोस्लाविया के साथ मित्रता है। और मैं नहीं जानता कि दूरदर्शन क्या दिखा रहा है। मुझे इस बात का अनुमान नहीं है कि यूगोस्लाविया में जो कुछ भी घटित हो रहा है दूरदर्शन उसे कितने समय तक दिखा रहा है परन्तु मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यूगोस्लाविया हमारे मित्र देशों में से एक है। हम निश्चित ही यह देखेंगे कि 1989 में युगोस्लाविया में जो शुरू हुआ था वह जारी रहेगा और हम उस पर कार्य करेंगे। हम इस कार्य को करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसलिए जी-15 की बैठक वेनुज्वला में होने जा रही है। और यह एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जो कुछ भी हुआ परन्तु वह इस समय एक विशेष देश में घटित हो रहा है। युगोस्लाविया में जो कुछ भी हुआ, 989 में बेलग्रेड में जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं जा रहा है, उस पर कार्यवाही की जानी है और मुझे विश्वास है कि उस घटनाक्रम में भारत भी निश्चय ही अपनी भूमिका अदा करेगा।

महोदय, विश्व के नयी नीति गांधीजी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित

थी और उन्हें 1986 में दिल्ली घोषणा में शामिल किया गया—उस वचनवद्धता का क्या हुआ ? हम उस का समर्थन करते हैं। यह सत्य है कि हम निरस्त्रीकरण पर बल दे रहे हैं, बहुत कुछ हो चुका है और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश कता है। मध्यम दूरी की मिसाइलें बहुत कुछ समाप्त कर दी गई हैं और अन्य मिसाइलों में भी व्यापक रूप से कटौती की गई है किन्तु यह अभी तक पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं हैं। यहां तक कि इस समय जो अस्त्र हैं वे विश्व को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। हम वास्तव में किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हम बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही सीमित मात्रा के निरस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं। परन्तु क्या भारत पूर्ण निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, परमाणु अस्त्रों का न होना ही निरस्त्रीकरण नहीं है अपितु यह एक ऐसा देश है जिसमें अस्त्ररहित अहिंसा हो यदि आप आज परमाणु अस्त्रों को पूर्णतः नष्ट करते हैं परन्तु 10 वर्ष बाद यदि एक अन्य प्रकार का अस्त्र जिसे परमाणु नहीं कहा जा सकता बनाया जाता है जो परमाणु अस्त्र से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकता है; किन्तु 1986 में अहिंसा के बारे में हमने जो बात की थी उसकी ओर हमने कोई वास्तविक भूमिका नहीं निभाई है। अतः यह परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने का केवल एक नकारात्मक पहलू नहीं है बल्कि अहिंसाकारी विश्व का निर्माण करने का एक सकारात्मक पहलू है जिसके बारे में राष्ट्रपति गोर्बाचोब और श्री राजीव गांधी ने 1986 में अपने देश में इसके प्रतिवचन दिया था। अध्यक्ष महोदय उस वचन को भारत पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत की कोई भूमिका नहीं है।

सोवियत संघ में जो कुछ भी हुआ उससे हम आश्चर्यचकित हैं। मैंने अभी युगोस्लाविया के बारे में कहा है। सोवियत संघ बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है और विश्व के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण देश है और इसके प्रति हम सदैव मित्रता और उसका समर्थन चाहते हैं और हमें सोवियत संघ के साथ परस्पर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने हैं।

इसके अलावा, सोवियत संघ का भावी रूप जो भी होगा उसके प्रति अन्य लोगों की तरह हम निराशावादी नहीं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सम्बन्ध वैसे ही रहेंगे। जितनी भी संधियाँ और समझौते और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम उस देश के सहयोग से चलाये जा रहे हैं वे उसी रूप में रहेंगे। मेरा विश्वास है कि इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल अस्थायी है। हम दोनों देशों के मध्य परस्पर सम्बन्ध केवल संधि अथवा कतिपय समझौतों पर ही आधारित नहीं है बल्कि हमने कुछ सिद्धान्तों का अनुमोदन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सोवियत संघ जैसा इतना बड़ा देश टुकड़ों में बँटकर विलुप्त नहीं हो सकता। वे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए फिर से मार्ग ढूढेंगे, चाहे वे विभिन्न आधार पर हो सकते हैं, चाहे वे विभिन्न संदर्भ में हो सकते हैं परन्तु मैं ऐसा कुछ नहीं पाता कि जिससे आर्थिक अथवा राजनैतिक क्षेत्रों में हमारे सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो जायेंगे। मुझे ऐसी आशा नहीं हैं। मैं इस समय और कुछ नहीं कह सकता न ही इस समम कोई अन्य सदस्य कुछ कह सकता है न ही विदेश में ऐसा मेरा कोई मित्र है जिसके

साथ मुझे बात करने का अवसर मिला हो। हर कोई इस समय अनिश्चिय की स्थिति में हैं हर कोई इस समय आशावादी है और यह जानने के लिए इतना उत्सुक है कि अगले क्षण क्या होगा। परन्तु हम सोवियत संघ के मित्र होने के नाते कह सकते हैं कि दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव नहीं आ रहा है। हम निश्चय ही मित्रता बनाए रखेंगे उदाहरण के लिये आपूर्ति में, निर्यात में और दोनों देशों के परस्पर सम्बन्धों में कुछ बाधायें आ सकती हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं और हम इनका महत्व कम नहीं कर सकते। परन्तु मैं समझता हूँ कि हमने जब भी इन मामलों पर सोवियत अधिकारियों से बातचीत की तो उसी समय उन्होंने उसका उत्तर दिया। यह हो सकता है कि दो महीने अथवा तीन महीने अथवा चार महीने के बाद वे इसका भली-भाँति उत्तर दे सकते थे। उनसे हमें कभी भी नकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए हमने कभी इस बात की चिन्ता नहीं कीं। हमें केवल इस बात की चिन्ता थी कि हमें प्रतीक्षा करनी होगी दूसरी तरफ हमारे मित्र समुचित रूप से उत्तर दे सकते हैं। भारत-रूस मित्रता के बारे में मुझे इतना ही कहना है।

इसके बाद वर्मा के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया था। इस सदन को याद होगा कि दो वर्ष पहले वर्मा में जो कुछ हुआ था उस स्थिति में हमसे जो अपेक्षित था हमने किया। हम कुछ सीमा तक आशावादी थे। वर्मा की सैनिक सरकार का भारत के प्रति कड़ा रुख था और मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हमें उस स्थिति में रचनात्मक और सहायक भूमिका अदा करनी चाहिए मैं कुछ और अधिक नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले तीन वर्षों में जो भी हमारा योगदान था अथवा नहीं था उससे मैं पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं हूँ। परन्तु मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमने जब वर्मा में भारी परिवर्तन हुआ उस समय जो भूमिका निभाई, वह अब भी जारी रहेगी चाहे वह किसी भी रूप में हो हम अपना कर्त्तव्य निभाते रहेंगे।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी चर्चा के दौरान कुछ टिप्पणियां की गई हैं, मैं इस इस बात से आश्वस्त हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक परिवर्तनों के साथ अब नये रूप में सामने आया है। पिछले दो या तीन वर्षों में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हमने सुरक्षा परिषद के विस्तार में योगदान दिया है। भारत के विदेश मंत्री अथवा प्रधानमंत्री का शायद ही ऐसा कोई भाषण होगा जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की अत्यधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका पर बल न दिया हो। हमने निरस्त्रीकरण की बात कही, निरस्त्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत जाँच कार्यों के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ की बड़ी भूमिका है। मेरा विचार में यह कहना एक साधारण सी बात है परन्तु हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का समर्थन किया है। और हम इसका समर्थन जारी रखेंगे। हम इस समय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। हमने सुरक्षा परिषद के विस्तार का सुझाव दिया है। परन्तु इसे इस वर्ष या अगले वर्ष मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। परन्तु यह विश्व के विभिन्न देशों की सामान्य इच्छा के अनुरूप है। जिस स्थिति में यह मूल रूप से सुरक्षा परिषद बनायी गयी थी उन परिस्थितियों में अब काफी परिवर्तन हो चुका है, अनेक देश स्वतन्त्र हो गये हैं। आज बहुत से देश विश्व के मामलों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रहे हैं कि जिस सुरक्षा परिषद को 45 वर्ष पूर्व बनाया गया था उसमें परिवर्तन करने की, उसका विस्तार करने की आवश्यकता है और इसमें परिवर्तन की भारत की अग्रणी भूमिका रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)—क्या स्थायी सदस्यों के वीटो के अधिकार के सम्बन्ध में आपने कोई सुझाव दिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव—हम इसके विस्तार पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। मेरे विचार में हम पहले वह काम करते हैं जो आसानी से हो सके। परन्तु मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आसानी से हो रहा है परन्तु हम सभी इस मामले में यह बेहतर नीति हो सकती है। यह भूमिका जारी रहेगी और मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमने भारत के लोगों को जो वचन दिया है हम उसे पूरा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पश्चिमी एशिया सम्बन्धी मामलों के बारे में कुछ कहा है। पश्चिमी एशिया सम्बन्धी मामलों में हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है और हम इसे अनेक सालों से अपनाए हुए हैं और इस बारे में यदि कोई सम्मेलन होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार हैं और हमने अपने घोषणा-पत्र में ऐसा कहा है। हमने लोगों को अपनी वचनबद्धता बता दी है और हम उसका समर्थन करेंगे।

पड़ौसी देशों के सम्बन्ध में, मुझे विश्वास है कि मेरे साथी श्री एडुआर्डो फलीरो, पड़ौसी देशों के बारे में विस्तार से बताएंगे। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। कभी भारत में या कभी पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नयी आशाएं ठोस रूप लेंगी किन्तु बाद में वे चकनाचूर हो जाती है। पिछले तीन महीनों में कुल मिलाकर मेरा यही अनुभव रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने मुझे बताया कि वह विशेष दूत यहाँ भेजेंगे। वास्तव में उन्होंने इस बात पर बल दिया था। मुझे लगा कि कुछ नया सुधार होने जा रहा है, और कुछ नये सुधार होने की आशा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। पाकिस्तान के विशेष दूत यहाँ आए।

उनसे पुनः बातचीत करने के बाद उन्होंने यह जताने का प्रयास किया कि यह एक नई स्थिति है और दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा है। चूंकि मैं वहाँ केवल एक श्रोता के रूप में था अतः मैं उनकी बात का किसी तरह से जबाव देने की स्थिति में नहीं था। जब मैंने उनसे आतंकवादियों को सहायता देने, प्रशिक्षण देने और सहयोग देने का मामला उठाया तो उन्होंने मुझे काफी लम्बे-चौड़े शब्दों में बताया कि "आप इस क्षेत्र में निश्चय ही सुधार देखेंगे।" ये उनके शब्द थे। अतः मैंने उनसे कहा, "मैं इस सुधार की प्रतीक्षा करुंगा।" हम तब से इन्तजार कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि परिणाम 'सुधार' का उल्टा हुआ है। अतः हम कहाँ खड़े हैं ? हमें क्या करना है ? हम ठीक वहीं खड़े हैं। जहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना है लेकिन इसके साथ ही, हमें जितना हो सके सम्बन्धों को सुधारने के आए अपने प्रयासों को जारी रखना है। वे लोग कश्मीर के मुद्दे को आज उन मंचों पर उठा रहें हैं जहाँ उन्होंने पहले कभी नहीं उठाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि

यही 'सुधार' है। अतः हमें क्या करना है ? सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचने के सिवाय कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें इसी के साथ जीना है। मैं इससे अधिक और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर भी हमें यह आशा करनी चाहिये कि पूरी दुनिया में हो रहे इतने बड़े-बड़े परिवर्तनों के कारण किसी एक देश की इच्छा-शक्ति या किसी एक देश का कोई उद्देश्य कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि परिस्थितियां सभी देशों को एक निश्चित स्थिति में आने के लिये विवश कर रही है और यदि इससे पाकिस्तान भारत के प्रति और मैत्रीपूर्ण होता है, भारत के साथ सम्बन्धों को और बेहतर बनाने की आकांक्षा करते हुए यदि उससे हमारे पड़ोसी सम्बन्ध और सुधर जाते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे विचार काफी स्पष्ट हैं। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को बढ़िया से बढ़िया बनाने का है और यही उद्देश्य आगे भी बना रहेगा और जो भी अनिश्चितताएं पाकिस्तान के साथ है हमें उन के साथ रहना होगा, लेकिन इस पर भी यह आशा करते हैं कि समय के किसी बिन्दु पर सम्बन्धों में वास्तव में सुधार आयेगा।

बांग्लादेश के विदेश मन्त्री हाल ही में यहाँ आये थे। उन्होंने मुझसे भेंट की और मेरी उनसे काफी लम्बी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि सम्बन्धों में आगे सुधार होने की सम्भावनाएं हैं। हम बांग्लादेश के प्रधानमन्त्री की भविष्य में किसी समय आने की उम्मीद कर रहें है और हम यह उम्मीद करते हैं कि सम्बन्धों में वास्तव में सुधार होगा। बांग्लादेश के साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं; जो काफी जटिल हैं जैसे चकमा समस्या और एक नई समस्या यह सामने आई है कि सीमा पार उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बंगलादेश से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चय ही, हमेशा की तरह, इस बात से इंकार किया गया है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा हो रहा है। हमें बांग्लादेश के साथ यह प्रश्न भी उठाना है। मैं आशा करता हूँ कि कुल मिलाकर सम्बन्धों में सुधार होगा। हमारी कुछ विवशताएं हैं जहाँ दोनों देशों में आर्थिक स्थिति, भारत और बाग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसकी उपेक्षा की जाए। हम उनके साथ कई परियोजनाओं को लेकर बातचीत कर रहें हैं। मैं जानता हूँ कि कम से कम पिछले 10-11 वर्षों से हम इस बातचीत को जारी रखे हुए हैं। लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से कोई भी हलचल नहीं हुई है, आगे आने के आए कोई विशेष पहल नहीं की गई है। लेकिन अब वहाँ लोकतांत्रिक सरकार के सत्ता में आने से हम आशा करते हैं कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और हम दोनों तरफ से आगे और प्रयास करने का इन्तजार तथा दोनों तरफ से प्रतिक्रिया—सही प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहें हैं।

नेपाल के बारे में मुझे बताया गया है कि वहाँ पुनः लोकतान्त्रिक सरकार आ जाने का कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ है। हम आशा करते हैं कि नेपाल से निकलने वाली कुछ नदियों से सम्बन्धित समस्याओं के निपटान कार्य के बारे में जिनके बारे में बातचीत कुछ समय से बिल्कुल ही ठप्प थी, सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मैं इससे अधिक विवरण नहीं दे सकता। लेकिन

आमतौर पर मैं यही समझता हूँ कि इस कार्य में आगे प्रगति हुई है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह प्रगति आगे भी जारी रहेगी।

श्री लंका अगला दक्षेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। हम आशा करते हैं कि लिट्टे की समस्या को छोड़कर, जो समस्या भारत में फैल गई है, श्री लंका के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा। इसके साथ ही श्री लंका से आए शरणार्थियों की सम्बद्ध समस्या है जिसका बोझ उठाना हमारे लिये कठिन से कठिन होता जा रहा है। इन समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता है।

जहाँ तक अन्य सम्बन्धों की बात है। मैं नहीं समझता कि कुछ कहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका उल्लेख मैं इस छोटे से हस्तक्षेप के जरिये करना चाहता था। मैं सामान्य रूप से यह कहना चाहता हूँ कि निर्गुट आंदोलन में भारत की भूमिका नई परिस्थितियों में केवल आन्दोलन के स्वरूपों को पुनं-परिभाषित करने की नहीं होनी चाहिये बल्कि इन स्वरूपों को इन दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण में समुचित ढंग से क्रियान्वित करवाने के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिये तथा आन्दोलन का अगुआ बनना चाहिये। इस आन्दोलन पर भारत की पकड़ जारी रहेगी और यह सरकार इस आन्दोलन पर अपनी उसी पकड़ को उसी प्रकार जारी रखना चाहती है जितनी जिस प्रकार की पकड़ उसकी पूर्व में इस आन्दोलन पर थी। दक्षिण एशियाई ढाँचे के अन्तर्गत हम दक्षेश नेटवर्क के अन्तर्गत हम कार्यक्रमों को और गहन बनाना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि हाल ही में आर्थिक पहलू को लेकर भी कुछ प्रगति हुई है। जैसाकि सदन को विदित है जब भी हमने दक्षेश में आर्थिक सहयोग, व्यापार, वाणिज्य आदि के क्षेत्र में सहयोग का मामला उठाया तो इसका विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा लगातार विरोध किया गया चूंकि आधारभूत नियम यह कहते हैं कि जब तक सभी सातों देश सहमत नहीं होते हैं तब तक किसी चीज को अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसीलिये दक्षेश सहयोग का आर्थिक पहलु न्यूनाधिक रूप से उपेक्षित सा पड़ा रहा। अब मैं समझता हूँ कि कुछ बातचीत हो हो रही है—इसके क्या परिणाम निकलेंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम बातचीत को जारी रखने पर तो सहमति हुई है। अतः उन बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनके आधार पर दक्षेश देशों के बीच आर्थिक सहयोग का ढाँचा तैयार किया जा सकता है। और यदि इनका कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो मैं समझता हूँ कि यह दक्षेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता होगी। अब की विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि सभी दक्षेश देशों के लिये एक साझा बाजार की स्थापना क्यों न की जाये। यह तभी हो सकता है जब इस दिशा में आरम्भिक प्रगति हो और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में कुछ अनुकूल माहोल बना है। यह एक लम्बी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन यदि इसे साकार किया जा सके तो मैं समझता हूँ कि दक्षेश का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि इससे न केवल मौसम-विज्ञान तथा अन्य दूसरी बल्कि आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण मामले में भी वास्तविक प्रगति होगी।

मैं इतना ही कहना चाहता था। हमें थोड़ा सा समय चाहिये। इस सरकार ने केवल तीन

माह पूर्व ही सत्ता संभाली है। जैसे ही हमने सत्ता संभाली, हम संसद के सामने आए। निर्देश जारी किए गए हैं, कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में वायदों को पुनः दोहराया गया है। हमारे वायदे उनसे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है जिन्हें अन्य दलों के भी करना चाहते हैं अतः इस दिशा में मतैक्य अंतर्निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में ठोस पहल की जाए। हम आगे पहल करने के लिये कदम उठा रहे हैं। हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उक्त पहल के परिणाम दिखाने के लिये इस सरकार को कुछ समय दिया जाये। मैं आशा करता हूँ कि यह सदन इन सभी मामलों पर सरकार के साथ सहयोग करेगा। अगले सत्र में अगले बजट सत्र में, हम दिखा सकेंगे कि हमने अपने स्पष्ट वायदों को पूरा करने के लिए क्या सकारात्मक प्रयास किये हैं।

अध्यक्ष महोदय—मेरे पास सदस्यों की लम्बी सूची है। मैं जानना चाहूँगा कि सदन कितनी देर तक बैठने के लिये तैयार है। इसी निर्णय के आधार पर, हम सदस्यों को बोलने के लिये समय दे सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी—आपके पास कितने नाम हैं?

अध्यक्ष महोदय—यह काफी लम्बी सूची है। **व्यवधान**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाबनबी आजाद)—हमें कम से कम एक घंटा चाहिये। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय—मेरे विचार से हमें एक घंटा और बैठना चाहिये। अन्य सदस्य कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि समय सीमिति है और उन्हें अपनी बात, बिना उन बातों को दोहराते हुए जिन्हें पहले ही उठाया जा चुका है, काफी थोड़े समय में कहना है।

अब, मैं श्री शहाबुद्दीन से बोलने के लिए कहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम)—आप ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) की तरफ से किसी का भी नाम नहीं पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय—इसके बाद बुलाऊँगा।

श्री शहाबुद्दीन (किशनगंज)—अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और पूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनके अधीन मुझे कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, ओजस्वी भाषण के पश्चात् बदलती स्थिति पर बोलने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही है।

हम सभी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात करते हैं जो विश्व की रूपरेखा को शीघ्रता से बदल रहें हैं। प्रधानमन्त्री कुछ समय के लिये चकरा गये हैं। लेकिन महोदय, हमें कुछ गहराई से देखना होगा। हम वास्तव में नये युग की दहलीज पर हैं और हम यह नहीं जानते कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। मैं महसूस करता हूँ कि आज हम गतियता पर आधारित युग में

प्रवेश कर रहें हैं। विलुप्त पहचान वाले लोग उभर रहे हैं और अपने अधिकारों पर बल दे रहे हैं कि उन्हें मान्यता दी जाये और उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाये। ये विखण्डन और विलयन की प्रक्रिया के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और राष्ट्र-राज्यों की मौजूदा प्रणाली की सीमाओं से बाहर जा रहें हैं। विभाजित जातीयाँ अपनी सीमाओं को पार कर के एक हो रहीं हैं और बहु-जातीय संगठनों का विखण्डन हो रहा है। एक नया शक्ति सन्तुलन बन रहा है और विश्व और क्षेत्रीय आधार पर नये गठजोड़ होने जा रहें हैं। वास्तव में एक नयी विश्व-व्यवस्था का विकास हो रहा है। इस समय हमें इसको समझना कठिन हो रहा स्वरूप है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि क्या यह हमें अमरीकी शांति की ओर ले जा रहा है या मानव-शक्ति की ओर ले जा रहा है ? क्या इस नये गठजोड़ से नई परम्पराओं और नये नियमों, नये अध्यायों और नयी घोषणाओं का प्रादुर्भाव होगा जिसके फलस्वरूप विश्व निःशस्त्र और परमाणु हथियारों से रहित हो जायेगा न कि उसमें हमें मताधिकार से वंचित रखा जायेगा। क्या हम एक ऐसे जीवन की ओर जा रहे हैं जिसमें लोगों और क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताएं पहले से अधिक बढ़ जायेगी ? क्या हम मानव की प्रभुत्ता और समानता पर बल देंगे या नया साम्राज्यवाद तथा नया उपनिवेशवाद बनाकर या इतिहास को बदल देंगे और प्रभुत्व के स्वरूप को कलापूर्ण स्थिति के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या हमें पुरानी शराब नई बोतल में मिलेगी या नये लेबल के साथ पुरानी बोतल में ?

हमें एक राष्ट्र के रूप में एक ध्रुवीय विश्व की धारणा को अस्वीकार कर देना चाहिये। जहाँ सत्ता का एकमात्रन्द्र बनता चला जाता है और निर्णय लेने की विश्वव्यापी केन्द्रीयकृत व्यवस्था होती है तथा जहाँ नियन्त्रण, प्रशासन और प्रबन्धक व्हाईट हाऊस या क्रेमलिन से होता है, यह आशंका भ्रामक न हो कर वास्तविक है। पश्चिम में कुछ बुद्धिमान लोग इस स्थिति को जानते हैं। मेरे एम० आई० टी०के० प्रो० नाम चोम्सकी का एक उदाहरण है। उन्होंने "कमजोर लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होगा" नामक लेख में कहा है कि सहस्त्राब्दि की ओर देखने पर व्हाईट हाऊस का मुख्य सन्देश मिलता है, कि हम स्वामी हैं और आप हमारे जूते चमकाओ। यही है जो अमेरिका एक विद्वान ने श्री जार्ज बुश की नई विश्व व्यवस्था के बारे में कहा है। एक ब्रिटिश लेखक, श्री हैरल्ड पिंटर, जो नाटककार है, इनका ब्राडवे पर नई विश्व व्यवस्था नामक 10 मिनट का एक नाटक है जो इन तीन व्यक्तियों के इर्द-गिर्द घूमता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो फटे हाल है, जिसका मुँह बन्द है और जिसकी आँखों पर पट्टी बन्धी हुई है और एक कुर्सी के साथ बन्धा हुआ है और अन्य दो कमीज और टाई में जो उस पर झुके हुए हैं और वे उसके भाग्य का निर्णय लापरवाही से करते हैं। यह नाटककार का शायद नई विश्व व्यवस्था का चित्र है। हमने एक राष्ट्र के रूप में इसे रोकने का प्रयास करना है।

सोवियत संघ में जो इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उनसे हम अवगत हैं और स्वतन्त्रता की भावना की कद्र करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह बिना किसी हिंसा के क्रान्ति हुई है। यह परिवर्तन बिना किसी रक्तपात और बल प्रयोग के

हुआ है। मैं इसे समाजवादी विचारधारा का अन्त नहीं समझता हूं। मैं तो समझता हूं कि इससे 1917 की क्रान्ति के दौरान श्री लेनिन द्वारा पूर्व के लोगों को स्वतन्त्रता देने के लिये किये गये वायदा पूरा हुआ है। मैं नहीं समझता कि इससे सोवियत संघ का विखण्डन हुआ है बल्कि मैं तो समझता हूं कि एक संघ का एक ऐसे जातीय संघ में परिवर्तन हुआ है। जहां बिना किसी शोषण और बल प्रयोग के समानता और अन्तर्निर्भरता के आधार पर सहयोग होता है। सोवियत संघ की तरह हर जगह बहुजातीय राज्यों का विघटन हो रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का सैद्धान्तिक, राजनैतिक या भू वैज्ञानिक सीमायें नहीं हैं। विश्व की सूचना प्रणाली एक ऐसे युग में पहुंच रही है जहां सरकार की गोपनीयता और सैंसर के कार्य की सम्पूर्ण धारणा अर्थहीन हो गई है। विश्व की घटनाओं की सूचना सम्पूर्ण विश्व में फैल जाती है अतः घरेलू क्षेत्राधिकार अर्थहीन होता जा रहा है और उसकी जगह एक क्रान्तिकारी धारणा बन रही है।

सरकारी कार्यवाहियों पर हर जगह प्रजातन्त्रीय नियन्त्रण होना चाहिये। सभी लोग अच्छे प्रशासन की मांग कर रहें हैं। निःसन्देह प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण का भी प्रश्न है। मैं विश्व के सभी प्राकृतिक संसाधनों को मानव जाति की समान बपौती मानता हूं। हमने समुद्र समुद्र तल और अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में इस धारणा को पहले ही स्वीकार कर लिया है। मेरे विचार से अब वह समय आ रहा है जब अपने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों सहित सम्पूर्ण भूमि जो भारत-जाति का निवास स्थान है, चाहे और वे संसाधन जो जमीन पर हों या समुद्र में या अन्तरिक्ष में हो, लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिये। इस प्रकार मनुष्य विश्व का चीजों की विश्वव्यापी योजना का केन्द्र बन जायेगा। यही कारण है कि हमें मानव अधिकारों, सामूहिक अधिकारों और यदि मैं पश्चिम से यह पदावलि उधार ले लें तो 'अच्छे प्रशासन' के लिये इस नई आकांक्षा की ओर ध्यान देना होगा।

एक ध्रुवीय विश्व बनने में कतिपय अन्तर्निमित रुकावटें हैं। लेकिन हमें इसे दिशा में कुछ निश्चित और सही कार्य और प्रयास करना होगा। प्रभावी ब्यास की निःसन्देह कुछ वित्तीय और भू वैज्ञानिक समस्यायें हैं। मेरे विचार में कोई भी ताकत एक केन्द्र से विश्व के सभी मामलों में निदेश नहीं दे सकती। यह जातीय सम्बन्धों का प्रश्न है, इससे पड़ोसी क्षेत्रों में समायम की प्रबलता निश्चित होगी। यही त्रिस्तरीय विश्व की धारणा है। आपका एक जातीय पुञ्ज है और सुरक्षा और सहयोग के लिये क्षेत्रीय प्रणाली है और यह निःसन्देह एक विश्व व्यवस्था है।

ये परिवर्तन हमारी आंखों के सामने धीरे-धीरे हो रहे हैं। हो सकता है कि हमें इनके बारे में इतनी चेतना नहीं है। लेकिन इससे कूटनीति में कतिपय परिवर्तन करने होंगे। अब अन्तर-राष्ट्रीय प्रणाली का स्थान ले रही है। हम काफी समय से 'अन्तर्राष्ट्रीय' शब्द की बात करते आ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक भेद करता हूं। अब तक हमारे पास अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली थी, कल हमारे पास वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली होगी। फिर नये बनने वाले राष्ट्र सहयोग और सम्बन्धों के रूढ़िवादी स्वरूप को छोड़ देंगे और कूटनीति की हमारी पुरानी पद्धति पर्याप्त नहीं होगी।

वर्तमान ढांचे यदि अनुकूल नहीं रहे या उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके फलस्वरूप

दिनों सार उत्पन्न हो जायेंगे। जो विकास की प्रक्रिया में समाप्त हो गये थे। तथापि मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। एक ध्रुवीय विश्व की मूल धारणा यह है कि मार्क्सियन धारणा में समूचे मानवीय व्यवहार को न तो परिभाषित और न ही निश्चित किया गया है। लिंग की फ्रेवि-डियन धारणा भी सफल नहीं हुई है। सत्ता की जंगियन धारणायें भी सफल नहीं हुई है और मुझे डर है कि नये देवालय में नकली भगवान रखकर विपणन की अमेरिकन धारणा भी आपसी मान-वीय व्यवहार के सम्पूर्ण विकास को निश्चित नहीं कर पायेगी।

मानवीय अभिव्यक्ति के लिये उत्कण्ठा होनी चाहिये। न्याय के लिये उत्कण्ठा द्वारा सत्ता ग्रुप की पहचान नामक राष्ट्रीय अधिकारों की इच्छा को नये मानवतावाद के अन्तर्गत लाना होगा। अत: मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूँ कि हम नई विश्व व्यवस्था के विरुद्ध न होकर एक न्यायिक व्यवस्था के पक्ष में हैं।

कल के विश्व के बारे में मेरी धारणा है कि विश्व बहुध्रुवीय, बहुपक्षीय और स्तरीय बनने जा रहा है। उन्होंने बहु-ध्रुवीयता की शुरूआत को स्वीकार किया है चाहे अमेरिका वाले इसे पसन्द करें या न करें। यहाँ आर्थिक और क्षेत्रीय समूह हैं। मुझे विश्वास है कि दीर्घावधि में यूरोप और लेटिन अमेरिका इकठ्टे नहीं रहेंगे; वे भिन्न ध्रुवीयता कायम करेंगे। जहाँ चीन और जापान दक्षिण-पूर्व एशिया जो स्थल ही उभर रहा है और दक्षिण एशिया जो नई शुरूआत कर रहा है, वहाँ अरब विश्व है, काला अफ्रीका और लेटिन अमेरिका है और उनमें से प्रत्येक में कतिपय जातीय समानता है। ये भविष्य में विश्व का ढांचा बने तो हमें देखना यह है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के बीच नया सन्तुलन हो। इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के बीच विश्व-संगठन के स्तर पर अन्तर्निहित सम्बन्ध होना चाहिये ताकि हम मानवीय मामलों के और अधिक बुद्धिमत्ता और शान्ति से हल हो सके।

संयुक्त राष्ट्र को लोकतन्त्रात्मक बनाना होगा। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इसमें विकार केवल पांच देशों को प्रदान की गई। वीटो शक्ति से ही नहीं बल्कि राज्यों की समान प्रभुसत्ता की सैद्धान्तिक और भ्रामक धारणा से भी उत्पन्न हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मंच के बाहर और अन्दर के शक्ति समीकरणों में कुछ साम्यता और कोई सम्बन्ध होना चाहिये। अन्यथा, यदि मैं श्री वाजपेयी से यह कहूँ कि यहाँ तक कि यदि जनरल असेंबली को भी इस तस्वीर में लाया जाता है तो कुछ बड़ी ताकतों के लिए छोटे और लघु राज्यों से समर्थन को खरीदना कठिन नहीं है।

अत: हमें लोकतान्त्रिक रूप से कहना होगा कि संयुक्त राष्ट्र समानता और न्याय पर आधारित मानव जाति के कार्यों की व्यवस्था के लिए एक सही माध्यम बन जाये। उसके बाद हम उत्तर-दक्षिण वार्ता पर आते हैं। अध्यक्ष महोदय,मेरा कहना यह है कि हमारी व्यवहार कुशलता उत्तर-दक्षिण वार्ता में दिखाई देती रही है। किन्तु उत्तर-दक्षिण वार्ता को आगे बढ़ाना होगा। यह कच्चेमाल और उत्पादकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय से सम्बन्धित है। यह प्रौद्योगिकी के अंतरण

और पूंजी लगाने से सम्बन्धित होना चाहिए। यह सब इसके अंतर्गत आना चाहिए और इसे व्यापक संदर्भ का मसला बनाया जाना चाहिए जैसे कि पर्यावरण अथवा अंतरिक्ष अथवा अंतरिक्ष और सागर के संसाधनों का है। इसके लिए हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए ? कौन से साधन हमें अपनाने चाहिए ? मेरे विचार से लम्बे समय के अपनाया गया। गुट-निरपेक्षता रूपी साधन अब भी हमारी सहायता कर सकता है। गुट-निरपेक्षता को नीति बताया गया है जो कि गलत है। गुट-निरपेक्षता, मेरे विचार से शांति का एक माध्यम है। यह कोई अन्त नहीं है, यह अन्त तक पहुँचाने का साधन है। गुट-निरपेक्ष होना कोई उद्देश्य नहीं है, यह कतिपय राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का केवल एक माध्यम है।

इसलिए, परिप्रेक्ष्य को बदल दिया जावे। हमारे साधन सक्षम हैं, यह प्रासंगिक रहते हैं। हमारा उद्देश्य शांति, समानता और मानव अधिकार बनाये रखना है। किसी सीमा तक गुट-निरपेक्षता ने हमें और कई राष्ट्रों को निर्णय लेने की स्वतन्त्रता, मुद्दों को अपने ढंग से समझने की योग्यता प्रदान की है। इसलिए स्वतन्त्रता की विचारधारा के रूप में और राष्ट्रों की गरिमा के रूप में गुट-निरपेक्षता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। भारत इस सम्बन्ध में क्या भूमिका निभाने जा रहा है ? मैं समझता हूँ कि हमने अपनी भूमिका खो दी है। हम खो गए प्रतीत होते हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में अपने ही सिद्धांत से नहीं हट सकते। विश्व में हो रहे परिवर्तनों से हम अपने को अलग नहीं रख सकते। मानवीय आकांक्षाओं को कार्य रूप प्रदान करना, विश्व के अनुरूप परिवर्तनों को दिशा देना हमारा कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है।

भविष्य के बीज कल बोये गए थे और आज भी बोये जा रहे हैं। फसल हमारा इन्तजार नहीं करेगी, यदि हम आज बुआई नहीं करेंगे तो फसल उगाने का मौसम निकल जाएगा।

भारत को एक बड़ी भूमिका निभानी है। हमारे देश बुद्धिमानों का देश है, विश्व के लिए हमारी छोटी सी दुनिया है। हमारे अनुभव विश्व में प्रासंगिक है। हमें गुट-निरपेक्षता का महान दर्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू से विरासत में मिला है। उसमें हम विफल रहे हैं। यहाँ तक कि अपने ही पड़ोस में हमने बर्मा, अफगानिस्तान, खाड़ी देशों, कंबूचिया, हिन्द महासागर और अरब देशों में अपनी असफलताओं और कमजोरियों की बात की है।

मैं यह नहीं जानता कि किस बारे में बात की जावे। किन्तु मैं गहराई में नहीं जा सकता। जैसाकि प्रधानमन्त्री जी ने ठीक ही कहा है कल हमारा इंतजार कर रहा है। हमने कुछ ज्यादा नहीं खोया है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।

यहाँ मैं माननीय मन्त्री जी के विचारार्थ एक बात कहना चाहता हूँ। सोवियत संघ और मध्य एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए दक्षिण एशिया की समस्त अवधारणा को बदलना होगा। मेरे विचार से, मध्य एशियाई देशों को, जो स्वयं के इस समय अक्षुण बनाये हुये हैं, दक्षिण एशिया में अपना उचित स्थान ढूंढना होगा। उस सीमा तक हमारा लक्ष्य दक्षिण एशिया को पुनः परिभाषित करना है और फिर सामान्य हितों और आकांक्षाओं को स्पष्ट करना; अन्य क्षेत्रों विशेषकर अरब देशों के पड़ोसी क्षेत्रों, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, चीन और जापान के साथ इसके सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करना है।

मैं विदेश कार्यालय को दोष नहीं देता, परन्तु कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि विदेश कार्यालय ने नींद की गोलियां जरूरत से ज्यादा खा ली हैं। मेरा विचार है, उन्हें थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए।

अंतत: शक्ति के रूप में हमारी विश्वसनीयता, जो परिवर्तन की स्थिति में, विश्व में हो रहे बदलावों के यथा स्थिति नहीं है, हमारी आर्थिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं होगी बल्कि जैसाकि कुछ लोगों ने कहा है यह लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य और न्यायोचित समाज के रूप में हमारी विश्वसनीयता पर अधिक निर्भर होगा। मानव विकास सम्बन्धी हाल ही की रिपोर्ट में, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 160 राज्यों की सूची में भारत का स्थान 123वां रखा है और 127 विकासशील राज्यों की सूची में 94वां स्थान रखा है। इस उपलब्धि से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ कर नहीं सकते।

मैं चाहूँगा कि भारत ऐसी भूमिका निभाये जो हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय निभाई थी कि हम हर जगह स्वतन्त्रता और न्याय चाहते हैं। मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता से उद्धरण देना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने विश्व और मातृभूमि के लिए यह चाहा :

"फ्रीडम फ्रॉम फियर····
फ्रीडम फ्रॉम दि बर्डन ऑफ एजिस····
फ्रीडम फ्रॉम शेकल्स ऑफ स्लम्बर···
फ्रीडम फ्रॉम दि एनारचि आफ ए डेस्टिनी,
हूज़ सेल्स आर वीकली यीलडिड टु ब्लाइंड
अनसरटेन विंडस, एण्ड दि हेल्म टु ए हैंड एवर
रिजिड एण्ड कोल्ड एज डेथ;
फ्रीडम फ्रॉम दि इन्सल्ट ऑफ दि ड्वैलिंग
इन ए पपेट्स वर्ल्ड, व्हेयर मूवमैंटस आर
स्टारटिड थ्रू ब्रेनलेस वायरस, रिपीटिड
थ्रू मांइडलेस हैबिट्स, व्हेयर फिगर्स
वेट विद पेशन्ट ओबिडियंस फॉर ए मास्टर ऑफ
शो टु बी स्टरड इन टु ए मुमेंट्स
मिमिक्री ऑफ लाइफ।"

हम कठपुतली नहीं बनना चाहते। अपने देश का भाग्य हम अपने हाथ में रखेंगे और स्वतन्त्रता तथा मानव की गरिमा बनाये रखने में हम अपना सहयोग देंगे। यही हमारी विदेश नीति का संदेश होना चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर)—महोदय, थोड़े समय में ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

यह वह समय है जब हमने देखा कि किस तरह शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमरीका और इसकी बहुराष्ट्रीय सेनायें शांति बनाये रखने की आड़ में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत से परे हट कर ईराक में जाति संहार किया। यह सही है कि कुवैत में ईराक की गतिविधियाँ अनुचित थीं किन्तु जिस तरह अमरीका ने ईराक के विरुद्ध यहाँ तक कि उसके नागरिकों के विरुद्ध युद्ध किया, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में कार्य किया, अपने आप सेना नियुक्त करके सभ्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की सभी शर्तों का उल्लंघन किया।

यह वह समय है जब हमने देखा कि अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र की आंखों में किस प्रकार धूल झोंकी, किस तरह संयुक्त राष्ट्र साम्राज्यवादी कुचक्रों का मूक दर्शक बना रहा। और यही वह समय है जब हम सोवियत संघ का पतन देखते हैं—सोवियत समाजवादी संघ का विघटन और इसके स्थान पर कई नये राज्यों का उदय जो पूंजीवाद को वापस लाने के लिए कुछ समय के लिए आये हैं।

महोदय, सोवियत संघ की हाल की घटनाओं पर मेरे सम्मानित सहयोगियों ने यहाँ चर्चा की है। वहाँ हो रही गतिविधियों के सम्बन्ध में हमारे पास पूरी जानकारी है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ समाजवाद असफल हो गया है और अब वहाँ लोकतन्त्र है। यह भी कहा गया है कि चूंकि पूरा विश्व एक ध्रुवीय बन गया है, अतः हमारी गुट-निरपेक्षता नीति अब कुछ अप्रासंगिक हो गई है। महोदय, ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि यह समय हमारी विदेश नीति को नया रूप देने और एक वास्तविक आदर्शवादी तटस्थ नीति अपनाने का है।

महोदय, इन टिप्पणियों से चाहे कोई सहमत हो या न हो, हम इस मूल सच्चाई को अन-देखा नहीं कर सकते कि सोवियत संघ अब नहीं है। वहाँ अब स्वतन्त्र बाल्टिक राज्य हैं। वहाँ रूस, जार्जिया, अजरबैजन और अन्य गणतन्त्र देश हैं जिनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या है बिखरा हुआ संघ अथवा परिसंघ केवल अथवा आर्थिक संघ होगा? इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते। वहाँ परिवर्तन हो रहे हैं। परन्तु सोवियत संघ में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं इनका हमारे देश पर और तीसरे विश्व पर काफी प्रभाव पड़ेगा और जिसका हमें ध्यान रखना है। इस मसले पर हमें विचार करना चाहिए।

महोदय, जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की, उस समय साम्राज्यवाद हमारे देश को सस्ते कच्चे माल के साधन के रूप में और अपने औद्योगिक सामान का बाजार बनाकर हमारे देश का शोषण करना चाहता था। उस समय, किसी ने हमें सहायता नहीं दी जिसकी हमें अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और औद्योगिकरण के लिए सख्त आवश्यकता थी। उस समय सोवियत संघ हमारी सहायता के लिए आगे आया। सोवियत संघ ने केवल हमारी ही सहायता नहीं की बल्कि नव-उपनिवेशवाद के संकट का सामना करने वाले तीसरी दुनिया के हर देश को सोवियत संघ ने सहायता प्रदान की। महोदय, हर व्यक्ति समाजवाद और समाजवादी व्यवस्था की आलोचना करने के लिये स्वतन्त्र है; यह व्यक्ति की अपनी इच्छा का प्रश्न है। किन्तु इस मूल तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता कि

सम्पूर्ण विश्व में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन काफी शक्तिशाली और तीव्र हो गया था क्योंकि उसे समाजवादी सोवियत संघ का समर्थन था। और आज गुट निरपेक्ष आन्दोलन मन्द पड़ गया है क्योंकि समाजवादी सोवियत संघ पहले की तरह अब सहायता नहीं कर सकता। हम किस तरह के व्यक्ति है यदि हम उस समाज वादी सोवियत संघ के विघटन पर खुशी प्रकट करते हैं। महोदय, हम जानते हैं कि भारत-सोवियत सन्धि अभी भी है। परन्तु क्या हम रूस के वर्तमान शासकों के उस सहायता की आशा करें ?

नया रूस हमारे लिये अजनबी है। मैं नहीं जानता कि हमारा विशेष मंत्रालय और हमारी सरकार इन सभी पहलुओं पर सही ढंग से विचार कर रही है अथवा नहीं। सोवियत संघ में हो रही घटनाओं का न केवल हमारी आर्थिक योजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपितु इससे हमारी सामरिक सुरक्षा आवश्यकताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस समस्त क्षेत्र में शक्ति के असन्तुलन का झुकाव हमारी ओर होगा। कुछ क्षण के लिये हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कश्मीर में जनमत-संग्रह के लिए अभी भी संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है। मित्र सोवियत संघ के अभाव में और संयुक्त राष्ट्र के बदले हुए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा परिषद में हमारे हितों की रक्षा करने के लिये कौन रहेगा ?

अफगानिस्तान के बारे में क्या किया जाये ? हमारे पाकिस्तान, पश्चिम एशियाई इस्लामिक देशों और तथा कथित सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणतन्त्र देशों में से केवल यही एक मध्यवर्ती धर्मनिरपेक्ष राज्य है।

अब मध्य एशियाई गणतन्त्र इस्लामी रूढ़िवाद के प्रति झुकाव के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान को धर्मनिरपेक्ष रखने का महत्व बढ़ गया है। परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका सभी दकियानूसी और रूढ़िवादी शक्तियों का समर्थन कर रहा है। क्या अफगानिस्तान में धर्मनिरपेक्षता जीवित रहेगी ?

इसके बाद सोवियत की विफलता का सवाल आता है। क्या यह हमारे अपने देश में अर्थात् पंजाब, कश्मीर और असम में अलगाववाद तथा पृथकतावाद को प्रोत्साहित नहीं करेगा ? हम सोवियत संघ के विघटन पर प्रसन्न हो सकते हैं। परन्तु हमारी स्थिति इससे बेहतर नहीं है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार का विचार है कि गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमरीका ने मानवीय चेहरा धारण कर लिया है। यह पाकिस्तान की कट्टरता का समर्थन नहीं करेगा।

परन्तु हमारा अनुभव क्या है ? तीसरे विश्व के देशों का अनुभव क्या है ? अनुभव यह है कि अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नाम पर वस्तुतः नेतृत्वता की नीति पर चल रहा है। वह पूरे विश्व पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। और जब उसके अपने स्वार्थ निहित होते हैं तो वह किसी का आदर नहीं करता। क्या यह तथ्य नहीं है कि 80 के दशक के दौरान अमरीका ने ही ईरान के विरुद्ध सद्दाम हुसैन को उकसाया था। उसके पास भारी सैन्य शक्ति थी।

तब सद्दाम हुसैन प्रिय था। परन्तु जब उसी सद्दाम हुसैन ने तेल के लिये ईराक पर दावा करने की कोशिश की तो वह शैतान हो गया और हमने ईराक में क्या देखा। अमरीका की सेना द्वारा 600 ईराकी सैनिक जीवित दफनाए गए, नागरिकों को, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इराक पर आर्थिक प्रतिबन्ध चल रहा है। पूरी जनता भुखमरी का सामना करेगी।

पनामा में नोरेगा का क्या मामला था। वह भी संयुक्त राज्य अमरीका का मित्र था परन्तु उसने जब पनामा नहर में संयुक्त राज्य के स्वार्थों को चुनौती देने का साहस किया तो संयुक्त राज्य अमरीका ने अचानक उसके दोष को जान लिया और अमरीका की फौज ने पनामा पर आक्रमण कर दिया। यह वास्तव में हास्यापद है कि वही अमरीका अब कुवैत पर ईराक के आक्रमण की निंदा कर रहा है। यह तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है।

यह सत्य है कि हाल ही में अमरीका ने कश्मीर मुद्दे पर अपने विचार में बदलाव दिखाया है। परन्तु इस दृष्टिकोण को स्थाई, अन्तिम तथा वास्तविक बदलाव समझना हमें मुसीबत में डाल सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्धों की सोच में हम बेसुध हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त कीजिये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी—हमारे विचार दूसरे दलों के विचारों से पूर्णतया एक रूप नहीं है। आपको हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर देना चाहिये। यही केवल वह मंच है जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं और आज अन्तिम दिन है। कृपया इन्हें अनुमति दें।

श्री सुदर्शन राय चौधरी—मैं केवल तीन या चार मिनट लूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महोदय, हमने हारगर प्रस्ताव के बारे में सुना है जो गत वर्ष चहेते राष्ट्रों का दर्जा के सम्बन्ध में संशोधन लाये। इसके बाद हमने डेन बर्टन के बारे में भी सुना है जो पंजाब और कश्मीर में मानव अधिकारों के निरीक्षण की मांग के बारे में विधेयक लाए था। जिसमें कहा गया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत रोबर्ट ओकले कहते हैं कि कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र केन्द्र है। उन्होंने जनमत संग्रह के प्रश्न को फिर से ताजा कर दिया। यह सब हम जानते हैं। जब हम इन सभी पहलुओं को देखते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर अमरीका की अवधारणा में कुटिल मनोविकार हैं।

महोदय, यह प्रक्रिया चन्द्रशेखर सरकार के समय से शुरू हुई है जब हमने अपने देश में संयुक्त राज्य अमरीका के युद्धक विमानों को इंधन भरने की सुविधाओं की अनुमति दी थी। राजीव ने इसकी ठीक ही निंदा की थी। यह हमारी गुट निरपेक्षता की नीति पर आघात था जो मूल रूप से साम्राज्यवाद विरोधी तथा उपनिवेशवाद विरोधी है।

परन्तु अब राजीव जी नहीं रहे। यदि आज वह जीवित होते तो भारत और अमरीका

की रक्षा सेनाओं के बीच तथा गठित सहयोग योजना पर सरकार की रहस्यपूर्ण मित्रता के सम्बन्ध में हम उनकी प्रतिक्रिया के बारे में जानते। यह सूचना दी गई है कि हम भारत अमरीका की एक संयुक्त कार्यकारी परिषद् बनाने जा रहे हैं। नौसेना संयुक्त अभ्यास की भी सम्भावना है। हम क्या एक और नाटो राष्ट्र बनने जा रहा हैं ? अमरीका के लोगों के साथ मित्रता का विरोधी किसी ने नहीं किया। मित्रता करना एक बात है परन्तु मित्रता के नाम पर झुकना या गिड़-गिड़ाना अलग बात है।

दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि हमारी सरकार उसी तरीके से व्यवहार कर रही है। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के नाम पर, क्या आर्थिक नीति या विदेशी नीति के मामलों पर यह प्रवृत्ति बनावटी है। वस्तुतः हमारी विदेश नीति आर्थिक नीति का एक पुर्जा बन गया है। कल के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के कोर्टून ने यह दिखाया है। वहाँ यह पूछा गया है कि क्या विदेशी पूंजी को आमन्त्रित करने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विदेश नीति है। हम अपने सम्पूर्ण घरेलू और विदेश नीति का उस लक्ष्य हेतु—विदेशी पूंजी को आमन्त्रित करने, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने के लिये पुनंगठन कर रहे हैं।

हमने देखा है कि किस प्रकार पैप्सी कम्पनी सभी ठेकों तथा करार नामों की अवहेलना करके हमारी सरकार को खुली चुनौती दे रही है। सरकार निसहाय है। और नई बहु-राष्ट्रीय कम्पनियाँ भी आएगी। यदि उन्होंने भी ऐसा ही किया तो हम क्या करेंगे ?

आज हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता खतरे में है। यदि हमने स्थिति पर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो कल हमारी राजनैतिक प्रभुसत्ता भी खतरे में पड़ सकती है।

चिली में अलेन्डी सरकार को हटाने में पैप्सी की भूमिका से हम अवगत है। हमें यह भी पता है कि 50 के दशक में आंग्ल ईरानी तेल कम्पनी ने सी० आई० ए० की सहायता से ईरान में मोसडाय सरकार को कैसे हटा दिया था।

6·00 म० प्र०

हमें पता है कि ग्वाटेमाला में अरबेन्ज सरकार को हटाने में यूनाइटेड फ्रूट कम्पनी ने क्या भूमिका अदा की थी। हमें सावधान रहना चाहिये। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से सावधानी नहीं बरती जा रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका हम पर सभी मोर्चों में दबाव डाल रहा है—एक ओर अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर के लिये तो दूसरी ओर पेटेन्ट विधेयक, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधेयक बदलने पर दबाव डाल रहा है।

क्या हम झुक रहे हैं ? यह सत्य कि सोवियत संघ में समाजवाद को गहरा धक्का लगने से हमारे देश में अमरीका की लॉबी को बढ़ावा मिला है। वे प्रसन्नता की मुद्रा में हैं। वह हमारी विदेश नीति में पूर्ण परिवर्तन लाने की वकालत कर रहे हैं। सोवियत संघ में संकट का अर्थ यह नहीं है कि पूंजीवाद ही मानव जाति का रक्षक है। न ही पूंजीवाद उदार, लोकतांत्रिक समाज में प्रवेश कर सकता है। इसका केवल यह अर्थ है कि समाजवाद का निर्माण करना आसान काम नहीं

राष्ट्रों विकासशील राष्ट्रों के साथ पुनः अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिये। संयुक्त राष्ट्र के पुर्नगठन और पुर्नजीवित करने के लिये मांग की जानी चाहिये।

यदि हम तीसरे विश्व के देश, संगठित हों, यदि हमारे जैसे देश, चीन, एशिया के विकासशील देश, अफ्रीका, लेटिन अमरीका एक हो जाएं तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारा दमन कर सके। परन्तु क्या हम है। इसे कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। समाजवाद स्वालोचक प्रणाली है और वह लोकतन्त्र विरोधी नहीं हो सकता। जब भी आवश्यक हुआ इसमें सुधार की आवश्यकता है।

सोवियत संघ में सुधार के नाम पर जो कुछ हो रहा है क्या उसका हम समर्थन कर सकते हैं? वह बहुवादी लोकतंत्र की बात कर रहें हैं। परन्तु उन्होंने साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। वह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने साम्यवाद पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। वह आधुनिकता और प्रगति की बात करते हैं। परन्तु जार के शासन काल का कलगीदार बाज वाली ध्वजा को लाने के लिए उन्होंने लाल झंडा फाड़ दिया है। वह लोगों की हर जगह सहभागिता की बात कर रहे हैं और हमने पाया कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव तथा येल्तसिन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं कि दोनों में से एक भी जीवित रहा तो वह दूसरा उत्तरदायित्व ले लेगा। वहाँ लोगों की साझेदारी किस प्रकार की है और वह किस तरह का लोकतन्त्र है जिसका हमें स्वागत करना चाहिये।

महोदय, सोवियत संघ की घटनाएं यह संकेत नहीं देती हैं कि समाजवाद के दिन समाप्त हो गए है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के दिन समाप्त हो गए हैं। जब तक गरीबी और भुखमरी रहेगी, जब तक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण होता रहेगा, जब तक राष्ट्र उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद की दासता में कष्ट झेलते रहेंगे, तब तक समाजवाद की भावना समाप्त नहीं होगी।

न तो धर्मनिरपेक्ष की भावना समाप्त होगी और न ही साम्राज्यवाद, जाति भेद, नव-उपनिवेवाद के विरुद्ध लड़ाई समाप्त होगी। किसी को यह नहीं सोचना चाहिये कि सोवियत संघ में अव्यवस्था ने हमारी पृथ्वी को रहने योग्य बना दिया है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिये कि गृह युद्ध की समाप्ति से और समान ध्रुवीकरण की उत्पत्ति से हमें तीसरे विश्व में आराम और सम्भवतः शान्ति मिलेगी। एस० टी० ए० आर० टी० पर हस्ताक्षर के बाद भी परमाणु शस्त्र उपलब्ध हैं जो सम्पूर्ण मानव जाति का अन्त कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में जो परिवर्तन आए हैं वह हमारे लिये अच्छे नहीं हैं। यह अशुभ सूचक हैं। हमने सुना है कि सोवियत फौजें क्यूबा से चली जाएगी परन्तु क्या हमने यह भी सुन कि अमरीका क्यूबा के क्षेत्र में गवाटेमाला में अपना नौसैनिक अड्डा नष्ट कर देगा? नहीं।

हमने देखा ईराक को दण्डित किस प्रकार किया गया है व किया जा रहा है परन्तु क्या हमने यह भी सुना कि उसके अधिकृत क्षेत्रों को छोड़ने के लिए इजराइल पर दबाव डाला गया?

पश्चिम एशियाई शांति सम्मेलन की संभावनाएं अच्छी नहीं दिखाई देती।

महोदय, नए सम्बन्ध बन रहे हैं। वर्ष 1992 में एक नया यूरोप, शक्तिशाली यूरोप उभरेगा। उन्नत देशों व विकसित देशों के नए सम्बन्ध बनेंगे। ऐसा लगता है कि शीत युद्ध का स्थान व्यापार युद्ध ले लेगा। ऐसे विश्व में हम क्या करेंगे ?

यह समय हमारी गुट-निरपेक्ष नीति को बदलने का समय नहीं है। हमें तीसरे विश्व के ऐसा करने जा रहे हैं ? या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टून के सुझाव के अनुसार हमारे पास विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के अलावा अन्य कोई विदेश नीति नहीं है।

धन्यवाद महोदय,

श्री चित्त बसु (बारसात)—महोदय, मेरा भाषण संक्षिप्त होगा और मैं उन विषयों पर नहीं बोलूंगा जिय पर पहले बोला जा चुका है। महोदय, विश्व में परिवर्तन हुए हैं और कुछ परिवर्तन तो अत्यधिक महत्व के भी हैं। महोदय, सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन सोवियत संघ की घटनायें रही हैं। मैं इसके सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आज सोवियत संघ वह सोविमत संघ नहीं रहा है जिसका उद्‌भव अक्टूबर की महान समाजवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सोवियत संघ में सुधारों के नाम पर आर्थिक नीतियां पूंजीवाद को पुनर्स्थापित करने के रास्ते में एक कदम के सिवाय कुछ भी नहीं है। राजनैतिक प्रणाली में तथाकथित सुधारों के नाम पर मेरे विचार से, सोवियत समाजवादी दल को वैचारिक रूप से निरस्त किया गया है और इसे सोवियत संघ और विश्व में साम्यवादी आन्दोलन में इसकी वैध भूमिका से वंचित किया गया है।

विश्व में और इस देश में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सोवियत संघ इस घटना चक्र से प्रसन्न हो सकते हैं। उनका यह विचार हो सकता है कि दुनिया से समाजवाद समाप्त हो गया है। मैं उनको केवल यह याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवाद अमर है, समाजवाद समाप्त नहीं हो सकता। कतिपय अस्थाई धक्के हो सकते हैं और समाजवाद अपने गौरव और स्थान को प्राप्त करेगा।

आज भी चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने सुधारों का मार्ग अपनाया है क्यूबा ने अपनी आधारभूत नीति में परिवर्तन नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने भी सुधारों की नीति को स्वीकार किया है। समाजवादी समाज में सुधार अवश्य होने चाहिए, इसकी आर्थिक नीतियों में और इसकी राजनैतिक प्रणाली में भी सुधार होने चाहिये। लेकिन वह समाजवाद की परिसीमाओं के अन्दर ही होना चाहिए और समाजवादी आधार से परे नहीं होना चाहिये। अन्य विषयों की ओर आते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर उनके विश्व स्तरीय हित की रक्षा के मामले में अथवा उनकी विश्व स्तरीय प्रभुता को बनाये रखने में, अनावश्यक रूप से कुछ उनकी नीति के प्रति उनका रुख नरम रहा है।

हम स्टार्ट करार का स्वागत करते हैं। यह पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने समस्त विश्व पर सैनिक तथा आर्थिक दृष्टि से धाक जमाने की अपनी विश्व नीति को नहीं छोड़ा है। इन बातों को दो तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है जो हाल ही में घटित हुई है। एक यूरोप और सोवियत संघ से समाजवाद के समाप्त होने तथा वारसा सन्धि से विघटित होने के बाद नाटो द्वारा अपनी सेनाओं के ग्रुप समाप्त करना है। वे वहाँ अपने उद्देश्य, विशेषकर विश्व में आर्थिक और सैनिक सर्वोच्यता बनाये रखने के लिये नये ग्रुपों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी बात, यदि निकट भविष्य में कोई क्षेत्रीय संघर्ष होता है तो उनमें प्रयोग में लाये जाने के लिये इजराइल अथवा मध्य-पूर्व में काफी संख्या में अस्त्रों के भण्डारण का निर्णय किया गया है।

अन्त में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामरिक रक्षा पहल परियोजना को नहीं छोड़ा है। उन्होंने सामरिक रक्षा पहल परियोजना में संशोधन किया है। अतः इन सभी बातों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधारभूत रूप से अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया है या विश्व में अपनी प्रभुता जमाने के लिये अपने स्वयं के रास्ते हर चलने का इच्छुक है।

माननीय मंत्री महोदय ने पिछले माह लंदन में हुई जी-7 के महत्व का उल्लेख करने में साव-धानी नहीं बरती है। यदि माननीय मंत्री ने जी-7 आर्थिक घोषणा की जाँच की होती तो उन्होंने पाया होगा कि इस आर्थिक घोषणा में इस वर्ष के अन्त तक उसवे वार्ता का आहवान किया गया था। सम्भावतः इस समझौते में तीसरी दुनिया के देशों को व्यापार और समान सम्बन्ध की शर्तों से वंचित रखा गया है। भारत और तीसरी दुनिया के देश जी-7 देशों के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान न्यूयार्क में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज-दूत द्वारा दिये गये सार्वजनिक व्यक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया था कि भारत को बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के सम्बन्ध में और पैटेंट प्रणाली के सम्बन्ध में पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने के बारे में अपने विचारों में संशोधन करना चाहिये।

महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री जी इस की ओर ध्यान देंगे और यह देखने के लिये समुचित उपाय करेंगे कि भारत सरकार किसी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

महोदय, अन्त में मैं गुटनिरपेक्ष के प्रश्न पर आता हूँ। गुट निरपेक्षता का एक आधारभूत तत्व साम्राज्यवाद का विरोध करना है। यदि यह गुट निरपेक्षता केवल साम्राज्य विरोध्री, उप-निवेशवाद विरोधी की आधार भूत संकल्पना रहित है, तो गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता नहीं रहती, गुट निरपेक्षता कमजोर हो जाती है और यही नीति हमारी सरकार ने अपनाई है या स्वीकार की हैं। अतः आज मुख्य संघर्ष जैसा कि राष्ट्रपति बुश ने स्वीकार किया है, नई आर्थिक व्यवस्था बनाम नई सैनिक व्यवस्था के बीच है। तीसरी दुनिया के देशों को एक नई अन्तर्राष्ट्रीय

व्यवस्था की आवश्यकता है, जबकि श्री बुश और जी-7 के देश नई विश्व व्यवस्था चाहते हैं जिसका अर्थ विश्व में आर्थिक और सैनिक प्रभुत्व रखना है। भारत सरकार को अपनी नीति निर्धारित करते समय उचित उपाय करने चाहिये ताकि वे संसार की उन शक्तियों को मजबूत कर सके जो नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में लड़ रहे हैं।

भारत और चीन से सम्बन्धों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिये दुर्भाग्य से कुछ समाचार आये हैं और इसकी उत्पत्ति एक राज्य में मुख्य मंत्री से हुई है और यह कि चीन सरकार ने इससे इन्कार किया है............(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—दुर्भाग्य से, जिसका उल्लेख भी नहीं किया गया, और जिसका कोई तात्पर्य नहीं है उसका समाज में उल्लेख करने की आवश्यकता है नहीं है।

श्री चित्त बसु—उन्होंने एक व्यक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय—यह बहुत सावधानी से दिया गया व्यक्तव्य है। आप इसे पढ़ें।

श्री चित्त बसु—इस तरह का व्यक्तव्य देने से पहले, भारत सरकार विशेषकर विदेश मन्त्रालय को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय—नही, नहीं;

श्री चित्त बसु—हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिये जिससे चीन और भारत में सम्बन्ध खराब हों। चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार किया जाना है और हम इसके लिये अत्याधिक गम्भीरता से कार्य कर रहें हैं।

मेरे विचार से क्यूबा संकट में है, कठिनाई में है और भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि वह उसकी स्थिति, उसकी अखंडता, उसमें कार्यक्रमों को बनाये रखने के लिए क्यूबा की किसी तरह की सहायता प्रदान की जा सकती है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी)—चूंकि समय की कमी है, इसलिये इस सदन का बहुमूल्य समय में से अधिक नहीं लूंगा। मैं केवल एक या दो विषयों को उठाना चाहता हूँ।

यह वास्तव में अत्यधिक सन्तोष जनक बात है कि माननीय प्रधानमन्त्री ने सदन में बताया है कि तीन माह की अल्प अवधि में उसकी सरकार ने देश के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अनेक पहल की है। लेकिम साथ ही, मैं यहाँ खाड़ी युद्ध तथा सरकार द्वारा उस समय अपनाई गयी नीति के सम्बन्ध में मेरे मित्र द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ और मेरा मत यह है कि भारत को गुट निरपेक्ष आन्दोलन को नेता के रूप में खाड़ी युद्ध के समय निर्माणकारी भूमिका अदा करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो कुछ घटित हुआ है वह अत्यधिक खेदजनक था। भारत में आकार के देश और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में, भारत को सक्रिय भाग लेना चाहियें था और हमारे देश की विदेश नीति की प्रथा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट, विशेषकर जब यह युद्ध से सम्बन्धित हो, राजनैतिक और उत्साहपूर्वक हस्तक्षेप करने की

रही है। भारत खाड़ी संकट को कम करने के लिये सार्थक भूमिका निभा सकता था। परन्तु जो कुछ भी हुआ, वह उसके बिल्कुल विपरीत था। मेरे माननीय मित्र श्री शाहबुद्दीन ने भी विदेश मन्त्रालय का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उन्होंने नींद की गोलियाँ जरूरत से ज्यादा खा ली थीं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे मन्त्रालय अपने में सभी सम्बन्धित मसलों की ओर सचेत भी रहें तो भी किन्तु राजनैतिक कार्य पालक को ही उनसे ढंग से कार्य लेना होता है। उस समय विदेश मन्त्री की क्या भूमिका थी? जब खाड़ी देशों में रहने वाले 120 लाख भारतीय कुवैत पर ईराकी हमले से उत्पन्न गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे थे, हमारे विदेश मन्त्री वहाँ गये और सद्दाम हुसैन से हाथ मिला रहे थे और उन्हें भारत का सबसे अच्छा मित्र बता रहे थे। उनके इस क्रम का कुवैत पर ही नहीं, अरब देशों विशेषकर अरब परिषद के देशों, अर्थात् सऊदी अरब, यू० ए० ई०, ओमान, कतार और बहरीन देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तत्कालीन विदेश मन्त्री के इस कार्य के कारण बात उन्हें इन देशों से बाहर निकालने की हद तक पहुँच गई थी। उस समय की सरकार ने सद्दाम हुसैन की इच्छा के अनुसार कुवैत में अपने दूतावास को बन्द करने का निर्णय क्यों लिया।

यह सही नीति थी। उस समय की सरकार द्वारा लिये गये इस गलत निर्णय के कारण कितने भारतीयों को कष्ट भोगना पड़ा है। अतः जब राजनैतिक कार्यपालक ही गलत ढंग से कार्य कर रहा हो तो उसका जिम्मा अधिकारियों पर नहीं डाला जा सकता।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत संयुक्त राष्ट्र से उन लोगों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयास कर रहा है जिनको कुवैत से भागना पड़ा था। इस सम्बन्ध में, मैं कहूँगा कि कुवैत और ईराक में क्रमशः 1,72000 और 20,000 भारतीय थे, जिनमें से सरकारी अनुमान के अनुसार, 1,52,000 लोगों को स्वदेश लाया गया है। ऐसा बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 2,500 डालर तय करने पर विचार कर रहा है। भारत सुरक्षा परिषद की अपनी सदस्यता के कारण इस क्षतिपूर्ति आयोग का सदस्य है। इस तरह, भारत क्षतिपूर्ति आयोग के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारत को न केवल छोटे दावे ही तय नहीं करने चाहिए अपितु उन्हें उन लोगों के दावे भी तय करने चाहिए जिन्हें व्यक्तिगत चोट पहुँची है और उनके लिये भी जो जीवन भर की कमाई कुवैत में छोड़ आये हैं। मैं विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वे उन क्षति, नुकसान और चोटों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देशवासियों ने झेली है, सं० रा० एजेंसी से क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि तय कराने के लिये प्रयास करें।

इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग नामक हमारा दल पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का पूरा-पूरा समर्थन करता है। हम चाहते हैं कि अपने सभी पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य हों। यदि पाकिस्तानी सरकार इस देश की और इस देश के लोगों की वास्तविक इच्छा को नहीं समझ सकती, तो वह पाकिस्तान की जनता को नुक-

सान पहुँचाएंगी।

मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूँ कि वह सोवियत संघ में एशियाई गणतन्त्र देशों को मान्यता प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी)--अध्यक्ष जी, समय भी कम है, लोगों का धैर्य भी टूट रहा है और मेरे लिए भी समय का मामला है। मैं कुछ उन्हीं बातों को लूंगा जो रह गई हैं। अभी जो स्थिति पैदा हो गई है, अखबारों ने, दूरदर्शन ने, आकाशवाणी ने एक ऐसी फिजा तैयार कर दी है कि समाजवाद खत्म हो गया, समाजवादी जगत का जो अलग ढांचा था वह टूट गया है। उस गलत प्रचार के चलने हमारी विदेशी नीति पर असर पड़ा है, वित्तीय नीति पर भी असर रहा पड़ा है, वित्तीय नीति पर भी असर पड़ रहा है।

अध्यक्ष जी; समाजवाद गणतंत्र का सबसे उच्चतम रूप है और ज्यादा जनतांत्रिक होने से समाजवाद कमजोर नहीं, मजबूत होगा। यह ठीक है कि वह कायदे से नहीं होगा और उससे उलझनें पैदा हुई हैं लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्होंने बचपन से जान दिया है और इसलिये हमारे संविधान में खुद समाजवाद को लक्ष्य रखा गया है, जनतंत्रीकरण करने से समाजवाद और भी अधिक मजबूत होगा। जो "वसुधैव कुटुम्बकम" की प्राचीनतम आस्था है वह ज्यादा मजबूत होगी। जनतंत्र की त्रुटि के चलते जो कमी थी वह दूर होगी। यही आशा करके बढ़ना चाहिये और बढ़ें।

अध्यक्ष जी, शीत युद्ध का खतरा अभी टला है, विश्व युद्ध का खतरा भी टला है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अभी भी इतने हथियार हैं, अभी भी आणविक सशस्त्र इतने हैं कि अकेले अमरीका के और सोवियत संघ के हाथ है कि संसार राख बन जाये। अभी प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि संसार में एक ही शक्ति सामरिक उच्च शक्ति रह गई है। यह धारणा गलत है। यह अमरीका वाले भी जानते और मानते हैं कि आज भी सामरिक शक्ति में सोवियत संघ उनसे नीचे नहीं है, वित्तीय संकट और गड़बड़ी के बावजूद। सामरिक का मतलब है निर्णायक संधि जिस में फैसला हो सकता है। युद्ध का खतरा टले और शांति स्थापित हो और सभी शस्त्र नष्ट हो जायें, जो दूरवेदक राकेट और अस्त्र हैं वे नष्ट हो जायें, इस प्रयास में हमें लगे रहना है। आज जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें कुछ पुरानी बातों में हमें जाना पड़ेगा। एक समय था जबकि ब्रिटेन और फ्रांस का साम्राज्यवाद था। उस समय अमरीका कुछ नहीं था। मुसोलनी

मुलाकात करने के लिये प्रयास में लगा रहता था लेकिन जवाहर लाल जी जो गुलाम भारत के एक नेता थे, जन नेता थे, उनसे मुसोलनी से मुलाकात मांगी तो उन्होंने इन्कार कर दिया कि अपसीनिया के खून से जिनका हाथ लाल है, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। तब उन्होंने स्पेन में जाकर हारती हुई तात्कालिक शक्तियों को........लाल सलामी दी थी। चीन को भी जो जापान से प्राप्त हो रहा था. डाक्टर कोटनीश और डाक्टर अटल वह एक जत्था लेकर गये थे।

अध्यक्ष जी, जो भी भावनायें सदन में उठी हैं उसको मैंने आज सुना। तीसरी दुनिया के जो लगभग सवा सौ देश हैं और जो विकसित देश है उनसे सहयोग करने की आवश्यकता है। है। मेरी समझ के अनुसार तब से इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। भारत-चीन की दोस्ती अभी और भी आवश्यक हो गई है। जो संसार में परिवर्तन हुए हैं, जो चीन में परिवर्तन हुए हैं, जो हमारे पड़ोसी की हालत है, इस पर मैं फिर यह कहना चाहूँगा कि हिन्दी, चीनी भाई-भाई के समय को आगे लाने की आवश्यकता है, शांति के लिये सहयोग के लिये, एशिया और विश्व की भलाई के लिये हमारी अपनी भलाई के लिये और इसकी आवश्यकता बढ़ गई है।

प्रधान मन्त्री जी ने नेपाल के बारे में जिक्र किया। मेरा आग्रह है कि इस सदन में सरकार वचनबद्ध है, बहुत पहले से और यह सरकार नहीं, लेकिन अभी हमारा मामला उलझ रहा है। नेपाल दूसरे पड़ोसी जैसा पड़ोसी नहीं है। वह हमारा सहोदर देश है। प्रकृति ने, संस्कृति ने, खून और भाषा ने हमें सहोदर बनाया है। इसलिये राजनीतिक स्तर पर वार्ता हो। अधिकारी लोग वार्ता करते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है मगर बड़े दृष्टिकोण के लिये और भविष्य को दिमाग में रख कर राजनीतिक स्तर पर वार्ता हो और नेपाल के साथ टीट फॉर टैट की नीति नहीं रहनी चाहिये, एक उदार दृष्टिकोण जो सहोदर देश के साथ ही एक छोटे देश के साथ रहता है, वैसा और स्वाभिमान के ऊपर चोट करने की कोई बात न रख कर उसके साथ एक अच्छा सलूक करना चाहिये। यह भारत और नेपाल दोनों के हित में होगा।

अभी हमारे नेता इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि बहुउद्देशीय परियोजनायें हैं, वे लटकी हुई हैं, गलतफहमी के चलते, गलत समझ के चलते और हमारी ओर से गलत दृष्टिकोण के चलते लटकी हुई हैं। मैं यह नहीं कहता कि नेपाल से गलती नहीं होती है लेकिन सुधार हमारे हाथ में है जिसको हम सुधार सकते हैं।

अरब देशों के सम्बन्ध में कुछ बातें हमारे मित्रों ने उठायी हैं। अरब देशों में जनतन्त्र की की लहर आगे बढ़े यह देखना होगा। हमें सभी देशों से दोस्ती का रुख रखना है। सद्दाम ने गलती की थी, इराक ने गलती की थी मगर इराक उस समय समूचे अरब जगत की आवाज बन गया था। वह अकेली सद्दाम की आवाज नहीं थी। हमने सही दृष्टिकोण उस समय अपनाया था। अभी हम स्पष्ट न हो जायें। जब समूचा अरब जगत हमारे साथ दोस्ती का रुख रखे हुए हैं, आगे बढ़ने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है। तेल के भण्डार के लिए भी अमेरिका की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और हमें खुशी हुई कि वाजपेयी जी ने भी आने वाले अमेरिकी खतरे को ठीक से रखा है और यह संतोष की बात है। मैं समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, उस दृष्टि को दिमाग में रखते हुए भारत अरब दोस्ती, भारत चीन दोस्ती और पड़ौसियों के बढ़ते हुए हम आगे बढ़ें।

पाकिस्तान के बारे में प्रधानमन्त्री इतना बोले हैं, जो प्रयास हो रहा है, उससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही अन्तिम बात कहना चाहूँगा कि जो कामरेड इन्द्रजीत गुप्त

ने कहा है कि हमारे दूरदर्शन पर और अखबार भी आजाद हैं, अखबारों में जो दुष्प्रचार हो रहा है, खासकर समाजवादी जगत के बारे में हमारी जनता में जो निराशा फैल रही है, हमारे लोगों में निराशा फैल रही है तो क्या आजाद होकर इस दुनिया में हम रह सकते हैं, क्या हम सिर उठा सकते हैं। देश में प्रचार का बुरा परिणाम हो रहा है तो कम से कम जो हमारे प्रचार के मुख्य साधन हैं, वह हमारे आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान और जो हमारी परम्परा रही है, उसको लेकर हम आगे बढ़े कि हमारा लक्ष्य पंथनिरपेक्षता का, समाजवाद का और गुट निरपेक्षता का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और समस्त संसार में सभी आगे बढ़ने वाले लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और अमेरिका की जो अभी की खुशी है, उस खुशी को क्षणिक खुशीबनने का समय हम देखेंगे, वह टिकाऊ खुशी नहीं होगी।

शान्ति के युग में हम आप प्रवेश करेंगे, हमारी वैदेशिक नीति हमारी अन्दरूनी नीति को मजबूत करने वाली बने, हमारे पड़ोसियों से सम्बन्ध को मजबूत करने वाली बने।

पाकिस्तान के बारे में एक ही सुझाव देकर मैं बैठता हूँ। मेरी समझ में आर्थिक मामले में हम सम्बन्धों को सुधारने में धीमापन दिखा रहें हैं। राजनैतिक मामलों में जो हो रहा है वह तो हो सकेगा, मैं नहीं कहता हूँ लेकिन आर्थिक मामले में कुछ इकतरफा भी पाकिस्तान का बहुत सा माल दूर-दूर से आ रहा है, जो हमारे यहाँ से जा सकता है। उस मामले में कुछ ज्यादा उदार होने की आवश्यकता है और खुलकर उदार होने की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान के लोग समझें किभारत का यह रुख है, भारत की यह नीति है।

धन्यवाद।

(अनुवाद)

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़)—अध्यक्ष महोदय, विश्व में हाल ही में हुई महत्वपूर्ण राजनैतिक घटनाओं ने सैन्य शक्ति पर आधारित द्विध्रुवीय विश्व का जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से विद्यमान था, अन्त कर दिया है।

हमने शीत युद्ध का अन्त, महाशक्तियों के बीच बढ़ती सहयोग भावना, निरस्त्रीकरण की प्रगति देखी है और इन सबने विश्व में स्थायी शांति की नई आशा हमें दी है।

स्थिति अभी भी काफी जटिल है। तीसरे विश्व के अधिकतर देश भावी 'एक ध्रुवीय' विश्व का सामना करने के बारे में अनिश्चित हैं, जिस पर पश्चिम का पूर्ण आधिपत्य है।

बाजार अर्थ व्यवस्था की सफलता और विकास के लिये मुख्य रूप से केन्द्रीय रूप से आयोजित प्रयासों की स्पष्ट विफलता ने जिनमें व्यापार अवरोधकों की समाप्ति और विभिन्न क्षेत्रीय साझा बाजारों का उदय सम्मिलित है—नए शक्ति गुटों को जन्म दिया है, जो सेना और सुरक्षा के आधार के बजाय आर्थिक अवधारणाओं पर आधारित हैं।

विपक्षी सदस्यों ने तीसरे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा और पहले प्राप्त ख्याति के कम होने की बात की है और कहा है कि इस के क्या कारण हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच में भारत की बात

क्यों नहीं सुनी जा रही है।

महोदय, मैं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विश्लेषण से असहमत हूँ 50 के दशक के विश्व और आज की स्थिति में बहुत अन्तर है।

भारत की विशाल जनसंख्या बहुत बड़ी सैन्य बल, सुरक्षा और सैनिक विचारों पर आधा-शक्ति गुटों का अस्तित्व और यह तथ्य कि पश्चिमी शक्तियाँ भारत को लोकतांत्रिक बनाए रखने की इच्छुक थीं और उसे साम्यवादी ताकत नहीं बनने देना चाहती थी; यह कुछ ऐसे कारण थे जिससे भारत की गिनती विश्व मामलों में हुई। परन्तु आज वास्तविकता इससे भिन्न है।

हाल में सोवियत संघ और पूर्व यूरोप में हुई राजनैतिक घटनाएं संसार के राजनैतिक इतिहास में शायद बेजोड़ हैं। हमें प्रसन्नता है कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हमें प्रिय है उचित सिद्ध हुए हैं।

पिछले अगस्त में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमारा यह सरकारी वक्तव्य कि सत्ता परिवर्तन सोवितत संघ का आन्तरिक मामला था बिल्कुल सही प्रतिक्रिया थी। किसी भी एक पक्ष के समर्थन में अथवा किसी दूसरे के विरोध में दिया गया वक्तव्य मित्र राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अर्थ में लिया जाता।

महोदय, यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त है। यदि हम दूसरे देशों के आंतरिक मामलों, महान विभूतियों, किसी विशेष नेता के बारे में अपनी रूचि पर टीका-टिप्पणी करना शुरू कर दें तो हमें दूसरे राष्ट्रों को भी अपने आंतरिक मामलों पर बोलने का ऐसा ही अधिकार देना होगा। और तब कौन उन्हें पंजाब, कश्मीर और असम में मानव अधिकारों या लोकतन्त्र के बारे में बात करने से रोक सकता है? महोदय, सोवियत संघ में अन्त में कैसी भी सरकार स्थापित हो, यही उचित समय होगा जब हम सोवियत संघ को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक सहायता के क्षेत्र में, उचित आर्थिक विश्व व्यवस्था तथा शोषण एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध, निर्भीक समर्थन के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट कर सकते हैं।

सोवियत स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। भारत को स्वतन्त्र होने वाले प्रत्येक सोवियत गण-राज्य के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करने होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि सब सन्धि को स्वीकार कर लिया जाता है तो सम्पूर्ण स्थिति की पुनरीक्षा की जानी चाहिये।

रक्षा आपूर्ति और अतिरिक्त पुर्जों के निरन्तर प्राप्त होते रहने का भी प्रश्न है। रुपयों में व्यापार और रुबल-रुपया विनिमय दर की समस्या को भी सुलझाना होगा।

महोदय, पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध और पंजाब और काश्मीर में आतंकवादियों के लिये उनके खुलेआम समर्थन को देखते हुए पूरा देश क्षुब्ध है। पाकिस्तान का वर्तमान आक्रामक रवैया भारत में हिन्दू धर्मान्धता के विकास का परिणाम है। यह 1989 और 1991 के चुनावों में साम्प्रदायिक ताकतों को प्राप्त सफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है। अपने सहयोगी दलों की मन्त्रणा

पर, काश्मीर में लोकतन्त्रात्मक ढांचे को विखण्डित करने के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों के कारण भी है। पाकिस्तान अब भारत की आंतरिक स्थिति का लाभ उठा रहा है। कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिये। विदेशमंत्री अकारा में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीरमुद्दे को उठाने के प्रयासों को रोकने में सफल हुए थे।

सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना होगा। फिल्म निर्माण, टी० वी कार्यक्रमों, विदेशी पत्रकारों की यात्राएं आयोजित करके और काश्मीर और पंजाब में आतंकवादी हिंसा को बढ़ाने और पंजाब में आतंकवादी हिंसा को बढ़ाने ओर सहायता देने में तथा हमारे आंतरिक कार्यों में पाकिस्तान को खुलेआम दखलंदाजी के प्रमाणों के प्रकाशन द्वारा हमें दुष्प्रचार विरोधी सूचना से शुरुआत करनी होगी।

काश्मीर में लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया की बहाली एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हम जानना चाहेंगें कि माले में आई मंत्रि परिषद के सम्मेलन में आतंकवाद के सम्बन्ध में स्वीकार किये गए कन्वेन्शन के बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है।

महोदय, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की बात किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी के बारे में कोई भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। तीस साल पहले गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष को अपनी कार्यसूची में स्थान दिया था। आज हम बिना किसी शक के यह कह सकते हैं कि अपनी प्रारम्भिक कार्यसूची के अनुसार आन्दोलन पूर्णतः सफल हुआ है।

और यदि विश्व अधिक सुरक्षित प्रतीत होता है तो इसका उचित श्रेय गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय नेतृत्व को दिया जाना चाहिये। आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की पुनः व्याख्या की कोशिश की जा रही है। हाल ही में अकारा में हुए विदेशी मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ देश इसका पुनः नामकरण और जी-7 7 में इसका विलय चाहते थे। जी-77 एक आर्थिक समूह है जबकि गुट निरपेक्ष आन्दोलन राजनीतिक समूह है। यह अच्छा हुआ कि किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। बैलग्रेट योजना के छह सूत्र के आधार पर इसे पुनः शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये, जिसमें शामिल हैं—

(क) समाम आर्थिक व्यवस्था

(ख) संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गगठन

(ग) शांति और निरस्त्रीकरण

(घ) मानव अधिकार और

(ड) पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित विकास

आन्दोलन को एक अधिकोलुस बनाया जाना चाहिये। आन्दोलन के समक्ष नए मुद्दे यह होने चाहिये :

(क) भारी ऋण बोझ का समाधान

(ख) व्यापार से सम्बन्धित मुद्दे

(ग) वस्तुओं का लाभप्रद मूल्य

(घ) नशीली दवाइयों का आतंक

(ङ) तीसरे विश्व को प्रद्योगिकी अन्तरण

(च) स्थिर वित्तीय स्थिति

हमें प्रसन्नता है कि भारत जी-15 का निर्माण कर रहा है। आगामी कराकस बैठक में हमारे दक्षिण-दक्षिण आयोग की रिपोर्ट और जी-7 पर प्रतिक्रिया ने सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव होने चाहिये।

अन्त में यह याद करना उपयुक्त होगा कि वह पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था किसी देश की स्वतन्त्रता की अन्तिम परीक्षा उस देश की विदेश नीति की आत्मनिर्भरता है।

यदि हम अपनी आर्थिक समस्याओं से नहीं उबरे तो आज हमें अपनी नीति बनाने की जो स्वतन्त्रता है, जल्दी ही समाप्त हो जायेगी। हाल ही के आर्थिक सुधार, उदार नीति और वित्तीय अनुशासन और उन्हें लागू करने की राजनैतिक इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होगी। विश्व शायद सैन्य दृष्टि से समान ध्रुवीय हो परन्तु नई आर्थिक शक्ति गुट के संदर्भ में, विश्व वास्तव में बहु-ध्रुवीय बन गया है।

कल विश्व के आधिपत्य के लिए युद्ध, टैंकों, लड़ाकू विमानों, माल वाहकों और प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा नहीं, वरन् आर्थिक शस्त्रों जैसे व्यापार अवरोधकों, निर्यात कोटाओं वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करके विनियम दरों, भुगतानों के सन्तुलन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों, प्रतिभा पलायन और आधुनिक प्रोद्योगिकी के प्रवाह के द्वारा लड़ा जाएगा। महोदय, केवल आर्थिक दृष्टि से समर्थ और राजनैतिक दृष्टि से संगठित भारत ही वि व के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य होगा।

मूलतः

तेलगू में दिये गये भाषण को अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति (विशाखापट्नम) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बोलने के लिए समय दिया।

सोवियत संघ में हाल ही में हुए सरचनात्मक और राजनैतिक बदलावों ने हमें उस देश के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने का अवसर प्रदान किया है। हमें आने वाले दिनों में, भारत-सोवियत के घनिष्ट सम्बन्धों के लिये कार्य करना चाहिए।

महोदय, भारत के अमरीका के साथ व्यापार, प्रोद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में निकट सम्बन्ध बनाने के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। विश्व के चारों ओर बदलती हुई स्थिति उस देश के साथ इन सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने की माँग करती है।

यूरोप के घटनाक्रम में गहन परिवर्तन हुए हैं। वास्तविक राजनीति ने सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति का स्थान ले लिया है। वे पुरानी विचारधारा से वह अलग हो गए हैं। जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। इस प्रकार जर्मनी के लोगों की संगठित राज्य की इच्छा पूरी हुई है। यूरोप की संसद का जन्म हुआ है। साझा बाजार और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विश्व परिदृश्य पर यूरोप तेजी से एक महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम भारतीयों को यूरोप के बदले घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहिये और यूरोपीय समुदाय के साथ राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से निकट सम्बन्ध बनाने के लिये कार्य करना चाहिये। कुल मिला कर यह विश्व शान्ति में योगदान देगा। वर्ष 1991 में हमारे राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन और तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री आई० के० गुजराल ने कई यूरोपीय देशों का दौरा किया।

माननीय अध्यक्ष—कृपया माइक के नजदीक आइए। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

मूलतः

तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : अनेक राज्याध्यक्षों और अन्य नेताओं से हुई उनकी बातचीत के कारण उन राष्ट्रों को हमारे निर्यात को बढ़ाने की हर संभावना है। यूरोपीय साझा बाजार जो कि वर्ष 1992 में बनने जा रहा है, हमें उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का अवसर देगा। यूरोपीय राष्ट्रों को और अधिक निर्यात करके हमें इस स्वर्णिम अवसर का उपयोग करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार हम क्षीण होते हुए अपने विदेशी मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

पूर्वी-यूरोपीय देशों में भी स्थिति काफ़ी बदली है। लोकतन्त्र की लहरें पूरे पूर्वी यूरोप का सफाया कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी पूर्वी-यूरोपीय नीति का पुनः निर्धारण करना होगा जिससे इन देशों के साथ हमारे राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों को अच्छा बनाए जा सकें।

हमें विश्व के सभी देशों के साथ अपने राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास करना चाहिये। परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सभी देशों के साथ इस प्रकार के निकट सहयोग की मांग करता है। फिलिस्तीनियों के लिए अलग से स्वदेश का भारत कट्टर समर्थक रहा है। केवल स्वतन्त्र फिलिस्तानी पश्चिमी एशिया में स्थायी शान्ति की गारन्टी दे सकता है। भारत फिलिस्तीनी के लोगों की उचित मांगों का समर्थन करता रहा है। वर्ष 1990 में, तत्कालीन विदेश मन्त्री आई० के० गुजराल ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेते हुए फिलिस्तीनियों के लिए उनके स्वदेश के अधिकार का समर्थन किया। उस बैठक में उन्होंने भारत सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को अधिकृत क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिये और उस क्षेत्र को फिलिस्तीनियों को वापिस दे देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उस

क्षेत्र में स्थायी शान्ती बनाए रखने का केवल यही तरीका है। मैं महसूस करता हूँ कि यह नीति बिल्कुल ठीक है।

दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा नैलसन मन्डेला की रिहाई से भारत के लोगों को अत्याधिक खुशी हुई। भारत ने हमेशा अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया। अफ्रीका के लोगों ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में भारत के द्वारा दिए गये समर्थन से शक्ति प्राप्त की। भारतीय नीति उस महाद्वीप की विभिन्न जातियों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग की नीति में योगदान करती रही है। अन्याय के विरुद्ध उनके संघर्ष में यह एक शक्ति का स्रोत है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, यदि हम स्वतन्त्र विदेश नीति को जारी रखना चाहते हैं, तो आर्थिक स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। यहां तक कि गुट-निरपेक्ष नीति भी प्रभावी नहीं होगी, यदि गुट-निरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं होंगे। गुट-निरपेक्ष देशों की आवाज़ भी विश्व में नहीं सुनी जाएगी यदि वह आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं हैं। अतः, हमें अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। केवल आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र भारत ही, विश्व के राष्ट्रों में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली भारत उभरेगा और विश्व में आज मानव जाति जिन समस्याओं से जूझ रही है उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, सत्र के अंतिम दिन, अंतिम क्षणों में आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने के साथ-साथ अपने देश की विदेश नीति क्या हो और समय के अनुसार जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको एंटीसिपेट हम कर पाएं, इसका पूर्वानुमान लगा सकें, यह बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा था—

[अनुवाद]

"45 वर्षों में द्वि-ध्रुवीय विभाजन के अचानक लोप जाने के कारण सोवियत संघ और अमरीका अब प्रतिरोधी नहीं वरन् सहभागी है। जिस शीत युद्ध ने अधिकांश वर्तमान शताब्दी में विश्व को प्रभाव में रखे रखा उस पर अन्तिम रूप से पर्दा डाल दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि न ही तो अमरीका चाहता है कि तीसरे विश्व के देश साम्यवाद को बनाए रखें और न ही अब विकासशील देशों में सोवियत संघ को 'सहज मित्रों' का कोई लाभ है।

नई स्थिति चुनौतीपूर्ण है और इसी के साथ ही साथ विश्व के मामलों में भारत की भूमिका को व्यापक बनाने के कई नए अवसरों से युक्त है। परन्तु केवल आर्थिक रूप से स्वस्थ, सैन्य-दृष्टि से शक्तिशाली एवं प्रगतिशील भारत ही विश्व मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान बना सकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रचार कर रहा है और अधिक से अधिक मंचों पर कश्मीर के प्रश्न को उठाने का प्रयत्न करता है, यह गम्भीर विषय है। पिछले वर्ष इण्टर पार्लियामैंट्री यूनियन में उरूग्वे में भी जब पाकिस्तान के डेलीगेट ने यह प्रश्न उठाया था, सौभाग्यवश मैं भी भारत की तरफ से वहाँ डेलीगेट था, मुझे वे बातें सुनने का मौका मिला और उस समय ब्रिटिश के एक एम पी भी वहाँ पर थे, जिनकी कांस्टीट्वेंसी में बहुत से पाकिस्तानी मूल के नागरिक रहते हैं, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया था और उसमें भारत की ओर से मैंने उनको उत्तर दिया था और कहा था कि कश्मीर हमारे देश का अंदरूनी मामला है, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कहीं भी मौका मिलता है, समाचार पत्रों में भी पढ़ते रहते हैं, इंटरनेशनल मंच पर जहाँ भी मौका मिलता है, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाने का पाकिस्तान प्रयत्न करता है। अभी प्रधानमन्त्री जी ने इंटरवेंशन के समय कहा कि पाकिस्तान से ऐसे संदेश मिले हैं—

[अनुवाद]

अब हमारी स्थिति क्या है? उन्होंने बताया कि हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि विदेश नीति में क्या हम यह कह कर कि रोजाना पाकिस्तान यह कर रहा है, अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? हम जहाँ हैं, वहीं खड़े हैं। क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को सही तरीके से एंटीसिपेट कर रहे हैं। आज यह हकीकत है कि पाकिस्तान के दूतावास हिन्दुस्तान के विरुद्ध प्रचार कार्य में विदेशों में लगे हुए हैं। उनके मुकाबले में हमारा प्रचार बहुत कम है। कूटनीति में हम बार-बार मात खाते रहे हैं। नीति निर्धारण समिति जो एक्सपर्ट्स की होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। हमें विदेशों में अपने दूतावासों को और अधिक सक्रिय करना होगा विद दी सेंस आफ परपज वे वे काम करें। जैसी अभी हमारे माननीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि विदेशों में जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनको भी प्रेरित करना पड़ेगा। दूतावास अपना

काम करें, लेकिन विदेशों में जो भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं, वे भी इस काम में आगे बढ़ कर भारत का पक्ष रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कुछ सुझाव मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूँ। नीति निर्धारण समिति एक्सपर्ट्स पर आधारित बनाई जाए ताकि दीर्घकालीन विदेश नीति का निर्धारण हो सके। समर्थक देशों की साझा मण्डी, कामन मार्केट के लिए हम जोर दें। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के हितों और अधिकारों के लिए हम उनकी सहायता करें। विदेश नीति पर राष्ट्रीय सहमति तैयार की जाए। नार्थ-साउथ डायलाग जारी रहने के साथ-साथ साउथ सहयोग को भी बढ़ाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं चाहूँगा कि काश्मीर का जहाँ पाकिस्तान हमारे खिलाफ फायदा उठा रहा है, पाक अधिकृत जो काश्मीर है वहाँ भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्या हम कूटनीतिक आधार पर ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान जिस तरह हमारे यहाँ गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर जो असंतोष है, उसको, क्या हम एक्सप्लाइट करने का प्रयत्न करेंगे ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) :—अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

भारत की आजादी के समय विश्व दो गुटों में विभक्त था। गुटनिर्पेक्ष नीति पं० जवाहर लाल नेहरू की देन है पिछले चार दशकों तक भारत उन सभी देशों का नैतिक व राजनीति समर्थन कर रहा था जो स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष कर रहे थे। भारत निर्भय होकर सत्य का समर्थन कर रहा था और असत्य का विरोध कर रहा था। उस समय भारत की कीर्ति का अच्छा खासा नाम था।

तब भारत की सोवियत संघ से अच्छी मित्रता थी। सोवियत संघ में हुए परिवर्तन के साथ यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि क्या सोवियत संघ के साथ मित्रता का दौर चलता रहे अथवा नहीं। मेरी राय है कि हमारी मित्रता सोवियत संघ में अंदरुनी परिवर्तन होने के बावजूद चालू रहनी चाहिये।

इसी प्रकार कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या गुटनिर्पेक्ष नीति का अब कुछ महत्व है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जब तक एक ओर गरीब विकासशील देश रहेंगे और दूसरी ओर अमीर देश रहेंगे तब तक नई आर्थिक व्यवस्था के लिये संघर्ष में 'नाम' की भूमिका की अधिक आवश्यकता रहेगी।

हमने अपने देश की औद्योगिक नीति और व्यापार नीति में अच्छे-खासे परिवर्तन किये हैं। हमारी औद्योगिक नीति और व्यापार नीति पर विश्व के कई देशों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उनके अपने मत हैं कि क्या भारत इन नीतियों को चालू करवायेगा अथवा नहीं। हमें उन विदेशी राष्ट्रों में यह विश्वास उत्पन्न कराना है ताकि वह बेझिझक होकर भारत की मदद करने के लिये अग्रसर हों।

मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में हमारी योजनायें क्या हैं ? विदेशों में हमारे राजदूतों को इस प्रकार निर्देश दिये जाने चाहिये कि वे विश्वास का वातावरण बनाने के लिये प्रभावी ढंग से काम करें। केवल तभी हम अपनी नई औद्योगिक और व्यापार नीतियों के घोषित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

कुछ विदेशी राज्यों को भारत के राजनैतिक रूप से सफल होने के बारे में सन्देह है। विघटनकारी तत्व और आतंकवादियों ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और हर एक के जीवन को खतरे में डाल दिया है। जम्मू और कश्मीर में जे० के० एल० एफ०, असम में उलफा और पंजाब में आतंकवादियों ने ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं और वे राज्य उनके हाथों में जा रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हम आतंकवादियों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने में असफल क्यों हैं ? विदेशी राज्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि हम कमजोर हैं और विघटनकारियों और आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं है। इसलिये हमें अपनी विश्वसनियता और क्षमता को प्रमाणित करना पड़ेगा।

इसी प्रकार हमें अपने पड़ोसी देशों से अपने सम्बन्धों को मजबूत करना है। दुर्भाग्यवश हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत में समस्याएँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से पंजाब में आतंकवादियों की मदद कर रहा है। चीन, पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध करा रहा है। चीन पाकिस्तान को (परमाणु) पनडुब्बी भी देने जा रहा है। भारत को इन सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये।

हमने श्रीलंका सरकार के साथ शास्त्री-श्रीमोवो नामक समझौता किया था और श्रीलंका सरकार उस समझौते पर अमल नहीं कर रही है। श्रीलंका से लाखों लोगों को भारत लाकर हमने उस समझौते का पालन किया है। लेकिन श्रीलंका समझौते का पालन करने में असफल रहा है। इसके बाद भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के मध्य अन्य समझौता हुआ और भारत सरकार ने श्रीलंका को कच्चातीवू सौंप कर समझौते का सम्मान किया। उस समय श्रीलंका सरकार ने तमिलनाडु के मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार देना स्वीकार किया था। लेकिन श्रीलंका सरकार इस समझौते का पालन नहीं कर रही है। श्रीलंका की नौसेना तमिलनाडु के मछुआरों की नावें डुबाकर उन्हें परेशान कर रही है और श्रीलंका की नौसेना की अन्धाधुन्ध गोलियों की बौछारों में 27 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। श्रीलंका की नौसेना के आक्रमण से हजारों व्यक्ति घायल हो गये हैं। इसीलिये तमिलनाडू की मुख्य मन्त्री माननीय जयललिता ने मांग की है कि केन्द्रीय सरकार 1974 के समझौते को रद्द करके हस्तक्षेप करे और कच्चातीवू भारत के लिए फिर से वापिस ले तभी तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना के अत्याचारों से बचाया जा सकेगा।

इस समझौते के पश्चात् 1986 में श्री राजीव गाँधी और श्री जयवर्धन द्वारा भारत व श्रीलंका के मध्य एक अन्य समझौता किया गया। भारत सरकार ने श्रीलंका में शान्ति स्थापित

करने के उद्देश्य से इस समझौते के अन्तर्गत भारतीय शान्ति सेना को भेजा। लेकिन श्रीलंका सरकार ने वहाँ बसे तमिलों को वह अधिकार नहीं दिये, जैसा कि उसने देना स्वीकार किया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी नेता जयललिता को 'लिट्टे' उग्रवादियों से अपनी जान का खतरा है। श्रीलंका सरकार ही इन सभी घटनाओं, परेशानियों और तकलीफों के लिये जिम्मेदार। है इन सबके बावजूद भारत श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है।

पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये हमें दुर्भावनाओं को समाप्त करने की बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी और उन्हें यह अहसास करना होगा कि हमारी भूमि हथियाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमें अपनी समझ-परख विदेश नीति को हर हालत में चालू रखना होगा। लेकिन इस नीति को शक्ति प्रदान करने के लिये भारत को मजबूत बनना होगा।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) :—अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कुछ महीनों में जो ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम हुए हैं तो उन पर हमें अभी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सचमुच में यह नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में जो अभी परिवर्तन हुआ है, उसके क्या परिणाम होंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे भारतीय दूतावासों में मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा, जहाँ पर राष्ट्रवादी और कमिटेड.... हैं और सचमुच में मिशनरी जील उन्हें मान रहे हैं। मैंने भारतीय दूतावासों को देखा है। वहाँ की कार्य-प्रणाली बहुत धीमी, शिथिल और पश्चिमी तरीके से है, जैसे शाम को बैठना इत्यादि। इसलिए कार्यप्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन करने की जरूरत है। आज दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है, उसके क्या-क्या दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आज यूरोप में रूस की तरफ परिवर्तन हुआ है। यह कहना कि रूस कमजोर हो गया है तो यह भावना हमारे जरिये किस तरीके से हो रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम गलतफहमी में रहेंगे। दोनों जर्मनी जो मिले हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसको भी गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। यह बहुत अधिक आर्थिक शक्तियों का केन्द्र निश्चित रूप से बनने वाला है। इसी तरह से हमारे नजदीक देश जापान है। वहाँ भी और उसके आस-पास के देशों में क्या परिवर्तन हो रहा है? किस तरह के हमारे आर्थिक शक्ति के केन्द्र कहाँ-कहाँ बन रहे हैं। यह जो नए केन्द्र बन रहे हैं तो अभी से कार्य-प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा। हम यह मानकर चलते हैं कि अमेरिका या ब्रिटेन ने अपने दूतावासों में बहुत अधिक लोग रखे हुए हैं। वहाँ पर डेडीकेटेड या कमिटेड लोग नहीं हैं। भले ही आप कम रखें। लेकिन वहाँ की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए हमारे यहाँ के मंत्रालय को विशेष न केवल संकेत देना पड़ेगा बल्कि उनको आदेश देकर काम करने की आवश्यकता होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज रूस भी आगे शक्ति का केन्द्र रहा है और चीन निश्चित रूप से जिसकी आबादी सौ करोड़ की है, वह भी एक शक्ति केन्द्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उसी तरीके से हमारा देश 85 करोड़ का है। हमको भी

अपने देश में आर्थिक स्थिति में सुधार कर, हमारी जो शक्ति है उसको प्रचार करने को आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम हर अन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर किसी भी जगह पहल करने में पीछे न रहें। जैसे जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर जी, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ में रहा है। हमें अपने दूतावासों को और अधिक सक्रिय बनाना चाहिए। यहां से जो हम कहते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो देश की भावना है उसका हर अन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर और सभी दूतावासों को अच्छी तरह से प्रचार करना चाहिए तभी भारत की जो नीति है और जो हमारा निर्माण का काम चल रहा है वह दुनिया तक पहुँचेगा। क्योंकि अभी तक हम जिस ढंग से मामलों को उठाते हैं, दुनिया को मालूम हो उसमें हम पीछे रहे हैं। अभी जैसा कि कुछ साथियों ने कहा कि हमको जहां भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मौका मिलता है पहल करने से, उसमें कमी महसूस की जा रही है, मैं भी इस बात को मानता हूं।

अटल बिहारी जी ने अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से यहां रखा। उन्होंने एक बात कही कि रूस का का कम्युनिस्टवाद खत्म हो गया है। लेकिन हों यह याद रखना चाहिए कि जो उनका और हमारे बीच संस्कृति का, सभ्यता का वायदा है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए और उसे नहीं तोड़ना चाहिए। हम आगे भी उसको बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। भविष्य में भारत-रूस में सम्पर्क और दोस्ती बनी रहेगी और हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इसे जीवित किये रहना चाहिए। आज वहां शांति है और यह कहा जा रहा है कि रूस की जो स्थिति है उसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति आ गई है और अमरीका एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ वर्षों के बाद यह शांति हटेगी और रूस एक नई ताकत के साथ पूरी दुनिया में फिर उभर कर आयेगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि अन्ततः हमारा सदन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए समय निकाल पाया है। नहीं होने से कुछ होना अच्छा होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल निष्पक्ष होने के लिये यह अधिक अच्छा नहीं है। प्रधान मन्त्री महोदय ने हमें यह आश्वासन देकर अच्छा किया है कि अगले वर्ष, अगले बजट में विदेश मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर पर्याप्त चर्चा होगी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेरे विचार से अगले सत्र में हमें इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि हमने विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की होती, तो हमने इस पर छः घण्टे चर्चा की होती। लेकिन हमने इस पर पांच घण्टे ही चर्चा की है।

श्री इन्द्रजीत : मैं इस सभा की परम्पराओं के मन्तव्य यह निवेदन यह करना चाहता हूँ कि हमें अगले सत्र में पूर्ण चर्चा करनी चाहिये। और बजट सत्र के समाप्त होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम वह करने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगले सत्र में बजट पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री इन्द्रजीत : हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि विश्व भर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये हैं। यह वास्तव में अत्यधिक चिन्ता जनक है कि हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं और हम सब जिन्हें काफी कुछ कहना है उन्हें अपनी टिप्पणियों को केवल कुछ मिनटों के लिये सीमित करने के लिए कहा जा रहा है।

तथापि, मैं उपलब्ध सीमित समय में अपना सर्वोत्तम रखने का प्रयास करूंगा। मेरे विचार से, विगत चार दशाब्दियों के दौरान हमारी विदेश नीति की एक महान असफलता यह रही है कि हम प्रायः प्रतिक्रिया करते प्रतीत होते हैं, हम कभी भी कार्य नहीं करते और मेरे विचार से, यह उचित समय है जब हमारे विदेश मन्त्रालय को प्रतिक्रिया की अपेक्षा कार्य करने के बारे में अधिक सोचना प्रारम्भ करना चाहिये। मेरे विचार से, ऐसा मंत्रि परिषद को भी करना चाहिये। कार्यवाही करने के सन्दर्भ में, हमें जिस तरह की कार्यवाही करनी है, हम अब पाते हैं कि पूरा विश्व विशेषतया एक ध्रुवीय विश्व में अत्यधिक तेजी से टकराव आ रहा है। राष्ट्रपति बुश नई विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में बात कर रहें हैं। मेरे विचार से, हमें इन नई विश्व व्यवस्था की। उनकी परिकल्पना को समझने का तथा उसमें हम कहाँ ठीक बैठते हैं, इसका प्रयास करना चाहिये।

7.00 म० प०

क्या हम नई विश्व व्यवस्था की इस परिकल्पना और अवधारणा में ठीक बैठते हैं ? यदि नहीं तो हमें प्रति नीति अपनानी चाहिये ताकि हम अपने हितों की पर्याप्त रक्षा कर सकें। यह अत्यधिक आवश्यक है और हमें यहाँ अत्यधिक सावधानी और गतिशीलता से कार्यवाही करनी चाहिये।

अन्य बात जिसका हमने वर्णन किया है वह राष्ट्र संघ के सुधार का प्रश्न है। इस मुद्दे को हम स्वयं राष्ट्र संघ में विगत 15 वर्ष से उठा रहें हैं। मुझे याद है, कि 1977 में, मैं भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ गया था और मैं छठी समिति का सदस्य था। उस समय हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की माँग को जोरदार ढंग से उठाया था। सभी पक्षों से आश्चर्यजनक रूप से सोवियत संघ को छोड़कर, हमें अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ था। उस समय सोवियत संघ ने एक मत दृष्टिकोण के लिये आग्रह किया था और उस समय हमें यह कहना पड़ा था कि हम एक मत के कैदी नहीं हो सकते। मुझे आशा है कि जैसा कि आमतौर से सुझाव दिया जाता है हम संयुक्त राष्ट्र के सुधार के प्रश्न को तथा उसके प्रजातन्त्रीकरण के लिये और अधिक जोरदार ढंग से उठाऐगें हमारे पास गुट निरपेक्ष आन्दोलन का प्रश्न भी है।

यदि गुट निरपेक्ष आन्दोलन समाप्त होता है तो मेरे पास बहाने के लिये अधिक आँसू नहीं हैं। फिर भी, मैं यह स्पष्ट अवश्य करूंगा कि मैं गुट निरपेक्ष के वर्तमान रूप के बारे में बातें कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से गुट निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा अपनाई गई। गुटनिरपेक्षता की गुरुवचना से निराश हुआ हूँ। इसने संख्या पर अधिक ध्यान दिया है और उसके परिणामस्वरूप, हमने

गुट निरपेक्षता की अवधारणा और गुणवत्ता को कम कर दिया है। इसकी अपेक्षा इसे गुट निरपेक्षा को समर्पित देशों का एक छोटा ग्रुप होना चाहिये।

मेरा विश्वास है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन की एक भूमिका है। आज भी इसकी भूमिका है और भविष्य में भी रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे विचार से, गुट निरपेक्षता एक देश की आजादी को देश और विदेश में दिखाना है। और हमें इस आजादी को अवश्य बनाये रखना चाहिये और सभी मुद्दों का गुणों के आधार पर निर्णय करना चाहिये लेकिन, यदि हमें चलते रहना है, चाहे अकेले ही तब हमें गुट निरपेक्ष रहना चाहिए। मेरे विचार से हमें ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाने का प्रयास करना चाहिये जो वास्तव में गुट निरपेक्ष हों।

अगला मुद्दा जो मैं उपलब्ध सीमित समय उठाना चाहता हूँ, वह पाकिस्तान का प्रश्न है।

मेरे विचार से उस बारे में काफी निराशा रही है। इस समय पाकिस्तान हमारे साथ एक अप्रत्यक्ष युद्ध चला रहा है और यह कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि हम इसका पाकिस्तान कश्मीर समस्या के अतिरिक्त पर्याप्त उत्तर नहीं पा सके हैं। पहली बार हमारे पास एक ऐसी स्थिति आई है जब कि अमेरिका ने खुल कर हमारा समर्थन किया है। उसने जनमत संग्रह का विरोध किया है। उसने हमारे आधार का समर्थन किया है कि हमें शिमला समझौते के अन्तर्गत इसका समाधान ढूंढना चाहिये और फिर भी हम इस मुद्दे पर विश्व मत को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हुए हैं। मेरे विचार से हमारी नीतियों का प्रचार करने में हमारे प्रयासों में कुछ कमी है। मेरे विचार से विदेश में आवश्यक लॉबी में अधिक गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो रहा है। वास्तव में, जैसा कि अन्य मित्रों ने कहा है, कश्मीर के मुद्दे के सम्बन्ध में कई बार पाकिस्तान अपना पक्ष हमारे पक्ष से मजबूत बनाने में सफल रहा है। मेरे विचार से मानव अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे पास अत्यधिक मजबूत मामला है और फिर भी हम इसे नहीं बना सके हैं। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी हमारे देश में आ रहें हैं। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी भी, जो आतंकवादियों के रूप में आ रहें हैं और हमारें शान्ति प्रिय व्यक्तियों को बन्द कर रहे हैं और फिर भी हम इस बारे में बहुत कम कर पाये हैं। हमें अपनी नीति और अपने आधार को प्रस्थापित करने के लिए अत्यधिक विशेष प्रयास करने चाहिए।

अन्य बात जो मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम विगत 40 वर्षों से जिन नीतियों का अनुशरण कर रहें हैं, उनकी जाँच करने का उचित समय आ गया है। शुरू में, पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए थे। बाद में हमने पाकिस्तान के साथ मित्रवत् होने का प्रयास किया है। प्रत्येक बार हमने प्रयास किया और पाकिस्तान को गले से लगा लिया; हमने प्रयास किया और निकट आ गये। मित्रों ने यहाँ आज भी यह सुझाव दिया है कि हमें पाकिस्तान के निकट जाने के प्रयासों के सन्दर्भ में; सकेत के बाद संकेत देने के सन्दर्भ में हमें एक पक्षीय निर्णय लेने चाहिये और फिर भी क्या प्रतिक्रिया हुई है? उनकी प्रतिक्रिया हमें दूर धकेल ने की है।

[अनुवाद]

मैं समझता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब हमें उनको चुपचाप अलग छोड़ देने के बारे में सोचना चाहिये तथा पाकिस्तान जो कुछ संकेत देता हो केवल उन्हीं पर हमें कुछ प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। हर बार हमारे पीछे की झुकने से अनावश्यक सन्देह पैदा हुए और इसके कोई परिणाम नहीं निकले। मेरे विचार से हमें पाकिस्तान को अब अपने आप पर छोड़ देना चाहिए तथा जब कभी भी वह हमारी ओर कुछ संकेत करता हो तो हमें हर एक संकेत के जवाब में दो संकेत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब हमें उन्हें चाहना तथा गले लगाना बंद कर देना चाहिये क्योंकि इसके कई परिणाम नहीं निकले हैं।

यदि मैं एक और मुद्दे पर कुछ बोल सकता हूँ तो मैंने नई विश्व व्यवस्था की मूल अवधारणा की जो पहले बात कही थी उस पर आता हूँ। इस समय हमें विश्व में जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है। उससे कुछ ज्यादा ही सतर्क रहना होगा; जो कि परिवर्तन से कहीं अधिक है. जिसमें लोगों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिये जाने की बात है। नई विश्व व्यवस्था के फलस्वरूप सोवियत संघ में जिस प्रकार की स्थिति खड़ी हो गई है। प्रत्येक देश के हरेक भाग को अपने विचारों को जो कुछ करला चाहते हैं उसे सन्दर्भ में अभिव्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहाँ तक नई विश्व व्यवस्था की बात है, हमें पूर्णतः यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि भारत जैसे स्थापित देशों की एकता तथा अखण्डता को लेकर इस नई वि व व्यवस्था की किसी भी अवधारणा के साथ समझौता नहीं किया जायेगा।

यह अमरीका के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यदि वे लोग नई विश्व व्यवस्था की आत्म निर्णय की इस नवीन अवधारणा को अपनाने के इच्छुक हों तो मेरे विचार से हमें इस बारे में अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिये। इस अवधारणा पर तब ही विचार करना चाहिए यदि अमरीकी स्वयं अपने राज्यों को भी आत्म-निर्णय का अधिकार देने के इच्छुक हों और जब तक अमरीकी अपने राज्यों को आत्म निर्णय का अधिकार देने के इच्छुक स्वयं नहीं होते हैं। तब तक हमें भी इस विशेष अवधारणा निर्णय से सतर्क रहना चाहिये।

मैं उत्तर-दक्षिण की बातचीत के बारे में भी एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। उत्तर दक्षिण की वार्ता के लिये हमें कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमें दक्षिण से दक्षिण की वार्ता के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह बड़े ही दुःख की बात है कि शुरू-शुरू में तीन गुट निरपेक्ष देशों, मिश्र, युगोस्लाविया तथा भारत ने आपस में सहयोग करने के लिये कुछ विचार रखे थे परन्तु वे विफल रहे। मेरे विचार में इस बारे में बड़ी ही सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक हम लोगों को दक्षिण-दक्षिण सहयोग नहीं मिलता है तब तब हम लक्ष्य अर्थात् उत्तर-दक्षिण सहयोग के इस अपेक्षित लक्ष्य की ओर, और आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवादी हूँ, यद्यपि इसके लिए भी ताकत की आवश्यकता पड़ती थी।

एडुआर्डो फलीरो : क्या मैं सर्वप्रथम उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे सकता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। यह मैं मात्र औपचारिकता वश नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। कि अधिकांश वक्ता तथा वास्तव में जिन लोगों ने इस चर्चा में कुछ भी नहीं बोला है वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेश नीति के अध्ययन में कई वर्ष समर्पित किए हैं। इनमें से कुछ लोग तो इन नीतियों को बनाने के उत्तरदायी मंत्री अथवा उच्च अधिकारी भी रहें हैं।

आगे, मेरा काम इस बात से काफी सीमित हो गया है कि माननीय प्रधानमन्त्री जी ने अपने हस्तक्षेप में इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य तथा व्यापक चर्चा का आधार प्रदान कर दिया है। ऐसा करते समय उन्होंने कई मुख्य मुद्दों के उत्तर दे दिये हैं अतः मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिनका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया जा सका।

सर्वप्रथम चर्चा में एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या हमारे यहाँ विदेश नीति का निर्धारण तथा चयन करने के लिये कोई नीति निर्धारक तन्त्र है ? तो मेरा उत्तर होगा हाँ। हमारे यहाँ मन्त्रालय में एक नीति निर्धारक विभाग है। परन्तु हमें उसकी संरचना को और सशक्त करना होगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो कई ऐसे भी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि विश्व को अपनी प्रतिक्रिया में वास्तव में ही ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों तथा नेताओं को शामिल किया जा सके।

जैसा कि बताया गया है कि इन प्रतिक्रियाओं में देश की सर्वसम्मत राय रही है और संसद की भी। इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन लोगों को जो विदेश नीति की सहमति अन्य पकड़ के कारण घरेलू मामलों पर मतभेद रखते हों, उन्हें उस सबका पता नहीं चलना चाहिये जो कुछ हम करना चाहते हैं। विकल्पों पर उनके द्वारा दिए गए परामर्श से भी जो कि हमारे पास उपलब्ध है, हमें लाभ पहुंचेगा।

अन्तिम वक्ता और उनसे पूर्व के कई वक्ताओं द्वारा भी, आरम्भ से ही एक प्रश्न उठाया गया है कि शरारतपूर्ण भ्रामक सूचना अभियान और इसके द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन करके अन्तर्राष्ट्रीय नियम के उल्लंघन के प्रयासों एवं जो बातें असम्बद्ध हैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और अन्य ढंग से मुद्दों में शामिल किए जाने के निराकरण हेतु हम क्या अभियान चला रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं हैं कि हम विशेषकर हाल ही में, इस दुर्भावनापूर्ण अभियान को रोक पाने में सफल नहीं हुए हैं। वास्तव में, एक वक्ता ने काफी निष्कपट रूप से यह कहा था कि हम इस प्रचार पर रोक लगाने हेतु काफी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से एक देश का नाम भी लिया था और यह कहा था कि कश्मीर के मुद्दे के हल का एक मात्र रास्ता द्विपक्षीय रूप से किए गए शिमला समझौते को मानना होगा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था—मैं उनका आभारी हूँ – और सच्चाई से पर्दा उठाने के हमारे प्रयासों और पाकिस्तान से भ्रामक सूचना के प्रश्न का उल्लेख किया। यह सत्य है कि अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक सरकारों का भी यही विचार है। इसलिये कश्मीर का मामला एक ऐसा मामला है जिसे बातचीत और शान्ति-

पूर्ण ढंग से शिमला समझौते की परिधि में द्विपक्षीय रूप से तय किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा कश्मीर और पंजाब दोनों में आतंकवाद को मदद दी जा रही है, उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं और आतंकवाद को आर्थिक सहायता की जा रही है और भड़काया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत : आप केवल एक ही देश के सम्बन्ध में सफल हुए हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप मुझे कई अन्य देशों का उल्लेख करने से रोकते हैं। लेकिन मैं इंग्लैंड की बात कर सकता हूँ जिसका यहाँ पहले ही उल्लेख किया गया है। मैं उल्लेख कर सकता हूँ और मैं उल्लेख करूँगा जो कि राष्ट्रमण्डल महासचिव द्वारा कुछ दिन पहले ही यहाँ कहा गया था। उन्होंने कहा था कि यह एक द्विपक्षीय मामला है। मैं उल्लेख कर सकता हूं। अब मैं इसका उल्लेख करूँगा कि पाकिस्तान को 'एकरा' बैठक में इस मामले को उठाने से रोका गया था और उसे तब यह बता दिया गया था कि इस प्रकार के द्विपक्षीय मामले यहाँ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर न उठाए जाएं।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के विषय में बोलते समय, एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम इन मामलों को कल्पना शक्ति से देख रहें हैं अथवा हम व्यर्थ में यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं। हम इतिहास के इस चौराहे पर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मामले में कल्पना शक्ति की आवश्यकता को समझते हैं विश्व में सुधारवादी परिवर्तन हुए हैं।। मैं यह बात विशेष रूप से कहूँगा कि अगले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत निरस्त्री-करण का प्रस्ताव रखेगा, इसका मामला उठाएगा और परमाणु-रहित, हिंसा-रहित विश्व की स्थापना की, हमारी संकल्पना पर चर्चा करवाएगा। भारत का आर्थिक मुद्दों को उत्तर-दक्षिण की बातचीत के द्वारा सन्तुष्टि, तात्पर्य और गतिशीलता के विषय पर चर्चा का प्रस्ताव रखने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूती प्रदान करने के रास्तों और कारणों का पता लगाने का विचार है। हम दक्षिण-दक्षिण सहयोग की बात कर रहे हैं। हमारे अन्दर जो कमी है वह यह नहीं कि हम दक्षिण-दक्षिण सहयोग की व्यापकता के बारे में कर रहे हैं; हमारे अन्दर जो कमी है वह, उन विशेष क्रियात्मक रास्तों का पता लगाने की है, जिनमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग सही रूप से क्रियान्वित हो पाएगा। इसलिये अगले गुट निरपेक्ष आन्दोलन की शिखर बैठक में हमारा इसे उठाने का विचार है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अगली शिखर बैठक में हम संयुक्त राष्ट्र तन्त्र को मजबूत बनाने के प्रश्न को भी उठाएंगे। मूलतः यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसे प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रश्न है क्योंकि वास्तव में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का अकेला निर्णय लेने वाला निकाय नहीं तो प्रमुख तो है ही जब हम मूलतः सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात कर हैं तो हमारे मन में सुरक्षा परिषद में दक्षिण के देशों विकासशील देशों, गुट-निरपेक्ष देशों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके दूसरी सदस्यता का विस्तार करने की बात होती है।

कई विशिष्ट वक्ताओं ने यहाँ चीन के बारे में एक प्रश्न उठाया है कि हमें चीन के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत करने चाहिये। हम इन विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। हाँ चीन एक शक्तिशाली देश है। चीन के साथ हमारे सम्बन्ध थे। इन ऐतिहासिक सम्बन्धों को मजबूत करना समय

की मांग है। वास्तव में चीन के साथ हमारे सम्बन्धों के लिये स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने प्रयास किया था। राजीव गाँधी के बाद कई सम्पर्कों के माध्यम से इसे जारी रखा गया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन सम्पर्कों में कई संसद सदस्यों ने भाग लिया जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हैं जो राजनीतिक और सांस्कृतिक रहे हैं। हाल ही में हमने चीन के साथ सास्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। 'एशियाई विशिष्टता' हां,—भारत और चीन दोनों की—व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी एशियाई विशिष्टता है। और हम अपने-आप में परिवर्तन नहीं कर सकते, न ही हम अपनी एशियाई विशिष्टता से दूर हट सकते। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो मैं यह कहना चाहूँगा, कि एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन की 48वीं वर्षगांठ जो वर्ष 1987 में दिल्ली में मनाई गई थी, चीन विशिष्ट रूप से भागीदार था।

मुझे यह कहना चाहिये कि विश्व में हुए वर्तमान घटनाचक्र और विशेष रूप से कई विशिष्ट मामलों पर एशिया का देश होने के नाते हम कई आम धारणायें करते हैं।

पर्यावरण अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने हेतु एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में, अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मामला होगा। इसलिये पर्यावरण से सम्बन्धित प्रश्न से निपटने के लिये नीति बनाने हेतु विकासशील देशों में सहमति बनाने हेतु भारत ने प्रयास किया। इस सम्बन्ध में दिल्ली में एक बैठक हुई थी और इसके पश्चात् पिछले जून में बीजिंग में भी एक बैठक हुई थी। यह तो एक उदाहरण मात्र है इस ढांचे में किस प्रकार हिस्सा लेते हैं, किस प्रकार से हम ने केवल द्विपक्षीय रूप से, बल्कि बहु पक्षीय मामलों में सहयोग करते हैं।

'एशियन' के साथ सहयोग के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था। हम 'एशियन' के साथ सहयोग करना चाहते हैं। हमने सेक्टर सम्बन्धी बातचीत में हिस्सेदारी के लिए कहा है। इसमें दो प्रकार के देश हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया में भाग लेने वालों से आय प्रेक्षणीय हैसियत वाले अथवा गैर-सदस्य कह सकते हैं। एक तो पूर्ण सदस्यता सामान्य बातचीत वाले देशों के लिए है जो मूल रूप से 'एशियन' में दाता देश है। इसलिये यह दाता-आदाता के बीच का सम्बन्ध है। दूसरा, विशेष मामलों में सेक्टर सम्बन्धी बातचीत का विषय है। हमने 'एशियन' में क्षेत्रिय बातचीत में हिस्सेदार बनने की बात कही है।

श्री चित्त बसु ने चीन के बारे में सब बातें करते समय और कुछ मामलों के सम्बन्ध में जो सदन में उठाए गये थे, तथा मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का हवाला दिया है। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि इसका खण्डन किया जा चुका है। हमने चीन सरकार द्वारा जारी किया खण्डन देखा है जिसमें है आगे कहा गया है कि चीन ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धान्तों को अपनाया है और वह अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

हम पैरिस सम्मेलन के सदस्य हैं जो कम्बोडिया के मामले को देख रहा है। कम्बोडिया में शान्ति प्रक्रियाओं से हम निकट से जुड़े हुए हैं। कम्बोडिया में जो व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जिसका हमने समर्थन किया है। वे हैं, एक, वहां

किसी विस्तृत राजनीतिक समझौते की प्रतीक्षा किये बिना युद्ध विराम होना चाहिए; दूसरा, वहाँ युद्ध करने वाले गुटों को हथियारों की सप्लाई न करने के सम्बन्ध में समझौता होना चाहिये; तीसरा, वहाँ चरणबद्ध ढंग से सैन्य वियोजन होना चाहिये। सभी प्रश्न इसमें समाहित नहीं हैं। ये तो प्रमुख प्रश्नों में से कुछ हैं। इन सभी विचारों को स्वीकार कर लिया गया है और हमारी भूमिका कबूल की गई है।

जहाँ तक शान्ति सेना के गठन का प्रश्न है, इसका अभी तक गठन नहीं किया गया है। इसलिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत इसमें शामिल होगा अथवा नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य सदस्यों ने इराक में दुःख झेल रहे लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों—सामान्य नागरिकों की मानवीय आधार पर सहायता करने का प्रश्न उठाया है और पूछा है कि इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद में हम क्या करने जा रहे हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि हमने इस बात का पुरजोर समर्थन किया है कि इराक के लोगों, वहाँ के नागरिकों को खाद्य पदार्थ और दवाई की पूर्ति करने के लिये अनुमति देने हेतु सुरक्षा परिषद को उपाय करने चाहिये। भारत द्वारा समर्पित सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 706 ने अब इराक के लोगों के लिये भोजन और दवाइयों की खरीद करने हेतु धन की व्यवस्था के लिये 1·6 बिलियन डालर मूल्य का इराकी तेल बेचने के लिये स्वीकृति प्रदान की है।

मेरे पास उत्तर देने के लिये केवल एक ही प्रश्न है। यह हमारी आर्थिक नीति और हमारी विदेशी नीति के आर्थिक पहलू से सम्बन्धित है। हमने कुछ विशेष देशों में अपने राजदूतों को निर्यात में संवर्द्धन करने, और पूंजी-निवेश एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये अपने दूतावासों को अधिक चुस्त और प्रभावशाली बनाने हेतु इनके पुनर्गठन हेतु आदेश दिया है। हम अपने अधिकारियों, जिनमें विलक्षण विशेषज्ञता विद्यमान है, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने की योजना बना रहे हैं। हम इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि व्यापार में रुचि रखने वाले हमारे निर्यातकों और हमारे विदेशी व्यापारियों दोनों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये हमारे दूतावासों में सही आँकड़े उपलब्ध रहें। इसलिये मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा हेतु समय दिए जाने के लिये मैं एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव में अन्तर्विष्ट मुद्दों पर पहले ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी अटल जी और अनेक अन्य मित्रों द्वारा प्रकाश डाला गया है। अतः मैं इस पर जोर नहीं डालना चाहता।

श्री चन्द्र जीत यादव : महोदय, मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री जी ने इस सदन को आश्वासन दिलाया है कि बहुत से कार्य जो पहले नहीं किये गये थे अगले बजट तक किये जायेंगे। और

राज्य मन्त्री ने भी यह कहा है कि हम कई कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका एक प्रमुख भूमिका बन सके। इस बात को देखते हुए मैं भी अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं डाल रहा हूँ।

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा व्यक्त किये गये इस मत को देखते हुए कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान जिन भारतीयों को हानि हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जायेगी, मैं भी अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं डालूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्यों ने अपने स्थानापन्न प्रस्तावों को वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति ली है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

स्थानापन्न प्रस्ताव अनुमति से वापिस ले लिये गये।

राज्य सभा से संदेश

महा सचिव—महोदय, मैं निम्नलिखित सन्देश जो राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त हुआ है, प्रस्तुत करता हूँ।

"राज्य सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1991 जो लोक सभा द्वारा 16 सितम्बर, 1991 को हुई इसकी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा के पास उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन ने लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन] विधेयक, १९९१

महा सचिव—महोदय, चूंकि 17 सितम्बर, 1991 को सदन को दी गई रिपोर्ट अन्तिम थी, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1991 सभा पटल पर रखता हूँ।

7·23 म० प्र०

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

अध्यक्ष महोदय—मैं सदन को सूचित करता हूँ कि श्री अजीत अनन्तराव पवार ने कम्न

मुझे व्यक्तिगत रूप से एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने 18 सितम्बर, 1991 से इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और मैंने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

7.23½ म० प्र०

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्यों, आज दसवीं लोक सभा का प्रथम सत्र समाप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सदन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये मुझे और मेरे सहयोगियों–उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों को दिये गये सहयोग के लिये सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

लोक सभा की पहली बैठक 9 जुलाई, 1991 को सदस्यों द्वारा कुछ देर तक खड़े रहकर मौन धारण करके शुरू हुई। तत्पश्चात् अन्तरिक अध्यक्ष तथा कुशल संसद विज्ञ श्री इन्द्रजीत गुप्त ने नव निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। पहले दिन ही लगभग 417 सदस्यों ने प्रतिज्ञान की शपथ ली।

अगले दिन अध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी मद को कार्यसूची से हटाया गया। अध्यक्ष के इस सम्मानीय पद के लिये सदन द्वारा सर्वसम्मति से मुझे निर्वाचित किये जाने पर मुझे बहुत सम्मान महसूस हुआ। बाद में 13 अगस्त, 1991 को मेरे सहयोगी श्री एस० मल्लिकार-जुंनय्या को उपाध्यक्ष चुना गया।

11 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों को दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात जब सदन की बैठक शुरू हुई तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी को भावभीनी श्रृंदाजलि अर्पित की गई और सदन द्वारा सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव पास किया गया।

इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान हमने 49 बैठकें की हैं जो 343 घण्टे तक चली।

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसरण में 15 जुलाई, 1991 को मन्त्री परिषद ने सदन से विश्वास मत माँगा। लगभग छः घण्टे की चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

827 तारांकित प्रश्न, प्रश्न सूची में आए। जिनमें से 208 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया था। 7165 प्रश्नों के लिखित उत्तर दिये गये। चार आधे घण्टे की चर्चा भी हुईं।

यह बजट सत्र होने के नाते, सदन ने रेलवे बजट और सामान्य बजट सम्बन्धी चर्चा पर अधिक समय दिया। रेलवे बजट पर चर्चा 13 घण्टे तक चली और 25 जुलाई, 1991 को रेलवे बजट सदन द्वारा पारित कर दिया गया।

सामान्य बजट पर लगभग 22 घण्टे की सामान्य चर्चा के पश्चात लेखानुदानों पर

चर्चा की गई। पांच मन्त्रालयों के सम्बन्ध में मांगों पर चर्चा की गई। और मतदान किया गया और शेष की माँगों को 5 सितम्बर, 1991 को पारित कर दिया गया। वित्त विधेयक जिसके पश्चात लेखानुदानों के लिये मतदान हुआ, से सदन में काफी रुचि उत्सुकता थी। लगभग 16 घण्टे की लम्बी चर्चा के पश्चात सदन द्वारा 14 सितम्बर, 1991 को वित्त विधेयक पारित कर दिया गया।

सदन ने जम्मू और काश्मीर तथा पंजाब के सम्बन्ध में भी बजट पारित किया।

विधायी कार्यों के सम्बन्ध में, सदन ने लगभग 22 विधेयक पारित किये। महत्वपूर्ण विधेयकों में विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 1991 और पूजा-स्थल (विशिष्ट प्रावधान) विधेयक, 1991 थे। इन दो विधेयकों पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिये सदस्यों ने बहुत उत्सुकता दिखाई।

नियम 193 के अन्तर्गत दो अल्पावधि चर्चायें की गई। उनमें से पहली चर्चा राजीव गान्धी हत्याकाण्ड के मामले में एक अभियुक्त का हिरासत से भाग जाने और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थी; और दूसरी देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में थी। नियम 184 के अन्तर्गत चार प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वे थे—एक मन्त्री परिषद में विश्वास प्रस्ताव (दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार (तीन) बी० सी० सी० आई० मामले और (चार) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति। इसके अतिरिक्त, नियम 377 के अन्तर्गत 270 मामले उठाये गये।

जैसा कि सदस्यों को जानकारी है आज की कार्य-सूची की अन्तिम मद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा है। बहस के दौरान सदस्यों ने बहुत उपयोगी बातें सही हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार ने उन पर ध्यान दिया है और उन पर कार्यवाही की जाएगी।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 11 नवम्बर, 1991 से और छः महीने की अवधि के लिये जारी रखने की अनुमति लेने हेतु एक सांविधिक संकल्प पर भी सदन द्वारा आज चर्चा की गई और लगभग साढ़े तीन घण्टे की चर्चा के पश्चात इसे स्वीकार किया गया।

पहले की तरह, गैर-सरकारी सदस्यों ने सदन में अपने विधेयक और संकल्प लाने में बहुत उत्सुकता दिखाई। सत्र के दौरान अठत्तर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत किये गये जबकि केवल चार विधेयकों पर ही चर्चा की गई। ऐक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने के लिये कानून बनाने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है, से सदन में काफी उत्सुकता उत्पन्न हुई। पाँच सदस्यों के लिये निर्धारित दिनों में लगभग 12 घण्टे की लम्बी चर्चा के पश्चात संकल्प को वापिस ले लिया गया। दूसरे संकल्प जिसमें सरकार ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिये तुरन्त उपाय किये जाने की सिफारिश की गई है, पर भी काफी चर्चा हुई।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं पुनः आप सबका विशेषकर सदन के नेता, विपक्ष के नेता, अनेक पार्टियों और ग्रुपों के नेताओं तथा विभिन्न पार्टियों के सचेतकों को उनके द्वारा मुझे दिये गये सतत सहयोग और सम्मान के लिये धन्यवाद करता हूँ जिसके बिना मेरा कार्य इतना आसान नहीं था। मैं सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सदन के कार्यकरण को कुशलता पूर्वक चलाने में हमें सहयोग दिया। और सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित होता है।

7·29 म० प्र०

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

पी. एल. एस. 48/5/49/91 (एस०)
225

© प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक प्रिंटवेल प्रिंटर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 द्वारा मुद्रित